खण्ड-314, अंक-8
सोमवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1897
(24 मार्च, 1975 ई0)

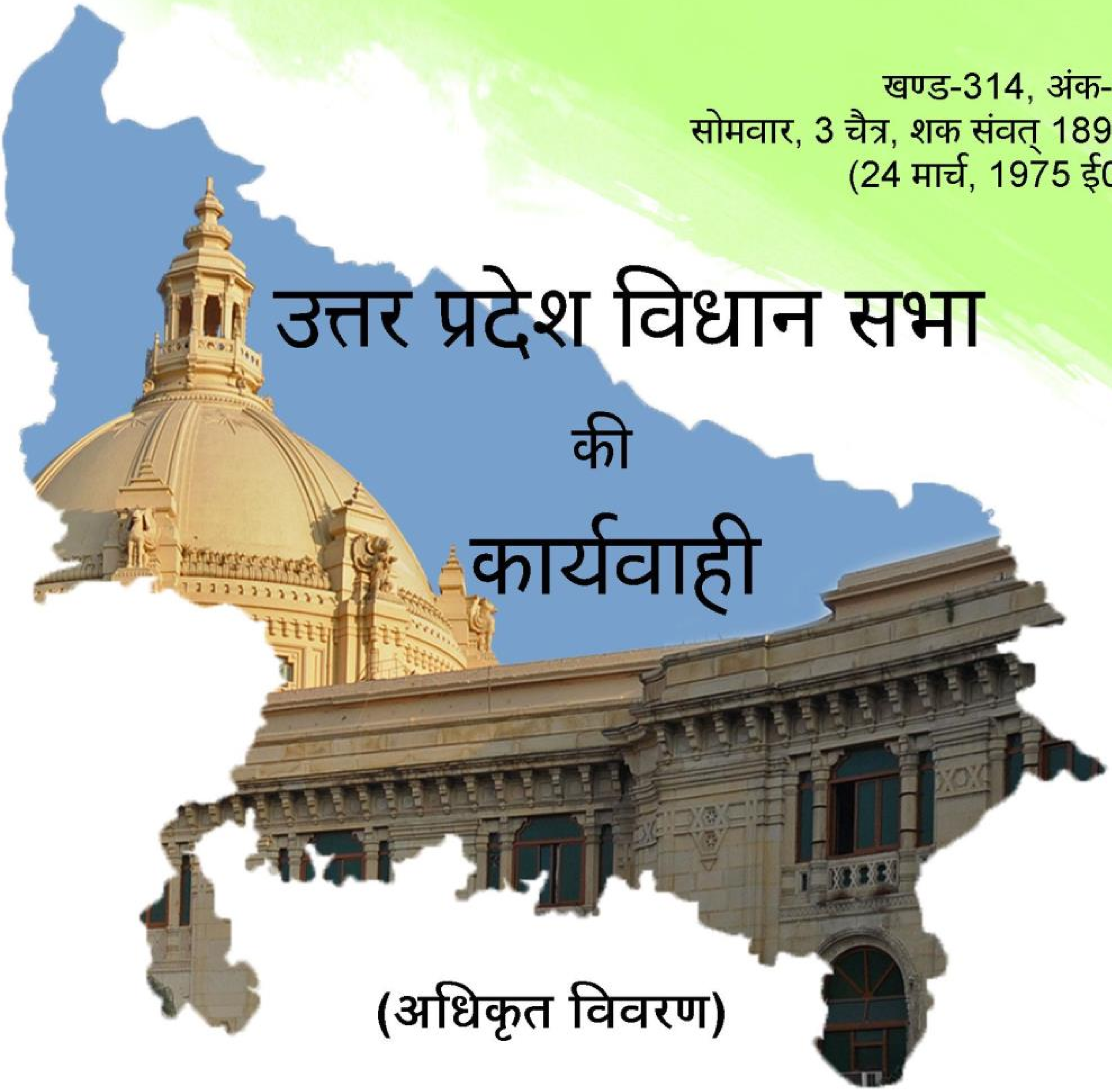

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 314 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
१९७५–७६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५७—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ५८–सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ८१–सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८२–बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	९१८–९५८
नियम ५६ तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	९५८–९६२
सिटी इन्टर कालेज, बाराबंकी के छात्रों पर लाठी चार्ज व अश्रु गैस का प्रयोग करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	९६२–९६४
नत्थियां	९६५–९८३

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २४ मार्च, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य-३५९

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां) (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुईउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काश नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती

गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजू राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री

नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवानसिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री

मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दोनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह मदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश चन्द्र खण्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट :—लघु उद्योग मंत्री, श्री इस्तफा हुसेन भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २४ मार्च, १९७५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

बाराबंकी जिले की बुढ़वल शुगर मिल के गेट पर गन्ना उत्पादकों की भूख हड़ताल

*१—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या शासन को ज्ञात है कि दिनांक १२ फरवरी, १९७५ से बाराबंकी बुढ़वल शुगर मिल गेट पर गन्ना के बकाया दाम पाने आदि के सम्बन्ध में गन्ना उत्पादकों ने भारी संख्या में क्रमिक हड़ताल प्रारम्भ कर दी है ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी हां, बुढ़वल शुगर मिल्स, बुढ़वल (जिला बाराबंकी) के गेट पर कुछ व्यक्तियों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल दिनांक १२–२–७५ को ४ बजे अपराह्न से आरम्भ हुई जो दिनांक १९–२–७५ को समाप्त हो गयी ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह क्रमिक हड़ताल जो बुढ़वल शुगर मिल गेट पर ७ दिन तक चली, इन लोगों की मांगे क्या थी और क्या वे मांगें अब तक मंत्री जी को प्राप्त हुई हैं, या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इन मांगों का विवरण मेरे पास है । पहली मांग तो यह थी, कि मिल से पिछला गन्ना मूल्य बकाया कृषकों को अविलम्ब दिलाया जाए और मिल मालिक पर गन्ना मूल्य सरकार सख्ती से वसूल करे । रिसीवर काल का गन्ना मूल्य सरकार स्वयं अदा करे । स प्रश्न पर जो स्थिति है, वह इस प्रकार है ७३–७४ के कुल १२,४२,८५३ रुपये में से ७ लाख ८ हजार कुछ रुपया अदा किया जा चुका है, और केवल ४ लाख ९३ हजार रुपया शेष है । इसके यथाशीघ्र भुगतान का प्रयास किया जा रहा है और इस सत्र के गन्ने मूल्य का भुगतान तुरन्त किया जाए—यह दूसरी मांग थी । इस सत्र में भी २७ फरवरी, ७५ तक ६४ लाख ७३ हजार रुपये मूल्य का गन्ना मिल द्वारा खरीदा गया और उसमें से ५९ लाख रुपये का भुगतान हो चुका है, जो अन्य कई मिलों की अपेक्षा तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा भुगतान माना जा सकता है । इस बार रिकवरी अच्छी है, यह उन मजदूरों की मेहनत की वजह से सम्भव हो सका है। इसलिये गन्ना मूल्य का बकाया कोई इस वर्ष नहीं रहेगा, यह मुझे आशा है । तीसरी मांग यह थी कि गन्ना मूल्य का समय से भुगतान किया जाए और मिल की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिये अनावश्यक पदों को समाप्त किया जाए । इस मांग के कार्यान्वयन की दिशा में इस मिल में १०२५ पदों में से ९१० अब रह गये हैं अर्थात् अनावश्यक पद समाप्त किए गये हैं । चौथी मांग जनरल मैनेजर, श्री पन्त को हटाने, उनका पद समाप्ति करने के बारे में थी । इस बारे में प्राप्त विवरण अधूरा था, कोई स्पेसिफिक बात

नहीं थी, इसलिये कोई आधार नहीं पाया गया इसमें । एक मांग थी वहां पर अस्थायी सीजन नियुक्तियों में स्थानीय आदमी रखने के बारे में । इसमें भी जो पहले स्थायी कार्यकर्ता थे, पहले से थे, उनको छोड़कर अब जो अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं, इसमें ज्यादातर स्थानीय व्यक्ति ही रखे गये हैं ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जनरल मैनेजर श्री पन्त, जिनका नाम मंत्री जी ने लिया है, इनके विरुद्ध बहुत ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जब यह मिल में आए थे, उस समय २२लाख रुपया बकाया था, जो बढ़कर अब एक करोड़ कुछ लाख रुपया हो गया है। इनके विरुद्ध कई आरोप हैं और इनके सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि मंडल मंत्री जी से मिला था, जिसमें स्वयं मैं था, कामरेड ऊदल थे तथा वहां की यूनियन के लोग थे, जिसकी बात सुनने के बाद तिवारी जी ने यह आश्वासन दिया था कि इनके विरुद्ध शुगर कारपोरेशन के चेयरमैन, श्री खोसला द्वारा जांच कराई जाएगी; तो क्या यह जांच कराई जा रही है ? इस सम्बन्ध में किसी तरह के आदेश दिए गये हैं या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह बात सही है कि माननीय सदस्य ने कृपा पूर्वक मुझे इस बारे में बताया था और एक प्रतिनिधि मंडल भी मुझसे मिला था। उस समय जो उन्होंने जानकारी दी थी और पहले से जो मांग-पत्र आया हुआ था उसमें भी वही बातों का उल्लेख था। उसको देखा गया किन्तु इस बात को उससे कोई आधार नहीं बना, उसमें कोई पूरे तथ्य नहीं मिले। कोई स्पष्ट रूप से आयेंगे या बताएंगे, बकाये के बारे में या अन्य आरोपों के बारे में ब्योरेवार स्पष्ट लिखकर भेज दें तो मैं अवश्य चेयरमैन से जांच करा लूंगा।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि यह मिल सरकार ने टेक ओवर किया है, जब से रिसीवर बिठाया गया है, उस वक्त क्या बकाया था, और इस वक्त वह बकाया बढ़ कर कितना हो गया है ? यह साफ सवाल है और इसका साफ उत्तर चाहूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

१९६५-६६ में ८ लाख ७९ हजार बकाया था। १९६७-६८ में २ लाख ४१ हजार, १९६८-६९ में ११ लाख ६७ हजार, १९६९-७० में १८ लाख ६२ हजार, १९७०-७१ में १३ लाख ६९ हजार। इसी समय रिसीवर की नियुक्ति की जाती। यह सब मिला कर ५५ लाख २१ हजार की पुरानी बकाया थी १९७२-७३ में ४१ हजार और १९७३-७४ में ४ लाख ९२ हजार। कुल, ब्याज मिला कर, ६५ लाख ८१ हजार की बकाया हुई जिसमें ५५ लाख २१ हजार की बकाया शामिल है, जो सरकार ने इ ी बकाया की वजह से रिसीवर नियुक्त किया था। हाईकोर्ट में संबंधित मामला चल रहा है। इसी बकाया की वसूली के लिये इस कारखाने को हस्तगत करने की चेष्टा की गयी। तो रिसीवर आने के बाद स्थिति सुधरी है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

जिस प्रकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लिए बिना सरकार एक बोरा भी चीनी का, मिल गेट के बाहर नहीं निकलने देती है, लेकिन वर्षों से गन्ना किसानों जिस पर उनका सारा जीवन निर्भर करता है बाकी है, क्या उसी प्रकार की व्यवस्था होगी जैसे सेंट्रल इक्साइज ड्यूटी लिए

बिना सरकार एक बोरा भी चीनी का मिल गेट से बाहर नहीं निकलने देती है, उसी प्रकार हर काश्तकार को गन्ने का दाम तत्काल दिलाने की व्यवस्था हो जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

विद्वान सदस्य को ज्ञात होगा कि पिछले जो पांच वर्ष का विधान सभा का काल था, उस दौरान में त्रिपाठी मंत्रिमंडल के काल में यह व्यवस्था की गयी थी, इस सदन ने कानून पास किया था, कि बैंकों को जिला अधिकारी निदेश दे सकेंगे कि बैंकों के जरिये सीधे सोसाइटी को भुगतान हो सके और हर जिला अधिकारी यह आदेश देता भी रहा है कि अधिनियम के अन्तर्गत जितनी बोरियां जाती हैं, मिल के बाहर उसकी क्रेडिट लिमिट का कहीं ९० प्रतिशत कहीं--कहीं ८५ प्रतिशत, कहीं ८० प्रतिशत जैसी भुगतान की जरूरत है, सीधे बैंक से सोसाइटी को पेमेंट हो जाता है। यह पहले से कर दिया है। अगर बोरे बिके ही नहीं, बैंक में पया जमा ही न हो तो कठिनाई होती है। पिछले दो वर्षों में बकाया कम रही है। यह अधिनियम जब से पारित हुआ १७६ लाख बकाया में १७४ लाख का भुगतान हो गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

इसमें एक मांग यह है कि जो अनावश्यक पद हैं, उनको समाप्त किया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि जो निकाले गये हैं, वह सुपरवाइजरी स्टाफ के हैं, मैनेजीरियल स्टाफ के हैं, जो लेबर ऐक्ट से गवर्न नहीं होते हैं या छोटे कर्मचारी हैं, जो यूनियन ऐक्ट से गवर्न होते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्य क्षमा करेंगे, मेरे पास इस समय यह ब्योरा उपलब्ध नहीं है, १०० से अधिक पद कम किये गये हैं, वे किस श्रेणी के कर्मचारी हैं। अगर अलग से प्रश्न करेंगे तो उत्तर दे सकूंगा।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

क्या यह सही है कि जनरल मैनेजर, श्री पन्त जिनके जमाने में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है यह सेंट्रल के किसी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं और ७५ साल के बुड्ढे हैं फिर भी इनको हटाया नहीं जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप है। आप प्रश्न करें, आक्षेप न करें।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

किस आधार पर मंत्री जी ने कहा कि आरोप अस्पष्ट हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

जी हां, प्रश्न ही कर रहा हूं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सारे आरोप स्पष्ट होते हुये भी वह जान बूझकर जांच नहीं करा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, अस्पष्ट और स्पष्ट में केवल 'अ' का अन्तर है। मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूं कि उनकी विद्वता पर टिप्पणी कर सकूं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि वह अभी नव

युवक हैं, किसी आधार पर टिप्पणी करें तो अच्छा होगा। मैं कैसे कह दूं कि उन्होंने सुना नहीं। लेकिन यदि वे विवरण के साथ आरोप बता दें तो उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

एक प्रश्न। मुझे इसके बारे में काफी जानकारी है।

श्री अध्यक्ष---

अब नहीं।

लखनऊ, कैसरबाग बारादरी में पेंशनर्स संगठन का सम्मेलन एवं उसकी मांगें

*२---श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि २७ नवम्बर, १९७४ को उत्तर प्रदेश के अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिये कैसरबाग बारादरी, लखनऊ में एक पेंशनर सम्मेलन आयोजित किया था और जिसको मुख्य मंत्री ने सम्बोधित किया था तथा तत्पश्चात संघ के प्रतिनिधि मन्डल ने सचिवालय में २९ नवम्बर, १९७४ को वित्त मंत्री से भेंट भी किया था? यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मांगें हैं और मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह सही है कि २७ नवम्बर, १९७४ को उत्तर प्रदेश के अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारियों ने लखनऊ में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसे, प्राप्त सूचनानुसार, मुख्य मंत्री जी ने संबोधित किया था।

यह भी सही है कि पेंशनर्स कल्याण संगठन द्वारा प्रकाशित उक्त पेंशनर्स सम्मेलन की एक स्मारिका प्राप्त हुई है।

इस स्मारिका में जिन मांगों का उल्लेख है, उनका संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

जहां तक इस मांग का संबंध है कि पेंशन निर्धारण के लिये समुचित आधार निर्धारित किया जाय कुछ संशोधनात्मक प्रस्ताव वर्ष १९७५-७६ के आय-व्ययक में शामिल किए गए हैं।

इसी प्रकार एक अन्य मांग की दिशा में भी, जिसका अभीष्ट पेंशनों की स्वीकृति में विलम्ब कम करना है, प्रयत्न किए जा रहे हैं कि पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम किया जा सके।

जहां तक इस मांग का संबंध है कि पेंशन के राशिकरण के कारण उसमें हुई कटौती तथा ग्रेच्युटी में नई पारिवारिक पेंशन योजना के लाभों के परिप्रेक्ष्य में हुई कमी को उस समय पुनः स्थापित कर दिया जाया करे जब संबंधित पेंशनर उस समय से आगे तक जीवित रह जाय जितने समय में उक्त कटौतियों भर की धनराशि पूर्ण हो जाती हो, इसे स्वीकार करने का कोई सैद्धान्तिक औचित्य नहीं है।

जहां तक पेंशनर्स तथा उनके आश्रितों के लिये कल्याण कोष की स्थापना का प्रश्न है सुझाव की रूपरेखा स्पष्ट नहीं है।

इसी प्रकार निगमों तथा अन्य संस्थानों में पेंशनरों की सेवाओं के उपयोग संबंधी मांग से भी शासन का कोई सीधा संबंध नहीं है ।

शेष २ मांगों पर अर्थात् पेंशनर्स को रिलीफ तथा चिकित्सा सुविधा देने के संबंध में तत्काल शासन अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस समय आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९६५ पर ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मेरे मूल प्रश्न में यह पूछा गया है कि २९ नवम्बर को पेन्शनर एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल माननीय वित्त मंत्री जी से मिला था और माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को अपना मांगपत्र दिया था। उत्तर में यह नहीं बताया गया। जो मांग पत्र दिया गया था उसका जिक्र नहीं किया गया तो पहले इसका उत्तर आ जाये जो मेरा मूल प्रश्न में था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, पेंशनर एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल मुझसे २९ नवम्बर को मिला, यह डायरी देखने से स्पष्ट नहीं हो सका। तो इसका उत्तर न 'हां' में दिया जा सका था और न 'नहीं' में। २९ तारीख को मिला या नहीं, डायरी में इसका उल्लेख नहीं है। ऐसी दशा में जो उनका सार था वह सार मैंने उत्तर में लिख दिया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इन सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग ६ लाख है और ये बहुत ही निःसहाय हैं, उनकी ३ मांगे हैं--एक--इनको जो न्यूनतम धनराशि मिलती है, वह ३० रु० है, इस को बढ़ा कर ५५ रुपया कर दिया जाये, दूसरा, केन्द्रीय व अन्य प्रदेशीय सरकारें पेंशन में बहोत्तरी १६ प्वाइन्ट मूल्य वृद्धि पर करती हैं, और तीसरा शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी जो सुविधायें कार्यकर्ता कर्मचारियों को दी जाती हैं, वह पेंशनरों को भी सरकार देगी। इन लोगों को ६८ में एडहाक रिलीफ दी गयी थी और अब ७५ चल रहा है, लेकिन अभी तक इनको कोई एडहाक रिलीफ नहीं दी गयी है। बजट में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, जब कि यह सरकार नारे लगाती है कि यह कल्याणकारी कार्य करती है। आप जानते हैं ३० रुपये का अर्थ हुआ एक रुपया रोज। एक रुपया रोज में तो वह खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी उनकी मांगों को स्वीकार करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं सहमत हूं कि जो हमारा पेंशनर वर्ग है इसका अपना स्थान है। जहां तक इस वर्ग की कठिनाई का प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन संसाधनों सम्बन्धी कठिनाइयों को देखते हुए इच्छा और सहानुभूति रखते हुए भी यह संभव नहीं हो पा रहा है। १२ तारीख को जो बजट भाषण मैंने दिया था, उसमें इसका उल्लेख किया है। अपने उत्तर में हमने फिलहाल का जिक्र किया है और तत्काल का मतलब है कि आज ही कर दिया जाये। तो इस समय यह संभव नहीं है। पेन्शन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या १ लाख ५ हजार है। अगर उनकी पेंशन बढ़ाई जाय तो ४ करोड़ ३९ लाख रुपये का वार्षिक व्यय होता है और यदि उन्हें चिकित्सा सुविधायें दी जायें तो उसमें ५५ लाख ६५ हजार रुपया चिकित्सा व्यय लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग ५ करोड़ रुपया वार्षिक, इस समय जो हमारे पेंशनर्स हैं, उनको अतिरिक्त सुविधायें देने में लग जायगा। तो एकदम इतनी धनराशि

अनुत्पादक मद में आज के संसाधनों की स्थिति में, और जिसके सम्बन्ध में माननीय विद्वान सदस्य ने टिप्पणी भी की है, ऐसी हालात में देना संभव नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यू० पी० पे कमिशन ने भी, जिसकी सिफारिशें १ अगस्त, १९७२ से लागू हुई हैं, इसकी सिफारिश की थी कि जो पेंशन दी जाय वह १ जनवरी, १९७३ से दी जाय। यही नहीं जो सेन्ट्रल सर्विसेज हैं, उनको भी पहली जनवरी, १९७३ से पेंशनरी बैनिफिट्स दिए जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी घोषणा की है कि पेंशनरी बैनिफिट्स दिए जायेंगे तो जब केन्द्रीय सेवाओं में, जैसे आई० ए० एस० आदि में १ जनवरी, १९७३ से पेंशनरी बैनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो स्टेट सर्विसेज में क्यों नहीं उसी तारीख से दिए जा रहे हैं ? क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि प्रदेशीय सर्विसेज में भी १ जनवरी, १९७३ से ही उनको इस प्रकार के बैनिफिट्स दिए जायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस प्रकार की संस्तुतियां सम्भवतः हुई हैं लेकिन संसाधनों की कमी से यह निर्णय करना पड़ा है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जब केन्द्रीय सेवाओं में, जहां इतने ऊंचे अधिकारी होते हैं, १ जनवरी, १९७३ से बैनिफिट्स दिए जाते हैं तो उस तारीख से देने में यहां पर क्या दिक्कत है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

एक तरफ तो जो लोग इस समय सेवा कार्य में लगे हुए हैं, उनसे अपील करते हैं कि वे अपना रुपया प्राविडेन्ट फंड में जमा कर दें, जिससे संसाधन जुटाने में हमें मदद मिल सके, और बिजली और सिंचाई बढ़ाने में सक्षम हो सकें, उनका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम पेन्शनर्स से भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। अगर उनकी बात मान लेते हैं तो जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनके लिये कठिनाई हो जायगी। लेकिन मैंने इस प्रस्ताव पर विभाग से पुनर्विचार करने को कहा है कि कितना रुपया लगेगा। इसकी जानकारी प्राप्त करने पर ही कुछ विचार हो सकता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कितने समय में मालूम हो सकेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

महीने, दो महीने में मालूम हो जायगा। और यदि ज्यादा रुपया न लगा तो विचार कर लिया जायगा, और यदि अधिक रुपया लगा तो उसके लिए क्षमा मांग ली जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि धन की कमी है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने पेंशन देने के बारे में एक सिफारिश की थी कि जो सरकारी पेंशन पाते हैं, उनको उनकी पेन्शन मनीआर्डर या चैक से भेज दी जाय। ऐसा देखने में आया है कि ७०-७० और ८०-८० साल के बुड्ढों को बड़ी मुश्किलें होती हैं और दिन भर उन्हें ट्रेजरी में पड़ा रहना पड़ता है। इस सुविधा को देने में सरकार का कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है और उन्हें सुविधा भी मिल जायगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्य की राय बिल्कुल ठीक है और इस पर हम अवश्य ही विचार करेंगे। यदि चेक से भी हो सकेगा तो अवश्य करेंगे।

श्री काशी नाथ मिश्र--

चेक से या मनीआर्डर से ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पेंशनर्स को निगमों में रखने पर विचार करने को तैयार नहीं हैं। जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी हैं, जो रिटायर हो कर जा रहे हैं, सब को निगमों में भर्ती किया जा रहा है। तो जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, उन्होंने क्या पाप किया है, कि उनको आप इन निगमों में रखने को तैयार नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आपका सवाल ऐसा है कि जो सरकार निगम बना रही है उसमें.....

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या उनको बड़े अफसरों के लिये बना रहे हैं ?

श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)--

न सिर्फ कम पेन्शन ही मिलती है, बल्कि पेन्शन का जो आफिस है, वह दसियों साल तक पेन्शन सेंक्शन ही नहीं करता और आदमी मर जाता है। तो माननीय मंत्री जी इस सिल-सिले में कुछ आश्वासन देंगे कि ३-४ महीने के अन्दर ही रिटायर होने के पेन्शन मिलनी शुरू हो जायगी ? और मैं स्पैसिफिक सूचना दूं आपको, श्री अब्दुल अजीज सन् ६६ में रिटायर हुये थे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरे मोअज्जिज मेम्बर, आजमगढ़ ने जो यह बात कही है, यह तत्वतः सही है। हमें इस बारे में खुद बहुत परेशानी है और मुझे इसका अफसोस भी है। इसका कारण यह है कि वे सारे पेन्शन के कागजात जो हमारा ए० जी० का आफिस है, वहां बनते हैं, और यह हमारा नियम भी है। इस सम्बन्ध में कई बार बैठकें हो चुकी हैं। हमने पहली अप्रैल, १९७० से सिविल सर्विस रेगुलेशन का जो चैप्टर ४७ है, वह भी आसान बना दिया है। हमने इस बीच में मार्च ४, १९७५ को सारे विभागाध्यक्षों की एक मीटिंग बुला कर हर डिपार्टमेंट में अलग पेन्शन का सेल खोला है, जहां डेढ़ साल पहले रिटायरमेंट के पेन्शन के कागजात तैयार होने शुरू हो जायेंगे, ताकि देरी न लगे जब वह रिटायर करने लगे और कागजात तैयार रहें। डिपार्टमेंटल हेड्स को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि कर्मचारी के रिटायर-मेंट के तुरन्त बाद डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेचुइटी का तीन-चौथाई हिस्सा और पहले ६ महीने की पेन्शन का भुगतान कर सकें। होता यह है कि डिपार्टमेंन्टल पेन्शन कैलकुलेशन और ए० जी० के कैलकुलेशन में रिकन्सीलियेशन में बहुत देर हो जाती है। तो इस बीच में यह रिक-न्सीलियेशन भी हो सकेगा। आमतौर पर हमने यह कोशिश की है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)--

जो निदेश दिया है कि ६ महीने की एडवान्स पेन्शन दे सकते हैं, इसका ठीक से पालन नहीं होता है। एक मिस ओम माथुर पांच साल से रिटायर हो गयी है, और मेडिकल सेक्रेटरी

ने ६ महीने की ऐडवान्स पेन्शन देने का हुक्म दे दिया है, लेकिन अभी तक उनको मिली नहीं है। तो जो निदेश दिया है, उसको फालो-अप नहीं करते।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं विद्वान सदस्य से आग्रह करूंगा कि वह इस केस को और इस तरह के अगर कोई दूसरे केसेज हों, उनको भी मेरे पास भेज दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

ढपोरशंख की तरह "अहं वदामि च ददामि न", इस भ्रम को दूर करने के लिये कम से कम १ माह की जो न्यूनतम पेन्शन है ३० रुपये की इसको बढ़ा कर ५० रुपये करने पर विचार करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पोरशंख की पेन्शन का भी मामला अगर भेज देंगे तो उसको देख लूंगा..... (हंसी)।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

बकाया बिक्री-कर की वसूली

*१--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक ३१-१२-७४ तक प्रदेश में बिक्री कर की कुल कितनी धनराशि अवशेष थी ? उपरोक्त में ऐसे कौन-कौन व्यक्ति तथा संस्थान हैं जिन पर एक लाख अथवा उससे अधिक का बिक्री कर बकाया था और क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

दिनांक ३१-१२-७४ तक प्रदेश में बिक्री कर का कुल ४७.६७ करोड़ रुपया अवशेष था। उपरोक्त धनराशि में से एक लाख या उससे अधिक का बिक्री कर १९२ व्यक्तियों तथा संस्थानों पर ९.३४ करोड़ रुपया अवशेष था। इनकी सूची संलग्न है। इनमें से ४१ बकायादारों के विरुद्ध ३.०५ करोड़ रुपया की वसूली सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थगित थी।

३३ बकायादार जिन पर १.४९ करोड़ बकाया था, का व्यापार बन्द हो चुका बताया गया था। इनके सम्बन्ध में संयुक्त जांच की कार्यवाही चल रही है। २३ बकायादार सरकारी विभाग थे जिन पर २.०९ करोड़ रुपया बकाया था। शेष ९५ बकायादारों के विरुद्ध २.७१ करोड़ रुपये की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

[२४ मार्च, १९७५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोंडा शहर के आसपास चीनी मिल की स्थापना की मांग

*१--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने गोंडा शहर के आस-पास एक चीनी मिल लगाने की मांग जिले के लगभग ६० प्रमुख गन्ना उत्पादकों के हस्ताक्षर से युक्त प्रार्थना-पत्र देकर सन् १९७३ में की थी ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में गन्ना मिल न लगाये जाने का निर्णय किस आधार पर किया गया ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां। गोंडा जनपद में एवं उसके आसपास पहले से ही स्थापित चीनी मिलों द्वारा उक्त क्षेत्र में उपलब्ध सम्पूर्ण गन्ने का उपयोग कर लिया जाता है। इसलिए फिलहाल इस क्षेत्र में किसी अतिरिक्त चीनी मिल के लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट निगम में घाटा

*२--श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम के वर्ष १९७३-७४ में ५ करोड़ का घाटा हुआ है और इतना ही घाटा वर्ष १९७२-१९७३ में भी हुआ था? यदि हां, तो इस घाटे के मुख्य कारण क्या हैं और सरकार घाटा कम करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट निगम के वर्ष १९७३-७४ में रु० ५ करोड़ का घाटा नहीं हुआ है, वर्ष १९७२-७३ में भी ५ करोड़ का घाटा नहीं हुआ था वरन् वर्ष के कार्य-फल से प्राप्त लाभ की धनराशि में से ह्रास, विकास छूट संचित, बोनस एवं ग्रेच्युटी के लिये प्राविधान करने के पश्चात् १९७२-७३ तथा १९७३-७४ में क्रमशः रु० ३,४८,१६,३२७ और रु० २,२१,२५,६२६ का घाटा हुआ।

वर्ष १९७२-७३ तथा १९७३-७४ में घाटे के प्रमुख कारण नीचे दिये हैं:--

१९७२-७३

(१) डाला कारखाने के प्रारंभिक वर्ष में ह्रास की धनराशि अधिक होना।
(२) विकास छूट संचित का प्राविधान।
(३) डल्ला में उत्पादन की प्रारम्भिक कठिनाइयां।
(४) अगस्त, १९७२ में कर्मचारियों की हड़ताल।
(५) प्रतिधारण (रिटेन्शन) मूल्य का कम होना।

१९७३-७४

(१) डाला कारखाने में, ह्रास की धनराशि का अधिक होना।
(२) विकास छूट संचित का प्राविधान।
(३) विद्युत् आपूर्ति में कटौती और कोयले की कमी।
(४) वेतन मजदूरी में असाधारण वृद्धि और उसके फलस्वरूप बोनस तथा ग्रेच्यूटी की धनराशि का अधिक होना।
(५) सभी उत्पादन सामग्रियों के मूल्य में निरन्तर वृद्धि।
(६) प्रतिधारण (रिटेशन) मूल्य में अनुपातिक वृद्धि न होना।

हानि को कम करने के सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

उत्तर से ऐसा आभास होता है कि इस कारपोरेशन को जो घाटा हुआ है, वह डल्ला के कारण हुआ है, इस घाटे में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। आज तक किसी भी इकाई को कोई

लाभ नहीं हुआ। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस डल्ला कारखाने को १९७२–७३ तथा १९७३–७४ में कितना घाटा हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

माननीय विद्वान सदस्य को इसकी जानकारी है कि ऐसी कैपिटल इन्सेन्टिव इन्डस्ट्रीज जिसमें शुरू में अधिक पूंजी लगती है, उसमें शुरू में घाटा अधिक होता है। १९७२ में इस डल्ला फैक्टरी ने उत्पादन का काम शुरू किया। इसके पहले अकेली चुर्क सीमेंट फैक्टरी थी, जिसमें १९७२–७३ में ६२ लाख ७३ हजार रुपये का मुनाफा हुआ था। डल्ला में हर वर्ष हानि होने का कारण, जो और बताये हैं, उसके साथ ही यह भी है कि डिप्रीशियेशन पहले वर्ष में अधिक दिखाया गया है। अर्थशास्त्रियों की परिभाषा में हम इसे डिमिनिशिंग वैल्यू के आधार पर डिप्रीसिएशन का प्राविजन करना कहते हैं। अगर इस तरह का प्राविजन न करें तो यहां पर हमारी बैलेन्स शीट गलत बतायी जायेगी। इसमें १९७२–७३ में २.६८ करोड़ और १९७३-७४ में १.६८ करोड़ का डिप्रीसिएशन फंड दिखाया गया है। इसके अलावा डिप्रीसिएशन रिजर्व फंड भी बनाया गया है। इसीलिये यह घाटा इतना आया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह––

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि घाटे को कम करने के लिये सब सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि जो हानि हो रही है, उसका एक बड़ा कारण अधिकारियों की लापरवाही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनमें मुख्य कदम कौन-कौन से हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी––

जो मुख्य प्रयत्न किया गया है, वह यह कि बिजली और कोयले की प्राप्ति में मुख्य कठिनाई हो रही है, तो इस बात का प्रयास किया गया है, कि अधिक से अधिक बिजली मिले। तीन शिफ्ट के लिये नहीं तो कम से कम दो शिफ्ट के लिये तो बिजली मिले ही। साथ ही साथ निर्धारित क्वालिटी का कोयला प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। साथ ही साथ फैक्टरी को चलाने के लिये क्लींकर समय से और आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हो सके जिससे फैक्टरी में सामान्य उत्पादन हो। इसके साथ ही साथ इनवेंटरी कंट्रोल हो जिससे एक तरफ प्रोडक्शन के लिये आवश्यक सामान उपलब्ध हो सके और दूसरी तरफ आवश्यकता से अधिक सामग्री खरीद कर रुपये को ब्लाक न किया जा सके। इन सा प्राविधान की चेष्टा की जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी––

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि घाटे का कारण मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाना वगैरह-वगैरह है, लेकिन इस बीच में पिछले साल की अपेक्षा सीमेंट की कीमत भी तो बढ़ी होगी ? तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ७२-७३ में सीमेंट की कितनी पैदावार हुई और ७३–७४ में कितनी पैदावार हुई और उसके मुकाबले सीमेंट की कीमत कितनी बढ़ी है ?

श्री अध्यक्ष––

ऐसे यह तो ब्योरे का सवाल है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने जो मजदूरों की वेतन वृद्धि का उल्लेख किया तो मैंने और बातों से असहमत होने की कोई बात नहीं कही। मैंने तो यह कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में सीमेंट वेज बोर्ड के रिकमेंडेशन को लागू करना पड़ा और इसके अलावा कुछ और दूसरी सुविधायें देनी पड़ीं, तो यह तो कर्त्तव्य का पालन हुआ, लेकिन खर्च बढ़ने के कारणों में से एक यह भी कारण रहा है, इसलिये मैंने उसका उल्लेख किया है। जहां तक सीमेंट के उत्पादन का प्रश्न है, उसके आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं, क्षमा चाहता हूं।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि घाटे को दूर करने के उपाय किये जा रहे हैं। क्या घाटे का एक कारण यह भी है कि सीमेंट फैक्टरी को आई० ए० एस० आफिसर चलाते हैं और उसका एक उदाहरण डाला की सीमेंट फैक्टरी है? तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इस मैनेजमेंट में मजदूरों को भी शामिल किया जायेगा ताकि बाकायदा इन फैक्टरियों को चलाया जा सके?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सिद्धान्ततः हम इसको मानते हैं लेकिन इसमें एक बड़ी कठिनाई हो रही है कि किस वर्ग को कहां रखा जाय, इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। कई बार निर्णय हुआ भी लेकिन फिर भी किसको कहां रखा जाय इसमें कठिनाई हुई। ऐसे हम प्रयत्न कर रहे हैं कि किस स्तर पर किसको कहां रखा जाय।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

कहा गया कि डिप्रिसिएशन चार्ज जो होता है उसकी वजह से हानि हुई। वैसे लाभ और हानि का स्टेटमेंट देखने के बाद ही डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। क्या यह सही है कि आफिसरों की संख्या बढ़ी है, और मजदूर संगठनों की तरफ से भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आयी हैं कि उसकी वजह से हानि हुई है? यदि यह सही है तो क्या वे इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, समय-समय पर ऐसी शिकायतें आयी हैं। इस सदन में माननीय सदस्यों ने कृपा करके इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न भी पूछे हैं और उनके समुचित उत्तर भी दिये गये हैं। जांच हुई है और यथा प्रसंग उस पर कार्यवाही की गयी है।

प्रदेश की चीनी मिलों को बकाये के भुगतान के संबंध में तथा कथित निर्गत आदेश

*३--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की चीनी मिलों को इस आशय का कोई निदेश अक्तूबर, १९७४ में जारी किया गया कि किसानों की बकाया रकम वह तत्काल अदा कर दें अन्यथा उनकी मिल को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी? यदि हां, तो जारी किया गया निर्देश क्या है तथा उसके अनुसार किस-किस मिल ने कितना-कितना रुपया चुकता कर दिया?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं।

श्री बाब लाल वर्मा--

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न किया था कि पिछले साल प्रदेश की समस्त चीनी मिलों पर कितना बकाया था और सरकार ने कितना पैसा अदा किया है और अभी कितना बकाया है ? लेकिन मंत्री जी ने उत्तर दिया ' जी नहीं ' ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न था कि ' इस आशय का कोई निर्देश १९७४ में जारी किया गया', उसका उत्तर दिया ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न पुकारने पर ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मुझे इस पर सवाल करना है ?

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल कर लें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया ' जी नहीं' । तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक आपने निर्देश नहीं दिया है,तो कब तक देने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, प्रश्न में जो निर्देश लिखा गया है कि 'किसानों की बकाया रकम वह तत्काल अदा कर दे, अन्यथा उनकी मिल को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी । ' तो श्रीमन्, ऐसा कोई आदेश संविधान का आर्टिकिल जो है, उनके खिलाफ जाता है । इसलिये हम चाहते हुये भी ऐसा आदेश नहीं दे सकते हैं ।

श्री बाबूलाल वर्मा--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस समय तक प्रदेश की तमाम चीनी मिलों पर कितना धन बकाया है और आपने उसमें से कितना धन अदा कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

आपका जो सवाल था, उससे यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है ।

(श्री जंग बहादुर वर्मा के खड़े होने पर)

इस पर अब क्या सवाल करेंगे ?

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार चीनी का आवंटन

*४--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या यह सही है कि शासन ने ग्रामीण अंचलों के प्रति परिवार को १ किलो चीनी प्रतिमास देने का निर्णय अभी हाल में लिया है ? यदि हां, तो इसकी व्यवस्था कब से कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

मैदानी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता के आधार पर यथा सम्भव एक किलोग्राम चीनी प्रति परिवार प्रति मास देने के शासन के आदेश हैं । पहाड़ी जिले के देहाती क्षेत्रों में उपलब्धता के आधार पर यथा सम्भव ५०० ग्राम चीनी प्रति यूनिट प्रति मास की दर से वितरित किये जाने के आदेश हैं ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, अपने प्रदेश में चीनी का उत्पादन अधिक हुआ है, और इस बात को देखते हुये कि शहरी क्षेत्रों में एक किलो चीनी प्रति व्यक्ति दी जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार १ किलो चीनी देने में क्या कठिनाई है ? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इस अंतर का क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, १९७४ से शासन की ओर से इस बात की व्यवस्था की गयी कि कार्ड के ऊपर चीनी का वितरण देहाती क्षेत्रों में किया जाय। क्योंकि इसके पहले जो व्यवस्था थी कि पंचायत स्तर पर केवल प्रधान पुरजियां देते थे और उन पुरजियों के आधार पर चीनी का वितरण होता था। इसकी काफी शिकायतें थीं तो इसके रोकने के लिये पिछले वर्ष जब यह सरकार आयी, तो हमने पूरे प्रदेश में कार्ड की व्यवस्था ग्रामीण अंचलों में की। यह इसलिये कि जो भी उपलब्ध सामग्री है, वह देहातों में भी दी जा सके और निश्चित रूप से मिल सके। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, अपनी जगह पर उनका कहना ठीक है कि सरकार देहाती क्षेत्र में एक किलो, प्रति परिवार को देती है और शहरों में एक किलो प्रति व्यक्ति या यूनिट को देती है। इस मामले में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि जितनी चीनी हमें भारत सरकार से मिलती है उसके आधार पर हम आबंटन करते हैं। इस वक्त जितनी मात्रा उपलब्ध है उसमें शहरों को, कवाल टाउंस जो हैं उनमें १ किलो प्रति यूनिट, और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा आदेश है कि एक किलो प्रति परिवार, पहाड़ों में प्रति यूनिट ५०० ग्राम चीनी इसलिये देते हैं कि पहाड़ों में ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ग्रामीण अंचलों की कठिनाई को समझती नहीं है। पहाड़ के जो ग्रामीण अंचल हैं वहां प्रति व्यक्ति ५०० ग्राम चीनी की व्यवस्था है। अब मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहूंगी कि जो हमें चीनी भारत सरकार से उपलब्ध होती है उसमें जो व्यवस्था है, उसके अनुसार चीनी दी जाती है और उसमें कटौती भी हुई और जून महीने में २४,७२८ मेट्रिक टन, जुलाई से मार्च १९७५ तक २३,३८४ मेट्रिक टन मिली। तो चीनी कम उपलब्ध हुई इसलिये शहरी क्षेत्रों में कवाल टाऊन को छोड़कर ७५० ग्राम चीनी की व्यवस्था हमें करनी पड़ी है, इसलिये ऐसा नहीं है कि शहर के सब क्षेत्रों में एक किलो दे पा रहे हों। यह चीनी की कटौती के कारण ऐसा है। सरकार यह चाहती है कि जितनी ज्यादा हमें चीनी उपलब्ध हो सके वह लोगों में वितरित करें।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि पिछले वर्षों में होली पर चीनी दुगुनी कर दी जाती थी और इस साल एक किलो ही प्रति कार्ड पर देने की व्यवस्था की है ? क्या पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी दुगुनी चीनी देने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, इस साल भी होली पर चीनी देने के आदेश दिये गये हैं। पिछले वर्ष यह था कि हमें भारत सरकार से ३ हजार टन चीनी एक्सट्रा मिल गयी थी, जिसको विवाह आदि के अवसर और समय-समय पर जो त्योहार पड़ते हैं, वह चाहे मुसलमानों, हिन्दू या क्रिश्चियन अर्थात् सब को दी गयी। इस बार हमने भारत सरकार से ३ हजार टन की मांग कर रखी है। आज भी हमने केन्द्र के खाद्य मंत्री से बातचीत की है, जिससे इसका क्लीएरेन्स मिल जाय। न ऐडवान्स हमने यह आदेश दिये हैं कि होली के अवसर पर चीनी दी जाय।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, जब से आदेश हुये कि हम एक किलो चीनी प्रति यूनिट देंगे तबसे शायद ही कहीं एक किलो चीनी दे पाये हों। आलम यह है कि एक गांव में ४० किलो चीनी एलाट की गयी तो वह ४० लोगों को ही मिल सकती है और बहुत से कार्ड खाली रह जायेंगे। इसलिये मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार की जो नीति है कि एक किलो चीनी सब को देंगे तो इसको कार्यान्वित करने के लिये कितनी चीनी की आवश्यकता होगी ? क्या वह कोटा निकट भविष्य में पूरा कर पायेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, निर्धारित स्केल के अनुसार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चीनी की आवश्यकता इस प्रकार होती है—कवाल टाउन में ६,५२४ मेट्रिक टन, पहाड़ में २,७२० मेट्रिक टन, मैदानी-शहरी क्षेत्रों में ८,३७९ मे० टन और मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ५,७६१ मे० टन चीनी बचती है जो कि १,००,८६,९०० परिवारों के लिये आवंटित की जाती है। इस प्रकार से जो न्याय पंचायतें हैं उनके भी परिवार जोड़े गये हैं। यह देखा जाता है कि हमारे पास जो उपलब्धता है उसमें लगभग ठीक से सबको चीनी मिल जाय। तो इससे सब को ५०० ग्राम चीनी जरूर मिल सकती है। परन्तु ऐसा समझा जाता है कि आफ टेक देहात में खांडसारी, गुड़ है जो लोग उत्पन्न करते हैं और परम्परागत इसमें से देते रहते हैं। इसलिये देहात में जो चीनी जाती है उस पर समय-समय पर माननीय सदस्यों ने इस सदन में शिकायत की है कि देहात की चीनी का शहर में ही ब्लैक हो जाता है। इसलिये ज्यादा से ज्यादा वितरण को सुव्यवस्थित बनाया जाय और वहां तक पहुंचे इसके लिये जो कार्ड बने हैं और हमारे पास जो सूचना है, उसमें परिवार के पीछे ज्यादा कार्ड देहात में बनवा दिये हैं, जिस तरह कि शहर में बने हैं। इन तमाम कारणों से चीनी सरकार देती है और बराबर वितरण हो। ऐसा नहीं है जैसा सदन में कहा गया कि ४० किलो एक जगह दी गयी।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, सरकार ५०० ग्राम क्या एक परिवार को २०० ग्राम भी नहीं दे पाएगी। सरकार चीनी का कोटा सप्लाई नहीं कर पा रही है। तो क्या सरकार इस आदेश को परिवर्तित करके दूसरा आदेश देगी ताकि सबको चीनी मिल सके भले ही कम मात्रा में मिल सके ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं माननीय सदस्य की तरह पेसिमिस्टिक नहीं हूं, बल्कि आशावादी हूं। मैं चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को चीनी मिले। लिहाजा वर्तमान जी० ओ० में किसी परिवर्तन की बात यह सरकार सोच नहीं रही है। हां ग्रामीण जनता के पास अपनी शक्ति के मुताबिक हम चीनी पहुंचा सकें यह हमारी दृष्टि में है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात होगा कि विधान सभा के बाहर और भीतर यह शिकायत आती रहती है कि जो ५०० ग्राम चीनी सरकार देती है वह काश्तकारों को नहीं मिल पाती है और इस तरह से देहात का जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसको भी नहीं मिल पाती है। होता यह है कि देहात के जो बड़े सम्पन्न लोग हैं उनको १० किलो या ३० किलो चीनी मिल जाती है और फिर ५०० ग्राम चीनी से प्रति परिवार का परपज भी सर्व नहीं होता है।

तो क्या सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करेगी और शादी व्याह और दूसरे अवसरों पर विशेष रूप से चीनी देने की जो व्यवस्था होती है, उसे कायम रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अभी हम एक किलो एक परिवार को देने की कोशिश में हैं। जो भी हम दे पाते हैं उसे बिल्कुल ग्रामीण अंचल को देना बन्द कर दें, तो यह व्यवस्था शायद ठीक नहीं होगी, कुछ तो देंगे ही।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या माननीय मन्त्री बतलाएंगी कि भारत सरकार से उनको कुल कितनी चीनी मिलती है और उसमें से वह कितनी शहरों को देते हैं और कितनी गांवों को देते हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी --

मैं आंकड़े दे चुकी हूं, भारत सरकार से इस वक्त जो चीनी मिल रही है, वह है २३,३८४ टन और शहर में तथा गांवों में कितनी चीनी दी जाती है, इसके आंकड़े मैं पढ़ कर सुना चुकी हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मेरा निवेदन है कि जब इधर के और उधर के दोनों तरफ के माननीय सदस्य इस बात को कह रहे हैं। आपकी तानाशाही चलेगी या माननीय सदस्यों की राय चलेगी जो इस बात को लेकर आप हठ कर रही हैं ? प्रदेश के और भी चीनी के कोटेदार हैं जो चीनी गांव में बांटते हैं ? इन कोटेदारों की चीनी कैन्सिल की जाय, इस विषय में सरकार कोई निर्णय जल्दी लेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं बड़े आदमियों को खुश करने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर सवाल है कि उत्तर प्रदेश में और हिन्दुस्तान में चीनी पैदा होती है और वही चीनी रूस में १२ आने बेची जाती है। तो क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगी कि रूस में ७५ पैसे चीनी बिकती है तो उसी भाव पर यहां भी बिके ?

श्री अध्यक्ष--

इनको क्या पता किस भाव पर वहां बिकती है।

श्री राम अधार --

यह भारत सरकार को लिखें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी यह तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

यह जानकारी होने के बाद कि देहातों में भी और शहरों में भी गलत कार्ड्स बने हुए हैं और इस वजह से जो चीनी उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए वह बनियों के घर पर ही बिक जाती है, तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगी कि जो भी चीनी आप दें चाहे ५०० ग्राम या एक किलो, वह उपभोक्ताओं को मिल जाय ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

व्यवस्था तो यही करनी है और जो बोगस कार्ड्स हैं, उनकी जांच भी कराते रहते हैं। ऐसी भी बात नहीं है कि लोगो को चीनी नहीं मिलती। बोगस कार्ड्स की जांच कराने का प्रयास बराबर रहता है।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

गोरखपुर जनपद में जहां कि खंडसारी का कोई उद्योग नहीं है, वहां आप ५०० ग्राम चीनी देहातों में प्रति परिवार देती हैं। क्या आप अपने अधिकारियों को ऐसे निदेश देगीं कि १ किलो चीनी प्रति परिवार देने की व्यवस्था की जाय ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

वह निर्देश तो है कि एक किलो प्रति परिवार चीनी दी जाय।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

क्या उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेगी जिन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं की है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

उपलब्धता पर यह निर्भर करता है। अगर चीनी की कमी पड़े तो वह कम भी कर सकते हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

जैसा कि मन्त्री जी ने कहा गांवों में लोगों ने अधिक कार्ड भी बनवा लिए हैं। मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी सूचना के अनुसार जो चीनी विक्रेता हैं, उनके यहां उतने ही कार्ड्स सम्बन्धित हैं, जितनी कि चीनी वह देते हैं, यानी ५०० ग्राम चीनी देते हैं, तो क्या उसी के हिसाब के उतने ही कार्ड्स उनसे सम्बन्धित हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सम्बन्धित तो उतने ही कार्ड्स हैं। न्याय पंचायत में जितने कार्ड्स उससे सम्बन्धित हैं, उतना ही चीनी का कोटा दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल की मांगें

*५--श्री त्रिवेणी सहाय, श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या सरकार को यह पता है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने लखनऊ में इस वर्ष आयोजित अपने अधिवेशन में इस आशय के प्रस्ताव पारित किए हैं कि यदि ८ फरवरी तक बिक्री-कर सम्बन्धी असमानतायें समाप्त कर शेष उनकी ६ मांगे न मानी गयी तो उत्तर प्रदेश के व्यापारी १० से १७ फरवरी तक अपना राज्य व्यापी आन्दोलन प्रारम्भ कर देगें ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगे क्या-क्या हैं और सरकार ने उन मांगों में से किन-किन मांगों को स्वीकार कर लिया है ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मन्डल, वाराणसी ने अपने पत्र दिनांक २४ जनवरी, १९७५ द्वारा शासन को सूचित किया था कि दिनांक २१ जनवरी, १९७५ को लखनऊ में आयोजित प्रतिनिधि मन्डल के सम्मेलन में सर्वसम्मत से निश्चय किया गया " कि यदि ८ फरवरी तक उनकी सात तात्कालिक मांगें स्वीकार नहीं की जातीं तो दिनांक १७ फरवरी, १९७५ को प्रदेश के समस्त व्यापारी प्रतीकात्मक हड़ताल करेंगे :

उनकी सप्त सूत्रीय मांगें निम्न प्रकार हैं :

(१) बिक्री-कर पर बिक्रीकर समाप्त हो।

(२) छोटे व्यापारियों की छूट की सीमा १२,००० से बढ़ाकर ५०,००० रुपये कर दी जाय।

(३) उत्तर प्रदेश में ब ी-कर की द दिल्ली राज्य से ज्यादा न हों।

(४) बिकी-कर पर सरचार्ज की प्रथा समाप्त हो।

(५) कैश मेमो पर १० पैसे का रसीदी टिकट लगाना बन्द हो।

(६) २१ मई, १९७४ को लगा खरीद कर वापस लिया जाय।

(७) बिक्रीकर विभाग में न्याय को प्रशासन से मुक्त किया जाय।

करावान जांच समिति (लकड़वाला समिति) की संस्तुतियों व समय-समय पर उद्योग व व्यापार के संगठनों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करके शासन ने बिक्री-कर सम्बन्धी कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी घोषणा बजट भाषण में की जा चुकी है। उनसे प्रथम मांग-पू ी हो जाती है। दूस ी मांग के सम्बन्ध में कर योग्य विक्रय-धन की सीमा १२,००० रुपये से बढ़ाकर २५,००० करने का निर्णय लिया जा चुका है।

जहां तक तीसरी मांग का सम्बन्ध है, राज्य सरकार स्वयं प्रयत्नशील है कि दिल्ली की बिक्रीकर की द उत्तर प्रदेश की द ों के समान ो जायं।

बिक्री की कर विधि पर व प्रणाली के सरलीकरण से सम्बन्धित अन्य विषयों पर भी शासन द्वारा विचार किया जा रहा है पर मांगें नम्बर ६ व ७ शासन को स्वीकार नहीं हैं।

राज्य की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारत सरकार के योजना आयोग एवं वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श

*६—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्त मन्त्री, उत्तर प्रदेश ने अक्तूबर एवं नवम्बर, १९७४ में भारत सरकार के वित्त मन्त्री से उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास आदि के सम्बन्ध में भेंट की थी ? यदि हां, तो वार्तालाप का क्या परिणाम निकला ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राज्य सरकार ने ३८८.६० क ोड़ रुपये की वार्षिक योजना, १९७४-७५ के लिए प्रस्तुत की थी परन्तु योजना आयोग ने केवल २५५.१९ करोड़ रुपये के परिव्यय की संस्तुति की जो कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण विद्युत् सिचाई, कृषि आदि सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकताओं से कहीं कम थी। अस्तु इनकी न्यूनतम आवश्यकताओं

की पूर्ति हेतु योजनाके आकार में वृद्धि के लिए राज्य को वित्तीय स्थिति के सन्दर्भ में अनेक बार भारत सरकार के योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय से विचार विमर्श किया गया। इसी संदर्भ में अक्तूबर, १९७४ में मैंने स्वयं तथा नवम्बर, १९७४ में मुख्य मन्त्री जी के साथ केन्द्रीय वित्त मन्त्री से राज्य की वित्तीय स्थिति पर विचार विमर्श किया। वस्तुतः विचार विमर्श का यह क्रम जारी है।

चीनी मिलों से उत्पादित चीनी एवं खांडसारी की शकर पर लगायी गई लेवी

*७—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की चीनी मिलों से उत्पादित चीनी का ७० प्रतिशत लेवी में लेने के बाद भी खांडसारी मिलों से भी उत्पादन का ५० प्रतिशत लेने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

चीनी मिलों से उत्पादित चीनी का ६५ प्रतिशत लेवी में इस समय लिया जा रहा है। खांडसारी उत्पादकों द्वारा प्रथम प्रक्रिया में विनिर्मित खांडसारी शक्कर का केवल २५ प्रतिशत भाग राज्य सरकार को दिए जाने की व्यवस्था है। विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खांडसारी इकाइयों पर लेवी लगाने का निर्णय लिया गया जिससे कि मिलों द्वारा निर्मित चीनी का अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके।

मुजफ्फरनगर की गन्ना सहकारी समितियों का चुनाव

*८—श्री मूल चन्द्र राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद मुजफ्फरनगर की गन्ना मिलों में गन्ना सहकारी समिति के डेलीगेटों का चुनाव लगभग १ वर्ष पूर्व हो चुका है? यदि हां, तो उसमें डाइरेक्टरों का चुनाव न कराये जाने के क्या कारण हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

जनपद की कुल ७ सहकारी गन्ना समितियों में से एक समिति—शामली—का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है, अत: इसकी प्रबन्ध कमेटी के गठन का प्रश्न नहीं उठता।

एक समिति—रामराज—की प्रबन्ध कमेटी का गठन हो चुका है।

तीन समितियों—मुजफ्फरनगर, रोहाना-कलां तथा मन्सूरपुर—के निर्वाचन क्षेत्र में संशोधन हेतु प्रस्ताव किए गए हैं, जिन पर निर्णय होने के बाद ही इनकी प्रबन्ध कमेटियों के गठन के बारे में कार्यवाही हो सकेगी।

शेष दो समितियों—खतौली तथा बुढ़ाना—में सहकारी गन्ना समिति, निबन्धक के निदेशों के बावजूद प्रबन्ध कमेटियों के गठन की कार्यवाही नहीं की गयी। अत: निबन्धक ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए खतौली के लिए दिनांक १९ फरवरी, १९७५ की तिथि वार्षिक सामान्य सभा बुलाए जाने की निर्धारित की थी लेकिन गन्ने की पेराई का सीजन होने के कारण उक्त गन्ना समिति ने इसके स्थगन के लिए अनुरोध किया। अतः अब दिनांक २७ मई, १९७५ की तिथि निश्चित की गयी है। बुढ़ाना में प्रबन्ध कमेटी के गठन के सम्बन्ध में सहकारी गन्ना समिति, निबन्धक नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

गाजियाबाद तथा प्रदेश में ब्लैक लिस्ट एवं निरस्त की गयी औद्योगिक इकाइयां तथा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

*९—श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद एवं समस्त उत्तर प्रदेश में कितनी औद्योगिक इकाइयों को वर्ष १९७४-७५ में ब्लैक लिस्ट किया गया ? कितनी इकाइयों का रजिस्ट्रेशन नम्बर कोटा व लाइसेन्स खत्म किए गए तथा क्यों ? उन इकाइयों के मालिकान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

लघु उद्योग मन्त्री (श्री इस्तफा हुसैन)—

गाजियाबाद में दो एवं समस्त उत्तर प्रदेश में दस औद्योगिक इकाइयों को वर्ष १९७४-७५ में ब्लैक लिस्ट किया गया। समस्त उत्तर प्रदेश में ९,४९८ इकाइयों का पंजीकरण निरस्त किया गया। जिनमें ३७६ इकाइयां गाजियाबाद की हैं। मालिकान के विरुद्ध औद्योगिक इकाइयों का रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा कोटा खत्म करने के रूप में कार्यवाही की गयी। इसके अतिरिक्त ४४० इकाइयों के लाइसेंस जिनमें १९९ इकाइयों के आयात लाइसेंस भी शामिल हैं, खत्म किए जाने की कार्यवाही की गयी क्योंकि इनके कार्यरत न होने तथा इन्हें आवंटित कच्चे माल के दुरुपयोग की शिकायतें पाई गयीं थीं ? इन इकाइयों को मिलने वाली सारी सुविधा समाप्त कर दी गयी।

*१०—श्री प्यारे लाल वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि जिन कर्मचारियों व अधिकारियों की रिपोर्ट पर कोटा परमिट लाइसेंस उन इकाइयों को दिए गए उन कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इस्तफा हुसैन—

जिन कर्मचारियों व अधिकारियों की रिपोर्ट पर कोटा परमिट, लाइसेंस उन इकाइयों को दिए गए, उन पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए हैं।

देवरिया जिले की गन्ना विकास समिति, लक्ष्मीगंज द्वारा उर्वरक के वितरण से संबंधित आवेदन पत्र

*११—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में गन्ना विकास समिति, लक्ष्मीगंज के खाद गोदाम से ६५ हजार रुपये के उर्वरक का वितरण जून, १९७४ में किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना किया गया ? इस वितरण के खिलाफ विकास समिति के सदस्यों तथा अन्य लोगों ने कितने आवेदन-पत्र, जून, १९७४ से दिसम्बर, १९७४ तक शासन को तथा जिला गन्ना अधिकारी, पडरौना को दिए और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

गन्ना विकास समिति, लक्ष्मीगंज में ६५,००० रुपये नहीं बल्कि ६३,८१० रुपये का उर्वरक ६५ व्यक्तियों में जून, १९७४ में वितरित किया गया जिसकी सूची संलग्न है।

उक्त वितरण के विरुद्ध सहकारी गन्ना विकास समिति लक्ष्मीगंज के सदस्यों के सामूहिक रूप से ३ आवेदन-पत्र तथा अन्य लोगों के २ आवेदन-पत्र माह दिसम्बर, १९७४ तक प्राप्त हुए, जिनमें से एक आवेदन-पत्र शासन तथा चार जिला गन्ना अधिकारी पडरौना को सम्बोधित थे। शासन को प्राप्त आवेदन-पत्र पर गन्ना विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच कराई गई। जांच के आधार पर दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ९६६--९६९ पर।)

गोरखपुर जिले के सीमेन्ट स्टाकिस्ट मेसर्स कुमार मैटेरियल स्टोर के विरुद्ध थाना महराजगंज में अंकित रिपोर्ट

*१२--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि गोरखपुर जिले के मिठौरा स्थान में चुर्क सीमेन्ट के एक स्टाकिस्ट को पत्रांक संख्या ४२८६, दिनांक ६ मार्च, १९७४ द्वारा ९६० बोरे सीमेंट का आबंटन हुआ जिसके वितरण के सम्बन्ध में अनियमितता की जांच खण्ड विकास अधिकारी, मिठौरा ने की और जांच के तथ्यों की सूचना दिनांक १० मई, १९७४ को जिला पूर्ति अधिकारी को दे दी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आज तक कौन सी कार्यवाही की गयी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मिठौरा के सीमेन्ट स्टाकिस्ट मेसर्स कुमार मैटेरियल स्टोर को जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या ४२८६, दिनांक ६ मार्च, १९७४ द्वारा ९६० बोरी सीमेंट आबंटित की गयी उनके वितरण में अनियमितताओं की जांच खण्ड विकास अधिकारी, मिठौरा ने दिनांक १० मई, १९७४ को जिला पूर्ति अधिकारी को दी किन्तु प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पूर्ण नहीं थी, अतः जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा पुनः जांच कराई गई तथा सीमेन्ट स्टाकिस्ट को दोषी पाया गया। अतएव स्टाकिस्ट के विरुद्ध थाना महराजगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा दी गयी तथा स्टाकिस्टशिप निलम्बित करने हेतु चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी को लिख दिया गया है।

गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के अन्तर्गत ताजियादारों को चीनी की आपूर्ति

*१३--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दुर्योधन--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में ताजियादारों में वितरित करने के लिए माह जनवरी, १९७५ में कितनी मात्रा में चीनी आबंटित की गयी थी और इसमें से कितनी चीनी ताजियादारों को दी गयी? क्या मन्त्री को तहसील के कुछ ताजियादारों ने हाल ही में यह शिकायत दी है कि उन्हें तहसीलदार ने चीनी नहीं दिया? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी वास्तविकता की जांच करा कर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जनवरी, १९७५ में गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में विवाह के अवसर पर तथा ताजियादारों में वितरित करने के लिए २० कुन्तल चीनी का आवंटन किया गया था जिसमें से ४ कुन्तल ६६ किलो चीनी ताजियादारों को दी गयी। इस तहसील के ताजियादारों को चीनी प्राप्त न हो सकने के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

डाला सीमेन्ट फैक्टरी में सीमेन्ट का तथा कथित जम कर नष्ट होना

*१४—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि डाला सीमेन्ट फैक्टरी के सीमेन्ट गोदाम में सितम्बर, अक्तूबर, १९७४ में ६ हजार टन सीमेन्ट जम कर नष्ट हो गयी? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं। डाला सीमेंट फैक्टरी में सितम्बर, अक्तूबर, १९७४ में कोई भी सीमेंट जम कर नष्ट नहीं हुई।

खादी बोर्ड के लेखों के विशेष आडिट का आदेश

*१५—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९७४ में मुख्य मन्त्री द्वारा खादी बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से यह घोषणा की गयी थी कि बोर्ड के वित्तीय मामलों का स्पेशल आडिट कराया जाएगा? यदि हां, तो आडिट कब हुआ? किसने किया तथा आडिट रिपोर्ट क्या है?

श्री इस्तफा हुसैन—

खादी बोर्ड के चेयरमैन मुख्य मन्त्री नहीं वरन् लघु उद्योग मन्त्री हैं। लघु उद्योग मन्त्री ने खादी बोर्ड के लेखों की विशेष जांच का आदेश दिया। तदनुसार महालेखाकार को लिखा गया है किन्तु अभी आडिट आरम्भ नहीं किया गया। महालेखाकार को स्पेशल आडिट शीघ्र सम्पन्न कराने के लिए पुनः लिखा गया है।

शाहजहांपुर जिले के काश्तकारों को डीजल की आपूर्ति

*१६—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में काश्तकारों को डीजल न मिलने की वजह से उनमें घोर असन्तोष व्याप्त है? यदि हां, तो सरकार ने डीजल की तकसीम के लिए क्या तरीका वहां अपनाया है? क्या यह सही है कि प्रदेश के दूसरे जिलों के मुकाबले वहां पिछले तीन मासों में कम डीजल दिया गया है और अब भी परमिट पर कम दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

शाहजहांपुर जिले में काश्तकारों के लिए डीजल समुचित मात्रा में उपलब्ध है और उनकी आवश्यकतानुसार वितरित किया जा रहा है। वर्तमान वितरण व्यवस्था संतोषजनक है। डीजल का आवंटन भारत सरकार द्वारा प्रादेशिक स्तर पर अथवा राज्य सरकार द्वारा जिलेवार नहीं किया जाता है, अत: विभिन्न जिलों की पूर्ति की तुलना करना सम्भव नहीं है। डीजल की पूर्ति आवश्यकता के आधार पर तेल कम्पनियां सीधे करती हैं और इस समय डीजल का अभाव न होने के कारण वितरण पर से प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं। परमिट पर देने का प्रश्न नहीं उठता।

*१७--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[मन्त्री पद ग्रहण करने के कारण निरस्त]

कानपुर जिले के डेरापुर के तहसीलदार द्वारा शकर का आवंटन

*१८--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में मार्च, १९७४ से दिसम्बर, १९७४ तक प्रत्येक माह अलग-अलग कितने बोरे (कुन्तल) शक्कर का एलाटमेन्ट हुआ और उसमें तहसीलदार द्वारा प्रतिमाह कितनी बोरी शकर के परमिट रिटेलरों को दिए गए और नियुक्त किन-किन रिटेलरों को, उनके गांव की शकर उन्होंने उठा कर उसके परमिट किस माह किसको दिए? क्या यह भी सही है कि शकर के इस प्रकार वितरण में घोटाला तथा रिश्वतखोरी की जा रही है? यदि हां, तो उक्त तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में प्रश्नगत अवधि में माहवार शकर का आवंटन तथा तहसीलदार द्वारा शकर रिटेलरों को प्रतिमाह आवंटित शकर की मात्रा के सम्बन्ध में सूचना संलग्न परिशिष्ट 'क' में दी गयी है। रिटेलर जिनके ग्राम की शकर उन्हें न देकर अन्य ग्रामों के शकर रिटेलरों को दी गयी है उनके सम्बन्ध में विस्तृत सूचना परिशिष्ट 'ख' में संलग्न है। डेरापुर तहसील में शकर वितरण में कोई घोटाला तथा रिश्वतखोरी की शिकायत नहीं मिली है। अत: तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ १७०-१७३ पर।)

गन्ना समिति हल्द्वानी द्वारा राइट आफ की गयी धनराशि

*१९--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि गन्ना समिति, हल्द्वानी के संचालक मन्डल ने अपनी बैठक दिनांक २२ सितम्बर, १९७३ में एक विशेष प्रस्ताव संख्या ९ द्वारा लगभग ३१ हजार रुपये के गबन की धनराशि को राइट आफ करने का निर्णय पारित किया? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस प्रस्ताव का आशय गबन की धनराशि को राइटआफ करने का नहीं था बल्कि इसका आशय २० वर्ष पुराने ऋणी सदस्यों, जिनकी संख्या ८९ बताई गई है और जिन पर मूलधन से अधिक ब्याज हो गया था तथा जिनमें अधिकांश लोगों के स्वयं अथवा उनके जमानतियों का कोई पता नहीं चलता था, बैड डेट फन्ड से उनके विरुद्ध ऋण की धन-राशि रु० ३८,३०२.१६ पैसे को राइटआफ करने का था।

कानपुर जिले के श्री चन्द्रभान शुक्ला की मिट्टी के तेल की दुकान का निलम्बन

*२०--श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि जाजमऊ छावनी, कानपुर में ५ माह पहले जिलाधीश, कानपुर के आदेश पर चन्द्रभान शुक्ला की राशन की दुकान भ्रष्टाचार में पकड़ी गयी थी और वह जेल भेज दिए गए थे ? क्या यह भी सच है कि इसके बाद भी उन्हें पुनः दुकान दे दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों एवं किसके आदेश से किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

श्री चन्द्रभान शुक्ला को मिट्टी के तेल के वितरण में अनियमितताओं के आरोप पर पुलिस द्वारा ११ अगस्त, १९७४ को गिरफ्तार किया गया था और उनकी दुकान निलम्बित कर दी गयी थी। पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त ११ नवम्बर, १९७४ को अन्तिम (फाइनल) रिपोर्ट लगाई गयी जिसे न्यायालय ने ३० नवम्बर, १९७४ को स्वीकृत कर दिया। अतः जिलाधिकारी, कानपुर के आदेश दिनांक १७ जनवरी, १९७५ द्वारा उनकी दूकान बहाल कर दी गयी।

*२१--श्री मोहम्मद अयूब सिद्दीकी--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

फर्रुखाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र कमालगंज में उद्योग की स्थापना की मांग

*२२--श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या भारी उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख केन्द्र, कमालगंज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वहां पर उद्योग स्थापना पर सरकार विचार करेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन--

फर्रुखाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्र कमालगंज में उद्योगों की स्थापना के लिए यथासम्भव हर प्रकार का प्रोत्साहन और सुविधायें दी जाती हैं। अभी इस क्षेत्र के लिए पांचवीं पंच-वर्षीय योजना काल में कोई उद्योग स्थापित करने की योजना नहीं है।

मुरादाबाद जिले की कुन्दन शुगर फैक्टरी के चीफ इन्जीनियर की योग्यता

*२३--श्री मुहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि कुन्दन शुगर फैक्टरी, अमरोहा, मुरादाबाद जो इस समय सरकार के नियन्त्रण में है, का चीफ इन्जीनियर क्वालीफाइड नहीं है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*२४--श्री राम नारायण पाठक--

[५वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या २८ पर स्थानान्तरित]

*२५--श्री रेवती शरण मौर्य--

[विस्तीर्ण होने के कारण निरस्त]

मुरादाबाद जिले की कुन्दन शुगर मिल्स पर बकाये की स्थिति

*२६--श्री मुहम्मद हयात --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुन्दन शुगर मिल्स लि०, अमरोहा, मुरादाबाद को जब सरकार ने अपने नियन्त्रण में लिया था तो उसमें कितनी धनराशि शुगर मिल पर बकाया थी और शुगर मिल को नियन्त्रण में लाने के बाद कितनी धनराशि में कमी हुयी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कुन्दन शुगर मिल्स अमरोहा पर दिनांक ८ अक्तूबर, १९६९ को रिसीवर नियुक्त हुआ। रिसीवर की नियुक्ति पर (३०-९-१९६९ को) गन्ना किसानों एवं शासन के बकाये की स्थिति इस प्रकार थी :

(लाख ० में)

गन्ना मूल्य ..	..	१८.१२
कमीशन ..	..	५.२९
उपकर/क्रयकर ..	..	४३.२०
योग	..	६६.६१

रिसीवर की नियुक्ति के बाद गन्ना मूल्य के भुगतान को प्राथमिकता दी गई है रिसीवर काल का वर्ष १९७२-७३ तक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। पुराना गन्ना मूल्य अब केवल १०.४३ लाख रुपये शेष रह गया है जिसमें रिसीवर के काल का ४.२९ लाख रुपया है। इसके वर्तमान सीजन १९७४-७५ के अभी तक भुगतान हो जाने की सम्भावना है।

इटावा शहर में आवंटित की गयी आवश्यक वस्तुओं की मात्रा

*२७--श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फरवरी, १९७४ में इटावा शहर को गेहूं, शकर, सीमेंट, मिट्टी का तेल एवं वेजीटेबुल घी का कितना कोटा सरकारी दूकानों द्वारा वितरण हेतु एलाट किया गया था और जनवरी, १९७५ में यह कितना है ? यदि इसमें अन्तर है, तो उसके क्या कारण हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ९७४–९७५ पर।)

*२८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[मन्त्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त।]

बिक्री कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा लखनऊ शहर के व्यापारिक अधिष्ठान की जांच

*२९—श्री मधुकर दिघे—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बिक्री-कर विभाग सहित पुलिस की विशेष अनुसन्धान शाखा ने दिनांक १८ अक्तूबर, १९७४ तक प्रदेश की राजधानी, लखनऊ में करवंचना के विरुद्ध छेड़े गये अभियान के अन्तर्गत शहर के १९ व्यापार प्रतिष्ठानों पर छापे मारे? यदि हां, तो वह प्रतिष्ठान कौन-कौन से हैं तथा अलग-अलग इन प्रतिष्ठानों ने कितना बिक्री-कर चोरी से हड़प कर रखा है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अक्तूबर, १९७४ में ७ से १५ तारीख के बीच बिक्रीकर विभाग की विशेष अनुसन्धान शाखा ने लखनऊ शहर के २९ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। इन प्रतिष्ठानों की सूची संलग्न है। इन प्रतिष्ठानों से अभिगृहीत अभिलेखों में से कुछ की जांच पूरी हो चुकी है। तथा शेष की जांच चल रही है। इन प्रतिष्ठानों द्वारा बिक्री कर अपवंचन के सम्बन्ध में तभी कुछ कहा जा सकता है जब इनसे अभिग्रहीत किए गए बही खातों की जांच पूरी हो जाय तथा जांच के आधार पर इनके विरुद्ध कर निर्धारण की कार्यवाही भी पूरी हो जाय।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९७६–९७७ पर)

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में खांडसारी उद्योग के लिये दिये गये नवीन लाइसेंस

१—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खांडसारी उद्योग चलाने के लिए प्रदेश में इस वर्ष १९७४ के किस-किस यूनिट को नए लाइसेंस दिए गए?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रदेश में खांडसारी उद्योग के लिए अब तक ११७ नवीन लाइसेंस दिये गए हैं जिसके विवरण संलग्न सूची† में हैं।

---

†छापी नहीं गयी।

२—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[प्रदेशीय सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

मुरादाबाद जिले में ब्रासवेयर कारपोरेशन द्वारा छोटे कारीगरों के प्रोत्साहन हेतु की गयी कार्यवाही और कारपोरेशन द्वारा अनुदान न दिया जाना

३—श्री ओम प्रकाश (जिला मुरादाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में ब्रास-वेयर कारपोरेशन ने बर्तन उद्योग के छोटे कारीगरों को प्रोत्साहित करने की योजना के अन्तर्गत १ जनवरी, १९७३ से ३० दिसम्बर, १९७४ तक कितने छोटे कारीगरों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या-क्या कार्य किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कारपोरेशन का पंजीकरण दिनांक १२ फरवरी, १९७४ को हुआ। छोटे कारीगरों को प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक ३० दिसम्बर, १९७४ तक निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए गए :—

(१) ब्रासवेयर एवं सम्बन्धित उद्योगों में कार्यरत इकाइयों के पंजीकरण हेतु ३२२ आवेदन-पत्र बांटे गए जिनमें से ८२ आवेदन-पत्र वापस प्राप्त हुए और उन पर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

(२) वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कारपोरेशन द्वारा योजनायें बनाकर राष्ट्रीयकृत बैंकों को भेजी गयी।

(३) छोटे निर्माताओं द्वारा उत्पादित माल की बिक्री हेतु प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप रु० ३०,८७९.२८ के आर्डर्स प्राप्त हुए।

४—श्री ओम प्रकाश—

क्या माननीय उद्योग मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में १ जनवरी, १९७४ से अब तक ब्रास वेयर कारपोरेशन द्वारा कितना रुपया अनुदान में दिया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कुछ नहीं।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न मदों में दिया गया अनुदान एवं ऋण और राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गयी धनराशि

१—श्री हरि केवल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश को वर्ष १९७३-७४ में केन्द्र सरकार ने विभिन्न मदों में कितनी-कितनी धनराशि कर्ज एवं अनुदान के रूप में दी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष १९७३-७४ में उत्तर प्रदेश को कुल २७६.८७ करोड़ रुपये (सुगमांक) की धनराशि दी है, जिसका ब्योरा निम्नांकित है :—

(रु० करोड़ में)

		अनुदान	ऋण	योग
१—आयोजनेतर योजनायें	..	२२.६२	१०४.१८	१२६.८०
२—आयोजनागत योजनायें	..	६७.८१	७९.१६	१४६.९७
३—रेल यात्री भाड़े पर कर के बदले में अनुदान		३.१०	..	३.१०
योग	..	९३.५३	१८३.३४	२७६.८७

६—श्री हरि केवल—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि ३१ मार्च, १९७४ तक विभिन्न मदों में केन्द्रीय सरकार ने कुल कितना रुपया कर्ज दिया है और राज्य सरकार ने अब तक कर्ज एवं सूद की अदायगी में केन्द्र को क्या दिया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

३१ मार्च, १९७४ तक राज्य सरकार को केन्द्र से आयोजनेतर तथा आयोजनागत पक्ष में क्रमशः ५४९.९८ करोड़ रु० तथा १०७३.४७ करोड़ रुपया (कुल १६२३.४५ करोड़ रु०) ऋण के रूप में प्राप्त हुए जिसमें से ७०७.१६ करोड़ रुपया मूलधन तथा ३४१.४० करोड़ रुपया सूद के रूप में (कुल १०४८.५६ करोड़ रु०) केन्द्र सरकार को भुगतान किए गए तथा ४.४५ करोड़ रुपये के मूलधन को भारत सरकार द्वारा बट्टे खाते में डालने की कार्यवाही की जा रही है।

मथुरा जिले में निरस्त की गयी फर्जी औद्योगिक इकाइयां

७—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या लघु उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में अब तक कितने औद्योगिक संस्थान बोगस एवं फर्जी पाए गए तथा उनके नाम क्या हैं ? इन बोगस उद्योगों के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें पायी गयीं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

मथुरा जनपद में दिनांक २८ फरवरी, १९७५ तक ३१६ औद्योगिक इकाइयां बन्द व लापता पाई गयीं। औद्योगिक इकाइयों के नामों की सूची संकलित की जा रही है। इन इकाइयों के कार्यरत न होने की शिकायत पाई गयी। इनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है तथा इन्हें मिलने वाली सारी विभागीय सहायता बन्द कर दी गयी है।

पिथौरागढ़ जिले में उद्योग की स्थापना की मांग और ऊनी उद्योग के प्रोत्साहन हेतु की गयी कार्यवाही

८---श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)---

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार उक्त जिले में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई वृहत् या मध्यम उद्योग लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

पिथौरागढ़ जिले में पोर्टलैन्ड सीमेन्ट की एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन के विचाराधीन है।

अभी निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उक्त इकाई हेतु अपेक्षित कच्चे माल, उपयुक्त क्वालिटी के लाइमस्टोन, की उपलब्धता तथा टेक्निकल फिजिबिलिटी पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

९---श्री गोपाल दत्त ओझा---

क्या सरकार यह बतायेगी कि इस जनपद पिथौरागढ़ में ऊनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री इस्तफा हुसैन---

जनपद पिथौरागढ़ में ऊनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए तीन ऊनी उत्पादन केन्द्र तथा नौ कताई केन्द्र चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुन्सियारी में ऊन कार्डिंग तथा ऊलेन लूम की एक योजना तथा धारचूला में कच्चा माल एवं उपकरण व क्रय विक्रय डिपो की दूसरी योजना १९६६-६७ से ही चल रही है।

गोरखपुर जिले में ईंट के भट्टे चलाने हेतु दिये गये लाइसेंस

१०---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में किस-किस तहसील में कहां-कहां ईंट पकाने के भट्टे इस समय चल रहे हैं ? इनमें से कितनों का लाइसेंस जिला पूर्ति अधिकारी ने विगत वर्ष में दिया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९७८-९८३ पर।)

बाराबंकी जिले के न्याय पंचायत गाजीपुर के शकर के कोटेदार के विरुद्ध शिकायती पत्र

११---श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड दरियाबाद, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत न्याय पंचायत गाजीपुर के शक्कर के कोटेदारों के विरुद्ध अप्रैल, १९७४ से १ फरवरी, १९७५ तक कितनी शिकायतें जिलाधीश, बाराबंकी को प्राप्त हुयीं ? इन शिकायतों के आधार पर अब तक कोटेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी --

विकास खण्ड दरियाबाद जनपद बाराबंकी न्याय पंचायत गाजीपुर के केवल एक शकर कोटेदार श्री सहदेव बक्श के विरुद्ध प्रश्नगत अवधि में प्राप्त शिकायत के आधार पर परगनाधिकारी, राम सनेही घाट जांच कर रहे हैं। जांच पूर्ण हो जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ?

बदायूं जिले में डी० आई० आर० एवं एसेन्सियल कमोडिटीज ऐक्ट के अधीन मारे गये छापे

१२--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जून, १९७४ से दिनांक २७ जनवरी, १९७५ तक जनपद बदायूं में डी० आई० आर० या एसेन्सियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत कितने छापे मारे गए, कितने मूल्य का सामान किन-किन व्यक्तियों से बरामद हुआ ? बरामद की गयी चीजों का ब्योरा क्या है ?

विधान पुस्तकालय

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी--

जनपद बदायूं डी० आई० आर० या एसेन्सियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत १ जून, १९७४ से २७ जनवरी, १९७५ तक ११९ छापे मारे गए और लगभग ५,७२,३६० रुपये का माल जिन-जिन व्यक्तियों से बरामद हुआ उनका ब्योरा निम्न प्रकार है। नीचे दिए हुए छापे के अतिरिक्त जो छापे मारे गए थे उनमें कोई सामान बरामद नहीं हुआ :

क्रम-सं०	नाम व पता अपराधी	माल बरामद हुआ	अनुमानित लागत
१	२	३	४
			रु० पै०
१	श्री मुकबिल हुसैन, पुत्र क्यामुद्दीन, निवासी मुहल्ला खांडसारी, बदायूं।	८ बोरी चीनी रेट से अधिक बेच रहा था ..	१,७००.००
२	श्री तिलकराज, पुत्र दामोदर दास, साथा ..	७८५ पेटी माचिस व ११ बोरी माचिस अवैध पकड़ी गयी	६०,०००.००
३	श्री ठाकुर दास, पुत्र माला राम व श्री नरी, पुत्र माला राम, निवासी मेंहदी, चौराहा, बदायूं।	१ पेकिट सील मचिस व ७२ दर्जन माचिस अवैध रूप से पकड़ी गयी।	९४.००
४	श्री बाबू राम, पुत्र राम चरन, निवासी कबूलपुरा, बदायूं ..	१ पैकिट सील मोहर माचिस व ९३ दर्जन माचिस अवैध रूप से पकड़ी गयी।	१९२.००
५	श्री सद्दीक, पुत्र सलीम उल्लाह, निवासी ककराला ..	६१.७५ कु० मूंगफली पकडी गयी जो कि अवैध थी ..	१८,५२५.००
६	श्री टीका राम, पुत्र ओमान, निवासी मपुरा ..	८४ कु० गुड़ अवैध रूप से पकड़ा गया ..	१६,८००.००
७	श्री शोब चन्द्र, पुत्र श्री ओम प्रकाश मो० नया बाजार सहसवान	१० टीन व १६.५ किलो वनस्पति अवैध पकड़ा गया	१,८७०.००
८	श्री प्रेम कुमार, पुत्र बसन्त लाल, निवासी मु० कानसेन, बदायूं ..	२२ बोरी सीमेन्ट अवैध रूप से पकड़ा गया ..	४४०.००
९	श्री अनूपसिंह निर्मल, पार्वती आर्य समिति बदायूं ..	२० बोरी सीमेन्ट ब्लैक से बेचते पकड़ा गया ..	४००.००
१०	श्री प्रदीप कुमार पुत्र मुरारी लाल निवासी सिविल लाइन, बदायूं	१० टायर साईकिल के अवैध रूप से पकड़े गए ..	१५०.००
११	श्री राम स्वरूप, पुत्र निचकू लाल ..	दो बोरी चावल अवैध पकड़ा गया ..	३८०.००

क्रम-सं०	नाम व पता अपराधी	माल बरामद हुआ	अनुमानित लागत
१	२	३	४
			रु० पै०
१२	श्री बद्री प्रसाद, पुत्र सेवा राम ..	दो बोरी चावल अवैध पकड़ा ..	३८०.००
१३	श्री मुन्ना लाल, पुत्र पोशाकी लाल ..	दो बोरी चावल अवैध पकड़ा ..	३८०.००
१४	श्री प्यारे चन्द, पुत्र प्यारे लाल, नि० खैड़ा बुजुर्ग, बदायूं ..	दो बोरी चावल अवैध पकड़ा ..	३८०.००
१५	श्री मुख्तार हुसैन पुत्र मुर्तजा अली, निवासी मु० खांडसारी, बदायूं	१२ बोरी चीनी ब्लैक से बेचते हुए पकड़ा ..	२,५८०.००
१६	(१) श्री चन्द, पुत्र रामेश्वर दयाल, (२) रामेश्वर दयाल, पुत्र राम लाल, निवासी ग्राम मदरौल, बदायूं।	१० बोरी चीनी ब्लैक से बेचते पकड़ा गया ..	२,१५०.००
१७	(१) श्री विशन स्वरूप, पुत्र राम स्वरूप (२) राम स्वरूप, पुत्र मुम्मन, निवासी कस्बा कलान, जिला शाहजहांपुर, (२) किशोरी लाल, पुत्र पारी लाल, जोगीपुरा, बदायूं।	४ बोरी सीमेन्ट ब्लैक से बेचते पकड़ा ..	८०.००
१८	श्री शिवशंकर लाल, पुत्र मुकुट बिहारी, निवासी कटरा, विरामपुर, बदायूं।	दो बोरी सीमेन्ट ब्लैक से बेचते पकड़ा ..	४०.००
१९	तदैव तदैव ..	८७७ कट्टे सीमेन्ट पकड़े गए ..	१७,५४०.००
२०	श्री प्यारे लाल, पुत्र फत्ते धोबी, निवासी बिनावर, जिला बदायूं	४० कट्टे यूरिया खाद ब्लैक से बेचते हुए पकड़ा ..	४,१२०.००
२१	(१) श्री राम औतार, पुत्र अनोखे लाल, (२) छंगे लाल, पुत्र कुन्दन लाल, निवासी ग्राम चन्दोरी।	२ कुन्टल गेहूं, ४ कुन्टल, गेहूं अवैध रूप से पकड़ा गया	१,१८०.००
२२	श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी सहसवान ..	१०१ कट्टा खाद अवैध बरामद हुआ ..	१०,०००.००
२३	श्री ब्रज मोहन लाल, निवासी सहसवान ..	३७ कट्टा सीमेन्ट अवैध रूप से बरामद हुआ ..	५५५.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२४	(१) श्री सुरेश, (२) श्री सुभाश, (३) श्री दिनेश; निवासी दातागंज	५०,००० लीटर अवैध कैरासीन आयल बरामद हुआ	५०,०००.००
२५	(१) श्री ग्रीश, (२) श्री ब्रज लाल; निवासी सहसवान	तदैव	
२६	श्री सच्चिदानन्द, निवासी सहसवान ..	२४ किलो डालडा घी अवैध रूप से बरामद हुआ	२८८.००
२७	(१) श्री राम चन्द्र, (२) श्री राकेश चन्द्र, (३) श्री भूपाल; निवासी एझानी।	१०० व चार किलो चावल, १९६ किलो धान अवैध रूप से बरामद हुआ।	४००.००
२८	श्री अशर्फी लाल, निवासी एझानी ..	६६ बोरे सीमेन्ट अवैध रूप से बरामद हुआ ..	९९०.००
२९	श्री राम दीन, उझानी ..	२० टिन घी डालडा व ३७ कु० गेहूं अवैध रूप से बरामद हुआ।	१०,०००.००
३०	श्री सुन्दर सिंह, हाथरस ..	३० किलो चावल अवैध रूप से बरामद हुआ ..	७०.००
३१	(१) श्री बजीर, कस्बा सहावर, जिला एटा, (२) श्री जागन प्रसाद, निवासी आगरा।	७७ किलो चावल अवैध रूप से बरामद हुआ ..	१७०.००
३२	(१) श्री शहजाद हुसैन, (२) श्री नबीउल हसन; निवासी सहसवान।	३० किलो चावल अवैध रूप से बरामद हुआ ..	७०.००
३३	(१) श्री मलखान सिंह, (२) श्री मुलायम सिंह; निवासी कादराबाद।	५ कुन्टल गेहूं, २८ बोरी सीमेन्ट अवैध रूप से बरामद हुआ।	१,०४५.००
३४	(१) श्री किशन लाल, (२) श्री रघुबीर सरन, (३) श्री रमेश; निवासी बवराला।	५२८ कट्टे खाद व ५८ कट्टे पोटास अवैध रूप से बरामद हुआ।	५६,७५६.००
३५	श्री योगेन्द्र कुमार, निवासी गवा ..	४०० ली० मोबिल आयल अवैध बरामद हुआ ..	४,४००.००
३६	श्री आफताब इशरत अली व चन्द्र प्रकाश शर्मा, सुपरवाइजर, सीड स्टोर, भिरावटी।	२३ कट्टा खाद अवैध बरामद हुआ ..	२,४००.००
३७	श्री रामजी, निवासी भिरावटी ..	३ बोरी नमक अवैध पाया गया ..	७५.००
३८	श्री हरी, पुत्र द्वारिका, ग्राम मचलई ..	३ बन्डल माचिस अवैध रूप से बरामद ..	४.४०
३९	श्री रामस्वरूप, पुत्र अजुध्या प्रसाद वैश्य; ग्राम मचलई ..	३ ली० मि० तेल अवैध रूप से बरामद ..	२.७०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४
			रु० पै०
४०	श्री दामोदर, पुत्र गंगादीन, निवासी मचलई ..	५ ली० मि० तेल अवैध पकड़ा व ९ बन्डल माचिस भी अवैध मिली।	१८.७५
४१	श्री निसार, पुत्र घासी, निवासी मचलई ..	३ बन्डल माचिस अवैध पाई ..	४.५०
४२	श्री नासे, पुत्र गपूल, निवासी मचलई ..	३ ली० मि० तेल, ४ टिकी साबुन व १३ माचिस अवैध रूप से बरामद।	१०.४१
४३	श्री अब्दुल रहीम, निवासी कालिया नगला ..	२३ ली० मि० तेल, अवैध बरामद ..	२०.४१
४४	श्री अशरफी, पुत्र सियाराम, निवासी डहरपुर ..	९ लि० मि० का तेल अवैध बरामद ..	८.६७
४५	श्री धर्म पाल, पुत्र अयोध्या प्रसाद, निवासी डहरपुर ..	१६ लि० मि० का तेल व १८ दर्जन माचिस अवैध रूप से बरामद हुई।	४०.१३
४६	श्री जगदीश, पुत्र हुलासी राम, डहरपुर ..	६ लि० मि० तेल अवैध बरामद हुआ ..	५.५८
४७	श्री ओमकार, पुत्र रामेश्वर दयाल वैश्य, निवासी डहरपुर ..	१५ लि० मि० का तेल व ३ बन्डल माचिस तथा ९ सुली तीस माचिस अवैध रूप से बरामद हुई।	३०.६१
४८	श्री भोला नाथ, पुत्र पर्वत, निवासी सराय पिरिया ..	१६ बोतल मिट्टी का तेल और १५ सेल एवरेडी अवैध रूप से बरामद हुए।	३८.३५
४९	हुलासी राम, पुत्र राम मूर्ति लाल, ग्राम संजनी ..	५० लि० डीजल अवैध रूप से बरामद हुआ ..	६०.००
५०	श्री रामेश्वर दयाल द्वारिका प्रसाद, संजनी ..	२३८ लि० डी० अवैध बरामद हुआ ..	२५८.००
५१	श्री जगदीश चन्द्र, पुत्र बाबूराम, उसहेत ..	८ कु० गेहूं अवैध रूप से बरामद हुआ ..	१०६४.००
५२	श्री जगदीश चन्द्र, पुत्र रामधुन, उसहेत ..	९७ दर्जन माचिस अवैध बरामद हुई ..	१०१.६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५३	श्री सत्य प्रकाश, पुत्र बंशी लाल तमोली, निवासी कस्बा उसहेत ..	२१ अदद बेटरी सेल्स व ३२३ माचिस अवैध रूप से बरामद हुई	७९.७१
५४	श्री ग्रीश चन्द्र, पुत्र जय प्रकाश, उसहेत ..	११ टिक्की साबुन रिन मार्का अवैध रूप से बरामद हुआ	१६.६१
५५	श्री राम स्वरूप, पुत्र दौदराम, निवासी उसावा ..	९६ कट्टा सीमेन्ट अवैध बरामद हुआ ..	१५३६.००
५६	श्री राम नाथ, पुत्र अमर सिंह, निवासी नवीगंज ..	२७ बोरे सीमेन्ट अवैध बरामद हुए ..	३९१.००
५७	श्री अनवार खां, पुत्र फकीरे, दातागंज ..	११ कु० गेहूं अवैध बरामद हुआ ..	१४६३.००
५८	श्री भोला नाथ पुदाली, मौहली ..	१२ कु० गेहूं अवैध बरामद हुआ ..	१४९६.००
५९	श्री सिया राम, पुत्र मथुरा प्रसाद, दातागंज ..	८२ अदद टायर व ४२ ट्यूब साइकिल की अवैध रूप से बरामद।	१४३०.००
६०	श्री राम भरोसे लाल, पुत्र लक्ष्मण प्रसाद, दातागंज ..	६० अदद टायर व ३० ट्यूब साइकिल के अवैध बरामद हुए।	८७९.००
६१	श्री राम नारायण, पुत्र गंगा दीन, निवासी परा ..	३० बोरी सीमेन्ट अवैध बरामद ..	६६०.००
६२	श्री नत्थू लाल, पुत्र मटरू लाल, निवासी पापड़ ..	२३२ सेल बेटरी, ७३ पैकेट ब्लेड व ५४ मोमबत्ती अवैध रूप से बरामद।	५३७.००
६३	श्री इब्राहीम, पुत्र सरदार खां, निवासी दातागंज ..	३७९ अदद बैटरी सेल, २०० पैकेट ब्लैड, १५६ अदद मोम बत्ती अवैध रूप से बरामद हुई।	९७७.०७
६४	श्री राजा राम, पुत्र श्री लालमन दास, अलापुर ..	१८४ बोरे सीमेन्ट अवैध बरामद ..	२९४४.००
६५	श्री रामरक्षा पाल, पुत्र राम मोहन लाल, निवासी अलापुर ..	३२ दर्जन माचिस, २ टिक्की साबुन अवैध बरामद हुए	१९३.१०
६६	श्री टैक चन्द पुत्र गोपी चन्द, बिसौली ..	१८ दर्जन रेक्सोना, १ दर्जन लक्स, १८ दर्जन हमाम छोटी, ४ दर्जन जय साबुन अवैध बरामद हुआ।	७००.००
६७	श्री छत्रपाल, पुत्र वेद राम, तिस्सी ..	१३५ बोरे अवैध खाद बरामद हुई ..	१३९०५.००
६८	(१) श्री शंकर लाल, पुत्र राम प्रकाश, (२) श्री प्रेम पाल, पुत्र मदन लाल, (३) श्री राम प्रकाश वैश्य, बिसौली ..	२० ड्रम, भरे ३८०० लि० डीजल, ३०० लि० मिट्टी तेल तेल, साढ़े बीस कट्टे खाद यूरिया, ९ कट्टे मिक्श्चर अवैध बरामद हुई।	१२६५६.००

१	२	३	४
			रु० पै०
६९	श्री गोपी नाथ पुजारी लाल, बिल्सी ..	५ बोरे अवैध यूरिया खाद बरामद ..	५०९.००
७०	श्री राम बाबू, पुत्र हरीश चन्द्र, बिल्सी ..	३८०० लि० मिट्टी का तेल, ३०० लि० डीजल व ३८ कट्टे अवैध बरामद हुए।	९३५१.००
७१	श्री मदन लाल, पुत्र ठाकुर दास, निवासी, रियोनाई ..	९३ कट्टे सीमेन्ट, ७० कट्टे खाद ९०० लि० पैट्रोल, ११० कट्टे खाद अवैध बरामद हुए।	३०२२०.००
७२	श्री राम, पुत्र ठाकुर दास, रियोनाई ..	१३०० लि० डीजल, २०० लि० मि० का तेल, ४०० लि० पैट्रोल, १७ कट्टे खाद ८ कट्टे सुपर फासफेट, ३८ कट्टे सीमेन्ट अवैध बरामद हुए।	१०३३७.००
७३	श्री झम्मन, पुत्र सिपाही लाल गुप्ता, निवासी खतारा, थाना उधती	७० कु० गेहूं, ७८ टिन देशी घी ५० कु० मूगफली, १ कु० सफेद कागज, ३५ कु० सरसों, ४० कु० चना, २० कु० मटर, चारपेटी, साबुन, ३ पेटी चाय, ४ ेटी दवा, १ कु० सोडा व ४५ कु० गुड़ अवैध बरामद हुआ	९५९७०.००
७४	(१) श्री तुरसन पाल, पुत्र पूरन सिंह, (२) श्री असगर अहमद, पुत्र हाज। बन्ने खां, (३) श्री शाहिद, पुत्र रशीद, (४) श्री ज्ञान चन्द, पुत्र मुन्शी, (५) श्री हरिश चन्द्र, निवासी गण बिल्सी।	३३ बोरे गेहूं व ३ बोरे मक्का अवैध रूप से बरामद हुई	६,०००.००
७५	(१) श्री शहजाद हुसैन, पुत्र लियाकत, (२) श्री नबीउलहसन पुत्र मेंहदी हसन, निवासी गण कस्बा सहसवान।	४० किलो चावल अवैध रूप से ले जा रहा था ..	१२०.००
७६	श्री यूसुफ, पुत्र शेर खां, निवासी मो० शेर मुहम्मद, थाना कोतवाली, पीलीभीत।	२.२५ कुन्टल धान की खील अवैध रूप से बरामद हुई	६००.००

अवध प्रदेश विधान सभा

७७	(१) श्री त्रिवेनी पुत्र बाबूराम, ग्राम कन्वरिया, थाना बारादरी, बरेली व (२) श्री हर चरन लाल, पुत्र सीताराम, निवासी ढकनी, थाना फरीदपुर।	२० कुन्टल धान की खील अवैध रूप से ले जा रहे थे	६,०००.००
७८	श्री गोविन्द राम, पुत्र हेमराज, मुनीम टीकमचन्द ब्रदर्स, उझानी	८८ टीन घी सूरज मार्का अवैध रूप से बरामद हुए	१५,४००.००
७९	श्री कल्यान सिंह, पुत्र हाकिम सिंह ठाकुर, निवासी मु० भदवार गंज, उझानी।	२ बोरे चावल अवैध रूप से ले जाते हुए पकड़े गए	६००.००
८०	श्री रईस अहमद, पुत्र नियाज अहमद, भुजी, निवासी शाहबाजपुर सहसवान।	७ बोरी धान अवैध रूप से जाते हुए पकड़े गए	१,४००.००
८१	श्री रतन सिंह पुत्र गुज्जर सिंह, निवासी सीमापुरी यू० पी० बार्डर थाना सहिबाबाद, जिला मेरठ व (२) श्री जंग बहादुर, पुत्र कमल अहीर, निवासी सीमापुरी, थाना सहिबाबाद, मेरठ।	२०९ कु० चावल अवैध रूप से जो दातागंज ले जाया जा रहा था पकड़ा।	६२,७००.००
८२	श्री फंसी बाबू बनिया, उझानी व (२) श्री लेख राज घोड़ा तांगा चालक, उझानी।	६ कु० गेहूं अवैध रूप से ले जाते हुए पकड़े गए	९००.००
८३	श्री रामस्वरूप, पुत्र हेतराम, निवासी अ ला, कस्बा थाना दातागंज	४२ बोरे खील अवैध रूप से बरामद	४,२००.००
८४	(१) श्री दिलशाद पुत्र दूल्हे, मो० खांडसारी, (२) श्री वाहिद हुसेन पुत्र हामिद हुसेन, निवासी मो० खांडसारी, बदायूं।	३ बोरे चावल अवैध रूप से बिक्री करते हुये पकड़े गए	७००.००
८५	श्री संतोष कुमार, पुत्र रामेश्वर दयाल, मु० सराय हकीम, थाना बना देवी, जिला अलीगढ़।	७७ बोरे चावल अवैध रूप से ले जाते हुए पकड़े गए	२३,०००.००
८६	श्री सुभाष, पुत्र कल्लू, वजीरगंज ..	१ कट्टा खाद यूरिया मिलावट से बेचते हुए पकड़े गए	१०४.००
		योग ..	५,७२,३६०.००

गोरखपुर जिले के कतिपय ब्लाकों के अन्तर्गत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की वृद्धि की मांग

१३—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या खाद्य व रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोराबार, ब्रह्मपुर व सरदार नगर के कितनी अदालत पंचायतों में दो-दो, तीन-तीन तथा एक-एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें इस समय चल रही हैं ? क्या सरकार तत्काल जहां एक-एक दुकानें चल रही हैं वहां तीन-तीन वरीयता के हिसाब से तत्काल कराने सम्बन्धी आदेश देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ब्लाक खोराबाद की ६ न्याय पंचायतों में दो-दो तथा दो न्याय पंचायतों में तीन-तीन दुकानें चल रही हैं।

ब्लाक ब्रह्मपुर की ७ न्याय पंचायतों में दो-दो तथा तीन न्याय पंचायतों में तीन-तीन दूकानें चल रही हैं।

ब्लाक सरदार नगर की एक न्याय पंचायत में एक तथा ६ न्याय पंचायतों में दो-दो दूकानें चल रही हैं।

दुकानों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी सक्षम हैं।

उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा पेंशन से संबंधित मामलों पर लिया गया निर्णय

१४—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या पेंशन-जी-२—३९९४/दस—९२७/५८, दिनांक १० फरवरी, १९६४ तथा पेंशन ९६५/दस—२६४—१९६३, दिनांक ४ सितम्बर, १९७० में निर्धारित विवरण-पत्र उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा किस तिथि तक तैयार किए गए हैं ? यदि ये तैयार नहीं किए गए हैं तो तैयार न किए जाने के क्या कारण हैं और ये कब तक तैयार करके सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दिए जायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासनादेश सं० पेन्शन-जी—२—३९९४/दस—९२७/५८, दिनांक १० फरवरी, १९६४ में निर्धारित विवरण के अनुसार दिनांक ३० जून, १९७६ तक सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करके महालेखाकार को प्रेषित की जा चुकी हैं।

शासनादेश सं० पेन्शन/९६५१/दस—२६४—१९६३, दिनांक ४ सितम्बर, १९७० में निर्धारित अनिर्णीत पेन्शन मामलों का त्रैमासिक विवरण दिनांक ३० सितम्बर, १९७४ तक समाप्त होने वाले त्रैमास तक तैयार करके भेजा जा चुका है। दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७४ को समाप्त होने वाले त्रैमास के विवरण के सम्बन्ध में सूचना उद्योग निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों से मांगी गयी है। प्राप्त होते ही सम्बन्धित अधिकारी को भेज दी जाएगी।

बिजनौर जिले में सहायक आयुक्त (न्याय) का कार्यालय खोलने की मांग

१५—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में बिक्री कर अपील दफ्तर न होने के क्या कारण हैं और इस क्षेत्र की कितनी अपीलें अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं ? हर महीने यहां कितनी अपीलें औसतन दायर होती हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद बिजनौर में अपीलों की संख्या इतनी नहीं है कि उनके निपटारे के लिए बिजनौर में सहायक आयुक्त (न्याय) का कार्यालय खोला जाये।

दिनांक ३१ जनवरी, १९७५ को जनपद बिजनौर की २,२८० अपीलें निस्तारण हेतु शेष थीं।

वर्ष १९७४-७५ में प्रतिमाह दायर की जाने वाली अपीलों का औसत १७७ है।

१६—श्री अब्दुल वहीद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

देवरिया जिले के खड्डा थाने के अन्तर्गत मिट्टी के तेल की तस्करी एवं गिरफ्तारी

१७—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १९७४ से ३१ दिसम्बर, १९७४ तक देवरिया जिले के खड्डा थाने में कितनी-कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल की तस्करी करते हुए किन-किन व्यापारियों को पकड़ा गया। उस तेल की क्या कीमत थी और सरकार ने इस प्रकार से पकड़े गये मिट्टी के तेल की क्या व्यवस्था की ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत अवधि में देवरिया जिले से खड्डा थाने में ८,४०० लीटर मिट्टी तेल के साथ सर्वश्री नन्हें, पुत्र मुहम्मद अली, सा० बुलहवां, थाना खड्डा, देवरिया, छविलाल, पुत्र सुन्दर, साकिन हैदरगंज, थाना पिपराईच, गोरखपुर तथा ओम प्रकाश जालान, गोलघर गोरखपुर को तस्करी करते हुए पकड़ा गया। उक्त तेल की कीमत रु० ८,५११.२५ पै० (आठ हजार पांच सौ ग्यारह रुपये पच्चीस पैसा) थी। इस धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा करा दिया गया है और तेल को न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित मूल्य पर बिकवा दिया गया है।

उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

१८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[मन्त्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त]

गोरखपुर जिले के सहजनवां थाने में आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी से संबंधित अंकित अभियोग

१९—श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत सहजनवां थाने में मार्च, १९७४ से अक्तूबर, १९७४ तक उर्वरक, चीनी व मिट्टी के तेल की चोर बाजारी की कितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? और अभियुक्तों के विरुद्ध किस-किस धारा के तहत मुकदमें दर्ज किए गए ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

गोरखपुर जनपद के सहजनवां थाने में प्रश्नगत अवधि में एक सूचना उर्वरक, एक सूचना चीनी एवं पांच सूचनायें मिट्टी के तेल की चोरबाजारी के सम्बन्ध में दर्ज की गयीं। इसमें मिट्टी के तेल के एक दूकानदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा ३/७, भारत सुरक्षा नियम १२५ तथा भारतीय दन्ड संहिता की धारा ३०७ के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। अन्य ६ के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा ३/७ लगाई गई। एक मुकदमें में पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई है और अन्य ६ में पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही है।

विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९७४ के वापसी के प्रस्ताव से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सहमति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, कार्यसूची २ के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है? मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली की धारा १७१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि "परन्तु जब कोई विधेयक परिषद् में आरम्भ हुआ हो और सदन के समक्ष लम्बित हो तो विधेयक भार साधक सदस्य सदन में एक प्रस्ताव करेंगे जिसमें यह सिफारिश की जाएगी कि परिषद् विधेयक को सदन द्वारा वापस किए जाने की अनुमति से सहमत हों और सदन द्वारा प्रस्ताव के अंगीकृत किए जाने के और परिषद् द्वारा सहमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त विधेयक भारसाधक सदस्य विधेयक को वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे। २७ फरवरी को विधान परिषद् से वापस लेने की सहमति मांगी और उन्होंने १२ मार्च को सहमति प्रदान कर दी। जब यह दोनों प्रक्रिया हो गई तो भारसाधक सदस्य यानि राजस्व मन्त्री जी एक प्रस्ताव लायेंगे और उसके द्वारा अनुमति चाहें कि वापस लेने की अनुमति दी जाए। इसमें सचिव महोदय कहां आते हैं?

श्री अध्यक्ष--

वह तो मात्र सूचना दे रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इसमें सूचना देने की कहां व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष--

जब कोई संदेश विधान परिषद् से आया हो तो उसके बारे में क्या प्रक्रिया हो, क्या वह सीधे मन्त्री के पास भेज दी जाय?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जी हां।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब वह सदन को सूचना दे देंगे और इसी कारण सचिव महोदय सूचना दे रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यही तो मैं कह रहा हूं कि इसमें सूचना देने का कोई नियम नहीं है। आप १७१ का परन्तुक वाला अनुच्छेद पढ़ें।

श्री अध्यक्ष—

इतना महत्वपूर्ण और गुरुतम दृष्टिकोण आप पहली दफा प्रतिपादित कर रहे हैं, इसलिए आप इसको लिखित रूप में दे दें । मैं बाद में निर्णय दे दूं ।।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सेक्रेट्री इज नाट द ला आफ द हाउस कि जब चाहें वह सूचना पढ़ दें। हर जगह जहां सचिव को सूचना देने, पटल पर रखने और घोषित करने का अधिकार है, वह यह सब स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन इस प्रक्रिया में ऐसी कोई बात नहीं है कि वह सदन को सूचना देंगे।

श्री अध्यक्ष—

इस पर मत अभी नहीं लेंगे । मात्र सूचना देंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, यही तो मेरा प्रश्न है कि सचिव किस नियम के अन्तर्गत सूचना दे रहे हैं। इसे वापस लेने की प्रक्रिया के किस खण्ड, किस धारा के अन्तर्गत सचिव को सूचना देने का अधिकार हासिल है। आप नियम १७१ तो पढ़िए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सचिव को अगर कोई संदेश मिले तो वह कहां रखे, वह सदन में ही तो रखेगा और सदन को बिना बताए वह कैसे फैसला कर देगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

हम माननीय काशीनाथ मिश्र के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेज पार्लियामेंट प्रैक्टिस के १८वें एडीशन के पृष्ठ १४० में लिखा है कि

"Negligence of duty by an Hon'ble Member or an officer of the house is the contempt of the House."

श्री अध्यक्ष—

जो उत्तर प्रदेश विधान मन्डल संसूचना नियम, १९५२ है जिसकी तरफ माननीय काशीनाथ मिश्र ने ध्यान आकृष्ट कराया है, उसका दूसरा और तीसरा नियम आपके सामने पढ़ देता हूं :

(२) "संदेश संसूचित करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया—एक सदन द्वारा दूसरे सदन को कोई संसूचना संदेश भेजने वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से लिखित संदेश द्वारा भेजी जायगी जो दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी के नाम होगी। इस पर या तो पीठासीन अधिकारी के ही हस्ताक्षर होंगे या यदि वह सामान्य दशा में या किसी विशेष दशा में प्राधिकृत करें तो सदन के सचिव के हस्ताक्षर होंगे।

(३) नियम २ के अधीन प्राप्त संदेश, यदि सत्र हो रहा हो तो, पीठासीन अधिकारी उसके प्राप्त होने के पश्चात् प्रथम सुविधाजनक अवसर पर सदन को संसूचित करेंगे और यदि सत्र न हो रहा हो तो वह पीठासीन अधिकारी की सहमति से सदन के सचिव द्वारा सदस्यों को संसूचित कर दिया जाएगा। और लिखकर आपको अपने निवास स्थानों पर भेज दिया जाएगा।" तो यह प्रक्रिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह प्रक्रिया किसमें है ?

श्री अध्यक्ष---

यह उत्तर प्रदेश विधान मन्डल संसूचना नियम, १९५२, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया सम्बन्धी करण, तृतीय संस्करण के पृष्ठ ५३ पर है। अनुच्छेद २०८(३) के अन्तर्गत बना हुआ है। आप अपनी आपत्ति लिख कर दें मैं बाद में निर्णय दूंगा।

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १२ मार्च, १९७५ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की है ---

"यह सदन विधान सभा द्वारा दिनांक २७ फरवरी, १९७५ को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९७४ को वापस लेने की अनुमति दी जाय।"

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १३ मार्च, १९७५ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १८ मार्च, १९७५ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २० मार्च, १९७५ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७५ का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७४-७५ का अनुपूरक) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा---

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७४-७५ का अनुपूरक) विधेयक, १९७५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १३ मार्च, १९७५ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १८ मार्च, १९७५ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २० मार्च, १९७५ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७५ का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सभापति की हैसियत से उक्त समिति का प्रथम

प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश शासन के उद्योग विभाग के अधीन विभागाध्यक्षों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा निगमों की सेवाओं, पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व के विषय पर है, प्रस्तुत करता हूं।

उक्त समिति का गठन इस प्रदेश में विधान सभा की दिनांक ६ अगस्त, १९७४ के उपवेशन में पारित संकल्प तथा विधान परिषद् की दिनांक १४ अगस्त, १९७४ की बैठक में स्वीकृत संकल्प के अनुसार २९ अगस्त, १९७४ को किया गया था। विधान सभा तथा विधान परिषद् के सम्बन्धित कार्यवृतों के उद्धरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट एक में हैं।

समिति ने सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धित एक प्रश्नावली तैयार की और उसे शासन के समस्त सचिवों को भेजा। उद्योग विभाग से सम्बन्धित कार्यालयों तथा निगमों से जो उत्तर प्राप्त हुए उन पर समिति ने अपनी दिनांक १० दिसम्बर, १९७४, ६ तथा १७ जनवरी, १९७५ की बैठकों में विचार किया। दिनांक २७ तथा २८ जनवरी, १९७५ की बैठकों में समिति ने इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे अंगीकृत किया।

समिति सचिव, विधान सभा, विधान सभा के सम्बन्धित समिति अधिकारी व कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करती है जिन्होंने समिति के कार्य में तथा इस प्रतिवेदन को तैयार करने में अपना योगदान किया। समिति श्री प्रताप कृष्ण कौल, उद्योग सचिव के प्रति भी आभार प्रकट करती है कि उन्होंने समय से समिति को वांछित सूचना उपलब्ध करायी।

श्री बाबू लाल वर्मा द्वारा श्री ईश्वरी सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाबू लाल वर्मा ने माननीय ईश्वरी सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है। माननीय बाबू लाल वर्मा ने सूचना दी है कि खादी बोर्ड विधेयक पर बोलते हुए विधान सभा सदस्य, श्री ईश्वरी सिंह ने कहा "हम लोगों को आश्चर्य कतई नहीं है कि इस देश में जनसंघ और आर० एस० एस० जो पूज्य महात्मा गांधी जैसी हस्ती को नष्ट कर सकता है वह अपने प्रचार से इस खादी ग्रामोद्योग को भी नष्ट कर सकता है"। इस प्रकार ईश्वरी सिंह ने, माननीय बाबूलाल वर्मा का कहना है कि जानबूझ कर गलत बयानी की है और सदन को गुमराह किया है।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)––

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह जो विधान सभा की अवहेलना की सूचना माननीय बाबू लाल वर्मा जी ने दी है उस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि चूंकि वे जनसंघ के सूबे के उपाध्यक्ष हैं, माननीय बाबूलाल वर्मा, जनसंघ की जो कार्यशैली है जो जनसंघ की विचार शैली और जो उसका इस देश में कार्य करने का तरीका है उसका उनको सही प्रतिबिम्ब मैं मानता हूं। मैं बाबू लाल जी वर्मा को वास्तव में जनसंघ का और इस प्रदेश की जनसंघी जनता का प्रतिनिधि और इस विधान सभा में भी एक सच्चा जनसंघी प्रतिनिधि मानता हूं। उन्होंने अपने नोटिस में जो कहा है मैंने खादी तथा ग्रामोद्योग संशोधन अधिनियम के ऊपर बोलते हुए शब्द कहे यह शब्द उन्होंने जो अपने सूचना में कोट किए हैं। यह बिल्कुल सही शब्द हैं।

[श्री ईश्वरी सिंह]

मैंने ऐसा कहा मैं यह स्वीकार करता हूं और साथ ही साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैंने किस सन्दर्भ में कहे। माननीय बाबू लाल वर्मा ने १८ मार्च को खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक पर बोलते हुए अपनी तकरीर को उस तकरीर में जो चन्द शब्द उन्होंने कहे १८ मार्च की कार्यवाही को मंगा कर आप देख सकते हैं। उस कार्यवाही के दौरान .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

वह स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आप कृपया सुन लें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

यह शब्द उन्होंने जो कहे, मुझे इस पर आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष--

पहले आप उनको सुन लीजिए।

श्री ईश्वरी सिंह--

श्री वर्मा जी ने अपनी तकरीर के दौरान यह शब्द कहे मान्यवर, मैं उसे फिर दोहरा देना चाहता हूं यह शब्द उनके हैं, 'सरकारी गगन के तले खादी का भ्रष्टाचार पले'। जिस प्रकार मान्यवर, लोक नायक जय प्रकाश नारायण ने चम्बल की घाटी के डकैतों का उद्धार करने का काम किया था और उसी प्रकार खद्दर पोश डकैतों को ठीक करने के लिए उनके बीच में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए वह जुट रहे हैं।

दूसरी बात मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि जमींदारी के जमाने में बड़े-बड़े चरागाह हुआ करते थे, पशु जाते थे और अपना पेट भरते थे घास खाकर। लेकिन अब तो वह चरागाह समाप्त हो गए और सरकार ने उनका विकास नहीं किया। लेकिन अब सरकार ने खादी बोर्ड रूपी चारागाह खोल रखे हैं जिनमें भ्रष्टाचार होता है। जो छुट्टा लोग हैं जो मन्त्री नहीं बने या एम० एल० ए० नहीं बने ऐसे सफेदपोश सांड उनमें चरने के लिए छोड़े जाते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

वर्मा जी ने विशेषाधिकार के सम्बन्ध में दिया है, उसके बारे में उन्हें क्या कहना है, यह वह बतायें। इधर उधर की बात क्यों करते हैं।

श्री ईश्वरी सिंह--

फिर बाद में कहा है--"वहां (खादी बोर्ड में) इतना घोटाला है कि यह पता चला कि १० लाख ७८ हजार रुपया तो है लेकिन शेष रुपया कहां चला गया यह पता नहीं। यह तो डाकुओं की टोली ही बता सकती है। उनके नाम पर जो भेड़ रूपी जनता है उसका ऊन उतारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितनी सिद्धहस्त है, इस बात को साबित करने के लिए यह आंकड़े पर्याप्त हैं--"कांग्रेस के जिन लोगों को कहीं जगह नहीं मिल सकी उनको इस बोर्ड में भेज दिया जाता है कि ताकि वह भ्रष्टाचार रूपी घास खूब चर सके"। अब मैं वर्मा जी के इन शब्दों पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं जो उन्होंने आगे वाक्य में कहा है--"ये खादी बोर्ड आज भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज गांधी जी की इस खादी की चादर में सैकड़ों, हजारों खटमल पैदा हो गए हैं, जिनका सफाया जरूरी है--"

ये शब्द जब उन्होंने कहे तो मैंने उसके ऊपर अपनी तकरीर के दौरान में यह शब्द कहे, मैं उससे इन्कार नहीं करता हूं। जो उन्होंने अपनी नोटिस में कहा है, मैंने ये शब्द कहे कि—"हम लोगों को आश्चर्य कतई नहीं है कि इस देश में जनसंघ और आर० एस० एस० जो पूज्य महात्मा गांधी जैसी हस्ती को नष्ट कर सकता है वह अपने प्रचार से इस खादी ग्रामोद्योग को भी नष्ट कर सकता है"। श्रीमन, मैंने ये शब्द कहे, क्यों कहे? क्योंकि गांधी जी की हत्या के अन्दर आर० एस० एस० और हिन्दू संगठन का हाथ था।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें, स्पष्टीकरण मात्र की मैंने इजाजत दी है।

श्री ईश्वरी सिंह—

मेरी बात का बाबूलाल वर्मा जी सम्भवत: कुछ बुरा मान गये, उन्हें बुरा लगा कि आर० एस० एस० और जनसंघ का गांधी जी को नष्ट करने में क्यों नाम लिया गया। उन्होंने मुझे जो सूचना दी है, उन्होंने अपने पत्र में बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि आपने जनसंघ और आर० एस० एस० को बदनाम करने की नियत से ये शब्द कहे हैं। मैं इसी सिलसिले में आपकी आज्ञा से यह साबित करना चाहता हूं कि गांधी जी की हत्या में, जो शब्द मैंने कहे, उनकी व्याख्या तो मैं बाद में करूंगा, आर० एस० एस० और हिन्दू महा सभा सीधे-सीधे जिम्मेदार थे और यह जनसंघ, आर० एस० एस० और हिन्दू महासभा का उत्तराधिकारी है, उसकी एक शाखा है।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहें।

श्री ईश्वरी सिंह—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांधी . . .

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में कहें।

श्री ईश्वरी सिंह—

संक्षेप में कह रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गोडसे आर० एस० एस० का आदमी था। नाथूराम गोडसे, आप्टे वगैरह जो थे आर० एस० एस० के आदमी थे। यह एक किताब है—गांधी मर्डर ट्रायल, तपन घोष की। इसमें दिया गया है।

"His normal dress was khaki shorts, white half-sleeved shirts, black R. S. S. cap and a pair of Maharashtrian sandals"

इससे जाहिर होता है कि गोडसे आर० एस० एस० में थे। इसके सम्बन्ध में इस विद्वान ने लिखा है—

"He enjoyed the distinction of leading the first batch of fifteen passive resisters into Hyderabad in November. He was soon arrested and sentenced to twelve months imprisonment. In jail, he organised a batch of the R. S. S. and held regular exercises. In a few weeks he was able to inculcate the spirit and gospel of the R. S. S. among the inmates of the jail. Recalling his prison days, he said: "I have personal....."

श्री अध्यक्ष--

आप दूसरी बात खड़ी कर रहे हैं। जिस पर विशेषाधिकार की सूचना दी है, उस पर आप बताइए।

श्री ईश्वरी सिंह--

उसी के सबन्ध में मैं कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं . . .

श्री अध्यक्ष--

बनता है या नहीं बनता है, यह प्रश्न है।

श्री ईश्वरी सिंह--

उसी के सम्बन्ध में मैं कह रहा हूं। वरना मैं कैसे सिद्ध करूंगा। अपने शब्दों को मैं सिद्ध करना चाहता हूं। उसी सन्दर्भ में मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) जस्टिस भंडारी ने अपने जजमेंट में कहा है --

"After going carefully through the evidences came to the conclusion.....

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप एक वाक्य में कह सकते हैं ये पुस्तकों से अधिकृत कथन हैं। माननीय ईश्वरी सिंह यह सब पढ़ने की इजाजत नहीं देता हूं। आप यह कह सकते हैं कि इतने-इतने लेखकों की राय दे रहा हूं, जिससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। सारी किताबों को पढ़ने की इजाजत थोड़े ही दूंगा।

श्री ईश्वरी सिंह--

यह जो आर० एस० एस० में नाथूराम गोडसे वगैरह थे, उन्होंने आपस में महात्मा गांधी को मारने के लिए एक ऐग्रीमेंट किया था।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

यह भाषण कब तक चलता रहेगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न आपने ही उठाया है।

श्री ईश्वरी सिंह--

मैं यह साबित करना चाहता हूं.....

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)--

विशेषाधिकार समिति को भेज दें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, नहीं। प्रश्न बनेगा तब न। आप यह साबित करें कि इन्होंने गुमराह किया। इन्होंने कहा कि हमारी यह राय है। तब हम क्या करेंगे ?

श्री ईश्वरी सिंह--

मैं अपनी राय के सम्बन्ध में ही जाहिर कर रहा हूं। श्रीमन्, २२ जनवरी को हिन्दू महासभा और आर० एस० एस० के लोगों की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अन्दर.....

श्री अध्यक्ष--

यह तो हो गया। आप बैठें। आप जो कहना चाहते हैं, मैं समझ गया। यहां मैं किसी राजनीतिक बात के प्रतिपादन, समर्थन, खंडन, मंडन की बहस नहीं चला रहा हूं।

आपके ख्याल से आपका विचार है, अगर आपका विचार है, गलत हो या सही हो, जो विचार हो वह कहिए।

श्री ईश्वरी सिंह--

जिस बात को मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

विद्वानों के विचारों को हम यहां सुनेंगे तब तो कोई उसका अन्त नहीं होगा।

श्री ईश्वरी सिंह--

मैं अर्ज कर रहा हूं। गांधी मर्डर ट्रायल ....

श्री अध्यक्ष--

आपको बहुत समय दे दिया। जाहिर हो गयी आप की राय।

श्री ईश्वरी सिंह--

मुझे पढ़ने का अवसर दें। मैंने जिस बात को कहा वह किस सन्दर्भ में कहा यह बताने का मौका दें। पांच मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार के प्रश्न पर इतना समय नहीं देते। विशेषाधिकार के सवाल पर इतना समय दे दें, और सदन का काम रोक दें? यह सम्भव नहीं है।

श्री ईश्वरी सिंह--

केवल एक मिनट देने की कृपा करें।

(श्री ईश्वरी सिंह ने शोर के बीच अंग्रेजी से कुछ पढ़ना प्रारम्भ किया जो सुनायी नहीं दिया। इस समय कई सदस्य खड़े हो गये)।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ईश्वरी सिंह जी, आखिर आप सुनते भी नहीं हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा और न यह लिखा जाएगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, हमारे साथी माननीय ईश्वरी सिंह जी जिनके विरुद्ध बाबूलाल जी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया है, उसको एक्सप्लेन न करके एक नई थीसिस बनानी शुरू करदी। वह यह कहते कि जो उन्होंने कहा वह सही नहीं है या सही है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी लेकिन उनकी इच्छा और थी कि इससे ज्यादा और प्रमाण क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और सरदार पटेल ने स्वयं कहा कि आर० एस०एस० हैज नो हैंड इन दिस मैटर। फिर भी ये लोग बराबर इसका इस्तेमाल करते हैं कि गांधी जी की हत्या आर० एस० एस० और जनसंघ ने कराई। अब तो यह एक बहुत घिसी पिटी बात हो गई है। इनके पास क्या साहस है कि यह कह सकें कि जनसंघ ने गांधी जी की हत्या की। जनसंघ का वह नाम लेने का साहस कैसे कर सकते हैं? जनसंघ १९५२ में आया। माननीय बाबूलाल जी को इस बात को इग्नोर कर देना चाहिए था। अभी हम कह दें कि माननीय शास्त्री जी की हत्या किसने कराई। कौन चाहता था कि हम

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

प्राइम मिनिस्टर बन जायं। डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या किसने कराई। उनके परिवार वाले बिचारे रोते रहे लेकिन इन्क्वायरी नहीं कराई। माननीय ललित नारायण मिश्र की हत्या की इन्क्वायरी चल रही है? लेकिन हमें कहना नहीं चाहिए। इसी तरह से नागरवाला के सम्बन्ध में ६४ लाख रुपये का मामला था।

श्री ईश्वरी सिंह—

मान्यवर, (व्यवधान तथा शोर)।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

६४ लाख रुपये का मामला था। इसको दुनिया जानती है। लेकिन आज प्रधान मन्त्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया। उसका सफाया हो गया। हमें नहीं कहना चाहिए। जो जांच कर रहे थे उनका भी सफाया हो गया। जब तक कोई सबूत न हो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन आर० एस० एस० के बारे में जब सरदार पटेल ने कह दिया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है फिर भी आपने कह दिया तो इससे क्या फायदा है। (व्यवधान)

(कई लोगों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह तो दल एक दूसरे पर कहेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह आदि द्वारा श्री काशी नाथ मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री ओम प्रकाश सिंह, सत्य प्रकाश तथा हरिश्चन्द खंडेलवाल ने सूचना दी है कि दिनांक २० मार्च, १९७५ को श्री काशीनाथ मिश्र ने अपने द्वारा जनसंघ दल के नेता के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर सदन में बोलते हुए कहा कि "श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, जब अपने ही द्वारा उठाये गये सवालों की चर्चा पर अनुपस्थित होते हैं, इससे वह (श्री काशीनाथ मिश्र) यह निष्कर्ष निकालते हैं कि श्री त्रिपाठी प्रश्न उठाने के बाद उस विभाग से सम्बन्धित भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर सौदा तय करते हैं।" माननीय सूचना देने वाले सदस्यों का कहना है कि श्री काशीनाथ मिश्र का यह कथन स्पष्ट रूप में जान बूझ कर जनसंघ दल के नेता श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के व्यक्तित्व को गिराने तथा लांछित करने की दुर्भावना का प्रयास है और उपर्युक्त कथन असत्य एवं निराधार है।

२० मार्च, १९७५ को सदन में माननीय काशीनाथ मिश्र ने यह कहा था कि "मेरा यह आरोप है कि इस तरह से सवाल दे कर उन्होंने अधिकारियों के साथ सांठगांठ और सौदेबाजी की है और इसलिए वे कायल हो गए।" यह कहा माननीय काशी नाथ मिश्र ने। अब माननीय काशी नाथ मिश्र को क्या कहना है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

आप कार्यवाही उठा कर देखें। मैंने बार-बार यही कहा है कि प्रश्न करके यह उपस्थित नहीं रहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण था। लाखों रुपये का गबन का सवाल था और उस पर दो घन्टे की बहस स्वीकार हुई थी और जब चर्चा शुरू होने वाली थी तो वह अनुपस्थित हो गये। तो मैंने कहा था कि इस तरह का नतीजा निकाला जा सकता है कि अधिकारियों से साठ-गांठ करके और सौदेबाजी की है इसलिये वे अनुपस्थित हो गये। मैंने आरोप नहीं लगाया था। मैंने कहा था कि नतीजा निकाला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

May's Parilament, Page-140: "Neglect or breaches of duty by Members or officers of either House, other than corruption in the execution of their office and cognate offences may also be treated as contempt."

आपने दो घंटे का समय दिया और जब बहस का समय आया तो वह गैर हाजिर हो गए।

श्री अध्यक्ष--

आपकी राय जाहिर हो गई। मैं निर्णय देता हूं।

२० मार्च, १९७५ को सदन में माननीय श्री काशीनाथ मिश्र ने यह कहा था कि, "मेरा तो यह आरोप है कि इस तरह से सवाल देकर उन्होंने अधिकारियों के साथ साठ-गांठ और सौदेबाजी की है और इसीलिए वे गायब हो गए।" उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २८९(२)(ग) के अनुसार सदन में भाषण करते समय किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप तथा लांछन नहीं लगाना चाहिए। उक्त नियमावली के नियम ३०० में यह व्यवस्था है कि इस नियमावली के नियमों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में, जो अध्यक्ष के संज्ञान में है, औचित्य का प्रश्न उठाया जा सकता है। अत: माननीय सूचना देने वाले सदस्य को जब श्री काशीनाथ मिश्र ने माननीय नेता जनसंघ दल के विरुद्ध कथित आरोप लगाया था। उसी समय नियम ३०० के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाकर मेरा ध्यान आकृष्ट करना चाहिए था और उसी समय उस पर कार्यवाही हो सकती थी। किन्तु सूचना देने वाले माननीय सदस्यों ने ऐसा नहीं किया। नियम ३०४ में यह भी व्यवस्था है कि यदि अध्यक्ष की राय में सदन में कोई ऐसा शब्द प्रयुक्त किया गया है जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र है तो वे ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकाल सकेंगे।

मेरी राय में श्री काशी नाथ मिश्र ने जो आक्षेपात्मक शब्द माननीय श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के सम्बन्ध में कहे हैं वे संसदीय परम्परा के अनुरूप नहीं हैं, अत: मैं आदेश देता हूं कि उक्त वाक्य जो श्री काशीनाथ मिश्र ने प्रयुक्त किया है उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

सिंचाई विभाग के अनुदानों पर श्री मोती लाल देहलवी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

अब, दिनांक २२ मार्च, १९७५ को सिंचाई विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर माननीय सदस्य, श्री मोती लाल देहलवी द्वारा निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था —

"सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सुझाव देना।"

इस पर माननीय सदस्य, श्री काशीनाथ मिश्र ने यह आपत्ति उठायी कि श्री देहलवी का कटौती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १८९ के खंड (क) के अनुसार नियमित नहीं है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा यह तर्क किया गया कि श्री देहलवी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वे नीति का ब्योरा सुतथ्यतया नहीं दिए गए हैं जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं तथा न कोई वैकल्पिक नीति का सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री त्रिवेणी तथा वित्त मन्त्री ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मैंने उस दिन इस सम्बन्ध में अपना निर्णय बाद में देने के लिए कहा था।

उक्त नियम १८९ के खंड (क) के अनुसार किसी मांग की राशि कम करने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा—"कि मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।" मांग में अन्तर्निहित नीति से अननुमोदन प्रकट करने के लिए ऐसा प्रस्ताव "नीति अननुमोदन कटौती" कहा जाएगा। ऐसे प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य नीति का ब्योरा सुतथ्यतया दर्शायेंगे जिस पर वह चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा सूचना में उल्लिखित विशिष्ट बात या बातों तक ही सीमित रहेगी और सदस्य वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकेंगे।"

उक्त प्राविधान से यह स्पष्ट है कि वास्तव में अपेक्षित प्रस्ताव इतना ही है "कि मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय"। उससे यह अपेक्षित नहीं है कि माननीय सदस्य कोई वैकल्पिक नीति का सुझाव अवश्य दें जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, उसके अनुसार नियमानुसार यह अपेक्षित है कि इस प्रस्ताव की चर्चा में जो बात कही जाएगी वह उन्हीं विशिष्ट बात या बातों तक सीमित होगी जो प्रस्ताव में उल्लिखित है तथा चर्चा में सदस्य वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकते हैं। प्रस्ताव में इस प्रकार की बात देने का नियम अपेक्षा नहीं करता। प्रस्ताव में केवल यह अपेक्षित है कि केवल उस नीति का ब्योरा सुतथ्यतया दिखलाया जाएगा जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं। इस अपेक्षा की पूर्ति प्रस्ताव में इन शब्दों से हो जाती है "कि कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सुझाव देना।" इस प्रकार के कटौती प्रस्ताव पहले भी स्वीकृत होते रहे हैं और नियमानुकूल माने गए हैं।

कौल और शकधर की पुस्तक संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ ६७७ पर नीति का निरनुमोदन कटौती के सम्बन्ध में यह लिखा हुआ है :

"जब किसी प्रस्ताव का उद्देश्य किसी मांग की नीति का निरनुमोदन करना हो, तो उसका रूप यह होता है कि "मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।" ऐसे

कटौती प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य को ठीक-ठीक नीति का वह ब्योरा बताना पड़ता है जिसकी चर्चा वह उठाना चाहता हो। चर्चा उसी विशिष्ट बात या बातों तक सीमित होती है, जिनका उल्लेख सूचना में किया गया हो और सदस्य चाहे तो किसी वैकल्पिक नीति अपनाये जाने की बात कह सकता है।"

इसी पृष्ठ पर बाद टिप्पणी में ऐसे प्रस्ताव का जो प्रारूप दिया हुआ है वह इस प्रकार है:

"कि (यहां शीर्षक होगा) शीर्ष के अन्तर्गत मांग को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय" (नीति का निरनुमोदन) (यहां शीर्षक का विषय संक्षेप में लिखा जाएगा)। इस प्रकार जो लोक सभा में प्रक्रिया प्रचलित है, वह भी इसी प्रकार की है।

अतएव मैं माननीय मोती लाल देहलवी द्वारा प्रस्तुत नीति निरनुमोदन कटौती के प्रस्ताव को नियमित समझता हूं और माननीय काशी नाथ मिश्र द्वारा उठाई गई आपत्ति को निरस्त करता हूं।

खेल-कूद मंत्री के विरुद्ध गोपनीयता भंग किये जाने के सम्बन्ध में उठाई गई संवैधानिक आपत्ति के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---

वर्ष १९७५-७६ का आय-व्ययक अनुदान प्रस्तुत होने से पूर्व खेल-कूद मन्त्री, श्री लोकपति त्रिपाठी द्वारा एक प्रेस सम्मेलन में अपने विभाग की कतिपय योजनाओं को बता कर बजट की तथा मन्त्रि-परिषद् की गोपनीयता भंग किए जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री बंबुकर दिघे तथा श्री नरेन्द्र प्रकाश मालवीय ने दिनांक १४ मार्च, १९७५ की अपनी सूचना द्वारा एक संवैधानिक आपत्ति उठाते हुए यह मांग की थी कि खेल-कूद मन्त्री को मन्त्रि-परिषद् से हटाया जाय। इस पर दिनांक १७ मार्च, १९७५ को मैंने कौल शकधर की पुस्तक "संसदीय व्यवहार तथा प्रणाली" (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ ६६७ तथा ६६९ से उद्धरण देते हुए यह कहा था कि बजट भाषण के दो भाग होते हैं---एक भाग में सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण और दूसरे भाग में कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनायें होती हैं। इस सम्बन्ध में मैंने युनाइटेड किंगडम के हाउस आफ कामन्स के श्री थामस तथा श्री डाल्टन के मामले तथा लोक सभा में वित्त मन्त्री, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी से सम्बन्धित मामले का विस्तार से उल्लेख करते हुए यह कहा था कि बजट के रहस्योद्घाटन से तात्पर्य बजट के कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनाओं से है, न कि बजट भाषण की अन्य बातों से और खेल-कूद मन्त्री द्वारा कही गई जिन बातों पर आपत्ति उठाई गई है वह उक्त श्रेणी में नहीं मानी जा सकती है। श्री दिघे के अनुरोध पर यह कहा था कि यदि वे इस सम्बन्ध में कुछ और जानकारी देना चाहें तो वे दे सकते हैं और तदुपरान्त मैं उस पर विचार कर निर्णय दूंगा।

दिनांक १९ मार्च, १९७५ को श्री दिघे ने इस सम्बन्ध में जो सूचना दी उसके अनुसार उनका कहना है कि वित्तीय व्यवस्था का रहस्योद्घाटन कर सदन में आने से पूर्व ही अखबारों को वक्तव्य देना संविधान की धारा १६४(२) के प्राविधान के अनुसार लिए गए मन्त्री पद की शपथ, मंत्रि-परिषद् के निर्णयों की गोपनीयता को भंग करना है तथा श्री लोकपति

[श्री अध्यक्ष]

त्रिपाठी ने ऐसा करके अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, अपना विधान सभा की क्षेत्र की जनता पर असर एवं अपनी विशिष्ट छाप डाल कर विशेष लाभ उठाया है। इस सम्बन्ध में २० मार्च, १९७५ को माननीय श्री दिवे ने सदन में इन बातों को और विस्तार से कहने का प्रयत्न किया। माननीय खेल-कूद मन्त्री, श्री लोकपति त्रिपाठी ने उसके बाद अपना स्पष्टीकरण देते हुये जिन तीन बातों के सम्बन्ध में बजट के रहस्योद्घाटन का आरोप लगाया गया है "उनके सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किए गए दिनांक ४, १० एवं ११ फरवरी, १९७५ के आदेशों की प्रतिलिपियां मेरे पास भेजते हुए यह कहा है कि उनके सम्बन्ध में आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। अतएव उनके द्वारा किसी बजट के रहस्योद्घाटन करने का या गोपनीयता भंग करने का प्रश्न नहीं उठता।"

माननीय खेल-कूद मन्त्री, श्री त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत शासकीय आदेशों को मैंने देखा। दिनांक ४ फरवरी, १९७५ के शासकीय आदेश संख्या एस० पी०/४०६९/पन्द्रह—२११-एस०पी०—७४ में प्रदेश में खेल-कूद के चतुर्मुखी विकास के लिए शासन द्वारा बन-विभाग द्वारा प्राप्त होने वाली भूमि पर लखनऊ में ५० लाख रूपये की अनुमानित व्यय पर एक स्पोर्ट्स कालेज स्थापित करने के निश्चय का उल्लेख करते हुए प्रारम्भिक कार्यवाही हेतु चालू वित्तीय वर्ष (१९७४-७५) में लगभग १ लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है और उक्त धन का चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधान न होने के कारण एक लाख रुपये की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लिए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसी प्रकार दिनांक १० फरवरी, १९७५ के शासकीय आदेश संख्या एस० पी०-१४७/पन्द्रह-एस० पी०—७३ के अनुसार प्रदेश में खेलकूद के चतुर्मुखी विकास के लिए इलाहाबाद के मेयो हाल में एक क्रीड़ा संकुल, जिस पर १५ लाख रुपये व्यय अनुमानित है, को स्थापित करने के सम्बन्ध में इस वर्ष कोर्ट्स बनाने तथा खेलकूद की सामग्री आदि के लिए एक लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है तथा चालू वित्तीय वर्ष में कोई प्राविधान न होने के कारण उसके लिए एक लाख रुपये की धनराशि राज्य आकस्मिकता—निधि से अग्रिम लिए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। उक्त दोनों आदेश खेल-कूद अनुभाग द्वारा जारी किए गए हैं। तीसरा आदेश संख्या बी-१२/दो—४—७५, नियुक्ति—४, दिनांक ११ फरवरी, १९७५ का है जो नियुक्ति विभाग द्वारा जारी किया गया है और जिसमें राज्याधीन वर्ग ३ की सेवाओं में और पदों पर, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर हैं वर्गीकृत खेल के कुशल खिलाड़ियों के लिए एक प्रतिशत का आरक्षण करने का निश्चय सम्बन्धी आदेश जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उक्त तीनों विषय में शासन के निर्णय को आदेश जारी करके बजट प्रस्तुत किए जाने के काफी पहले कार्यान्वित किया जा चुका है। इस प्रकार मन्त्री पद की शपथ तथा मन्त्रि-परिषद् के निर्णयों की गोपनीयता भंग करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि शासन के द्वारा लिए गए उक्त तीनों निश्चयों को कार्यान्वित किया जा चुका है। वित्त मन्त्री के बजट भाषण में उनका उल्लेख सामान्य आर्थिक तथा शासकीय कार्यकलापों का सर्वेक्षणमात्र कहा जा सकता है और उसमें वित्तीय, प्रस्थापनाओं के रहस्योद्घाटन का भी प्रश्न नहीं उठता।

मैंने १७ मार्च तथा २० मार्च को भी यह कहा था कि बजट भाषण के सदन में दिए जाने से पूर्व उसमें उल्लिखित शासकीय निर्णयों का सदन से बाहर घोषणा करना अनौचित्य

पूर्ण कार्य की श्रेणी में अवश्य आता है परन्तु उस समय मेरे सामने उपर्युक्त तथ्य नहीं थे अब उपर्युक्त तथ्यों की दृष्टि में जबकि शासकीय आदेशों द्वारा उक्त निर्णयों का पालन किया जा चुका है इसकी सूचना बजट भाषण से पूर्व प्रेस में प्रकाशित होना अनौचित्यपूर्ण कहना, उचित न होगा। फिर भी, मैं यह समझता हूं कि ऐसे मामलों में शासन को सतर्कता एवं सावधानी बरतनी चाहिए। जिन महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों के सम्बन्ध में बजट-भाषण के माध्यम से सदन को सूचना देना अपेक्षित हो उसे उससे पूर्व प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए।

विधान सभा द्वारा पारित धन विधेयक की विधान परिषद् से विलम्ब से वापसी पर श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा उठायी गयी संवैधानिक आपत्ति के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, १९७४ को इस सदन ने दिनांक १ जनवरी, १९७५ को पारित किया था और मैंने उसे संविधान के अनुच्छेद १९९ के अर्थों में धन विधेयक प्रमाणित किया था। उक्त विधेयक विधान परिषद् की सिफारिश के लिए विधान परिषद् सचिवालय को दिनांक ११ फरवरी, १९७५ को पहुंचाया गया था और वह दिनांक २८ फरवरी, १९७५ को विधान परिषद् द्वारा पारित होने के पश्चात् बिना किसी सिफारिश के दिनांक १ मार्च, १९७५ को वापस प्राप्त हो गया। इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद २०० के अनुसार श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत करने के पूर्व उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत दिनांक १२ मार्च, १९७५ को सदन में सचिव द्वारा तदनुसार सूचना दिए जाने पर माननीय सदस्य श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने यह संवैधानिक आपत्ति की कि संविधान के अनुच्छेद १९८ के अन्तर्गत उक्त विधेयक विधान परिषद् द्वारा प्राप्ति के १४ दिन के अन्दर यहां प्राप्त हो जाना चाहिए था किन्तु वह इस अवधि में प्राप्त नहीं हुआ। इस समय मैंने यह कहा था कि श्री त्रिपाठी द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है और मैंने श्री त्रिपाठी तथा अन्य नेताओं से यह अपेक्षा की थी कि वे इस सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण से मुझे मेरे कक्ष में अवगत करा दें। उसके बाद ही मैं अपना निर्णय इस सम्बन्ध में दूंगा। मैंने इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन किया था कि इसी प्रश्न पर १९५८ में इस अध्यक्षासन से एक निर्णय दिया गया है और हो सकता है कि सभी पहलुओं पर सम्यक रूप से विचार करने पर मैं दूसरी राय पर पहुंचूं। इसलिए यह और भी आवश्यक है कि इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार किया जाय। श्री त्रिपाठी एवं अन्य नेताओं ने मुझे इस सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण से अवगत तो नहीं कराया परन्तु मैंने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया है।

इस सम्बन्ध में जो प्रश्न उपस्थित होते हैं और श्री त्रिपाठी द्वारा उठायी गयी आपत्ति के निराकरण के लिए, जिसका उत्तर अपेक्षित है, वह संक्षेप में इस प्रकार है --

(१) विधान परिषद् को उसकी सिफारिश के लिए पहुंचाये जाने का क्या तात्पर्य है--विधान परिषद् सचिवालय में धन विधेयक की प्राप्ति से या विधान परिषद् की मेज पर उसके रखे जाने से,

(२) १४ दिन की कालावधि की गणना किस प्रकार की जायगी --कैलेण्डर दिनों से अथवा केवल परिषद् की बैठक के दिनों से।

[श्री अध्यक्ष]

इन दो प्रश्नों पर विचार के लिए मैंने संविधान के अनुच्छेद १९८ के खण्ड (२) तथा खण्ड (५) के उपबन्धों पर विचार करना होगा, जो इस प्रकार हैं —

खण्ड (२) विधान परिषद् वाले राज्य की विधान सभा से पारित हो जाने के पश्चात् धन विधेयक विधान परिषद् को, उसकी सिफारिशों के लिए पहुंचाया जायगा तथा विधान परिषद् विधेयक की प्राप्ति की तारीख से १४ दिन की कालावधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधान सभा को लौटा देगी तथा ऐसा होने पर विधान सभा, विधान परिषद् की सिफारिशों में से सब या किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

खण्ड (५) यदि विधान सभा द्वारा पारित तथा विधान परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिए पहुंचाया गया धन विधेयक उसके चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधान सभा को लौटाया नहीं जाता है तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जाएगा, जिसमें विधान सभा ने उसे पारित किया था।

इसी प्रकार का उपबन्ध संसद में धन विधेयक के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद १०९ के खण्ड (२) तथा खण्ड (५) में भी है। अतएव, उक्त दोनों प्रश्नों पर विचार करते समय संसद में इस सम्बन्ध में किए गए निर्वचन का भी ध्यान रखना होगा।

जहां तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है उक्त अनुच्छेद १०९ का संसद में किस प्रकार निर्वचन किया गया है, यह कौल-शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ ४९७ पर इस प्रकार दिया हुआ है —

"१४ दिन की अवधि का हिसाब राज्य सभा सचिवालय में धन विधेयक की पहुंचने की तिथि से लगाया जाता है, न कि उस तिथि से जबकि उसे राज्य सभा के पटल पर रखा जाये।"

आसु ने भी यही बात संविधान पर अपनी कमेण्टरी (पांचवां संस्करण) खण्ड-२ में पृष्ठ ६७६ पर इस प्रकार लिखी है —

"The period of 14 days is to be computed from the date of its receipt in the Council and not from the date when it is laid on the Table of the Council."

(१४ दिनों की अवधि परिषद् में प्राप्ति की तिथि से, न कि परिषद् के पटल पर रखे जाने की तिथि से, परिगणित की जाएगी।)

संविधान के अनुच्छेद २०८ के खण्ड (३) के अनुसार विधान सभा तथा विधान परिषद् में परस्पर संचार प्रक्रिया के सम्बन्ध में बनायी गयी उत्तर प्रदेश विधान मण्डल संसूचना नियमावली, १९५२ के अनुसार एक सदन द्वारा दूसरे सदन को कोई संसूचना सन्देश भेजने वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से लिखित सन्देश द्वारा भेजी जायगी जो दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी के नाम होगी और इस पर या तो पीठासीन अधिकारी के ही हस्ताक्षर होंगे या यदि वह सामान्य दशा में या किसी विशेष दशा में प्राधिकृत करें तो सदन के सचिव के हस्ताक्षर होंगे।

इस प्रकार एक सदन से दूसरे सदन को भेजी गयी संसूचना या सन्देश उक्त नियम के अनुसार विधान सभा सचिवालय अथवा विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हो जाता है तो वह सदन द्वारा प्राप्त किया हुआ समझा जायगा। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया अनुच्छेद १९७ में दी हुई है। उक्त अनुच्छेद के उपबन्धों में भी धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में अवधि का प्रतिबन्ध लगाया गया है परन्तु उक्त अनुच्छेद १९७ के खण्ड (१) के उपखंड (ख) तथा खंड (२) के उपखंड (ख) में जो शब्दावली प्रयुक्त की गयी है, वह "परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से" है जबकि अनुच्छेद १९८ के खंड (२) में जो शब्दावली प्रयुक्त हुई है वह "विधेयक की प्राप्ति की तारीख से" है। संविधान के उक्त दोनों अनुच्छेदों के उपबन्धों को देखने से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि संविधान निर्माताओं ने धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में सदन के समक्ष प्रस्तुत करने अर्थात् सदन की मेज पर रखे जाने से कालावधि की गणना उचित समझी, जबकि धन विधेयक के सम्बन्ध में विधेयक को विधान परिषद् में प्राप्ति अर्थात् विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्ति की तारीख से न कि विधेयक के सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से कालावधि की गणना उपयुक्त समझी गयी है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, क्योंकि धन विधेयक के सम्बन्ध में विशिष्ट प्राविधान किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट है कि जहां तक धन विधेयक का सम्बन्ध है, १४ दिन की कालावधि की गणना विधेयक के विधान परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से नहीं वरन् इसके विधान परिषद् में पहुंचाये जाने अर्थात् विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्ति के दिनांक से की जायगी।

अब प्रश्न अनुच्छेद १९८ के खंड (२) व खंड (५) में उल्लिखित, १४ दिन की अवधि की गणना किस प्रकार की जाय, इस पर विचार करना है। संविधान के भिन्न-भिन्न अनुच्छेदों में कालावधि, 'वित्तीय वर्ष', 'वर्ष', 'माह', 'सप्ताह', 'दिन' और 'घंटे' में दी हुई है? संविधान के अनुच्छेद ३६६ में परिभाषित पदावलियों के अतिरिक्त अनुच्छेद ३६७ के अनुसार जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस संविधान के निर्वचन के हेतु साधारण खण्ड अधिनियम, १८९७ किन्हीं ऐसे अनुकूलनों और परिवर्तनों के साथ, जैसा कि अनुच्छेद ३७२ के अधीन उसमें किए जायं, वैसे ही लागू होगा जैसे कि वह भारत डोमिनियन के विधान मण्डल के अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू है। साधारण खण्ड अधिनियम, १८९७ के खण्ड (३) में 'वित्तीय वर्ष', 'माह' और 'वर्ष' को परिभाषित किया गया है इसलिये जब तक कि संविधान के उपबन्धों में प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इनकी परिभाषा उक्त साधारण खण्ड अधिनियम में दी हुई परिभाषा के अनुसार ही की जाएगी। उक्त खण्ड में 'दिन' की परिभाषा नहीं दी गयी है। अतएव, निर्वचन के सामान्य सिद्धांत के अनुसार 'दिन' का तात्पर्य जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके सामान्य अर्थों में लिया जायगा। हैल्सबरीज लाज आफ इंग्लैण्ड (तृतीय संस्करण) में पृष्ठ ३०८ पर 'दिनों (days)' के सम्बन्ध में यह लिखा हुआ है —

"If used without any qualification, the term 'days' means consecutive days, including Sundays and holidays, unless there is a custom of the port to the contrary, or unless it is clear from the context that the parties intended a different meaning."

[श्री अध्यक्ष]

(शब्द 'दिन' यदि बिना किसी विशेषता सूचक शब्दों के प्रयोग किया जाय तो उसका अर्थ लगातार दिनों से होगा जिनमें रविवार तथा छुट्टियां सम्मिलित होंगी, जब तक कि पोर्ट का कोई परम्परा इसके प्रतिकूल न हो या जब तक प्रसंग में यह स्पष्ट न हो कि पक्षों द्वारा भिन्न अर्थ अभिप्रेत है)।

पी० रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित "दि ला डैक्शनरी आफ ब्रिटिश इण्डिया" के अनुसार :—

"In Matthews vs. Arthur 61, Kan. 455, the Court said—
"We have no doubt that the word 'days' when used in a statute which does not express a contrary definition, means consecutive days."

(मैथ्यु बनाम आर्थर ६१ कन्सास ४५५ के केस में न्यायालय ने यह कहा कि "हमें इसमें सन्देह नहीं है कि शब्द 'दिन' जब किसी संविधि में प्रयुक्त किया जाता है तो उसका मतलब लगातार दिनों से होता है जब तक उसकी कोई प्रतिकूल परिभाषा न दी हो)।

"WORDS AND PHRASES" Volume 11 के अनुसार

"days, with in constitutional provision relating to approval or veto of bills by Governor, meaning calendar days and not legislative days."

(सांविधानिक उपबन्ध के अन्तर्गत जो राज्यपाल की अनुमति या निषेधाधिकार से सम्बन्धित होता है शब्द 'दिन' का तात्पर्य पंचांग दिनों से है, विधायी दिनों से नहीं)।

उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि जब तक सम्बन्धित उपबन्ध में प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो या शब्द 'दिन' या 'दिनों' को किसी विशेषण विशेष से सहयुक्त न किया गया हो जिससे अर्थ भिन्न हो, 'दिनों' का तात्पर्य लगातार के हर दिनों से है।

इस सन्दर्भ में संविधान के कतिपय उपबन्धों को जहां दिनों में कालावधि का निर्धारण किया गया है, देखने की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद १०१ और १९० दोनों के खंड (४) में यथास्थिति संसद या विधान मण्डलों के सदनों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि यदि किसी सदन के सदस्य ६० दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहें तो सदन उनके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा। उक्त उपबन्धों के साथ यह प्रतिबन्ध भी जुड़ा हुआ है कि —

"परन्तु ६० दिन का उक्त कालावधि के संगणना में किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिसमें सदन सत्रावसित अथवा निरंतर ४ से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहे।"

उक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि यदि उक्त परन्तुक न जोड़ा जाता तो ६० दिन की गणना सामान्य अर्थों में ६० लगातार कैलेण्डर दिनों से की जाती और उसमें स्थगन या सत्रावसान की अवधि भी जोड़ी जाती। वर्तमान परन्तुक के अनुसार भी ४ दिन तथा के स्थगन को उक्त ६० दिन की अवधि में जोड़ने की व्यवस्था है। उक्त संदर्भ में यदि हम संसद में धन विधेयकों के सम्बन्ध में अनुच्छेद १०९ तथा विधान मण्डलों में धन विधेयकों के सम्बन्ध में अनुच्छेद १९८ को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि उक्त उपबन्धों में भी १४ दिन की अवधि की गणना में सत्रावसान की अवधि और स्थगन के दिनों को वर्जित करना अभिप्रेत है तो यहां भी उक्त अनुच्छेद १०१ तथा १९० के खंड (४) के उपबन्धों की भांति परन्तुक जोड़ कर ऐसे दिनों को

गणना में सम्मिलित न करने की व्यवस्था की जाती। इस प्रकार के प्रतिबन्ध न होने पर यदि उक्त १४ दिन की गणना में सत्रावसान के दिनों को तथा स्थगन के दिनों को नहीं जोड़ा जाता है तो उसके मायने यह होंगे कि संविधान के उक्त अनुच्छेद १०९ और ११८ में उसी प्रकार एक परन्तुक जोड़ा जा रहा है जिस प्रकार अनुच्छेद १०१ और १९० दोनों के खंड (४) में है, जो किसी भी निर्वचन के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं होगा।

उक्त संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद १२३ और २१३ को भी यदि देखा जाय तो आशय और अधिक स्पष्ट हो जाता है। उक्त अनुच्छेद १२३ और २१३ दोनों के खंड (२) में यह व्यवस्था है कि उक्त अनुच्छेदों के अन्तर्गत यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश संसद अथवा विधान मण्डल के पुनःसमवेत होने के ६ सप्ताह की समाप्ति पर ..... प्रवर्तन में न रहेगा। यह निर्विवाद है कि ६ सप्ताह की गणना में सदन के स्थगन के दिनों को वर्जित नहीं किया जाता बल्कि उसकी गणना लगातार कैलेण्डर दिनों के आधार पर ही की जाती है।

संविधान सभा की दिनांक २० मई, १९४९ की कार्यवाही के पृष्ठ १८४ पर संसद से संबंधित धन विधेयक की प्रक्रिया के संबंध में अनुच्छेद ८९ जो अब संविधान में अनुच्छेद १०९ के रूप में है, पहले प्रस्ताव ३० दिन का था, बाद में उसे २१ दिन किये जाने का प्रस्ताव किया गया, परन्तु अन्त में संशोधन द्वारा उसे १४ दिन कर दिया गया। इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करते हुए श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने जो कथन किया था, वह इस प्रकार है :—

"In actual practice the period of time invovled might not be even more than a week. Thirty days is intended as an outside limit. At the time some of us framed this amendment, we were a little shary of suggesting a lower time limit, than twenty-one days but now I believe that a fortnight or 14 days would be more than enough to cover all contingencies. If Dr. Ambedkar would agree and the House would give me leave I would like to substitute 14 days instead of 21 days, as the former period would be more than adequate for the purpose."

(वास्तविक व्यवहार में समय की अवधि जो अन्तर्ग्रस्त है एक सप्ताह से अधिक नहीं हो सकती है। ३० दिन एक बाह्य सीमा के रूप में अभिप्रेत है। हममें से कुछ ने इस संशोधन का प्रारंभ किया था तो हम २१ दिन से कम समय का सुझाव देने में थोड़ा सशंकित थे किन्तु अब मेरा विश्वास है कि एक पक्ष या १४ दिन सारी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यकता से अधिक है? यदि डा० अम्बेदकर सहमत हों और सदन मुझे अनुज्ञा दे तो २१ दिनों के स्थान पर १४ दिन प्रतिस्थापित करना चाहूंगा क्योंकि १४ दिन का समय आवश्यकता से अधिक होगा।)

डा० अम्बेदकर ने उक्त संशोधन को स्वीकार करते हुए यह कहा था कि—

"In the British Parliament the House of Lords merely concurs in the financial provisions passed by the House of Commons; it has completely abrogated itself so far as finance is concerned. We are here making a departure from that position and are allowing the upper Chamber to have some voice in the formulation of the taxation and financial proposals which have been initiated by the Lower House. As I said, we are conferring a privilege which ordinarily the Upper Chamber

[श्री अध्यक्ष]

does not possess. At the same time, we must bear in mind the budget is a very urgent matter. Even now, as the Members know, we do not give the Lower House more than six or eight days for the Finance Bill. It seems to me that to allow such a long period of thirty or even twenty one days would result in hanging up such an important matter for a considerable length of time. If the Upper House wants to express an opinion 14 days is a more than enough period."

(ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में हाउस आफ लार्ड्स हाउस आफ कामन्स द्वारा पारित वित्तीय प्राविधानों से सहमति मात्र प्रदान करता है। जहां तक वित्त का संबंध है, इसने अपने अधिकार को पूर्णतया त्याग दिया है। हम यहां इस स्थिति से थोड़ी भिन्न स्थिति रखना चाहते हैं और हम वित्तीय सदन को कराधान और वित्तीय प्रस्तावों में जो प्रथम सदन द्वारा आरम्भ किये जायं, कुछ कहने का अधिकार देना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा हम ऐसा विशेषाधिकार प्रदान कर रहे हैं जो साधारणतया द्वितीय सदनों को नहीं दिया जाता है। वहीं हमें यह बात भी ध्यान रखनी चाहिये कि बजट बहुत ही आवश्यक चीज है। अब भी जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, हम निचले सदन को वित्त विधेयक पारित करने के लिये ६ या ८ दिन से अधिक समय नहीं देते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत है कि यदि हम ३० या २१ दिन की लम्बी अवधि भी द्वितीय सदन को दें तो इसका परिणाम यह होगा कि महत्वपूर्ण विषय बहुत लम्बी अवधि के लिये रुके रहेंगे। यदि द्वितीय सदन कोई राय अभिव्यक्त करना चाहता है तो १४ दिन की अवधि का समय बहुत पर्याप्त है।)

संविधान सभा की कार्यवाही में दिये गये उपरोक्त उद्धरणों से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं की मन्शा १४ लगातार कैलेण्डर दिनों से अधिक का समय विधान परिषद् को धन विधेयक पर विचार के लिये दिये जाने का नहीं था। स्पष्टतः उनकी मन्शा १४ कैलेण्डर दिनों की ही थी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दूसरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से यह दिया जा सकता है कि उक्त १४ दिन की कालावधि की गणना लगातार १४ कैलेण्डर दिनों से की जानी है न कि उसमें से सत्रावसान के दिनों तथा स्थगन के दिनों को निकाल कर।

यह सही है कि इस प्रकार का प्रश्न सन् १९५८ में विधान सभा में उठा था और उस पर उपर्युक्त निर्वचन के विपरीत माननीय अध्यक्ष का निर्णय है। परन्तु अपना निर्णय देते हुए तत्कालीन अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में दी गई दो भिन्न-भिन्न रायों का उल्लेख करते हुए यह स्वीकार किया था कि—

> "इन दो मतों के शब्दार्थ की ओर केवल ध्यान देने से कैलेण्डर के अनुसार १४ दिन बीतने पर विधेयक पारित होना सही मालूम होता है।"

परन्तु उनका कहना यह था कि—

"यदि तर्क और न्याय की दृष्टि से देखा जाये तो १४ दिन वर्किंग दिन या बैठक के होने चाहिये, जिनके बीतने पर ही विधेयक पारित हुआ समझा जाना उचित होगा, क्योंकि यदि कोई सदन बीरोग हो जाये और उसे १४ दिन विचार करने के लिये न मिले तो उसका विचार करने का अधिकार ही नष्ट होता है, जो उचित नहीं प्रतीत होगा।"

माननीय अध्यक्ष के समक्ष दो धन विधेयकों का प्रश्न उपस्थित था और उन्होंने अपने उक्त तर्क के आधार पर आगे चलकर यह कहा कि—

"इसलिये मैंने इन दोनों अर्थ विधेयकों के सम्बन्ध में यही उचित समझा कि जिस मत के अनुसरण से अधिनियमों के अवैध होने का खतरा न हो, उसी मत का पालन किया जाय और मेरी समझ से १४ वर्किंग डेज दूसरे सदन को मिलने चाहिये।"

इससे यह आशय प्रतीत होता है कि माननीय अध्यक्ष का उक्त निर्णय केवल तत्समय प्रश्नगत दो धन विधेयकों के सम्बन्ध में था और वे इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता समझते थे, क्योंकि यह उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय के बाद ही यह प्रश्न इस सचिवालय द्वारा माननीय अध्यक्ष के आदेश से पीठासीन अधिकारियों के दार्जिलिंग में हुए दिनांक ८ से १० अक्तूबर, १९५८ के सम्मेलन में ले जाया गया था और उसमें उस पर विचार भी हुआ था। संविधान के अनुच्छेद १९७ और १९८ के उपबन्धों का विश्लेषण करते हुए सम्मेलन के सभापति ने सम्मेलन की आम राय को इस प्रकार अभिव्यक्त किया था :—

"The answer to this question is that adjournment or proroation of the House will have no effect on the running of the said period of 14 days. Even if on the date of its receipt in the Council, the house is not in session, the period will be calculated from the date of its receipt in the Secretariat of the Council and not from the date when the house meets."

(इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सदन के स्थगन या सत्रावसान से इन १४ दिनों की अवधि की गिनती पर कोई असर नहीं होगा। विधेयक की प्राप्ति की तिथि पर, यदि परिषद् सत्र में न हो, तब भी यह अवधि परिषद् के सचिवालय में प्राप्ति की दिनांक से गिनी जायगी न कि जब परिषद् समवेत हो।)

आगे चलकर अनुच्छेद १०१(४) तथा अनुच्छेद १९०(४) के उपबन्धों का, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, विश्लेषण करते हुए तथा उन तर्कों का, जो विधान परिषद् को उस पर विचार करने के लिये समुचित अवसर देने के सम्बन्ध में उठाये गये थे, उत्तर देते हुए सम्मेलन के सभापति ने जो सलाह दी थी, वह इस प्रकार है :—

"The advice that I would give to the Speakers of all the Assemblies is that whenever they think that an opportunity should be given to the Upper house to discuss a matter and if the house is not in Session, they need not legislate the matter hurriedly and transmit it to them. The other problem is when the house is in session and there is only one day left, the Chief Minister might suddenly ask the Governor to prorogue the house. In such cases I would say that the Speaker must get more and more in touch with the Governor and develop a convention that if a Bill has been transmited to the Upper house, it should not be prorogued before the expiration of those 14 days."

(मैं तमाम विधान सभाओं के अध्यक्षों को जो परामर्श दूंगा वह यह है कि जब कभी वे यह आवश्यक समझें कि द्वितीय सदन को किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाय और इस समय यदि वह सदन सत्र में न हो तो वे उस विषय पर विधान निर्माण करने में और उस विधान को परिषद् पहुंचाने में शीघ्रता न करें। दूसरी समस्या यह है कि जब सदन सत्र में हो और केवल एक दिन शेष रह जाय तो मुख्य मंत्री सहसा राज्यपाल से सदन को सत्राव-

[श्री अध्यक्ष]

सित करने का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे मामलों में मैं कहूंगा कि अध्यक्ष अधिकाधिक गवर्नर से सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी प्रथा डाले कि ये यदि कोई विधेयक द्वितीय सदन में भेज दिया गया है तो उस सदन की १४ दिन की समाप्ति से पहले सत्रावसित न किया जाय।)

सम्मेलन मे व्यक्त की गई उपरोक्त आम राय से भी इस निर्बचन की पुष्टि होती कि १४ दिनों की गणना में लगातार कैलेन्डर के दिन सम्मलित हैं और उसमें से सत्रावसान के दिन तथा स्थगन के दिन निकालना अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं संविधान के उपबन्धों पर विचार करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संविधान के अनुच्छेद १९८ के खंड (२) और खंड (५) में क्रमशः प्रयुक्त शब्दावली "धन विधेयक विधान परिषद् की उसकी सिफारिश के लिये पहुंचाया जायेगा तथा विधान परिषद् विधेयक की प्राप्ति की तारीख से १४ दिन की कालावधि के भीतर" और "धन विधेयक उक्त १४ दिन की कालावधि के भीतर विधान सभा को लौटाया नहीं जाता है।" मैं विधेयक की प्राप्ति की तारीख का तात्पर्य विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्ति की तारीख से है और "१४ दिन की कालावधि के भीतर" का तात्पर्य प्राप्ति की तारीख से १४ कैलेण्डर दिनों से है और उसकी गणना में विधान परिषद् की बैठकों का स्थगन या उसका सत्रावसान सम्मिलित किया जायगा।

यहां पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि यदि ऐसे १४ दिनों की अवधि की समाप्ति पर धन विधेयक वापस प्राप्त नहीं होता है तो क्या विधान सभा के लिये ऐसी कोई बाध्यता है कि वह ऐसे धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझकर जिसमें विधान सभा ने उसको पारित किया था, अनुच्छेद २०० के अनुसार श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये उसको भेज दें? इस प्रश्न पर निर्णय के लिये यह देखना होगा कि अनुच्छेद १९८ के खंड (५) में प्रयुक्त शब्द "वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा," अनिवार्य (मैण्डेटरी) है अथवा निदेशात्मक (डाइरेक्टरी) है। अंग्रेजी में शब्द "It shall be deemed to have been passed" प्रयुक्त हुआ है। अनुच्छेद १९८ धन विधेयकों के सबन्ध में विशेष प्रक्रिया का उपबन्ध करता है। उच्चतम न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों ने संविधान के कतिपय अनुच्छेदों में शब्द "Shall" का प्रयोग होने पर भी उसे निदेशात्मक माना है। किस स्थिति में शब्द "Shall" को मैण्डेटरी तथा किस स्थिति में उसको डाइरेक्टरी समझा जायेगा, इसके लिये कुछ सिद्धान्त भी न्यायालयों द्वारा निष्पादित किये गये हैं। इन पर विचार करने पर प्रदर्शन में जो मत बनता है उसके अनुसार अनुच्छेद १९८ के खंड (५) में 'जायेगा' या 'Shall" का प्रयोग डाइरेक्टरी प्रतीत होता है, परन्तु इस सम्बन्ध मे मैं अपनी कोई अन्तिम राय व्यक्त नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न अभी उठता नहीं है। मेरे द्वारा दिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार प्रश्नगत उक्त विधेयक को, जो ११ फरवरी, १९७५ को विधान परिषद् को पहुंचाया गया था, २५ फरवरी, १९७५ तक इस सदन को वापस प्राप्त हो जाना चाहिये था, परन्तु वह २८ फरवरी, १९७५ को विधान परिषद् द्वारा पारित होकर दिनांक १ मार्च, १९७५ को इस सदन के सचिवालय को वापस प्राप्त हुआ। इस प्रकार इससे पूर्व कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेकर इस विधेयक को अनुच्छेद १९८ के खंड (५) के अन्तर्गत दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मानकर जिस रूप मे वह विधान सभा से पारित हुआ था, श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये प्रस्तुत किया जाता, वह विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के वापस प्राप्त हो गया।

अतएव उसके सम्बन्ध में उसके बाद अनुच्छेद १९८ के खंड (५) के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कोई अर्थ नहीं होता। इसके अतिरिक्त सन् १९५८ में इस अध्यक्षासन से दिया गया निर्णय, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, के अनुसार गणना से १४ दिन की कालावधि भी समाप्त हुयी नहीं कही जा सकती थी।

इस सम्बन्ध में दिनांक १ अगस्त, १९५५ को लोक सभा में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा कही गयी इस बात की ओर भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं—

"I was going to say that in future, Government should take care to so arrange its programme when the other house is not in session that a contingency of this type might not arise. The Secretary of the house is bound to transmit the Bill as soon as it is passed and is ready, unless he has directions from me to the contrary. I do not want to intervene and give direction every time but this time all have been taken unawares and so I thought I should give the direction and apprise the house of the situation. (Lok Sabha Debates, Volume V, 1955, 25th July to 13th August, 1955, page 8952-53)

(मैं यह कहना चाह रहा था कि भविष्य में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि वह अपना कार्यक्रम इस प्रकार व्यवस्थित करें कि जब दूसरा सदन सत्र में न हो तो विधेयक को उसे न भेजा जाय जिससे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो। सदन का सचिव इस बात के लिये बाध्य है कि जैसे ही विधेयक पारित हो जाय और तैयार हो वह विधेयक को दूसरे सदन को संक्रमित कर दे, जब तक उसे अन्यथा निदेश न दिया जाय। मैं ऐसे मामले में प्रत्येक समय कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं और न कोई निदेश देना चाहता हूं किन्तु इस मर्तबा यह एक अप्रत्याशित घटना हुई, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं था इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि इस पर मैं निदेश दे दूं और सदन को इस स्थिति से अवगत करा दूं। लोक सभा कार्यवाही खंड ५, १९५५, २५ जुलाई से १३ अगस्त, १९५५, पृष्ठ ८९५२–५३)

लोक सभा के मा० अध्यक्ष के उपर्युक्त मत से सहमत होते हुए मैं शासन से यह अपेक्षा करूंगा कि वह धन विधेयक के कार्यक्रम को इस प्रकार व्यवस्थित और सुनिश्चित करें कि वह एक सदन से पारित होने के पश्चात् दूसरे सदन से १४ कैलेण्डर दिनों के भीतर ही सिफारिश सहित वापस प्राप्त हो जाय और इस प्रकार की कठिनाई भविष्य में उत्पन्न न हो।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब बहुत हो गया। फिर किसी दूसरे दिन।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

अगर व्यवस्था के प्रश्नों को इस तरह से टाल देंगे तो कैसे होगा।

मैं आपके समक्ष नियम ६५ पढ़ना चाहता हूं . . . . . .

श्री अध्यक्ष--

नियम ५६ हो जाय तभी आप अपनी बात कहें। उसको दूसरी सूचना के साथ हम नहीं सुनेंगे। एक मर्तबा पहले हम नियम ५६ में सुनें और बाद में नियम ५१ में सुनें, यह बात नहीं होगी।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरा तो व्यवस्था का प्रश्न है। पहले आप सुन तो लें फिर आप जो चाहें निर्णय दे दें।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, आज इस प्रदेश के करोड़ों लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश पर प्राणघातक हमले के कारण चिन्तित हैं। कृपया इस महत्वपूर्ण विषय पर आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लें.....

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न कब उठाया जाना चाहिये? यह तब उठाया जाना चाहिये जब कोई प्रश्न इस सदन के समक्ष हो, लेकिन इस समय तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं तो उसी समय उठा रहा था, लेकिन आप खड़े हुये थे और अब तक वह प्रश्न बना हुआ है। इसलिये आप मेरी बात को सुन लें।

श्री शत द्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, क्या आपने सभी कार्यस्थगन के प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया, लेकिन बनारस में तो ला एण्ड आर्डर बिलकुल ही नहीं रह गया है। वहां पर एस० पी० ने धमकी दी है कि अगर वह अनशन नहीं तोड़ेंगे..... (व्यवधान)..... आप इस पर सरकार का आश्वासन ही दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन के सम्बन्ध में यह बात न कहें। नियम ५१ में भी तो है.....

श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न बना हुआ है, उसे इस प्रकार रूल आउट न करें, यह अनुचित होगा।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, आजमगढ़ में एक हफ्ते से बिजली ठप हो गई है।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह निवेदन कर रहा था हम इस पर बोलने का मौका देंगे और नियम ५१ में देंगे। अगर इसी वक्त आप बोलें, तो हम खारिज कर देंगे। एक मर्तबा हम नियम ५६ में सुनें और वही बात नियम ५१ में सुनें। इसलिये दोनों में से जो आवश्यक होगा, उसको हम स्वीकार कर लेंगे।

(श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने पर तथा बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि अगर इस तरह से सभी खड़े हो जायेंगे और आप अपने सदस्यों को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

नियम ५६ में मैंने दिया है और ५१ में नहीं दिया है तो उस सम्बन्ध में आप क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस समय सवालों का उत्तर देने का समय नहीं है। जो पहले से दो प्रश्न स्वीकृत हैं उन पर पहले वक्तव्य होना है और मैंने चिनहट पर वक्तव्य देने के लिये राजस्व मंत्री को बुला भी लिया है। एक दफा उसको टाल भी दिया गया था और आज सोमवार के लिये उसे रखा गया है ।

श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं विशेषाधिकार के प्रश्न को अस्वीकार कर चुका। जो व्यवस्था देनी थी उसे दे चुका। अब आपका किस बात पर व्यवस्था का प्रश्न है ? मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव—

पहले व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें। बिना सुने ही आप उसे रूल आउट कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कोई प्रश्न है ही नहीं तो मैं क्या सुनूं ? क्या ओम प्रकाश श्रीवास्तव का यह व्यवस्था का प्रश्न है कि राजस्व मंत्री को वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मैंने पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। बाद में आपने उनको बुलाया है।

श्री अध्यक्ष—

आप बिलकुल अव्यवस्थित हैं। आप बैठें। अब मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान-शोरगुल)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जिस तरह से आप डाटते हैं, मेरा नम्र निवेदन है कि यह स्पीकर की गरिमा के अनुकूल आचरण नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अव्यवस्था कर रहे हैं और राजस्व मंत्री को अपना वक्तव्य देने से रोक रहे हैं। आप दिन भर के लिये बाहर चले जायं ।

(श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव सदन से चले गये।)

[श्री अध्यक्ष]

(श्री राम अधार के खड़े होने पर)

आप बैठें वर्ना आपको भी निकालना होगा ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने तथा बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

इनका नहीं लिखा जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

राजस्व मंत्री का वक्तव्य. . . . . (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

सारी परीक्षायें हो रही हैं . . . . . .

श्री अध्यक्ष--

यह सब नियम ५१ में आयेगा ।

चिनहट, लखनऊ की सरकारी भूमि पर सरकारी अफसरों व नेताओं द्वारा तथा कथित अवैधानिक कब्जे के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

ग्राम चिनहट, परगना तहसील व जिला लखनऊ का कुल क्षेत्रफल ९७१ बीघा १३ बिस्वा १५ विस्वांसी है। इसमें से ९४० बीघा १९ बिस्वा ९ विस्वांसी रकबे पर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू है। शेष ३० बीघे १४ बिस्वा ५ विस्वांसी रकबा सरकारी सड़कों के रूप में है जिस पर जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं है।

२--इस गांव में चकबन्दी क्रियायें नवम्बर, १९६२ में प्रारम्भ हुई थीं और जोत चकबन्दी अधिनियम धारा ५२ के अन्तर्गत इस गांव की विज्ञप्ति दिनांक ६-११-६५ द्वारा क्रियायें समाप्त हुईं। चकबन्दी के पश्चात् ग्राम के उस भूमि का विवरण नीचे दिया जा रहा है जिसमें जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू है :--

(१) भूमिधारी खाती के अन्तर्गत	३१५ बीघा	१५ बिस्वा	१३ विस्वांसी
(२) सीरदारी खाती के अन्तर्गत	३७५ बीघा	१७ बिस्वा	९ विस्वांसी
(३) गांव सभा में निहित क्षेत्रफल	२४९ बीघा	६ बिस्वा	७ विस्वांसी
	९४० बीघा	१९ बिस्वा	९ विस्वांसी

३--गांव सभा की भूमि पर ९५ व्यक्तियों का अनधिकृत कब्जा इस समय है। इसमें से २९ व्यक्तियों के विरुद्ध उ० प्र० भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के नियम ११५(ख) के अन्तर्गत कार्यवाही तहसीलदार, लखनऊ के न्यायालय में चल रही है। श्रीमती राम दुलारी, पत्नी श्री मिही लाल हरिजन ने १८ विस्वांसी भूमि पर अपनी आबादी बना ली है परन्तु भूमि प्रबन्धक समिति ने इस भूमि के आवंटन हेतु प्रस्ताव पास कर परगनाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव भेज दिया है। इस पर परगनाधिकारी की स्वीकृति भी हो

गयी है। शेष ६५ अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध अभी कार्यवाही होनी है। अभी हाल ही में लेखपाल ने पड़ताल समाप्त की है इसलिये पहले कार्यवाही नहीं हो सकी। उपरोक्त ९५ व्यक्तियों ने १७ बीघा ७ बिस्वा १४ बिस्वांसी पर अनधिकृत कब्जा किया है। इसमें से ७६ व्यक्तियों ने गांव सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा खेती के लिये किया है और शेष १९व्यक्तियों ने आकृषक कार्य के लिये अनधिकृत रूप से भूमि का उपयोग किया है। जिनकी सूची सदन के पटल पर रखी है।

४—उपरोक्त अनधिकृत कब्जों के अतिरिक्त १८ व्यक्तियों ने पूर्व में गांव सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया था। इनकी बेदखली हो चुकी है। इन्होंने फिर भूमि पर अनधिकृत कब्जा नहीं किया है। इनसे जुर्माने की वसूली की कार्यवाही चल रही है।

५—यह उल्लेखनीय है कि गांव सभा की भूमि पर किसी भी सरकारी अधिकारी अथवा नेता का अनधिकृत कब्जा नहीं है। पर्यटन विभाग के चौकीदार, श्री मिही लाल की स्त्री, श्रीमती राम दुलारी ने गांव सभा की १८ बिस्वांसी भूमि पर अपना मकान बना लिया था। परन्तु इस भूमि का आवंटन जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, परगनाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। यही एक अनधिकृत कब्जा एक सरकारी कर्मचारी की स्त्री द्वारा किया गया था और उसका भी नियमीकरण हो गया है क्योंकि वह हरिजन वर्ग की थी और १६ वर्ष से इसी गांव में रह रही थी। उसकी आवश्यकता उचित समझते हुये परगनाधिकारी ने मंजूरी दी है।

अनधिकृत कब्जे (ग्राम चिनहट)

क्रम सं०	नाम अनधिकृत कब्जेदार	भूमि का प्रकार	खसरा नं०	क्षेत्रफल	किस प्रकार के कब्जे हैं		अनधिकृत कब्जे के प्रति कृत कार्यवाही व प्रगति	विवरण
					कृषि हेतु	आबादी या दुकान		
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	सय्यद हामिद हुसेन असलम रिजवी पुत्र अहमद हुसेन मि० चौपटिया, लखनऊ	बंजर	६	०—११—०	कृषि	..	११५ डी० की रिपोर्ट ३१२-७३ ओहर प्रसाद के नाम से हुई। अब कब्जा हामिद हुसेन का है, आदेश नहीं आया।	

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२	ईश्वरदीन पुत्र भागू ग्राम नि०	नाली	१६ स०	०–१–१	कृषि	..	..	
३	ठाकुरदीन पुत्र बाबू ग्रा० नि०	नाली चकरोड	१७/१ १९	०–०–५ ०–२–१२	कृषि	..	..	
४	प्राग नारायन पुत्र रामसहाय ग्रा० नि०	बंजर नाली	८१ २३/१ सं०	०–४–० ०–०–१७	कृषि	..	११५ डी० की रिपोर्ट ३-१२-७३ में हरप्रसाद के नाम ८१ नं० में की गई। कोई आदेश प्राप्त नहीं है। अब कब्जा ०–४–० में केवल प्रागनारायन का है।	
५	भगौती पुत्र शत्रोहन पुत्र ईश्वरदीन ग्रा० नि०	चकरोड नाली चकरोड	५४ सं० २३/१ सं० ४४ सं०	०–१–७ ०–०–३ ०–०–१५	.. कृषि ..	.. ..	..	
६	भगवानदीन पुत्र कीढी ग्रा० नि०	नई परती	३७ ३८	०–१–१० ०–३–००	पेड़ लगे हैं	..	११५डी२६-७-७२आदेश में दखली का अमल दरामद हो चुका दिनांक ३१-७-७४।	
७	सकटू पु० द्वारिका ग्रा० नि०	चकरोड	४९ सं०	०–१–०	कृषि	..	..	
८	छोटे लाल पुत्र डीगुर ग्रा०नि०	चकरोड	४९ सं०	०–१–७	कृषि	..	..	

अवध प्रदेश विधान सभा

९	गया प्रसाद पुत्र जंगली ग्रा० नि०	चकरोड	४९ सं०	०–१–०	कृषि	..	..
१०	घासू पुत्र जगन ग्रा० नि०	चकरोड	५४ सं०	०–१–०	कृषि	..	..
			६०	०–२–१२	,,		
११	श्रीकृष्ण पुत्र जगन ग्रा० नि०	चकरोड	५८	०–१–९	कृषि	..	..
१२	कृष्ण कुमार बनराय पुत्र ज्ञान चन्द्र ग्रा० नि०	तालाब	६७ सं०	०–०–१६	कृषि	..	..
		बंजर	३३१	०–६–०	कृषि	..	..
		तालाब	८१७ सं०	०–१५–०	..	..	..
		तालाब	८१९ सं०	१–०–०	कृषि	..	भूखंड ३३१ में पानी ४ में विस्वाना के नाम दर्ज था जिसकी १.५ सी की रिपोर्ट ३–१२–७३ को हुई। ३०–११–७४ को बेदखली का अमलदरामद हुआ।
		तालाब	८२०	०–१५–०	कृषि	..	
		तालाब	८२१	०–५–०	[illegible]	..	
१३	राम प्रकाश पुत्र राम स्वरूप निवासी, लखनऊ	नई परती	७२ सं०	०–३–१५	..	मकानों का शदरत	रिपोर्ट ११५डी २६–७–७२ को हुई। बेदखली का अमलदरामद ३०–४–७४ को हुआ।
१४	छेदा पुत्र बकरीदी ग्रा० नि०	,,	९६	०–१–४	..	आबादी	रिपोर्ट ११५डी ३–१२–७३ न्यायालय में विचाराधीन।

अविधान विधान

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१५	जीवन पुत्र छोटेलाल ग्रा० नि० (श्री सीताराम प्रधान के भाई हैं)	नई परती	१०५ सं०	०–२–०	..	कारखाना पाटरी	..	
१६	पंचायत उद्योग चिनहट	,,	१०५ सं०	०–८–१६	..	..		
			१०७	०–०–१५	..	..		
१७	छोटे लाल पुत्र उल्ला ग्रा० नि० नया मार्ग		१०८	०–१–०	..	पानी हौज		
			१३१ सं०	०–३–०	कृषि	..	..	
१८	विहारी पुत्र बटोही ग्रा० नि०	चकरोड	११४ सं०	०–२–०	,,	..	..	
१९	भगवान दीन पुत्र द्वारिका ग्राम नि०	,,	११४ सं०	०–२–०	,,	..	..	
२०	बहराइची पुत्र अकबर अली ग्रा० नि०	चकरोड	११४ सं०	०–०–११	,,	..	..	
२१	बहादुर पुत्र छेदी ग्रा० नि०	,,	११४ सं०	०–०–११	,,	..	..	
२२	अब्दुल खालिक पुत्र मो० बक्श ग्रा० नि०	तालाब	१२२	०–९–०	,,	..	..	
२३	बाबू लाल पुत्र मातादीन ग्रा० नि०	नाली चकमार्ग	१२९ सं०	०–०–१०	,,	..	..	
		चकमार्ग	१३१ सं०	०–१–०	,,	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२४	बचनू पुत्र पंचम ग्रा० नि०	चक मार्ग	१३१ सं०	0–१–0	कृषि	..	..
		मन्दिर भूमि	१३४	0–३–0	..	..	..
		चकरोड	१५१	0–0–१९	कृषि	..	..
			१५३	0–१–७	..	..	..
२५	श्याम लाल पुत्र कल्लू ग्रा० नि०	बंजर	१४६	0–२–0	..	सुअरबाड़ा	रिपोर्ट ११५डी ३–१२–७३ को हुई। बेदखली के अमलदरामद १०–११–७४ को हुए।
२६	श्रीमती हरबंश कौर पत्नी दरियावा सिंह, नि० पेपर मिल कालोनी, लखनऊ	चकरोड	१४९	0–१–११	कृषि	..	..
२७	फुरसत पुत्र सूरजबली ग्रा० नि०	चकरोड	१५९ सं०	0–0–१७	कृषि	..	..
२८	भगवानदीन पुत्र ख्याली, नि० रहमानपुर	तालाब	१६० सं०	0–३–0	कृषि	..	..
२९	बिहारी पुत्र मोहन ग्रा० नि०	चकरोड	१६३ सं०	0–२–0	कृषि	..	रिपोर्ट ११५डी २–१२–७३ को हुई। कार्यालय में विचाराधीन।
३०	भगवानदीन पुत्र के सरी ग्रा० नि०	चकरोड	१६३ सं०	0–१–0	कृषि	..	रिपोर्ट ११५डी३–१२–७३ को हुई, न्यायालय में विचाराधीन।
३१	नेड़ी लाल पुत्र रामअवीन ग्रा० नि०	चकरोड	१७२ सं०	0–0–१0	कृषि	..	..
			१७८	0–0–१३		..	..
३२	दोलत पुत्र शेदा ग्रा० नि०	चकरोड	१७२ सं०	0–0–१0			
			१८६ सं०	0–0–१३	कृषि	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३३	मातादीन पुत्र छेदा ग्रा० नि०	चकरोड	१७२ सं०	०–०–१०	कृषि			
			१७८ सं०	०–०–१३	,,	..	..	
३४	गरीबे पुत्र छेदा ग्रा० नि०	चकरोड	१७२ सं०	०–०–१०				
			१७८ सं०	०–०–१३	,,	..	,,	
३५	रतनू पुत्र छेदा ग्रा० नि०	चकरोड	१७२ सं०	०–०–१०				
			१७८ सं०	०–०–१६	कृषि	..	..	
			१८२ सं०	०–०–७				
३६	मोहम्मद इब्राहीम पुत्र सादत-अली ग्रा० नि०	चकरोड	१८३ सं०	०–०–७	कृषि	..	..	
			१८१/८६९	०–०–१२	..			
		रास्ता	२१६	०–०–१५	..	..	..	
३७	परसादी पुत्र सीताराम ग्रा० नि०	खादरोड	१८६	०–१–१	कृषि	..	..	
३८	रामचरन पुत्र सरजू ग्रा० नि०	नई परती	१८७	०–२–१४	कृषि	..	..	
३९	हरीचमन पुत्र पांचू ग्रा० नि०	तालाब	१९६ सं०	०–१–०	..	आबादी	..	
४०	छेदा पुत्र पांचू ग्रा० नि०	तालाब	१९६ सं०	०–१–०	कृषि	..	..	
४१	रामकृष्ण पुत्र दुर्गा ग्रा० नि०	तालाब	२१२ सं०	०–४–०	कृषि	..	..	

अवैध विधान सभा

४२	शकील खड़खड़ा वाला ग्रा० नि०	तालाब	२२२	०–१–०	..	मकान	
४३	भागू पुत्र मोलहे ग्रा० नि०	चकरोड	२४० सं०	०–१–०	कृषि	..	..
			२४३ सं०	०–०–१३			
४४	खगाना पत्नी नान्हू, ग्रा० नि०	चकरोड	२४० सं०	०–१–०	कृषि	..	..
४५	प्यारा पत्नी जगन्नाथ ग्रा० नि०	चकरोड	२४८ सं०	०–०–१७	कृषि	..	..
			२५० सं०	०–१–०			
४६	देवतादीन पुत्र मथुरा ग्रा० नि०	चकरोड	२५० सं०	०–१–०	कृषि	..	..
४७	मोहन पुत्र रामगुलाम ग्रा० नि०	नई परती	२५१ सं०	०–१–०	कृषि	..	..
४८	त्रिलोकी पुत्र चेतराम ग्रा० नि०	चकरोड	२५६ सं०	०–३–०	कृषि		..
			२६६ सं०	०–१–१०	कृषि	..	..
		बंजर	४१४	०–२–०	कृषि	..	..
			४१५	०–१–०	कृषि	..	..
४९	बाबूलाल पुत्र दुलारे ग्रा० नि०	नई परती	२६१	०–५–१४	कृषि	..	..
		चकरोड	५४० सं०	०–२–०	कृषि	..	..
५०	श्यामलाल पुत्र कन्हई ग्रा० नि०	नाली	२६४	०–१–६	कृषि	..	..
		चकरोड	२६६ सं०	०–१–१०	..	..	..
५१	जगन्नाथ पुत्र रामप्रसाद ग्रा० नि०	बंजर	३०७ सं०	०–०–४	..	कोटी मु०	..
५२	रूपनरायन पुत्र कन्हई ग्रा० नि०	नाली	३२०	०–०–१९	कृषि	..	..
५३	हबीब पुत्र फजल ग्रा० नि०	आबादी पु०	३७५	०–४–१०	,,	..	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८	९
५४	छोटे लाल पुत्र सरजू ग्रा० नि०	नई परती	३३०	०–२–०	कृषि	..	रिपोर्ट ११५डी २६–७–७२ की गई अमल दरामद बेदखली ३०–४–७४ को किया गया।	
५५	परसादी पुत्र गिरधारी ग्रा० नि०	नई परती नई परती खाद गड्ढे	३८१ ३८२ ३८३	०–२–० ०–२–० ०–३–०	.. कृषि ..	.. .. ..	रिपोर्ट मू-खण्ड २८१,३८२ की ११५ की रिपोर्ट दिनांक ३–१२–७३ को की गई, बेदखली का अमल दरामद १०-७-७४ को किया गया।	
५६	शहजाद पुत्र ग्रा० नि०	तालाब	३८५	०–१–०	..	मकान	..	
५७	हाशिम पुत्र ग्रा० नि०	तालाब	३८५	०–१–०	..	मकान	..	
५८	केशव पुत्र कन्हई ग्रा नि०	चकरोड	४२४	०–१–७	कृषि	..	..	
५९	प्यारे पुत्र ग्रा० नि०	तालाब	४४२	०–१२–०	माफ सिवाड़ा	..	..	
६०	नुरुद्दीन पुत्र मुनारे हसन ग्रा० नि०	नाली	४६५	०–२–०	कृषि	..	..	
६१	बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल ग्रा० नि०	नई परती ग्राम समाज	४७९ ४८०	०–५–० ०–१–०	कृषि	..	..	
६२	राधे पुत्र गुरुचरन ग्रा० नि०	ग्राम समाज	४७८ सं०	०–४–४२	कृषि	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

६३	परमेश्वर पुत्र भोला ग्रा0 नि0	ग्राम समाज	४८० सं0	०–३–०	कृ	..	..
६४	महादेव पुत्र बल्लू ग्रा0नि0	चकरोड	४८४ सं0	०–०–८	कृषि	..	..
६५	मोहम्मद पुत्र सलर ग्रा0नि0	तालाब	४९० सं0	०–९–१०	कृषि	..	..
६६	सबिया खातून पत्नी बसीरुद्दीन, लखनऊ	बमर तालाब	४८०/८७३ ४९१ सं0	०–३–० ०–५–०	कृषि कृषि	.. ..	रिपोर्ट ११५ डी ३–१२–७३ को हुई न्यायालय में विचाराधीन।
६७	महेश प्रसाद पुत्र राम स्वरूप ग्रा0 नि0	तालाब	४९२ सं0	०–२–०	..	आबादी	रिपोर्ट ३-१२-७३ न्यायालय में विचाराधीन।
६८	शमीम अहमद पुत्र अली अहमद ग्रा0 नि0	तालाब	४९२ सं0	०–४–०	कृषि	..	रिपोर्ट ११५ सी ३–१२–७३ न्यायालय में विचाराधीन।
६९	इसरार अहमद पुत्र ग्रा0 नि0	तालाब	४९२ सं0	०–१–०	कृषि	..	रिपोर्ट १५५ डी ३–१२–७३ पर आदेश बेदखली १०-६-७४ की आदेश पढ़ाया गया कब्जा नही छोड़ा।
७०	मो0 फारूख पुत्र मो0 कमार ग्रा0 नि0	तालाब	४९२ सं0	०–१–०	कृषि	..	
७१	छेदा पुत्र खेमई ग्रा0नि0	नई परती	५२७	०–१६–१७	कृषि	..	रिपोर्ट ११५ डी २६–७–७२ पर बेदखली का आदेश हुआ, ३०-४-७४ को अमल दरामद हुआ।
७२	सीताराम पुत्र विशनू नि0ग्राम	चकरोड	५३१ सं०	०–१–०	कृषि	..	..
७३	लल्लू प्रसाद पुत्र देवीदीन	चकरोड	५३१ सं०	०–१–०	कृषि	–	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८	९
७४	भगवानदीन पुत्र	नि०ग्राम	तालाब	५३८सं०	०–१–०	–	–	
७५	अब्दुल लतीफ पुत्र मूल बन्दे	नि०ग्राम	चकरोड	५६५सं०	०–१–०	–	–	
७६	नरायन पुत्र थौधरी	नि०ग्राम	,,	५८१सं०	०–०–१०		–	११५० की रिपोर्ट दिनांक ३-१२-७३ को हुई विचाराधीन है।
७७	शंकर पुत्र दुर्गा	,,	,,	५८१सं०	०–०–१५		–	११५० की रिपोर्ट ३-१२-७३ को हुई बेदखली के आदेश करा अमलदरामद ३०४/७४ का लिखा गया।
७८	रामदीन पुत्र चौधरी	,,	,,	५८१सं०	०–०–१५	–	–	११५० की रिपोर्ट ३-१२-७३ न्यायालय में विचाराधीन है।
७९	टुन्नू पुत्र सोने	,,	,,	५८३सं०	०–०–१०	–	–	रिपोर्ट ११५०, दिनांक ३-१२-७३ को हुई न्यायालय में विचाराधीन है।
८०	विशनू शरण पुत्र रेवतीसरन	,,	,,	५८३सं०	०–०–१०		–	रिपोर्ट ११५०, दिनांक ३-१२-७३ को हुई न्यायालय में विचाराधीन है।

अमर उदेश्य विधान सभा

८१	मोहन पुत्र सोने नि० ग्राम	,,	,,	५८३सं०	०—०—१०	,,		रिपोर्ट ११५० दिनांक ३-१२-७३ को हुई बेदखली के आदेश के अमल दरामद १०-७-७४ को लिखे।
८२	नूरउद्दीन अशरफ पुत्र मुनीरहसन	,,	बंजर	६११सं०	०—५—०	,,	पेड़ लगे हैं	११५० की रिपोर्ट ३-१२-७३ में हुई बदखली के आदेश का अमल दरामद १०-११-७४ में हुआ।
८३	इशवरी पुत्र उल्ला नि० ग्राम	,,	पल्टी	६१८सं०	०—२—५	कृषि	—	११५० की रिपोर्ट दिनांक ३-१२-७४ को नीची न्याय-लय में विचाराधीन है।
			चकरोड	६१९सं०	०—३—०	,,		
८४	रतन, पुत्र लालता नि० ग्राम	,,	,,	६२५सं०	०—६—६	,,		११५० दिनांक ३-१२-७३ रिपोर्ट हुई बेदखली के आदेश १०-११-७४ में लिखें।
८५	गंगादीन पुत्र राम प्रसाद नि० ग्राम	,,	स्वताव चुर्क	६३३	०—०—३	—	झोपड़ी	..
८६	डा० जगदम्बा प्रसाद पुत्र प्रताप बहादुर, नि० १० अलीक भवन, लखनऊ	—	बंजर	६३४सं०	०—३—०	—	हाता घिरा है	रिपोर्ट ११५० दिनांक १-९-७३ कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए। रकबा, ३ बन्दोबस्त में दर्ज है। मौके पर ६ रकबा है।
			बंजर	६३६सं०	०—१०—०	,,		
				६३७सं०	०—३—०			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८	९
८७	श्रीमती रामदुलारी पत्नी मिही लाल नि० हरिजन	बंजर	६३५सं०	०–०–१८	–	आबादी हरिजन	दिनांक १६-१२-७३ को परगना अधिकारी के लिए स्वीकृत है।	
८८	फकीरे पुत्र महावीर	नि०सा०	चकरोड	६७२सं०	०–०–१२	कृषि	–	..
८९	पारवती पुत्री सखेल	नि०स.०	तालाब	६९२सं०	०–०–१५	,,	–	..
९०	कालीदीन, पुत्र रामलाल	नि०ग्राम	बंजर	७०५सं०	०–३–०	,,	–	..
९१	सुन्दर लाल पुत्र कन्हई	नि०ग्राम	परती	७३२सं०	०–१६–०		–	रिपोर्ट ११५०, दिनांक २८-७-७२ को हुई बेदखली के आदेश १०-११-७४ को लिखे।
९२	चिन्तारमन पुत्र भरोदीन	ग्राम नि०	सड़क	२८६सं०	०–०–३	दुकान लकड़ी		
९३	महादेव पुत्र हीरालाल	ग्राम नि०	,,	२८६सं०	०–०–१	–		
९४	भगवानदीन पुत्र कालिका	ग्राम नि०	,,	२८६सं०	०–०–१	,,		..
९५	रामसुख, पुत्र त्रिलोकी	ग्राम नि०	,,	२८६सं०	०–०–१	,,		..

अनुप्रयुक्त विधान सभा

*श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, आप फिर हमें डांट लें लेकिन आज न डांटें। जो कार्यसूची है, उसमें मेरा नाम नहीं है। जो प्रस्ताव मैंने दिया था उसे आप देख लें।

श्री अध्यक्ष--

यह बयान शासन की ओर से है।

श्री मोती लाल देहलवी--

उसे जानबूझ कर छुपाने की कोशिश की जा रही है क्यों कि यह मामला बहुत ही सनसनीखेज और गम्भीर है। इसमें मैंने बहुत साफ लिखा हुआ था कि एक मन्त्री के पुत्र जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। और मान्यवर, करीब १०५ बीघे जमीन का मामला है जिसमें १०५ बीघे का फार्म बनाया गया है और उसमें मान्यवर, अपने लड़के के नाम, बीबी के नाम, नौकर के नाम और माली के नाम किया है। इस तरह से १४ लोगों के नाम किया है ....

श्री अध्यक्ष--

सूची में विवरण दिया हुआ है।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय राजस्व मन्त्री जी स्वयं लखनऊ तहसील में ३ दिन तक बैठे हैं। माननीय वन मन्त्री जी ने लेख पाल पर, कानूनगो पर दबाव डालकर करवाया। उससे कहा गया कि नौकरी से निकलवा देंगे। तो यह गलत तरीके से करवाया गया। इसलिए माननीय मन्त्री जी लखनऊ तहसील में बैठे और उनके सामने यह सारा भेद खुला। लेखपाल और कानूनगो को सस्पेन्ड किया है जो आज भी सस्पेण्ड हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उस पर सवाल करें। आप बयान दे रहे हैं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

इस मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है जिसे वह बता रहे हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, जब उसे सस्पेन्ड किया तो कानूनगो माननीय वन मन्त्री की शरण में गया और उसने प्रार्थना की कि राजस्व मन्त्री जी को समझा दीजिए कि हमारी नौकरी न जाय। तो मान्यवर, वन मन्त्री जी ने कहा कि हम उस लोध साले से नहीं बोलेंगे और तुम्हें 400रु0 की नौकरी वन विभाग में दे देंगे।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, यह नहीं कहना चाहिए।

श्री मोतीलाल देहलवी--

इसलिए मैंने कहा कि यह बड़ा सनसनी खेज मामला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री मोती लाल देहलवी--

यह चिनहट के गावों का मामला है। मैं स्वयं कल गया और दैनिक जागरण के जो लखनऊ स्थित संवाददाता हैं वह भी गए और उन्होंने पता लगाया। इसमें चिनहट के ५ गांव हैं, धावां, कंचनपुर, कमता, इस्माइलगंज और गार्जीपुर। यह जमीनें ए० के० दास जो भूतपूर्व आई० जी० रहे, के नाम, के० के० दास की पत्नी के नाम और एक उद्योगपति, हुकुमचन्द्र के तीनों लड़कों के नाम कराई है और वहां पर एक कोल्ड स्टोरेज खुला है। और एक त्रिपाठी, भूतपूर्व तहसीलदार हैं वह अपना फार्म बनाए हैं। एक और श्री हरिश्चन्द्र धाल है। तो मान्यवर, वहां पर पुलिस के अफसरों ने कब्जा किया है और सरकारी नलकूप वहां पर लगे हैं और उससे सिंचाई होती है और पुलिस का पहरा वहां पर रहता है तो मान्यवर, मैं राजस्व मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि वह तीन दिन तक कुछ दिन पहले स्वयं लखनऊ तहसील में बैठे और उनको यह राज मालूम हुआ कि यह जमीन गलत तरीके से एलाट की गई है। उनको यह मालूम है कि यह जो राजा साहब, वन मन्त्री जी ने अपने परिवार के लोगों के नाम कराई है उसका भूमिधरी का मुकदमा १९८ ए० डी० एम० के यहां चल रहा है। तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि माननीय राजस्व मन्त्री ३ दिन तक लखनऊ तहसील में बैठे और लेखपाल व कानूनगो को सस्पेन्ड किया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह----

श्रीमन्, हमारे देहलवी जी ने प्रश्न तो किया, लेकिन कुछ कोशिश करके प्रश्न नहीं किया। जनरल भाषण जैसा देने का उनका स्वभाव है, वैसे ही कहा। उन्होंने क्या क्या कहा----वन मन्त्री ने राजस्व मन्त्री को गालियां दीं, लोग कहा, लेखपाल से कहा आदि, पता नहीं वह कहां से पढ़ कर आते हैं। जो प्रश्न था चिनहट गांव का था, अब उसका उत्तर न आता तो कहते कि उत्तर गलत है। माननीय सदस्य ने चिनहट गांव का उल्लेख किया, मैंने कहा उसकी सूचना संलग्न है। अब मैं ३ दिन बैठा, ४ दिन बैठा मैंने उसका क्या-क्या मुआयना किया, इस बारे में प्रश्न करें तो बताऊंगा, लेकिन यह बात असत्य है कि तहसील में बैठने पर मैंने लेखपाल को सस्पेन्ड किया। इसका संबंध पहले से है। आप कोई स्पष्ट समझ बूझकर प्रश्न लावें तो उसका उत्तर मिलेगा लेकिन जो आपने गाया गाया है, उसकी तो सूचना है नहीं, जबानी तो याद नहीं कि क्या कहां कहा था और क्या कहां नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष--

मैं भी यही सोचता हूं कि आप इतनी देर तक बोले, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैंने जो प्रश्न दिया था उनके आधार पर हमको प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है.....

श्री अध्यक्ष--

आपने तो स्वयं जवाब भी दे दिया है।

श्री मोती लाल देहलवी--

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे प्रश्न में तो बहुत साफ है कि मन्त्री जी के पुत्र का इसमें जमीन हड़पने में हाथ है। जब एक प्रश्न मैंने बहुत साफ-साफ लिखकर दिया है तो हम उसके पात्र हैं, उसके सम्बन्ध म प्रश्न करने के।

श्री अध्यक्ष--

यह तो ठीक है लेकिन आप प्रश्न कर कहां रहे हैं ?

श्री मोती लाल देहलवी--

[* * * * *]

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जाएगा।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

तो इन दोनों के नाम जमीन है या नहीं, यह मन्त्री जी बताएं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, कृपा करके अध्यक्ष जी आप इसकी आज्ञा न दें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

आप मेरी मूल सूचना देखें, उसमें है। आपके पास न हो तो मैं दे दूं। वे बतावें कि इन दोनों के नाम जमीन है या नहीं ?

मैं सबके नाम बताता हूं--निखत आरा, मैकू प्रसाद और राम लाल आदि कई नाम हैं, जो इनके नौकर चाकर हैं, वे भी शामिल हैं, ये लगभग १४ लोग हैं जिनके नाम से जमीन दी गई है, किन्तु फार्म एक ही है। उस पर सरकारी नलकूप भी है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सही है या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जो प्रश्न था यह उसमे सम्बन्धित नहीं है। इसलिए उसकी मेरे पास जानकारी है नहीं।

("आप झूठ बोल रहे हैं" विपक्ष से कई स्वर)

इसके बारे में मैं अभी से क्या कह दूं।

(व्यवधान--शोर)

श्री शत्रुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

आप हिन्दी में बात करिए आपको इस प्रकार अंग्रेजी में जवाब नहीं देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

चिनहट के बारे में आपने प्रश्न किया था.....

[***] वह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

आप चिनहट गांव का मुआयना चाहते हैं, कर लें, लेकिन इस तरह नहीं।

श्री अध्यक्ष---

मैं उस सूचना को पढ़े देता हूं---"जिला लखनऊ में चिनहट के पास सरकारी भूमि बड़े-बड़े नेताओं और अफसरों ने हड़प रखी है और उस पर कब्जा कर धन पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार हड़पी गई जमीन सैकड़ों एकड़ में है और भूमि हड़पने में मन्त्री जी के पुत्र भी हैं। माननीय सामुदायिक विकास मन्त्री का यह कथन ऐसे मामलों को बहुत गम्भीर बना रहा है कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् गांव सभाओं के पास १ करोड़ २५ लाख एकड़ भूमि में केवल ५ लाख एकड़ ही बची है और शेष भूमि प्रभावशाली लोगों द्वारा तिकड़म करके हड़प ली गई है।"

श्री मधुकर दिघे---

श्रीमन्, इसमें लिखा है चिनहट के पास। कहीं नहीं लिखा है (चिनहट ग्राम) चिनहट एक ब्लाक है, इसमें यह एक गांव है। जब चिनहट के पास लिखा था तो मन्त्री जी ने ऐसा कैसे समझ लिया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इसका मतलब यह है कि चिनहट ग्राम की आबादी में। आपने यह नहीं लिखा कि और कौन-कौन गांवों का मुआयना किया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मान्यवर, होली के अवसर पर इनको लाल बुझक्कड़ की उपाधि दी जाय।

श्री मधुकर दिघे---

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि चिनहट ब्लाक में जितने गांव पड़ते हैं उनमें किन-किन लोगों को जमीन आवंटित हुई है ? यदि गलत लोगों को जमीन आवंटित हो गई है तो उसको खारिज करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

मोती लाल जी वाले प्रश्न का मामला अदालत में है, जहां तक मन्त्री के लड़के का सवाल है वह न्यायालय में है, तो मन्त्री जी क्या करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि मन्त्री जी क्या इसकी जांच करायेंगे कि चिनहट और आस-पास के गांवों में जो लोगों को जमीन आवंटित हुई है, वह गलत लोगों को हुई है और मन्त्री जी तथा उनके पुत्रों ने जो जमीन ले ली है, इसको खारिज करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, माननीय मालवीय जी की मंशा मैं समझ नहीं पाया।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

माननीय मालवीय जी ने सवाल नहीं किया है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

चिनहट ब्लाक नहीं समझा जाता है आप पहले प्रश्न करना सीखिए और फिर उत्तर लें। आपकी क्या मंशा है उसको बताइए। मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री मोती लाल देहलवी--

आप राजस्व मन्त्री हैं। पहले आप पढ़ना सीखिए और फिर जवाब देना सीखिए।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मैं राजस्व मन्त्री हूं। लोग कहते हैं कि वह लेखपाल थे। उन्हें पहले पढ़ना सीखना होगा।

श्री मोती लाल देहलवी--

आप गलत बोलना सीखे हैं और छिपा रहे हैं। वह शासन के लिए अच्छी बात नहीं है। जो जमीन गरीबों को मिलनी चाहिए उस पर बड़े परिवार के लोग कब्जा किए हुए हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप चिनहट गए तो वहां धांवा गांव है, उस जमीन पर कब्जा किया गया है। यह सही है या गलत है ?

श्री मधुकर दिघे--

पूरे प्रदेश में हजारों आदमी जेल में ठूंस दिए गए, बहुत से लोग नाजायज तरीके से काबिज हैं।

श्री राम अवार (जिला आजमगढ़)--

जब माननीय वन मन्त्री जी मौजूद हैं और उनके लड़के के प्रति आरोप है तो मान्यवर; मैं चाहूंगा कि वन मन्त्री जी इसकी सफाई दें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आपने कहा कि चिनहट के पास कहा गया तो चिनहट ब्लाक कैसे समझे। जो आरोप माननीय देहलवी जी लगा रहे हैं यदि लिखकर दे दिया जाए तो क्या आप जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। जांच हो सकती है, हो गयी हो। प्रश्न तो आपका प्रिसाइज आना चाहिए न।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मोती लाल देहलवी जी का जो वक्तव्य था, उसको मैंने पढ़ा उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ग्राम चिनहट के पास; तो कैसे मन्त्री जी ने समझ लिया कि केवल ग्राम चिनहट से यह सम्बन्धित है। ग्राम धांवा है वह ग्राम चिनहट के पास है।

श्री मधुकर दिघे--

चिनहट ग्राम के पास मन्त्री जी के नाम। यह जोड़ते नहीं हैं। अलग-अलग कर देते हैं ईमानदारी के साथ कहना चाहिए।

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मेरा नाम बार-बार लिया गया है। मेरे या मेरे लड़के के नाम चिनहट के पास कोई जमीन नहीं है। मेरे अपने पास ही खुद इतनी जमीन है कि वह सीलिंग में निकल रही है। तो मैं यहां लेकर क्या करूंगा ?

श्री मोती लाल देहलवी --

मैं यह जानना हूं कि उनके नाम जमीन नहीं है, मै यह कह रहा हूं कि उनके परिवार से सम्बन्धित या उनके नौकर वगैरह जो हैं, उनके नाम हैं या नहीं हैं।

(कई सदस्य खड़े होकर कहने लगे कि मन्त्री जी इसका जवाब दें)

श्री ऊदल--

अगर लिखकर दिया जाए तो क्या आप जांच करायेंगे ? माननीय स्वामी प्रसाद सिंह जी ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की बातें होंगी कि ब्लाक कहां, कि चिनहट के पास कहा, और उसका आप मतलब नहीं समझे। माननीय मोती लाल देहलवी ने जो कहा है अगर उसको लिखकर दिया जाए तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे? माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस पर आपत्ति करता हूं कि माननीय मन्त्री जी को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। उनको आप हिदायत करें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, माननीय ऊदल तो हमारे खानदान के हैं। मैंने यह कहा था कि शायद आवश्यकता न हो इन्क्वायरी हो चुकी है मैंने यह नहीं कहा था कि आवश्यकता नहीं। इनक्वायरी हुई अथवा नहीं, इसके बारे में माननीय सदस्य प्रश्न कर लें तो उत्तर आ जायगा कि फलां तारीख में इन्क्वायरी हो गई थी या प्रश्न करने के बाद में इन्क्वायरी हुई थी।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न था कि लखनऊ के पास चिनहट के पास सम्बन्धित भूमि को बड़े-बड़े नेताओं व बड़े-बड़े अफसरों ने हड़प रखा है और कब्जा कर रखा है। इस प्रकार से हड़पी हुई भूमि सैकड़ों एकड़ में है और भूमि को हड़पने में मन्त्री के पुत्र भी हैं। इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि किस-किस के पास चिनहट ग्राम में है।

श्री अध्यक्ष--

यदि किसी नियम या किसी संविधान की धारा के टूटने का जिक्र हो तो उस पर व्यवस्था देंगे।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया उसका ठीक से जवाब नहीं दिया गया। जो जवाब दिया गया है, वह गलत है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

चिनहट के पास का मतलब है कि चिनहट ग्राम सभा और उससे मिला रकबा चारों तरफ के गांव हैं। चिनहट के पास के मायने हैं ग्राम सभा की पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, में जितने गांव हैं, उनमें कौन-कौन लोगों के पट्टे हैं, यह प्रश्न है। सवाल दीगर, जवाब दीगर।

श्री अध्यक्ष--

अगर मान लीजिए कि मन्त्री जी के जवाब को आप नहीं समझते हैं तो आप फिर सीधे प्रश्न कर सकते हैं।

श्री मधुकर दिघे—

श्रीमन्, आप इनसे सही उत्तर दिलाइए ?

श्री अध्यक्ष—

अगर वे कहते हैं कि उसमें वे गांव शामिल नहीं हैं। तो आपको अधिकार है कि आप उन गांवों के बारे में सवाल कर लें ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, यह अधिकार आपका है कि आप सही सवाल का सही जवाब दिलायें, अगर मन्त्री जी सही जवाब न दें तो आप टोक सकते हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है।

श्री अध्यक्ष—

मान लीजिए माननीय मोती लाल जी ने ९५ गांवों के नाम बताए हैं। इसमें जो नाम दिए हुए हैं ..... (व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, हमने चिनहट के ग्राम सभा का जिक्र किया है। चिनहट का नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—

चिनहट क्या है, टाउन है, या कस्बा है ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, यह ब्लाक है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसका जवाब दिलाइए ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय काशीनाथ जी ने सही प्रश्न उठाया है, उसका उत्तर दिलाने की कृपा करें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आपको ऐसा प्रश्न करना चाहिए .....

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मुझे बहुत आपत्ति है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, एक तो मन्त्री जी जवाब ईमानदारी से नहीं देते हैं।

(शोर)

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर सदन के अन्दर रखे जा रहे हैं। और उस पर आरोप लगा रहे हैं। चिनहट के आस-पास का मतलब केवल चिनहट नहीं है, चिनहट के आस-पास की भूमि भी आती है। नियम ५६ के अन्तर्गत जो सूचना दी गयी है उसमें यह नहीं कहा गया है चिनहट के पास किसी भूमि में वन मन्त्री के भी पुत्र हैं या चिनहट के पास कोई और मन्त्री का पुत्र है ?

श्री अध्यक्ष—

लेकिन साथ-साथ माननीय मोती लाल देहलवी ने भी कहा है कि वह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। मान लीजिये वह कहते हैं कि अनधिकृत कब्जे का मामला विवादग्रस्त हो गया है।

(कई सदस्य खड़े हो गए)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

न्यायालय के विचाराधीन जो अंश है उसको छोड़ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इन्होने कहा, इनको तो बोलने दीजिए। मोती लाल जी ने कहा है उनका क्या मतलब है ?

श्री मोती लाल देहलवी—

मेरी जानकारी के अनुसार १९८ का मुकदमा चल रहा है भूमिधरी कैन्सिल करने के लिए। तो मान्यवर, तथ्यों का जवाब आ ही सकता है। हम तथ्य जानना चाहते हैं। मुकदमा चल रहा है या नहीं, यही जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका सवाल है कि अनधिकृत कब्जा है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मेरी नियम आपत्ति है। मेरी आपत्ति यह है कि माननीय देहलवी जी ने जो प्रस्ताव रखा था उसको माननीय मन्त्री के वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है। मैं माननीय सदन का ध्यान आपके जरिए नियम ५१ (२) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं—"किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हो जाने पर सम्बद्ध मन्त्री सूचनांकित विषय पर उसी दिन अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे या किसी भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकेंगे लिखित वक्तव्य होने की दशा में उसकी एक प्रति सम्बन्ध सदस्य को भी दी जायगी।" मेरी नियम आपत्ति यह है कि जो माननीय मोतीलाल देहलवी जी ने उठाया है कि वह चिनहट ग्राम की भूमि से सम्बन्धित नहीं है बल्कि चिनहट ग्राम के आस-पास की भूमि से सम्बन्धित है। माननीय देहलवी जी के प्रश्न पर मन्त्री जी को, सरकार को, वक्तव्य देने के लिए तत्काल बाध्य करें।

श्री अध्यक्ष—

वह हम देख लेंगे। हम समझ लें सवाल आपका क्या है ? सारा सवाल जो आपने दिया है। प्रश्न कर सकते थे कि क्या वन मन्त्री या उनके आश्रित जो हैं उनके नाम पर फलां-फलां गांव में .....

श्री मधुकर दिघे--

हमें वन मन्त्री जी से मतलब नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनधिकृत कब्जा कर रखा है। वह तो उदाहरण दिया गया।

श्री मोती लाल देहलवी--

नेता और सरकारी अफसर, उसमें लिखा हुआ है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

इनसे दोबारा सही बयान दिलवाएं। बयान ही गलत है।

श्री अध्यक्ष--

बयान दिलवा दिया है।

श्री मधुकर दिघे--

तब हम आपसे जरूर जानना चाहते हैं कि क्या पुन: लिख कर देने पर तुरन्त बयान दिलवाने की व्यवस्था देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

लिख कर दीजिए, जो आप चाहते हैं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

लिख कर देने की क्या जरूरत है। इसी पर दोबारा बयान करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मधुकर दिघे जी ने जो बात कही, मान लीजिए सब भ्रम है....

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

चिनहट के पास जो सड़क निकलती है उसके आस-पास जिन-जिन गांवों की जमीन आ रही है उनके सम्बन्ध में सीधी-सीधी मांग है, उस सब का उत्तर देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

सवाल अपनी जगह पर सही है, जवाब गलत है।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मन्त्री जी को बाध्य किया जाय कि वह पुन: उत्तर दें इस सन्दर्भ में।

श्री अध्यक्ष--

कोई अफसर हो या मन्त्री हो, अगर उसने कहीं जमीन ली है, आप लिख कर दीजिए अगर आप विवरण चाहते हैं, सूचना चाहते हैं कि किस-किस अफसर और मन्त्री की जमीन लखनऊ के आस-पास है। आपने जो प्रश्न किया है वह है : "चिनहट के पास सरकारी भूमि को बड़े-बड़े नेताओं, बड़े-बड़े अफसरों ने हड़प रखा है और उस पर कब्जा कर के धन पैदा कर रहे हैं" तो सवाल आप सीमित करते हैं। हो सकता है कि वह अधिकृत हों। जमीन के सम्बन्ध में जो सम्पत्ति का कानून है, वह तो चलता ही है.....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैंने राजस्व मन्त्री के विरुद्ध सदन को गुमराह करने और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष--

जैसे आप अगर पूछे कि क्या मन्त्री जी यह बयान देंगे कि इन-इन गांवों में अफसरों ने और मन्त्रियों ने जमीन ले रखी है अगर आप पहले ही कह देते हैं कि हड़प रखी है तो टेक्निकली कहेंगे कि हड़पी नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी--

वह 'हड़प' शब्द सही है।

श्री अध्यक्ष--

जैसा कि मधुकर दिघे जी ने कहा है, उस तरह का आप कल एक दें और कल ही हम नियम ५१ में स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं बहुत ही विस्तृत ब्योरा पेश कर सकता हूं। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि इस तरह आतंकित कर दिया गया है कि कोई भी ब्योरा मिल नहीं पा रहा है। यह जनहित में नहीं है। माननीय मन्त्री जी को आप जरा निर्देश करें कि यह प्रश्न जनहित का है, तो इस तरह का कोई आतंक न पैदा करें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मैं यह दावा करता हूं कि देहलवी साहब से ज्यादा सेन्ट परसेन्ट ज्यादा मैं जनहित में काम करता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैंने माननीय राजस्व मन्त्री के विरुद्ध सदन को गुमराह करने का और माननीय सदन के सदस्यों की अवहेलना का सवाल उठाया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रथा यह है कि आप कहते हैं कि हम लाना चाहते हैं। इसके साथ आप लाते हैं और हम उसको देखते हैं। बस।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव के निष्कासन आदेश की समाप्ति

वित मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य, जौनपुर श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को क्षमा कर दें।

श्री अध्यक्ष--

हां, हां उनको मैंने माफ कर दिया।

प्रतापगढ़ जिले में अपराध स्थिति गम्भीर होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि प्रतापगढ़ जिले की अपराध स्थिति दिनों-दिन गिरती जा रही है।

दिनांक १ जनवरी, १९७५ से १५ मार्च, १९७५ तक धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत हत्या के केवल १० मामले दर्ज हुये। नोटिस में उल्लिखित शेष १० मामलों में से ५ धारा ३०४, २ धारा ३९६ और ३ धारा ४६० भा० दं० वि० के अन्तर्गत आते थे और उन्हीं धाराओं के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किये गये। इस अवधि में १० हत्या के मामलों को विगत वर्षों की अपेक्षा बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता। इन १० हत्या के मामलों में से ३ मामले ऐसे हैं जिनमें अवांछनीय व्यक्तियों द्वारा अन्य अवांछनीय व्यक्तियों की हत्या की गई। शेष ७ मामलों में ६ मामलों में अभियुक्तों का पता लगाया जा चुका है और अधिकांश अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं अथवा न्यायालय में आत्म समर्पण कर चुके हैं। इन ६ में से २ मुकदमों में आरोप-पत्र भी लगाये जा चुके हैं।

दिनांक १ जनवरी, १९७५ से १५ मार्च, १९७५ तक राहजनी के १५ मामले दर्ज हुये। यह संख्या इसी अवधि में पिछले ४३ वर्षों में दर्ज हुये राहजनी के मामलों के औसत से कम है।

यह सत्य है कि दिनांक १ जनवरी, १९७५ से १५ मार्च, १९७५ की अवधि में विगत वर्षों की अपेक्षा नकबजनी के मामलों में वृद्धि हुई है किन्तु बहुत से मामलों में पुलिस द्वारा सही नकबजनों का पता लगा लेने और उनसे माल बरामद कर लेने के फलस्वरूप स्थिति सुधरती जा रही है।

दिनांक १ जनवरी, १९७५ से १५ मार्च, १९७५ तक डकैती के १२ मामले दर्ज हुये जबकि इसी अवधि में १९७४ में डकैती के ११, १९७३ में १४ और १९७२ में २२ मामले दर्ज हुये थ।

यह कहना सही नहीं है कि प्रतापगढ़ जनपद में तस्करी बढ़ रही है।

श्री रवीन्द्र सनातन के साथ हुई कथित मारपीट की घटना के सम्बन्ध में धारा १४७/३२३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दिनांक ३१ अक्तूबर, १९७४ को दर्ज हुआ था। श्री रवीन्द्र सनातन को केवल साधारण चोटें आई थीं इस मुकदमें में एक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जा चुका है।

श्री कृष्ण कान्त ओझा, जिला मन्त्री, सोशलिस्ट पार्टी तथा श्री संगम लाल शुक्ल, जिला मन्त्री, भारतीय लोक दल ने दिनांक २२ फरवरी, १९७५ से कलेक्ट्रेट के प्रांगण में अनशन आरम्भ किया था जो दिनांक २५ फरवरी, १९७५ को दोपहर में समाप्त हुआ। अनशन आरम्भ करने के पूर्व जो मांग-पत्र इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें ३ मांगें थीं। एक मांग पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण, दूसरी मांग अधिशासी अभियन्ता, नलकूप के स्थानान्तरण और तीसरी मांग चकबन्दी अधिकारी, महुली के स्थानान्तरण के बारे में थी। इस अनशन के विरुद्ध कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी अनशन किया था और मांग की थी कि पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण की मांग स्वीकार न की जाय।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिला प्रतापगढ़ में अपराधों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयत्नशील है और अपराध स्थिति को आधार बनाकर किसी प्रकार से जन-साधारण द्वारा असन्तोष अथवा रोष व्यक्त नहीं किया गया। जनता में भय तथा अरक्षा की भावना व्याप्त होने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

जिन २१ व्यक्तियों की हत्या हुयी थी उनके हवाले, मैंने अपनी सूचना में दिए थे। माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि जिन लोगों के कत्ल हुए हैं वे किस-किस थाने के हैं और उनके नाम क्या हैं? माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि १० कत्ल हुए हैं, उनके नाम बता दें?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

एक है—ग्राम अलापुर, थाना मानिकपुर, मृतक हैं भगवत, (२) ग्राम अचलपुर, थाना कोतवाली, मृतक हैं जहुरुल हसन, (३) ग्राम बरुआरा, थाना सागीपुर, मृतक हैं रामसरन, (४) ग्राम ताला, थाना कन्धई, मृतक हैं हसन अली, (५) ग्राम वारीकलां, थाना कन्धई, मृतक हैं हनुमान सिंह, (६) उमरी कोटिला, थाना बाघराय मृतक हैं, श्रीराम, (७) ग्राम राजापुर, थाना सागीपुर, मृतक हैं श्रीमती कोयल, (८) ग्राम हुलास का पुरवा, थाना मानिकपुर, मृतक हैं बिनदा सरोज, (९) ग्राम बिसहाना कुन्डा, मृतक अवधेश सिंह, ग्राम अजीतनगर, मृतक कलावती।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इनमें ११ नाम ऐसे हैं जिनमें कुछ अन्य धाराओं का जिक्र किया गया है—जैसे धारा ३९६। तो इस धारा ३९६ के बारे में, मेरी सूचना में यह बात आरोपित है कि उसमें भी गंड़ासे से और दो व्यक्तियों की गोली से हत्या हुई है और उसमें मैंने नाम का भी जिक्र किया था लेकिन माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उस मृतक का नाम नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना में जिन दो व्यक्तियों का नाम हैं और थाने की भी चर्चा है, उसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी करायेंगे और इस पर कार्यवाही करायेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अवश्य।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्रतापगढ़ में जो राहजनी के मामले हैं, उनमें निश्चित ही वृद्धि हुई है और जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उनके हिसाब से भी देखने से पता लगता है कि जो राहजनी और नकबजनी के मामले हुये हैं—१ जनवरी, ७५ से १५ मार्च, ७५ तक विगतवर्ष की अपेक्षा नकबजनी और राहजनी के मामले में वृद्धि हुई है। तो जब प्रतापगढ़ में नकबजनी और राहजनी के मामले में विगत वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष वृद्धि हुई। तो उसकी रोक-थाम करने के लिए और वहां के नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही सरकार की ओर से की जाएगी और सम्बन्धित थाने जो वहां पर हैं, उनसे सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह सही है जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है, पिछले कुछ समय की अपेक्षा नकबजनी की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सरकार ने आदेश दे दिया है कि जो भी अपराध हों उनको सही दर्ज किया जाय, ऐसा न हो कि अपराध हो रहे हों और उनकी संख्या सही दर्ज न की जाय, कम लिखी जाय। तो नकबजनी के २० मामले मालूम हुए हैं और इस बात की सूचना मिली है कि अब स्थिति सुधर रही है। लेकिन पुलिस अधीक्षक को अधिक विवरण देने को लिख दिया है, अभी पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो पूरा विवरण उपलब्ध करा देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

एक पत्रकार श्री रवीन्द्र सनातन के सम्बन्ध में भी मैंने चर्चा की है और ४ नवम्बर, १९७४ को प्रतापगढ़ में जो पत्रकार सम्मेलन हुआ था, उसमें श्री रवीन्द्र सनातन ने बतलाया कि उन्होंने आई० जी० और एस० पी० को लिख कर दे दिया है और पुलिस अधिकारियों पर इस प्रकार आरोप लगाया है कि उनके जीवन को खतरा है और १५ नवम्बर, ७४ को जब मुख्य मन्त्री जी इलाहाबाद गए थे तो उस दिन भी उस पत्रकार ने एक लिखित पत्र मुख्य मन्त्री जी को दिया था कि मेरे जीवन को खतरा है और इस तरह से ९ नवम्बर, १५ नवम्बर, २३ नवम्बर तथा ४ दिसम्बर, १९७४ को वे बराबर आवेदन-पत्र देते रहे हैं। इसके बाद भी जब श्री रवीन्द्र सनातन पर घातक प्रहार हुआ हमला हुआ तो धारा १४७, ३२३ के अन्तर्गत उनकी बराबर शिकायत आयी आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को और मुख्य मन्त्री जी को भी वे बराबर वहां के पुलिस अधीक्षक और उनके नीचे के अधिकारियों पर आरोप लगाते रहे कि उनका हाथ होने से श्री रवीन्द्र सनातन पर आक्रमण हुआ है। तो उस आक्रमण को रोकने के लिए तथा श्री रवीन्द्र सनातन पर जो हमले हुए हैं उसमें वहां के पुलिस अधीक्षक और उनके अधिकारियों का भी हाथ है इसकी छानबीन करायेंगे कि इसमें उनका हाथ है या नहीं ? साथ ही उस पत्रकार की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां तक पत्रकार सम्मेलन का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। क्योंकि इसके अलावा सम्भवत: मेरे पास जो उनका नियम ५१ का प्रस्ताव आया, उसमें भी पत्रकार सम्मेलन का उल्लेख नहीं है, नहीं तो अवश्य आ जाता। लेकिन जहां तक रवीन्द्र सनातन के ऊपर हमला किए जाने का प्रश्न है, मेरे पास केवल एक आक्रमण की सूचना है जबकि ३१ अक्तूबर, १९७४ को श्री मुस्तफा, ४ आदमियों ने उन पर हमला किया था। उस समय वह सायंकाल घर जा रहे थे। इस सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज हुआ और उसकी विवेचना की गयी तथा अभियुक्त गिरफ्तार किये गये। श्री मुस्तफा खां, अशफाक कैयूम, कमलाकर आदि लोग गिरफ्तार किए गए। २३ दिसम्बर को आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया और अब मामला न्यायालय के विचाराधीन है। उनको ४ स्थान पर चोटें आयी थीं जो किसी कुन्द भाले से पहुंचायी गयीं प्रतीत होती थीं। माननीय सदस्य ने जो हमला करने में पुलिस अधीक्षक का हाथ होना बताया तो मैं निवेदन करूं, माननीय सदस्य खुद इलाहाबाद के मेयर रह चुके हैं, वह सम्भवतः खुद इस बात का इतनी जल्दी यकीन नहीं करेंगे कि इसमें पुलिस अधीक्षक का हाथ है। ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि पुलिस अधीक्षक का इसमें हाथ है।

*श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ के सिलसिले में मैं २ मिनट चाहूंगा। प्रतापगढ़ में ला-ऐन्ड -आर्डर की कोई चीज नहीं है। इसमें कोई २ राय नहीं है। जैसा अभी माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी ने कहा, प्रश्न उठाया कि और नये थाने खोले गए हैं, इसलिए खोले गए हैं कि उस हल्के में चोरी, डकैती या जो ऐसे अपराध हैं, कम हों। इस वक्तव्य में कहा गया है कि ाई महीने में १२ डकैतियां हुयीं। पिछले हफ्ते नये थाने, मानिकपुर में एक रात में ७

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नियाज हसन खां]

डकैतियां पड़ीं। बाघराय और वाजिदपुर में पी० ए० सी० मौजूद थी लेकिन बावजूद पी० ए० सी० के डकैती पड़ी। तो एक तरफ नए थाने खोलने के बावजूद अपराध बढ़ते जा रहे हैं थाने खोलने से होता क्या है। इस सिलसिले में क्या जांच की जा रही है ?

जहां तक राहजनी का सवाल है, इलाहाबाद-उन्नाव रोड जो प्राविंशियल हाई-वे है, सूरज भी नहीं डूबने पाता दिनदहाड़े लोग लूट लिए गए।

अध्यक्ष महोदय, आपको तो मालूम होगा नये थाने, मान्धाता के अन्तर्गत अभी नजीर साहब डी० वाई० एस० पी० मार डाले गए थे। वह डकैतों की गाड़ी के पास खड़े थे या बैठे थे कि डकैत आए और उन्हें मार दिया गया। यह हत्या अभी ४-५ महीने हुए हमारे जिले में हुयी। ऐसी बातें रोज होती हैं। हमारे जिले में ला-एन्ड-आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। शाम के वक्त बिजली नहीं मिलती लोगों का बाहर निकलना बन्द। एक चीज मैं पूछूंगा अध्यक्ष महोदय क्या दरख्वास्तें मुख्य मन्त्री के पास प्रतापगढ़ के सिलसिले में आयी हैं या नहीं। अगर आयीं हैं तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरे जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे जिले का दुर्भाग्य है ....

श्री अध्यक्ष--

एक-एक करके सवाल पूछिए।

श्री नियाज हसन खां--

अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले का दुर्भाग्य यह है कि वहां के जिलाधीश और एस० पी० के बीच में तनाव है। लिहाजा कोई शासन नहीं है। क्या मन्त्री जी को इन बातों की जानकारी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं यह दावा नहीं कर सकता कि प्रतापगढ़ की स्थिति के बारे में मुझे उतना ज्ञान हो सकता है जितना कि विद्वान सदस्य को है। उन्होंने कई घटनाओं का उल्लेख किया जिनका कि माननीय सदस्य, इलाहाबाद ने जो सूचना दी, उसमें वह मौजूद नहीं थीं। श्रीमन्, कोई ब्योरा मैं सही-सही प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं। वह भी चाहेंगे कि मैं कल्पना के आधार पर उत्तर देने की धृष्ठता न करूं। मैं माननीय सदस्य, सत्य प्रकाश मालवीय को बधाई देता हूं कि उन्होंने नियम ५१ में इस प्रकार की सूचना दी। उन्होंने तारीख तथा नाम भी दिए इसलिए हमें सुविधा हुई और २५ पेज का विवरण है जिसमें हर थाने का लिखा है। इसलिए हम ब्योरा दे सके। श्री नियाज हसन जी ने जो बात कही है, मैं चाहूंगा कि उसकी छानबीन हो जाय लेकिन यदि उनके पास समय हो तो लिखकर भेज दें। जहां तक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के तनाव का प्रश्न है, तो उसकी जानकारी, मुझे नहीं है।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक में अवरोध है, प्रशासन नहीं चल रहा है। तो क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि इन दोनों का वहां से ट्रान्सफर करा देंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, अभी इसकी मुझे सूचना दी गयी है, इसलिए इसकी जानकारी नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी से चर्चा अवश्य कर लूंगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि केवल १० मामले कत्ल के आए हैं। इसके अलावा ५ मामले धारा ३०४ के हैं, २ मामले धारा ३९६ के और ३ धारा ४६० के हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो १० कत्ल और हैं उसको क्या यह कत्ल नहीं मानते हैं? यह दोनों कत्ल हैं तो १० और १० मिलकर २० हुए। इसलिए इसको केवल की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए और इसको मानने के बाद श्री नियाज हसन जी की बात को मानकर जो नीचे ब्यौरा दिया है कि आतंक का ब्यौरा नहीं है, ठीक नहीं है। वहां सरे आम दिन में रास्ता चलना बन्द होता जा रहा है। तो क्या इस तरह का मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और अच्छे प्रशासक को वहां भेजेंगे जिससे वहां का आतंक मिटे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां तक पहला प्रश्न है, वह ठीक है कि मौतें हुई हैं। धारा ३०२, ३०४ और ३९६ जो कि अटेम्पट टु मरर्डर हैं, उनमें मैंने कानूनी भाषा का प्रयोग किया। जो कानूनी सूचना मिली है उसमें ३०२, ३०४, ३९६ और ४६० धाराओं के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किए गए और माननीय सदस्य ने जो लिखा है, उसको जानते हैं। दूसरी जो सूचना मुझे दी गयी है उसके अनुसार प्रतापगढ़ में तुलनात्मक दृष्टि से यह कहा गया है कि कमी हुई है लेकिन जो श्री नियाज हसन जी ने कहा और आपने जो सूचना दी उसके आधार पर मैं पता कर लूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

मैं जानना चाहता हूं कि ४ नवम्बर को फैजाबाद मण्डल के आयुक्त के समक्ष इन पत्रकारों, जिनके नाम श्री मालवीय जी ने बताए, ने एक प्रार्थना-पत्र दिया और दूसरा १५ नवम्बर को पांच पत्रकारों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र दिया। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि जो गुन्डे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। मुख्य मन्त्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि आई० जी० या डी० आई० जी० से जांच करवायेंगे। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो दो प्रार्थना-पत्र आयुक्त और मुख्य मन्त्री जी को दिए गए उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? और यदि नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं क्षमा चाहूंगा कि यह सूचना चूंकि नियम ५१ में नहीं थी इसलिए मेरे पास उसके कागज नहीं हैं। यदि दूसरा कागज लिखकर भेज देंगे तो पता लगा लेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, प्रतापगढ़-अमेठी मार्ग पर ग्राम अमटू है। वहां एक किसान की लड़की को बरसाती दस्यु अपहरण कर ले गया। तो क्या मन्त्री जी को इसकी जानकारी है और उसका पता लगायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, नियम ५१ में सूचना जो दी थी उसको कहा था कि देखेंगे।

श्री अध्यक्ष--

अभी देखा नहीं है।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

उसको कब लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

हम भी तो उतना ही करेंगे जितना कि कर सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इलाहाबाद में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है .....

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि आपको तभी कोई चीज कहनी चाहिए जब उसको देख लें कि उसमें क्या है ?

१९७५-७६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-५७-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ५८-सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ८१ सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८२-बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)†

*श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने विचार करने के लिए मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथ ही साथ मैं सिंचाई मन्त्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने अपने प्रयास से सिंचाई विभाग के लिए अधिक से अधिक धन लेने का प्रयास किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सिंचाई विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आज सारे देश में अन्न की कमी है। सरकार प्रयत्नशील है कि हम अपने देश की पैदावार को बढ़ावें और दूसरे देशों के मोहताज न रहें। ऐसी परिस्थिति में पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई की जितनी अधिक व्यवस्था कर सकेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसमें सन्देह नहीं कि सरकार ने सिंचाई की अधिक से अधिक व्यवस्था करने के लिए प्रयास किया है और प्रदेश की चारों दिशाओं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में नहरों, लिफ्ट सिंचाई, राजकीय नलकूपों के माध्यम से अधिक से अधिक सिंचाई की व्यवस्था की है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि सरकार ने जिस तरह से सिंचाई की व्यवस्था बढ़ाई है प्रदेश के किसानों ने भी पैदावार बढ़ाने का प्रयास किया है और इसमें काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। इसका नतीजा यह है कि आज धीरे-धीरे हम यह सोचने लगे हैं कि हम अन्न के मामले में अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे और दूसरे देशों से अन्न लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आज भी प्रदेश के बहुत से ऐसे भाग हैं जो सिंचाई की व्यवस्था से अछूते रह गए हैं। पश्चिमी जिलों में अपर गंगा, शारदा नहर, गन्डक नहर आदि से सिंचाई की काफी व्यवस्था हुई है लेकिन कुछ जिले जिन्हें आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, अधिकारीगण भी देखते हैं

---

†२२ मार्च, १९७५ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और सरकार भी देखती है, ऐसे है जहां सिंचाई की कोई व्यवस्था न होने के कारण वहां के किसान चिन्तित है, परेशान है। मिसाल के तौर पर मैं बहुत विस्तार में न जाकर बलिया जिले का दृश्य आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां केवल एक दोहरी घाट कैनाल है। इसके बलिया और आजमगढ़ दो हिस्सेदार हैं। दोनों आधा-आधा पानी लेते हैं। जब बलिया को पानी की आवश्यकता होती है तो आजमगढ़ को पानी चला जाता है और जब आजमगढ़ को पानी की आवश्यकता होती है तो बलिया को पानी चला जाता है। इससे किसान काफी परेशान हैं।

सरकार के सामने कई बार यह सुझाव रखा गया कि आजमगढ़ और बलिया के लिए अलग-अलग पानी की व्यवस्था कर दे जिससे कि दोनों जिलों को समय पर सिंचाई के लिए पानी मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पायी। जहां तक मेरी जानकारी है सरकार ने काफी प्रयास करने के बाद १९७०-७१ में यह स्वीकार किया कि दोहरी घाट कैनाल पर एक तुरतीपार सहायक योजना बनायी जायगी जिससे बलिया को भरपूर पानी दिया जा सकेगा लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की गति इतनी धीमी है कि यह योजना अभी तक तैयार नहीं हो पायी।

हमारे जिले में लगभग दो सौ या पौने दो सौ राजकीय नलकूप लगे होंगे। यह सही है कि जिन स्थानों पर नलकूप लग गए हैं वहां किसान खुशहाल है, सुखी है और अपने परिवार के पालन पोषण के साथ-साथ सरकार का भी पालन पोषण कर रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आजादी मिले इतने दिन हो गए और जिन स्थानों पर न तो नहर की व्यवस्था की गयी और न नलकूपों की व्यवस्था की गयी तो वहां के किसान अपने दिल में क्या सोचते होंगे। जिस किसान को २७ वर्षों में, दस वर्ष में, पांच वर्ष में भी सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती तो उसके लिये आजादी

(इस समय २ बजकर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

किस काम की? उसके सामने यदि लेक्चर दें कि वह पैदावार बढ़ावें तो यह लेक्चर उसके किस काम का? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। और इस तरह जल्द ही कोई कदम उठाये।

जहां तक सिंचाई विभाग के लिए जो मांगें मन्त्री जी ने प्रस्तुत की हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जब देश में अन्न की इतनी कमी है तो और विभागों से कटौती करके ज्यादा से ज्यादा पैसा सिंचाई विभाग को दिया जाय जिससे कि जल्दी से जल्दी गांव-गांव में सिंचाई की व्यवस्था हो सके। जब सिंचाई की सुविधा हर किसान को उपलब्ध हो जाय तब उसके सामने लेक्चर देना या पुस्तक पढ़ना सुलभ हो सकता है। लेकिन सिंचाई की सुविधा न दें और उसके सामने लेक्चर दें तो इससे उसका रोष ही बढ़ता है। मेरा यह निवेदन है कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर आजमगढ़ और बलिया के सिंचाई के लिए जल्दी ही कोई ठोस निर्णय ले।

[श्री जगन्नाथ चौधरी]

जहां तक राजकीय नलकूपों का सवाल है, बलिया जिले में २०० राजकीय नलकूप लगे हैं जबकि दूसरे जिलों में ५०० या ७०० या १००० तक नलकूप लगे हैं। इससे भी लगता है कि विभाग विभिन्न जिलों के बारे में न्यायपूर्ण निर्णय नहीं ले रहा है। जिन जिलों में सिचाई की व्यवस्था नहीं है या कम है तो उनकी तरफ सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए। जहां ज्यादा नलकूप लग चुके हैं वहां ठप्प करके दूसरी जगह नलकूप लगाने चाहिए, जहां नहीं है, या कम है। खास तौर से बलिया जिले के बारे में एक बार नहीं कई बार सिंचाई मन्त्री जी से अनुरोध किया है और वहां की स्थिति से अवगत कराया है कि वहां नलकूप बहुत कम हैं। अगर आप बलिया को सौ-सौ नलकूप लगातार दें तब कहीं आप वहां की स्थिति पर काबू पा सकते हैं। माननीय मन्त्री जी से जब इस विषय में बात हुई तो उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और आश्वासन भी दिया लेकिन खेद है कि अभी तक हमें मिला कुछ नहीं।

दूसरी बात यह कहनी है कि जहां तक इन नलकूपों को काम करने का सवाल है तो जो राजकीय नलकूप लगे हैं उन पर अधिकारियों को कड़ी निगाह रखनी चाहिए कि वह काम कर रहे हैं या नहीं। हमारे यहां रसड़ा तहसील में चिलकहा और नगरा ब्लाक्स हैं। इनमें १२ नलकूप ऐसे हैं जो बेकार पड़े हैं। इनकी मरम्मत और सुधार के लिए एक बार नहीं अनेक बार अधिकारियों का कान खटखटाया लेकिन खेद है कि किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मेरा यह निवेदन है कि सरकार का जहां इतना पैसा खर्च हुआ तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। अधिकारियों को चाहिए कि जहां इस तरह से नलकूप बेकार पड़े हैं उनको बनवायें।

सरकार ने नदियों से होने वाले कटान को रोकने के लिए भी काम किए हैं। (लाल बत्ती होने पर) दो तीन मिनट का समय और दे दें। बलिया में गंगा और घाघरा दो नदियां हैं जिनके कटान से हमारा जिला तबाह है। कठौर। गांव है जो घाघरा नदी के किनारे पर है, वह काफी कष्ट में पड़ गया था। उसके लिए मैंने माननीय मन्त्री से आग्रह किया तो वहां पर एक ठोकर बनाई गई, जिसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़े गांव को खतरे से बचा लिया, लेकिन दुबारा उस ठोकर की मरम्मत नहीं हुई, जब कि वहां पर ठोकर की मरम्मत के लिए कंकड़ और पत्थर पड़े हुए हैं। मैंने सम्बन्धित अधिकारी से निवेदन किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं और वह यह है कि शारदा सहायक योजना के, जो हमारे पड़ोस में बहुत बड़ी नहर बनी है, उससे मैं समझता हूं कि इस प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। सम्भव है कि पूर्वी जिलों में से कोई भी जिला ऐसा न बचा होगा, कि उसको पानी न मिले। लेकिन शारदा सहायक का पानी बलिया जिले तक नहीं पहुंच रहा है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो एक छोटी सी नहर बनाई है वह पानी नहीं दे पाती है और तुर्की पार कैनाल बनने में काफी समय लगेगा.....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री जगन्नाथ चौधरी--

तो आप शारदा सहायक का पानी जब आजमगढ़ तक पहुंच रहा है तो वह बलिया तक भी पहुंचा दें तो बलिया जिले का बड़ा कल्याण हो जायेगा और शारदा सहायक से बलिया को बड़ी सुविधा मिल जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है। बैठ जायं, फिर कभी मौका मिले तो अपनी बात कहें। मजबूरी है मेरे पास समय नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया.....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य को मात्र ७ मिनट बोलना है।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, जो कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसको देखने से पता चलता है कि १५ प्रतिशत रकबा ऐसा था जो योजनाकाल से पूर्व था और योजना की वजह से १५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और वह भी १९७४-७५ के यह अनुमानित आंकड़े हैं। कितना रकबा को पानी दिया गया यह पता नहीं है। अगर पूरे आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाय तो पता चलेगा कि योजनाकाल से पूर्व जो जिले सिंचाई में पिछड़े हुये थे, उनको सरकार की तरफ से सिंचाई की सुविधा ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाई। लेकिन जो जिले योजना काल से सिंचाई के मामले में आगे थे उन्हीं जिलों में सिंचाई के साधनों में वृद्धि की गई है। आपने प्रदेश भर में ५ डिवीजन बना दिये हैं--पूर्वी, बुन्देल खण्ड, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में आप देखें कि बस्ती, गोन्डा और बहराइच, ये जिले योजना काल से पूर्व पिछड़े जिले थे, इन जिलों में सिंचाई की हालत बहुत खराब थी और आज वह सिंचाई के मामले में पिछड़े हुए हैं। बुन्देलखंड, हमीरपुर योजना काल से पूर्व सिंचाई के मामले में पिछड़ा हुआ था और आज भी पिछड़ा हुआ है। इसी तरह मध्यवर्ती में लखीमपुर सबसे पिछड़ा हुआ था और आज भी है। पश्चिमी क्षेत्र में शाहजहांपुर पिछड़ा हुआ था और आज भी पिछड़ा हुआ है और पर्वतीय क्षेत्र में पिथौरागढ़ जो बहुत पिछड़ा हुआ था, आज भी पिछड़ा हुआ है।

आप कहते हैं कि समाजवादी नीतियों का हम पालन करते हैं और सबको समान अवसर देते हैं। लेकिन सामाजवादी नीति का मतलब यह होता है कि पिछड़े हुये क्षेत्रों को विशेष अवसर दिया जाय, ताकि गरीबी और अमीरी की खाई पटे और यह तभी पटेगी जब अमीरी का क्लास कुछ छंटेगा और गरीबी का पाताल पटेगा। जब सिंचाई के साधन सभी जगह उपलब्ध होंगे तभी देश में खुशहाली आ सकती है और मेरी इस बात से सभी इत्तिफाक करेंगे। समाजवादी नीतियों के मुताबिक मैं यह अर्ज करना चाहूंगा।

अब तमाम साथी उनके साथ हैं, आप उनसे समाजवादी नीतियों की कुछ जानकारी करें और सिंचाई विभाग की नीतियों को उस आधार पर संचालित करें तभी आपकी समाजवादी मंशा पूरी होगी वर्ना इस प्रदेश तथा प्रदेश में जो गरीब दिन-प्रति-दिन गरीब होता जा रहा है और अमीर दिन-प्रति-दिन अमीर होता जा रहा है यह स्थिति और भयंकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा]

रूप धारण करती जायगी और इसमें सबसे अधिक योगदान आपका ही है। ८० फीसदी किसान हमारे प्रदेश में हैं और उनकी हालत तभी सुधर सकती है जब सिंचाई साधनों की उपलब्धता बढ़े लेकिन वह नहीं बढ़ रही है। जहां पर पहले से सिंचाई साधन उपलब्ध हैं और जहां गरीब किसान है, पिछड़े हुए हैं वहां आपकी योजना काल में उपलब्धता नहीं बढ़ी है। आपकी कार्य प्रगति रिपोर्ट जो है, वह भी गलत है। पर्वतीय क्षेत्र में नैनीताल को लीजिये। मैदानी क्षेत्र में यह दिखाया गया है कि योजना काल में सिंचाई के साधनों की कोई क्षमता नहीं बढ़ी है लेकिन नैनीताल में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर कृषि योग्य भूमि ३५.८ हेक्टर थी वह १९७४-७५ में बढ़ कर ५६.५ हेक्टर हो गयी। सिंचाई की क्षमता के आधार पर और इस प्रकार जितनी आपके पास कृषि योग्य भूमि थी उसकी दुगुनी सिंचाई की क्षमता नैनीताल जिले के पर्वतीय भाग में उपलब्ध हो गयी। इस प्रकार ये आंकड़े आपके गलत मालूम होते हैं। मैं समझता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र के मुकाबले में मैदानी भाग में ज्यादा खेती होती है लेकिन आपने दिखाया है कि कुछ नहीं है और पर्वतीय भाग में कृषि योग्य भूमि आपने ज्यादा दिखाई है इस पर मुझे शंका है। अपने उत्तर भाषण में आप इसे स्पष्ट करेंगे।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आपका विभाग सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और प्रदेश के पिछड़े लोगों की कमाई को खुले हाथ लूट रहा है। कोई भी प्रायोजना हो, पम्प कैनाल हो, ट्यूब वेल हो, अब सब में खुलेआम लूट हो रही है और आपके लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। आप बड़े जिम्मेदार विभाग के मन्त्री हैं, आपका अपने विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर कन्ट्रोल होना चाहिये। आपने अपने बहुत से कर्मचारियों को तथा अधिकारियों को मुअत्तल लिया लेकिन आपका डर उन पर गालिब नहीं है और आपकी शराफत का वह बेजा फायदा उठाते हैं। उसे आपको रोकना चाहिए। शारदा सहायक परियोजना जो हमारे जिले में निकली है, वहां पर बड़ी धांधली है, काम ठीक से नहीं हो रहा है। सीमेंट उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसे आप उपलब्ध कराइये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें, उनका समय समाप्त हो गया है।

श्री भूप सिंह केन (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं। मान्यवर, सिंचाई विभाग प्रदेश के उन अन्य विभागों में से है जो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग के कारण ही हमारे प्रदेश में अनाज की अधिकता और कमी रहती है। अब अनाज की बहुतायत होने की सम्भावना बन गयी है। यह सही है कि कुदरत पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। वर्षा अच्छी हो गयी तो फसल अच्छी हो जाती है और यदि वर्षा अच्छी नहीं हुई समय पर तो किसान हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाता है और पूरे प्रदेश को उसका सामना करना पड़ता है। परन्तु साथ ही साथ जहां वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है वहीं दूसरे स्थान पर सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह अपने सिंचाई के नये-नए साधनों जैसे ट्यूबवेल लगा कर या बांध आदि बनाकर, उसका प्रबन्ध करें। सिंचाई का प्रबन्ध करने का भार सिंचाई विभाग पर ही होता है।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज तक जब से आजादी मिली है, उसके पश्चात् इस विभाग में सिंचाई के बहुत से नये साधन अपनाये गये हैं और इनमें बड़ी तरक्की की गई है। आजादी के पहले बहुत सी सरकारें हुई हैं, अंग्रेजों

का शासनकाल भी रहा है और अपने-अपने शासनकाल में हर सरकार ने कुछ थोड़ा बहुत इन्तजाम किया था। लेकिन बाबा आदम के जमाने से जिस प्रकार गांवों में रहट चला करता था, रात दिन बैलों को मारा जाता था, चरस और ढेकलियों द्वारा सिंचाई की जाती थी, लोहे की बाल्टियों के स्थान पर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था और उन्हें रहट पर लगाकर पानी निकाला जाता था। यह सब अब नहीं होता है और यह भी नहीं माना जा सकता है कि इस सरकार ने और सिंचाई विभाग ने कोई प्रगति इस ओर नहीं की है। पहले की बातों को देखते हुए आज जो प्रगति इस क्षेत्र में हुई है उससे जमीन आसमान का अन्तर प्रदेश में हो गया है। जहां सिंचाई विभाग में इतनी उन्नति हुई है, वहां मैं इस बात को भी मानता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर जो हमारी कुल आमदनी है, उनमें ५४ प्रतिशत आमदनी केवल कृषि विभाग से ही होती है। ८६ प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और वे सब कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। कृषि ही उनका सहारा है। इसलिए मेरी मन्त्री जी से दरख्वास्त है कि वे इस ओर अधिक ध्यान दें।

मान्यवर, सन् १९४७ में जब आजादी मिली तो उस समय कुल सिंचन क्षमता २७.५ लाख हैक्टियर भूमि में थी। और प्रथम योजना काल के अन्त तक ३० लाख हैक्टियर भूमि में सिंचाई हुई। उसके बाद प्रथम योजना में ३७.६ लाख हैक्टियर, दूसरी योजना में ४४.६ लाख हैक्टियर, तीसरी योजना में ५१.७ लाख हैक्टियर और चतुर्थ योजना काल के अन्त तक ६५.१२ लाख हैक्टियर जमीन पर सिंचाई की क्षमता हो गई। अनुमान है कि इस वर्ष १९७४-७५ के अन्त म यह सिंचाई क्षमता बढ़कर ६९.२८ लाख हैक्टियर हो जाएगी। जिस तरह से कदम बढ़ाए गए हैं वह सराहनीय है। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस ओर जितना ध्यान दिया गया उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया था और यदि दिया भी था तो वह नहीं के बराबर था। पर्वतीय भागों में योजना काल के पहले राजकीय सिंचन क्षमता १६,२०० हैक्टियर भूमि की थी वहां चतुर्थ योजनाकाल के अन्त तक ८५,४०० हैक्टियर हो गई और यह १९७४-७५ के अन्त तक ८९,७०० हैक्टियर हो जाएगी। जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर सरकार ने ध्यान दिया है उसी प्रकार पूर्वी क्षेत्रों में भी सरकार ने काफी ध्यान दिया है। वहां योजनाकाल के पहले सिंचन क्षमता ९५,३०० हैक्टियर थी, चतुर्थ योजना के अन्त में १९,६४ २७० हैक्टियर हो गई और वर्ष १९७४-७५ में अनुमान है कि यह सिंचन क्षमता २१,४१,७७० हैक्टियर हो जाएगी। मान्यवर, इस प्रकार प्रदेश का कुल बोया हुआ क्षेत्रफल २२९ लाख हैक्टियर हो जाएगा। यह केवल ३० प्रतिशत ही है जो कि कम है। सरकार को इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मुझे दो मिनट का समय और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

दो मिनट बोल लें।

श्री भूप सिंह केन--

मैं मन्त्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि उन्हें जहां कहीं ढील दिखाई देती है उसको वह ठीक कर। कुछ अधिकारीगण अवश्य प्रयत्नशील हैं लेकिन अधिकतर देखा जाता है

[श्री भूप सिंह केन]

कि सिंचाई विभाग में कुछ लोग आंखें बन्द कर बैठ जाते हैं और किसानों की सिंचाई की ओर ध्यान नहीं देते हैं।

मान्यवर, मैं हापुड़ से आता हूं वहां पर बड़ौदा और भटिया गांवों में जो सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाते हुए एक वर्ष हो गया है अधिकारियों को लिखा गया लेकिन अभी तक जो बिजली खराब हुई है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह बड़े भोले हैं जिससे अधिकारीगण ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं सीधे-सीधे मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह अधिकारियों पर भरोसा न करें बल्कि अपनी तरफ से आदेश निकालें और अगर जरूरत पड़े तो उन क्षेत्रों में भी जायं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री भूप सिंह केन--

मान्यवर, पसौंड़ा माइनर नहर के बारे में जो पूर्वी यमुना नहर का हेड ताजीवाला है, वह अभी तक अच्छी तरह से नहीं बन पाया है। उसको जल्दी पूरा किया जाय। मान्यवर, मन्त्री जी यद्यपि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री भूप सिंह केन--

वहां पर चकबन्दी हुए कई वर्ष हो गए आज तक बार बन्दी नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष--

चकबन्दी का इससे क्या मतलब है। आप समाप्त करें।

श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मोतीलाल देहलवी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं आपके द्वारा सिंचाई मन्त्री जी से कुछ जानकारी चाहता हूं और उनकी नोटिस में भी यह बात लाना चाहता हूं कि जहां उन्होंने सिंचाई के लिए कहा है कि हम प्रगति कर रहे हैं। मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि सन् १९४४-४५ में एक योजना घुसपायां माइनर जो वान्यकी लखनऊ ढकुवानें पुल से काजीपुर, बनोबा, निवादा, चांदा बैजा, बारू, अलकों, जिला उन्नाव में आपको शारदा नहर लखनऊ के ब्रांच के बारे में बतला रहा हूं। यह माइनर तो इसे अरकों के पास खारजा में गिरना था इसकी दो मर्तबा नाप हो चुकी है। आजादी के पहले की बात है लेकिन अभी तक यह माइनर नहीं बन सकी है। यह बहुत आवश्यक है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि आप कहते हैं कि शासन के पास रुपया नहीं है, आप बड़ी-बड़ी योजनायें बना रहे हैं। लेकिन यह छोटी जो योजनाएं हैं जिनको बहुत थोड़ा रुपया चाहिए, जो कम रुपये में बन सकती हैं जिन पर ८० फीसदी जनता सिंचाई के लिए निर्भर रहती है, उनकी प्रगति के लिए आवश्य कार्यवाही करें। मान्यवर, मैं संडीला, जिला हरदोई से आता हूं वहां पर एक दूसरी माइनर है मुहम्मदपुर खुल्हेना जो, आज से ५, ६ साल पहले सर्वे हो चुका है वह अभी तक नहीं बन सकी है। अगर वह बन जाती तो हमारे यहां कितने ही किसानों को राहत मिलती।

ढकवा पुल के पूरब से तीसरा गाजीउद्दीन मलेया सनई होकर एक माईनर निकलता है। सन् १९६७ में मैंने मंत्री जी को बताया था कि यह मंजूर हुई है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसके लिए भी आज तक कोई काम नहीं हुआ है कई बार पैमाइश हो चुकी है। बड़ी छोटी सी बातें हैं, जिन्हें मुझे इस सदन में कहते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है। आज सिचाई के लिए फसली कुलाबे जो हैं, उनको लेन-देन करके कुछ काश्तकार लगवा लेते हैं। किन्तु यदि उनके बारे में वे कहते हैं कि ये स्थायी कुलाबे कर दिए जायं, तो बड़ी परेशानी होती है। जवाब दिया जाता है कि पानी नहीं है। अगर फसली कुलाबे के लिए पानी हो सकता है तो मुश्तकिल करने में कौन सी कठिनाई है, यह समझ में आने की बात नहीं है। बेहतर-खुर्द के पास एक कुलाबा मैं आपकी याद में लाना चाहता हूं। इसके अलावा अटिया ग्राम सभा अटिया का ककरइया मजरा है, उसके लिए कहना चाहता हूं तथा गौसापुर पुल (लखनऊ ब्रांच) के पश्चिम ७ फर्लांग पर एक कुलाबा है, उसके बारे में अगर आप तकलीफ गवारा करके दिखलवा लें कि फसली कुलाबे लगे हुए हैं, लेकिन ये चोरी से लगे हुये हैं। आज उन्हें स्थायी करने में हमारी सरकार बिल्कुल असमर्थ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उसका निरीक्षण करके तत्काल उनको स्थायी कुलाबे करने की आप व्यवस्था करें।

दूसरी बात यह है कि आज न तो नहरों की समय से सफाई होती है और न नहरों को गहरा किया जाता है, जिससे टेल पर काफी पानी पहुंचता ही नहीं है। जिससे कि थोड़ी दूर जाने के बाद आगे पानी न पहुंचने से आगे के लोग पानी से वंचित रह जाते हैं। सरेहरी माईनर, अवरामऊ माईनर, सोम माईनर को मैं आपके सामने इस सम्बन्ध में मिसाल के तौर पर रखना चाहता हूं। संडीला ब्रांच में खरीफ में पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं होता है, कृपया वह देख कर पानी देने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष––

आपके केवल दो मिनट शेष हैं।

श्री काशीनाथ मेहरोत्रा––

कल १० मिनट थे, आज ७ मिनट हो गए। आपके बैठने से तो आज ज्यादा समय मिलना चाहिए था, लेकिन आज आपके होने से ३ मिनट और कम हो गए हैं। तो मैं कह रहा था कि आज ठीक तरह से न उनकी व्यवस्था होती है और न नहरों को गहरा किया जाता है। नहरों में खांदी भी काफी काटी जाती है। उसकी तरफ भी मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरेहरी माईनर में यही हालत है, बहलीलपुर के पास एक बड़ी खांदी काट दी जाती है। अवरामऊ माइनर का पानी भी असही आजमपुर से आगे नहीं पहुंच पाता है। इस तरह से तमाम आगे के लोग पानी से वंचित हो जाते हैं।

ट्यूबवेल में १५ रुपया फी हार्स पावर का जो आपने रेट रखा है। आपने सिंचाई के लिए लोगों पर लगभग तीन-चार गुना पैसा खर्च बढ़ा दिया है। यह कौन सा समाजवाद है। यदि किसी काश्तकार ने कभी १० हार्स पावर का मंजूरी कराया था, लेकिन उसने वास्तव में साढ़े ७-१/२ हार्स पावर का ही इंजन लगाया है तो आपकी तरफ से

[श्री काशीनाथ मेहरोत्रा]

कहा है कि वह कम नहीं हो सकता है। चाहे उसने १० हार्स पावर की जगह १५ हार्स पावर का इंजन लगाया हो। क्या यह उचित नहीं है कि आप सर्वे कराएं कि जिन-जिन ट्यूबवेल पर जितने हार्स पावर के इंजन हैं, उसी हिसाब से उनसे चार्ज किया जाए ? इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम दुलारे (जिला राय बरेली)--

मैं आप की आज्ञा से माननीय सिंचाई मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने इस बजट सेशन में जनरल डिबेट भी सुना। और इस सिंचाई की मांग के विषय पर भी सुना। जनरल डिबेट में चौधरी चरण सिंह जी की स्पीच सुना। हिस्ट्री आफ इकानामिक्स थाट को पढ़ने से मालूम होगा कि १८वीं शताब्दी में जो फिजियोक्रेट्स कहा करते थे कि केवल कृषि से उन्नति आ सकती है उसी पर सारा धन लगा दिया जाय, उसी से सारी तरक्की हो सकती है, वही चौधरी चरण सिंह की स्पीच में सुना। लेकिन माडर्न इकानामिस्ट्स ने जो थ्योरी बनायी है, उसके अनुसार खेती की तरक्की के लिए इन्डस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। आज हमारे सामने सिंचाई की मांगें उपस्थित हैं। हम कहते हैं कि सिंचाई विभाग हमारी खेती के लिए पूरा पानी नहीं दे पाया। पूरा पानी देने के के लिए या तो जमीन के अन्दर से पानी निकालें या यह हिमालय पहाड़ से जो नदियां निकलती हैं, उनसे पानी प्राप्त करें। इन साधनों को बनाने के लिए, नहरों या ट्यूबवेलों को बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए, वह भी इन्डस्ट्री में बनती है। अभी यह कहा गया कि २७ वर्षों में सिंचाई के साधनों में उपलब्धि बहुत कम है। यह ठीक है। लेकिन जिस तरीके से साधनों की कमी है हमारे देश के अन्दर उसी तरीके से जो तरक्की हुई है, पंचवर्षीय योजना शुरू करने के पूर्व के जो आंकड़े हैं, उससे अधिक, सिंचाई के आंकड़ों में जो वृद्धि हुई है, वह हम कहते हैं कि हमारे साधनों के हिसाब से काफी सन्तोषजनक नहीं है। १९४७ में ६७ लाख एकड़ जमीन सिंचित होती थी, राजकीय साधनों से। द्वितीय, तृतीय और चौथी योजना के अन्त में १०३.६० लाख एकड़ भूमि पूरी सींची जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आंकड़े सब सरकार के पास हैं। अपनी बात पहले बतादें।

(शोर होने पर)

माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री राम दुलारे--

आज जब देश आजाद हुआ, हम लोग चाहते हैं और सभी लोग चाहते हैं, और देखते हैं कि कहां सिंचाई की योजना है कहां नहीं है। हमारी सरकार ने इतने साधन जुटाए, हमारे मन्त्री जी एक बड़े ईमानदार और कर्मठ आदमी हैं। हर एक आदमी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की रट लगाता है। भ्रष्टाचार बढ़ने की आखिर वजह क्या है ? हम सब लोग देश के रहने वाले भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं लेकिन वह बढ़ता जा रहा है। इसका क्या कारण है ? मेरी समझ में यह आया कि जो सबसे अधिक भ्रष्टाचारी होता है वह सबसे ज्यादा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भ्रष्टाचार का नाम लेता है। यदि हम सब लोग एक गुट हो कर मन्त्रिगण, माननीय सदस्य और जनता के लोग इसके विरोध में काम करना शुरू कर दें तो ऐसी चीज नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकती है। हम मानते हैं कि सभी अधिकारी ईमानदार नहीं हैं। कुछ खराब भी हैं। कुछ बड़े कर्मचारी और कुछ छोटे कर्मचारी खराब भी हैं। हमारे माननीय मन्त्री जी ने अधिकारियों के खिलाफ बहुत से ऐक्शन्स लिए हैं।

मैं इस समय आपके सामने कुछ क्षेत्रीय समस्याओं को भी रखना चाहता हूं। हमारे यहां एक शारदा सहायक योजना गुजर रही है, रायबरेली के बीच में इस गांव से लेकर उस गांव तक चीरती चली जा रही है। उससे किसानों को सबसे बड़ी तकलीफ यह है . . .

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय सदस्य ने एक बात कही है, जो भ्रष्ट होता है वह भ्रष्टाचार का नाम लेता है और जो पवित्र होते हैं वह भ्रष्टाचार का काम करते हैं।

श्री राम दुलारे—

मैं यह कहता हूं कि वह समय आ गया है, एक आदमी भागा जा रहा है, दस आदमी जो उसके पीछे हैं वह भी उसी में शामिल हो जाते हैं। अब कोई पहचान में नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का २ मिनट शेष है।

श्री राम दुलारे—

मैं क्षेत्रीय समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता था। वहां पुल बहुत ही कम हैं जससे किसानों को बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। नदी के एक किनारे किसी किसान का एक खेत है और दूसरे किनारे पर दूसरा खेत है। अगर वह देखता है कि दूसरे किनारे वाला उसका खेत काटा जा रहा है तो वह कुछ नहीं कर सकता है। खेती करने के लिए दूसरे किनारे जाने के लिये उसको ४-६ मील चलना पड़ता है। इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस नहर पर और करीब करीब पुल बनाये जिससे किसानों को सुविधा हो और उनकी इस समस्याका समाधान हो सके।

ट्यूबवेल के बारे में यह है कि एक पुरासी गांव है वहां पर एक नलकूप बना हुआ है। मैंने उसे देखा है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री राम दुलारे—

अन्त में मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आये दिन हमारे देश में अन्न की कमी की वजह से दूसरे देशों में जाकर अन्न के लिए तथा अपने देश के लोगों को जिन्दा रखने के लिए भीख मांगने की

[श्री ऊदल]

आवश्यकता पड़ती है। जहां एक तरफ तो इस विभाग की इतनी महत्ता है वहां यदि इसकी कारगुजारी देखी जाए, तो बहुत ही असन्तोष होता है।

मन्त्री जी के बारे में बड़ा जिक्र हुआ कि बड़े भोले-भाले हैं और सज्जन हैं। लेकिन सज्जनता और भोले-भालेपन से आज विभाग नहीं चलाया जा सकता है। आज प्रदेश में जरूरत इस बात की है कि कहां-कहां ऐसे क्षेत्र हैं जहां का नक्शा बनाया जाय और सर्वे होना चाहिए, जहां नहर से पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है वहां लिफ्ट योजना द्वारा पहुंचाया जा सकता है। कहां ट्यूबवेल की जरूरत है। लेकिन आज हो यह रहा है कि प्रदेश में जहां नहर है, लिफ्ट योजना है वहीं नल-कूप लगाये जा रहे हैं। हमारे जिले में ऐसा ही रहा है। एक तहसील में काफी सिंचाई के साधन हैं। बाराणसी तहसील में बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल लगाना चाहिए।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री ने कमेटी की अवहेलना करके आपने दो चक कई एक गांवों में दो-दो नलकूप लगवा दिए। एक टंडवा और भैंसा पम्प कैनाल है। हम एक कमेटी के साथ वहां गए थे। एक १५ इंच के पाइप की है और दूसरी ३० इंच के पाइप की है और ठीक से चल रही है लेकिन टंडवा में ४० इंच मोटा पाइप ४०/५० की तादाद में खरीद कर रखा गया है और भैंसा में ३० इंच की पाइप मंगा कर लगा दी गई है। जिसमें कार्य नहीं लिया जाता, बेकार डबल लगाई गई है। इस सम्बन्ध में मैंने सवाल किया है लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। मन्त्री जी कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। हम परेशानी में हैं लेकिन इधर लाखों रुपये का पाइप खरीद कर वहां रखने की क्या आवश्यकता है? इसी तरह से टंडवा पम्प कैनाल की गड़खड़ा माइनर अधूरी है, न पुलिया बनाई है और न माइनर ही बनायी है, लेकिन इससे सिंचाई के रेट सप्ताह में दो दिन का लिखा जा रहा है, जब कि आज तक पानी नहीं गया। जांच होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें बड़े पैमाने पर हो रही हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हो सकते हैं।

बनारस तहसील में नलकूप के बारे में विश्व बैंक की एक टीम आयी थी। उसने पूरे प्रदेश में २ जिलों—एटा और बनारस को सेलक्ट किया। पिछले वर्ष मैंने इस सम्बन्ध में सवाल भी किया था तो मालूम हुआ कि २० नलकूपों का एलाटमेन्ट है। जमनियां लिफ्ट कैनाल नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है पिछले साल नहर पाटो आन्दोलन चला और सरकार ने सैकड़ों आदमियों को जेल में बन्द कर दिया और उक्त नहर पर लाखों रुपया बेकार हो गया है और हेड के गांव पानी से डूब जाते हैं इसलिए हेड के पास नहर को ऊंचा करना चाहिए।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता का सेवक समझना चाहिए। ये लोग अपने को जनता का सेवक नहीं समझते हैं। बल्कि शासन-कर्ता समझते हैं। इस विभाग के कर्मचारियों का सीधा सम्बन्ध ८५ प्रतिशत देहात की जनता से रहता है। इस विभाग में घोटाला भी बहुत ज्यादा है। करोड़ों रुपये का घपला है। हमारे जिले में २६ लाख रुपये का घोटाला ३ डिवीजनों में हो गया है। कौन जांच करे। मैं कहता हूं कि उस पर लीपा पोती कर दी गयी। गाजीपुर के रिग्स डिवीजन, बलिया के रिग्स

डिवीजन, वाराणसी रिग्स डिवीजन तथा वाराणसी लिफ्ट मण्डल में करोड़ों रुपये का घपला है। मैंने नाम लिखकर अधिकारियों के दिए थे, स्पीकर महोदय के माध्यम से। उन्होंने आदेश दिया था। मुझे पता चला है कि माननीय मन्त्री जी की फाइल से एक अधिशासी अभियन्ता से सम्बन्धित कार्यवाही के कागज ही निकाल लिए गए हैं। एक हमारे सिंचाई विभाग के सेक्रेटरी साहेब हैं और एक जगमोहन साहेब हैं। ये दोनों बड़े गुटबाज हैं। ये महोदय सभी को बचाने की कोशिश करते हैं। गाजीपुर रिग्स एवं सिंचाई विभाग द्वारा जीपों और ट्रकों के स्पेयर पार्ट्स के लिए जनवरी से जून, १९७४ तक २५ लाख रुपये के खरीदे गए। मन्त्री जी बड़े भोले-भाले हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। तमाम नाले और नदियां गांव को प्रभावित करती हैं, रास्ते नहीं हैं। वाराणसी जिले में एक कुन्डी नाला है। यहां पर कनियर गांव के रास्ते पर पुल बनाने के लिए मन्त्री जी ने जुलाई, १९७४ में आदेश दिए थे। उस पर १५-२० हजार रुपया खर्च होगा लेकिन वह अब तक नहीं बनाया गया। बनारस में सिंचाई विभाग में करोड़ों रुपये का घपला है। बैंक और ट्रेजरी को धोखा देकर रुपया निकाल लिया गया और सिंचाई विभाग के अधिकारी सोते रहे। जब मैंने लिख कर दिया और अखबारों में यह मामला प्रकाशित हुआ तो यह चीज सामने आयी। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को जनता का सेवक बनना चाहिए। यह मैं मांग करता हूं।

श्री अनिरुद्ध राय (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं सिंचाई मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, कृषि में सिंचाई का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रदेश के हर अंचल में सिंचाई में अभी तक प्रगति हुई है। इस अवसर पर मैं अपने जिले, देवरिया की सिंचाई की स्थिति के बारे में आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देवरिया जनपद में अन्य साधनों के अतिरिक्त गन्डक परियोजना भी है जिसके माध्यम से वहां पर सिंचाई का कार्य होता है और उससे बहुत बड़ा भू-भाग लाभान्वित होता है।

सिंचाई के दृष्टिकोण से देवरिया जनपद २ हिस्सों में बंटा हुआ है। इसका एक भाग रेल लाइन के उत्तर में स्थित है और दूसरा दक्षिण में। उत्तरी हिस्से में अन्य साधनों के साथ गन्डक नहर से भी सिंचाई होती है, परन्तु देवरिया के दक्षिणी हिस्से में जिसमें गौरी बाजार, बैतालपुर, रुद्रपुर, भागलपुर, बरहज, भलुवनी, भाटपार और बनकटा आदि ब्लाकों में गडन्क की योजना नहीं है। गत वर्ष हमारे जनपद में कई माननीय सदस्यों ने यह आग्रह किया था कि गन्डक परियोजना को शेष क्षेत्रों में भी लागू किया जाय। शासन ने कुछ आश्वासन भी दिए थे परन्तु पता नहीं किन कारणों से वह योजना लागू नहीं की गई। बाद में पता चला कि वे लिए जायेंगे लेकिन माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने सिंचाई के कालम में केवल १४ जिले लिए हैं जिनमें गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ और अन्य पूर्वी जिले हैं लेकिन पता नहीं कि देवरिया किन कारणों से छोड़ा गया है? मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार से देवरिया जनपद की उपेक्षा न की जाय।

[श्री अनिरुद्ध राय]

एक बात मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देवरिया में न केवल सिंचाई की कमी है बल्कि वहां पर दूसरी ओर बाढ़ और सूखे का भी हमेशा ही प्रकोप रहता है। वहां पर प्रति वर्ष बाढ़ से करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति का नुक्सान होता है। इन दैवी प्रकोपों के साथ-साथ गन्डक नहर की भी वहां पर बड़ी भयावह स्थिति होती चली आई है। गन्डक नहर के पूरा न होने के कारण जगह-जगह पर उसके पानी की निकासी कर दी जाती है जिससे पानी जमा हो जाता है और बाढ़ की शक्ल ले लेता है। और गत वर्ष हमारे निर्वाचन क्षेत्र, गौरी बाजार की जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, और जहां पर पहले कभी बाढ़ नहीं आई, वहां भी बाढ़ आई। गन्डक नहर का पानी खेतों में बहा दिया गया जिसमें आस पास के ३०० गांव उस पानी से प्रभावित हुए। इसके बारे में हमने सरकार को एक सुझाव दिया था। उसके अनुसार वहां पर कुछ कार्य भी हो रहा है लेकिन जो हो रहा है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं आपके द्वारा अपने सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस कार्य में तेजी लाई जाय अन्यथा, जो स्थिति पारसाल हुई थी, वह इस साल भी होगी। यह जिला प्रदेश का वह पिछड़ा जिला है जिसकी प्रगति के लिये पटेल कमीशन की भी नियुक्ति की गई थी लेकिन पता नहीं कि किन कारणों से वह स्कीम वहां पर लागू नहीं हो पाई और वह जनपद वंचित रहा।

इस अवसर पर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के ब्लाक, बलुवही के बारे में भी कहना चाहता हूं जो कि छोटी गंडक के किनारे पर बसा हुआ है। वह गांव कटाव की स्थिति में है। मैंने इसके बारे में सरकार को भी लिखा था और यहां से कोई जांच भी हुई है लेकिन जहां तक मुझे मालूम हो पाया है, पता चला है कि यह रिपोर्ट हुई है कि वहां से आबादी को हटाया जाय। मेरा सरकार से कहना है कि आबादी को वहां से हटाने पर कटाव को नहीं रोका जा सकेगा। आबादी तो हट जायगी लेकिन जो वहां पर उर्वरा भूमि कृषि के योग्य है, वह नदी में चली जायगी।

अब मैं सिंचाई विभाग की मालगुजारी की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बाढ़ के जमाने में जो पानी बह कर गया था, उसकी भी पड़ताल इनके अधिकारियों ने करके काफी मात्रा में पैसा लगा दिया। मिसाल के तौर पर मेरे निवास स्थान के बगल में एक ग्राम लखनचन्द है, वहां से नहर डेढ़ मील दूर है और इस साल गूल बना कर वहां तक लायी गयी है लेकिन दो वर्ष आगे की मालगुजारी लगायी है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

*श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बुन्देलखंड में नहर विभाग के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है और विशेषतौर से मैं चाहूंगा कि सिंचाई विभाग का जो प्रशासन है, वह इसकी ओर ध्यान दे। अभी बांदा में इसी १५ और २२ तारीख को इतने बड़े प्रदर्शन हुये हैं जिनका इतिहास में कोई नमूना नहीं है। करीब २५ हजार आदमियों ने २२ तारीख को और करीब १५ हजार आदमियों ने १५ तारीख को नहर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कुछ सदस्यों के खड़े खड़े बातें करने पर)

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। खड़े हो कर बातें न करें।

श्री जमुना प्रसाद बोस––

शासन ने लिखा है कि बांदा में जो केन नहर प्रणाली है उसमें पानी देने की क्षमता कम है। वहां की नहरें खतों का पानी नहीं दे सकती हैं। जहां तक मेरी जानकारी है केन १ लाख २० हजार एकड़ भूमि सींच सकती है। जब उसकी केवल इतनी क्षमता है तो २ लाख एकड़ पर सिंचाई कर लगाना बड़ा अन्याय है और इसी अन्याय के खिलाफ १५ और २२ तारीख को हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया। वहां के जिलाधीश ने भी लिखा है कि सिंचाई विभाग के खिलाफ किसानों को इतना असंतोष था कि १० हजार लोगों ने–यह जिलाधीश का कहना है–बांदा में प्रदर्शन किया। कल झांसी डिवीजन के कमिश्नर ने भी देखा कि करीब २५ हजार किसानों ने नहर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहां नहरें गेहूं की फसल को पलेवा का पानी नहीं दे सकीं। इससे किसान बड़ा परेशान है और अभी २१ तारीख को करीब ३० गांवों के किसान मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री जी से मिले। मुख्य मंत्री जी ने तो यह आश्वासन दिया कि बांदा जिले को हम लेवी से मुक्त कर चुके हैं। लेवी से मुक्त करने की जरूरत तभी पड़ी जब वहां की फसलें सूख गयीं। ये खुद कहते हैं कि वहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं और जो हैं भी, वह बहुत कम। ऐसी हालत में वहां सिंचाई कर लगाना और पलेवा की वसूली करना बहुत बड़ा अन्याय है। जिस तरह बांदा को लेवी से मुक्त किया गया है उसी तरह सिंचाई और पलेवा के कर से भी बांदा जनपद को मुक्त किया जाना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसानों ने कहा है कि बांदा भी बिहार बनेगा। वहां ऐसी बगावत होगी जिसको शासन संभाल नहीं सकता है।

इसके अलावा जो ट्यूबवेल के इंजीनियर्स हैं ये बहुत बड़ी संख्या में सस्पेंड किये गये। मैं गाजीपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। जहां एक ओ० एन० मिश्रा है ओ० एन० मिश्रा, इन्जीनियर, की वहां नियुक्ति हुये ३ दिन ही हुये थे मगर उसको भी और लोगों के साथ सस्पेण्ड कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि प्रशासन आंख मूंद कर वहां पर कार्य कर रहा है। वहां पर टके सेर भाजी, टके सेर खाजा वाला हिसाब हो रहा है। मैं सिंचाई मंत्री जी से अपने यहां के अन्य किसान भाइयों के साथ मिला भी था और मैंने उनको दावत भी दी थी, अपने यहां आकर यह सब देखने की। उन्होंने कहा कि सेशन के बाद मैं आऊंगा। हम माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिले थे, उन्होंने भी आने का आश्वासन दिया। आप कृपया वहां आकर देखिये कि किस प्रकार की लूट मची हुई है। उस कानून से क्या लाभ जिससे किसान का अहित हो। डा० लोहिया ने एक कानून को हाई कोर्ट में रिट दाखिल करके खत्म कराया था क्योंकि उससे किसान का नुकसान होता था। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहूंगा कि वे बांदा जनपद में आकर देखें कि वहां किस प्रकार सारे खेत सूखे पड़े हैं, और उसके बावजूद भी किसानों से सिंचाई और पलेवा के लिये कर वसूल करने की नोटिसें दी जा रही हैं। जब

[श्री जमुना प्रसाद बोस]

माननीय चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उस समय एक बार हमारे यहां ढोल पीट-पीट कर यह कहा गया था कि अगर आय का २५ फीसदी हमको दे दो तो हम यह लिख देंगे कि सारी फसल नष्ट हो गयी और सारा कर माफ हो जायेगा। उस वक्त तत्कालीन मुख्य मंत्री ने वहां के तमाम आफिसरों को हटा दिया था। आज बांदा जनपद में खुलेआम लूट मची हुई है। आप आकर सिंचाई विभाग द्वारा इस लूट को देखने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

*श्री रामशिरोमणि दुबे (जिला जौनपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे जो इस बजट अनुदानों पर बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो यह पुस्तिका बंटी है इसमें सई नदी पर एक लिफ्ट लगाने की बात है। मैं इसके पूर्व भी निवेदन कर चुका था कि बिकेपुर में एक लिफ्ट पहले से लगा हुआ है। सई नदी में इतना पानी नहीं है कि उसमें दूसरा लिफ्ट लगाया जाय। जो पहला लिफ्ट है उसी से सिंचाई नहीं हो पा रही है। इसलिये उसका और अधिक विस्तार कर देने से जनता की जमीन तो नष्ट होगी, साथ ही उससे जनता का कोई लाभ नहीं हो पायेगा। मेरा निवेदन है कि सिंचाई मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान दें। दूसरी बात मुझे यह कहना है कि हमारे यहां बालामऊ में सन् १९७० में सई नदी के अन्दर सर्वे हुआ कि बालामऊ में लिफ्ट लगायी जायेगी। आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कि इस सम्बन्ध में लिफ्ट विभाग वाले क्या कर रहे हैं। अगर बालामऊ में सई नदी के अन्दर लिफ्ट लगा दी जाती है तो उस क्षेत्र का बड़ा कल्याण हो जायेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बालामऊ में लिफ्ट लगाने की कृपा की जाय। सन् १९७० से स्वीकृत योजना है।

तीसरी बात मैं आपके माध्यम से बेरी लिफ्ट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सन् १९७० में ही बेरी लिफ्ट की योजना बनी थी लेकिन आज तक जब कि पूरी नहर खुद गयी और जनता की सारी जमीन बरबाद हो गयी लेकिन आज तक उस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हो सका जिससे काश्तकार परेशान हैं। क्या कारण है? कई बार मैंने इस सम्बन्ध में लिखापढ़ी भी की लेकिन समुचित उत्तर नहीं मिला। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि बेरी लिफ्ट को जो जौनपुर जनपद में है, चलाने की कृपा करें क्योंकि उसके न चलने से वहां की जनता में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि हमारे जिले में दो ब्लाक ऐसे हैं जहां कि आज तक, जब से मुल्क आजाद हुआ है, तब से आज तक कुल ४ ट्यूबवेल्स बने हैं। एक महाराजगंज ब्लाक है और दूसरा बदलपुरा। इस सम्बन्ध में कई बार मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया, जो पूर्व के थे उनसे भी और आपसे भी एक दो बार कहा है। एक कमेटी बनी हुई है जो ट्यूबवेल स्वीकृत करती है दोनों ब्लाक के लिये लेकिन लग नहीं पाता। उसका कारण यह है कि वहां ९०० फीट के नीचे पानी है और कहा जाता है कि डिवीजन के अन्दर केवल एक मशीन है जो ९०० फीट नीचे तक बोरिंग कर सकती है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जहां वे क्षेत्रीय क्षमता की बात करते हैं, जहां यह कहते हैं हैं कि हर क्षेत्र को बराबरी का अवसर मिलना चाहिये; वहां इस बात का बराबर यह विशेष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ध्यान रखा जाना चाहिये कि हमारे जिले के दो ब्लाक्स जो इतने पिछड़े हुए हैं, कि वहां सिंचाई के कोई भी साधन नहीं हैं, वहां कुल ४ ट्यूबवेल्स आज तक लगे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी वहां ९०० फीट से नीचे बोरिंग करने वाली मशीन लगा कर ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल्स बोर करायेंगे।

पांचवीं बात मुझे यह निवेदन करनी है कि हमारे यहां जो ट्यूबवेल्स लगे हैं वे फरीदाबाद, रमाढ़ा बसरही, बैसहा रामपुर, बसेली में हैं जो सन् १९७० में लगे थे लेकिन आज तक ५०० फीट बोरिंग करके ही छोड़ दिये गये हैं। उनमें पानी बहुत कम है। जब इस सम्बन्ध में मैंने लिखा तो यह कहा गया कि फिर बोरिंग करायी जायेगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब नालियां बन गयीं, मकान बन गये, इंजन नहीं लग सका है। सब चीज है तो ऐसी स्थिति में फिर बोरिंग करायी जायेगी जिससे काश्तकारों को लाभ हो सके। जो ट्यूबवेल बिगड़ जाते हैं उनकी स्थिति यह है कि जो उनकी मरम्मत करने वाले हैं, उनसे बात करने पर वे कहते हैं कि जौनपुर जायेंगे तब सामान लायेंगे। एक नट भी खराब हो, तो जौनपुर जायेंगे, उसे लाने के लिये। ऐसी स्थिति में क्या यह नहीं हो सकता कि जहां उनके केन्द्र हों ट्यूबवेल्स के मरम्मत करने के, वहीं पर सारे सामान की व्यवस्था कर दी जाय जिससे उनको दूरदराज न जाना पड़े और काश्तकारों को भी परेशानी न उठानी पड़े इस तरह से जल्दी ही ट्यूबवेल्स बन सकते हैं।

एक बात और कहनी है कि जहां लिफ्ट हैं या ट्यूबवेल्स हैं, वहां नालियां जो बनती हैं वे ऐसी होती हैं जो ज्यादा से ज्यादा साल भर, डेढ़ साल से अधिक नहीं चल पाती हैं और वे खराब हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है, जैसा कि हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा इसमें १/४ का सीमेन्ट लगने के बजाय, १/६, १/१० और १/१२ तक का सीमेन्ट लगता है जिससे वे नालियां जल्द खराब हो जाती हैं। तो इस ओर भी आपको ध्यान देना है।

एक चीज के बारे में मैं और कहना चाहता हूं। नदियों से कटाव अधिक हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सई नदी जो है, यह उत्तर प्रदेश में सबसे कटाव की नदी है। इसके किनारे के सारे गांव बरबाद हो रहे हैं और सारी जमीन नष्ट होती जा रही है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसका सर्वे कराकर जहां-जहां जरूरत है, कटाव रोकने की व्यवस्था करे जिससे जो काश्तकार हैं उनकी जमीनें बच सकें।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य का समय समाप्त हुआ।

श्री राम शिरोमणि दूबे––

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री जंग बहादुर (जिला आजमगढ़) ––

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, सिंचाई के सम्बन्ध में माननीय मोतीलाल देहलवी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंग बहादुर]

मान्यवर, यह सिंचाई की बहस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह सरकार सिंचाई का ही इंतजाम कर दे तो पूरी हालत सुधर जायगी। पानी के सिलसिले में रहीम जी ने कहा है :—

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,
पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुस, चून।

तो जैसे मोती, मानुस, चून के लिये पानी बहुत महत्वपूर्ण है उसी तरह से कृषि के लिये भी सिंचाई महत्वपूर्ण है। लेकिन यह सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, कतई नहीं करना चाहती है। किसानों को कोई सुविधा नहीं देना चाहती है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

सरकार का पानी ही उतर गया है।

(हंसी) (आपस में बातचीत की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, शांत रहें।

श्री जंगबहादुर (आजमगढ़)—

मान्यवर, नलकूप लगवाने के लिये हमारे जिले में किसानों को लाइन का व्यय 'केयर योजना' के अन्तर्गत मिल जाता था जिससे किसानों को कनेक्शन नलकूप के लिये मिल जाता था। इससे राज्य विद्युत परिषद् को भी अधिक क्षति नहीं थी दूसरे इससे पूर्वांचल के गरीब किसानों को बिजली मिल जाती थी।

परन्तु १९-१२-७४ को राज्य विद्युत परिषद् के इसके आदेश के अन्तर्गत कि नलकूपों के लिये फ्री कनेक्शन नहीं मिलेगा, अधिकारियों ने 'केयर योजना' को नलकूपों का विद्युतीकरण भी रोक दिया।

और तो और इस आदेश के पूर्व की विधियों में 'केयर' ने आजमगढ़ के १०६ किसानों को बिजली पाने हेतु लगभग सवा चार लाख रुपये विद्युत् विभाग को दिया, उन किसानों को भी बिजली नहीं दी जा रही है।

तो मैं चाहता हूं कि बिजली दी जाय जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके।

हमारे आजमगढ़ में लालगंज में शारदा कैनाल की थेकमा शाखा है, सूखी पड़ी है, उसमें से माइनर निकाला जा रहा है जिससे गरीब किसानों की जमीन बरबाद हो रही है। इसके अलावा जहां-जहां नहर टूट गयी है वहां अधिकारी गये, देखने के लिये, लेकिन किसान को कोई राहत नहीं दी गयी।

हमारे साथी राम आधार जी ने कहा कि यहां बजट का वितरण हो गया या पहाड़ों पर चला गया। पहाड़ों की बात नहीं है, यह ऐसा वितरण है जैसा अमृत का हुआ था। श्री रामचरित मानस में है :—

अमृत वृष्टि भई दोउ दल ऊपर,
जिये भालु-कपि, नहि रजनीचर।

अमृत की बरसात हुयी तो भालू बंदरों का मुंह ऊपर कर दिया, राक्षस मरे ही मरे रह गये। बनारस, पश्चिमी जिले आदि का मुंह ऊपर है, अनुदान–नलकूप और सिंचाई के साधन उनके मुंह में हड़प हो जाते हैं। गरीबों को कोई पूंछने वाला नहीं है।

हमारे यहां एक नहर छितवा, गाजीपुर तक जाती है। अधिकारी लोग उस पर चलने भी नहीं देते। गांवों के सामने पुलिया का भी प्रबंध नहीं है। नहर से माइनर निकाली गयी है जिससे गरीब किसानों की तमाम भूमि चली गयी है। मेरा निवेदन है कि जहां चकबंदी हो गयी है वहां फिर चकबंदी करा के किसानों को जमीन देना चाहिये।

नलकूपों के लिये किसान को ५ हजार रुपये दिये जाते हैं। एक हजार रुपया मालियत में निकल जाता है, एक हजार कनेक्शन लेने में निकल जाता है। उसके पास कम पैसा बचता है। मेरा कहना है कि या तो पैसा बढ़ाया जाय, नहीं तो उसको कनेक्शन और मालियत में मदद करें जिससे उसका पैसा बेकार न हो। क्योंकि एकहि साधे सब सधे। सरकार इसमें कुछ कर सकती है। मुझे खुद याद है कि सन् १९६७ में जब संविद सरकार थी तो एक दिन में मालियत बनती थी और आठवें दिन इंजन मिल जाता था। बाहर से मंगाना बंद हो गया था। लेकिन अब क्या है? गवर्नमेन्ट चाहे तो सब हो सकता है। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति और नियत दोनों ठीक नहीं हैं।

मैं चाहूंगा कि मंत्री जी लेकिन मंत्री जी का भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि जब वह किसी अधिकारी को पकड़ेंगे तो उपर से आर्डर आ जायेगे और वह चुप हो जायेंगे। हमारा जनपद आजमगढ़ बहुत पिछड़ा है, क्योंकि वहां का कोई मिनिस्टर नहीं है इसलिये, वहां कोई योजना नहीं है। उसके पूर्व में गाजीपुर का और उत्तर में बलिया का बारडर है इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां के गरीबों को सस्ती मालियत पर पम्पिंग सेट दिये जायं। तभी सुधार होगा।

*श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)––

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि सिंचाई की समस्या उत्पादन के लिये बहुत ही महत्व रखती है। राष्ट्र की ५० प्रतिशत से अधिक आमदनी कृषि से होती है और कृषि का सबसे बड़ा साधन सिंचाई है। मैं समझता हूं कि यदि देश में चप्पे-चप्पे पर जिसमें कृषि होती है यदि सिंचाई की व्यवस्था कर दी गयी होती तो इन २५–२६ वर्षों से जिन अनेकों समस्याओं से हम आज तबाह हैं, वह समस्यायें खड़ी न होतीं। मैं समझता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह कठिन नहीं होता यदि इस पर ध्यान दिया गया होता। बहुत सी योजनायें ऐसी चलीं जिनसे उत्पादन में कोई सहायता नहीं मिली और उन पर पैसा खर्च किया गया। आज भी अगर ऐसी योजनाओं में, जिनका संबंध उत्पादन से नहीं है, खर्च की कटौती करके, भवनों के निर्माण को बन्द करके और मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि सड़कों के बहुत से निर्माण कार्यों को बन्द करके केवल सिंचाई की व्यवस्था को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाय और वार फूटिंग पर काम किया जाय, तो मैं समझता हूं कि कंट्रीब्यूशन की कमी होने पर भी हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनवारी राम यादव]

उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसके लिये इस बजट में इस दिशा में कदम उठाया गया है और सिंचाई के साधनों के लिये तथा विद्युत उत्पादन के लिये इसमें प्राविधान किया गया है। इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी विचार प्रकट करना चाहता हूं कि जो भी रखा गया है उससे और अधिक रखा जा सकता था और बेकार की मदों में कटौती की जा सकती थी जो कि उत्पादन की वृद्धि में सहायक नहीं थी।

मान्यवर, अब मैं ऐसे क्षेत्रों का जिक्र करना चाहता हूं जो उपेक्षित हैं। मैं आंकड़े देना चाहता हूं। वाराणसी में योजना के पूर्व बोये हुये खेती का क्षेत्रफल ८,८८,००० एकड़ है उसमें सिंचाई के साधन १९७४-७५ तक ७,२२,००० एकड़ का दिखाया गया है। इस जिले में ९० प्रतिशत जिस भूमि में खेती होती है सिंचाई की क्षमता स्थापित कर दी गयी है। उसके विरुद्ध हमारे बलिया जिले में ५,७८,००० एकड़ बोया हुआ क्षेत्र है। इसमें १९७४-७५ में सिंचाई की क्षमता २,८१,००० एकड़ दिखाई गई है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें आधे से भी कम सिंचाई की व्यवस्था है। यही नहीं, बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर सिंचाई पर काफी कार्य हुआ है यहां कि सिंचाई की क्षमता ७०,८० और ९० प्रतिशत तक पहुंच गई है, लेकिन यह कार्य उन्हीं जिलों में किया जा रहा है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था पहले से ही अच्छी है। इसके विरुद्ध बलिया, आजमगढ़, आदि ऐसे जिले हैं जहां पर सिंचाई का प्रोग्राम बहुत कम रखा है। मैं बलिया जिले के बारे में दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पर सिंचाई का कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहां पर नहर तो है ही नहीं और दोहरी घाट है भी तो उसका पानी शारदा कैनाल में चला गया। वहां पर पानी की कमी बतलाई जाती है और उसकी क्षमता को बढ़ा कर बलिया के पश्चिमी भाग में व्यवस्था हो सकती थी, वह भी नहीं हो पा रही है। गंगा और घाघरा दोनों नदियों के बीच बाढ़ के दिनों तो प्राकृतिक रूप से जल भरने की समस्या उत्पन्न कर देता है लेकिन सिंचाई के लिये उस अपार जल राशि का कोई उपयोग नहीं है। हमारा यह निवेदन है कि बलिया जिले के लिये लिफ्ट सिंचाई योजना के जिले प्राथमिकता दें।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा और वह यह है कि बलिया में सिंचाई का साधन केवल नलकूप है, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछली रबी की बोआई और सिंचाई के समय बलिया में ४० ट्रान्सफारमर या तो जल गये थे या चोरी चले गये थे जिसकी वजह से २४० नलकूप सरकारी और निजी दोनों सिंचाई के समय खराब रहे। आप स्वयं समझ सकते कि जहां २४० नलकूप सिंचाई के लिये बन्द रहे वहां हालत क्या होगी? २ मिनट का और समय दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया। अब तो विवशता है।

*श्री बाबू सिंह यादव (जिला अलीगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोतीलाल देहलवी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सिंचाई के सम्बन्ध में मनुस्मृति में लिखा गया है कि सिंचाई परोपकार और सदाचार का प्रतीक है। सिंचाई पर सारे जीवन का ढांचा मुनहसिर है और आज जो सिंचाई की दुर्दशा है उससे आप भलीभांति परिचित हैं। माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी भी जानते हैं कि सिंचाई की हालत क्या है, हमारे यहां सिंचाई की क्या व्यवस्था है, कितना हमारा टारगेट है और कितना इन २७ सालों में हमने मंजिलें तै की हैं और किस मंजिल पर हमें पहुंचना था। लेकिन जो भी नाकामयाबी है उसकी वजह है कि इस मुहकमे के संचालन की सही व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं, लेकिन खर्च का जो तरीका है वही आपका पुराना तरीका है। इन २७ सालों में खामियां और आ गई, लेकिन कुछ उन्नति नहीं हुई।

इन २७ सालों में सदाचार नहीं आया बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। ईमानदारी कम हुई और बेईमानी बढ़ गयी। इन सबकी जिम्मेदारी आप पर है, मंत्री जी। आपकी जिम्मेदारी इस तरह से है कि एक बार जब चौधरी चरण सिंह जी यहां पर मुख्य मंत्री हुये थे, यकीन मानिये भोले भाले किसान नरौरा डिवीजन में बात करने जा रहे थे। इंजीनियर ने अपने ओवरसियर से कहा कि देखो कंकड़ ठीक रखना अब चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री हैं। और कंकड़ ठीक नहीं रखा और जोखिम आ गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। कंकड़ जंगल में लगता है लेकिन जंगल के कंकड़ की फिक्र इंजीनियर को पड़ी इसलिये कि चौधरी चरण सिंह का डर लोगों पर गालिब था। उनको कोई खामी मिल गयी तो कोई शक्ति नहीं कि उस बेईमान को बचा सके। लेकिन आज तो अजीब हालत है। मैंने देखा कि चतुर्वेदी साहब बुलन्दशहर में ट्यूबवेल में ई० ई० थे। उन्होंने लाखों रुपया का मेटीरियल वहां बेच लिया और सजा उनको यह मिली कि मुरादाबाद एम० ई० बना कर भेज दिये गये और अभी तक एस० ई० हैं। बहुत से लोगों का यह कहना है कि जो छोटी सर्विस के लोग हैं जैसे सहायक अभियन्ता तथा ओवर सियर सब बेईमान नहीं हैं लेकिन बहुमत बेईमान का है। सहायक इंजीनियर और ओवरसियर अपना हिस्सा बेईमानी का नहीं लेते लेकिन ऊपर जो कमीशन देना पड़ता है उसको यह कह कर देना होता है कि हम तो नहीं लेते लेकिन आपका हिस्सा आपकी खिदमत में हाजिर है। इस तरह से आज के युग में ईमानदार आदमी भी बेईमानी करने के लिये मजबूर होता है, अपनी सर्विस तथा नौकरी रखने के खातिर। लिहाजा आपके महकमे में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है इसे दूर करने का तरीका आपको ही सोचना होगा। इसी तरह से माइनर इर्रीगेशन में कुछ पदोन्नतियां अनियमित रूप से की गयी हैं। जो सहायक अभियन्ता थे उनको अभियन्ता पद पर रख लिया गया जब कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो चार लोग एप्रूव थे उनको छोड़ दिया गया और अपने हक से महरूम कर दिये गये। इससे लोगों के दिल में अपने कार्य के प्रति कितनी निराशा पैदा होगी? इन बातों पर विशेष दृष्टि डालने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मंत्री महोदय यह भी देखें कि सरकारी ट्यूबवेल घाटे पर चल रहे हैं फिर भी आप पाबन्दी लगाये हुये हैं। आपको चाहिये कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स को ज्यादा से ज्यादा सहायता दें और सस्ती बिजली दें। इसके अलावा लोअर गंगा कैनाल के एक कोने पर २० मील के फासले पर कोई सिंचाई के साधन अलीगढ़ जिले में नहीं हैं। वहां सिंचाई की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वहां ट्यूबवेल्स आपको लगवाने चाहिये। न वहां कैनाल से आबपाशी हो पाती है, न कोई अन्य सिंचाई के साधन हैं। लोअर गंगा कैनाल और ादर के बीच में गर्की के कारण हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है और उसका कोई

[श्री बाबू सिंह यादव]

हल आपने आज तक नहीं निकाला कि किस तरह से गर्मी को दूर किया जाय। इसकी ओर विभाग को ध्यान देना चाहिये। एक समस्या यह भी है कि ट्यूबवेल आपरेटर्स जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं लेकिन उनकी नियुक्ति बनारस अथवा मुरादाबाद में कर दी गयी है तो इस महंगाई के जमाने में उनको अपने जिले के पास रखने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसी तरह से चकबन्दी हुई उसमें कोलाबे लगाये गये। जैसे ६ इंच की जरूरत थी तो आपके अधिकारी ने चार इंच का कोलाबा कर दिया है। इस तरह से कई कुलाबे ऐसे लगे हुये हैं जिनमें कि पानी नहीं आता है। जब वे ६ इंच के थे तब तो पानी जाता था परन्तु जब से ४ इंच कुलाबे कर दिये हैं तब से पानी बिलकुल नहीं जाता है। इसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और इस पर गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। आखिर में यही कहता हूं---

खुदा जाने मेरी बरबादियों में हाथ है किसका,
मगर ये देखने वाले (मंत्री जी) तेरा ही नाम लेते हैं।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आपने सिंचाई के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट के लिये काफी धन एकत्रित किया है। काश, इसी प्रकार का धन पहले एकत्रित हुआ होता तो हमारे प्रदेश की तरक्की अवश्य हो गई होती। मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की ६०/७० प्रतिशत आमदनी कृषि से होती है। हमारी भूमि उर्वरा है लेकिन प्यासी है। हमारे पास नेचरल रिसोर्सेज पानी के हैं, नदियां हैं, पाताल गंगा है, तमाम साधन हैं लेकिन उनका सदुपयोग हम पूरी तरह से नहीं कर सके। यह जो धनराशि इस विभाग को दी है, मैं चाहता हूं कि इससे हमारी प्यासी जमीन अब प्यासी नहीं रहेगी।

लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस धनराशि की रखवाली आप किस तरह से करते हैं। इस बारे में ऊपर के माननीय सदस्यों ने भी संकेत किया और हम भी इस ओर संकेत करना चाहते हैं कि इस धनराशि का सही उपयोग होना चाहिये। कहीं भ्रष्टाचार के चूहे न चट कर जायं। यदि इसका सदुपयोग होगा तो मुझे जरूर आशा है कि हमारा प्रदेश आगे होगा और हम अन्न में कफील होंगे। मान्यवर, मेरे क्षेत्र इसौली, जिला सुल्तानपुर का दक्षिणी भाग बाढ़ से प्रभावित रहता है। उसके लिये बांध की आवश्यकता है। उत्तर में झीलें हैं उसके लिये ड्रेन बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ नलकूपों और शारदा सहायक योजनाओं से मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पिछड़े क्षेत्र के लिये उचित व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो दैविक तकलीफ है और जो व्यापक रूप से हो जाया करती है, वे कैसे दूर हों, इस ओर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब आप अपने इंजीनियरों को कृषि की ट्रेनिंग न दिला सकें तो प्रत्येक जिले में एक-एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक मुकर्रर कर दें ताकि वह सिंचाई का समय उन्हें सिखा दें। कम से कम रामायण की वह चौपाई तो उन्हें सिखा ही दें कि "का बर्षा जब कृषी सुखाने"। यह बात समझ में नहीं आती है कि बोने के बाद फसल को २२ दिन में पानी चाहिये, किन्तु नहर से ४० दिन पर पानी देते हैं। हम देखते हैं कि छोटी-छोटी चीजें किसानों को परेशान कर रही हैं। वे लोग यहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। अपनी बात नहीं कह सकते हैं। उनके जो

नहरी मुकदमें होते हैं इसका फैसला विभाग के लोग ही करते हैं। उनको कुछ मालूम नहीं, कोई वकील उनके मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता। हमसे वे गांवों के लोग शिकायत करते हैं। हम मदद कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मंत्री जी को उनकी असुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिये। नहर विभाग में पचासों साल पुराने कानून लागू हैं। अगर नहर की नालियां चली गई तो कोई अपने पुराने साधन से भी सिंचाई नहीं कर सकता है। उनके लिये भी कुछ सोचना चाहिये, साइफन आदि का कुछ रास्ता निकालना चाहिये।

मान्यवर, यही नहीं नलकूपों में बिजली को आप देखें। जब किसान पानी ले जाता है, चाहे उसके खेत तक पानी पहुंचे या न पहुंचे, उसके नाम आपरेटर यूनिट चार्ज लिख देता है। उसकी मजबूरी है। बिजली ट्रिप कर गई, खेत लगा या नहीं लगा लेकिन बिल में यूनिट आ जायेगा। अगर यह बात इंजीनियर से या आपरेटर से किसान कहते हैं कि इतना यूनिट क्यों आया तो वह कहता है कि बिजली ट्रिप कर गई थी, हाईडिल डिपार्टमेंट से कहो। किन्तु किसान की फरियाद उस सरकार से होती है, जिसका हाईडल और ट्यूबवेल दोनों है। किसानों का खेत नं० लगे, बिजली ट्रिप कर जाय तो उस समय की यूनिट नहीं लगनी चाहिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि यह जो छोटी छोटी असुविधायें किसानों को आये दिन उठानी पड़ती हैं, उसको दूर किया जाय।

मान्यवर, मैं देखता हूं कि आये दिन अनेक ट्रांसफारमर चोरी चले गये। वह क्यों होता है? मैं आपको सुझाव देता हूं कि जो ट्रांसफारमर लगे हुए हैं वह निर्जन स्थान पर लगे हुए हैं। उनको किसी व्यक्ति के निजी ट्यूबवेल के पास लगा दें तो उसकी वह देख भाल कर सकता है। लेकिन निर्जन ऐसी जगहों पर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह से उनको चोरी से बचाया जा सकता है। मान्यवर, यही नहीं मेरे धनपतगंज ब्लाक में अभी तक बहुत कम नलकूप लगे हैं जब कि अन्य जगह ज्यादा लग गये हैं। आप इंजीनियरों को हिदायत दें कि सुचारु रूप से सब जगह समान व्यवस्था करें। इससे किसानों को विशेष लाभ होगा।

मान्यवर, जो कमेटियां नलकूप के लिये स्थान निर्धारित करती हैं कि यहां पर ट्यूबवैल लगाये जायं लेकिन वहां पर नहीं लगता है और इंजीनियर जहां चाहते हैं वहां लगा देते हैं। उनके उपर कोई अंकुश नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह---

कहीं-कहीं पर वह लोग ज्यादा लगा देते हैं। माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इसमें सख्ती से काम करें और जहां पर कमेटी तय करे, वहां पर नलकूप और नालियां बनाई जायं। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री हरीश्चन्द्र खंडेलवाल (जिला पीलीभीत)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पीलीभीत जनपद के पूरनपुर क्षेत्र की सिंचाई विभाग द्वारा २८ वर्षों से जबरदस्त उपेक्षा की गयी है और उस क्षेत्र से चुनकर आये हुए मुख्य प्रतिनिधि को आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं और

[श्री हरीश चन्द्र खंडेलवाल]

आपसे यह भी अपेक्षा करता हूं कि मुझे थोड़ा और समय देकर अपने दिल की बात निकालने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ७ मिनट के अन्दर समाप्त करें ।

श्री हरीशचन्द्र खंडेलवाल--

मान्यवर, सामान्यतया सभी सदस्यों ने चाहे प्रारम्भ में जिस भाषा का प्रयोग किया हो लेकिन अंत मे किसी ने सीधे तरीके से और किसी ने दूसरे तरीके से इस विभाग की आलोचना ही की है। सबसे बड़ी आलोचना इस बात की है कि लोगों के साथ मुनासिब तरीके से इसमें बटवारा नहीं हुआ है और उसमें पूरे तौर पर सरकारी तंत्र का हाथ है। तो मान्यवर आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि बड़ी मजबूती के साथ खड़े हो कर इसमें काम करें आज जनता सरकार की तरफ टकटकी लगाये देख रही है। आप इस सरकारी तंत्र की तरफ मजबूती से निगाह रखें ताकि हम लोगों को मुनासिब हक मिले।

श्री उपाध्यक्ष--

(कुछ सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर) माननीय सदस्य खड़े होकर बात न करें ।

श्री हरीश चन्द्र खन्डेलवाल--

समय का परिवर्तन है कि लोगों ने, किसानों ने खेती में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया है। दुनियां खेती की ओर दौड़ी है। ऐसे युग में आपके लिये भी बड़ा अच्छा मौका है कि आज इसका अच्छी तरह से फायदा उठावें और खेती के सम्बन्ध में जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें तथा इस राष्ट्र की उन्नति होते हुये देखें। मैंने सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त विवरण 'सिंचाई पुस्तिका' देखी, मैंने उसे बड़े खटकते दिल से देख डाली, लेकिन उसमें पीलीभीत जिले का कहीं नामोनिशान नहीं मिला, तो उसकी बात करना ही बेकार है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा कि आप हम लोगों को भी न्याय की दृष्टि से देखें। मंत्री जी मुझसे आयु में कहीं बड़े हैं, किन्तु मैं उन्हें कुछ सुझाव दूंगा। वह टेबुल वर्क के साथ साथ, फील्ड वर्क भी देखें, यह मेरा एक खास सुझाव है। वे ग्रामीण अंचल का दौरा समय समय पर किया करें और वहां के जन प्रतिनिधियों से मिलकर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया करें और वहां की परेशानियों को भी उन्हें दूर करना चाहिये। क्योंकि सरकारी तन्त्र द्वारा जो आप तक सूचना पहुंचती है, जिस पर आप कैबिनेट में बैठ कर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, वे निष्पक्ष तौर से आती हैं, यह मैं मानने के लिये कतई तैयार नहीं हूं। प्रशासन करने के लिये, समाज में न्याय और व्यवस्था कायम करने के लिये सरकारी तंत्र बड़ा आवश्यक है. लेकिन उस पर निगाह रखना, निगरानी रखना, समय समय पर मौके पर जाकर जांच करना भी परम आवश्यक है, ताकि उनको भय बना रहे कि उनके भी कारनामों को देखने वाला कोई है। अमतौर से सभी सदस्यों ने शिकायत की है कि जो ट्यूबवेल्स चलाये जाते हैं, उनके बिल बड़े बोगस होते हैं और कभी-कभी किसानों के लिये जानलेवा भी होते हैं। यदि आप किसानों के पास जाकर उनकी सुनें तो वह आपको बतावें और दिखावें कि जहां कि सिंचाई के नाम की कोई चीज नहीं ली गई, वहां भी बिल आगये और इतना ही नहीं जिसका खेत भी नहीं है, उसके पास तक सिंचाई का बिल आ जाता है। यह तमाम होता है और सरकार को इस पर अड़ना नहीं चाहिये, मानना चाहिये ।

मेरा ही अपना व्यक्तिगत एक मामला है। जनवरी में मेरा जो भत्ता बना है, उसमें मेरी उपस्थिति है, लेकिन आफिस में मैं गैरहाजिर हूं। बाद में कहा तो भत्ता दिया गया। चूंकि विधायक की एक विशिष्ट स्थिति होती है, इसलिये विधायक का तो कहने मात्र पर ठीक हो जाता है। अन्य लोगों को परेशानियां इतनी जल्दी और ठीक तरह से दूर नहीं होती हैं। इसलिये आपको इस प्रदेश के किसानों की बात भी सुननी चाहिये।

पुलिस और जनता का सम्बन्ध तो जरा दूर का रहे तो अच्छा है क्योंकि पुलिस को समाज में व्यवस्था कायम रखनी है, लेकिन सिंचाई विभाग जनता का विभाग है और उसे जनता का सेवक महसूस करना चाहिये। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो किसान अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। अन्त में मैं क्षेत्र की कुछ बात रखकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

पूरनपुर क्षेत्र में चकबन्दी के दौरान छोड़ी गई जमीन व्यर्थ पड़ी है। उस पर न खेती करने की इजाजत दी जाती है और न नहर बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जाता है। चकबन्दी के दौरान यह जमीन नहर के लिये छोड़ी गई थी। हमारे जिले में थोड़ा शाहजहांपुर का भी हिस्सा आता है। उसमें एक जगतियापुर गांव है। यहां नहर और रेलवे लाइन दोनों निकलती हैं। वर्षाकाल में वह गांव पानी से भर जाता है, रेलवे लाइन तो नहीं काटी जाती है, लेकिन पानी निकालने के लिये प्रति वर्ष नहर काट दी जाती है। लेकिन इतने समय बाद भी अधिकारियों ने उसके लिये यह उचित नहीं समझा कि नहर काट कर पानी निकलने की स्थाई व्यवस्था करें। उसके स्थान पर एक साइफन बनाकर उसे ठीक कर दें। पूरनपुर के दक्षिण भाग में एक नहर है जिसके कारण सैकड़ों एकड़ के क्षेत्र में एक जलाशय बन गया है। यदि यहां से भी एक साइफन निकाल कर पानी प्रवाहित कर दिया जाए तो वह जमीन खेती के योग्य उपलब्ध हो सकती है। पुनः आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही आभारी हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का समय देने की कृपा की।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर आपस में बातें करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

यह कौनसी स्थिति है कि रूलिंग पार्टी की तरफ से इस तरह से माननीय सदस्य कार्य करते हैं। मैं बार-बार सावधान करता हूं। फिर भी अनेक माननीय सदस्य खड़े होकर बात करते हैं। एक विधान सभा के अन्तर्गत दूसरी विधान सभा चलेगी तो कैसे काम चलेगा? मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य व्यवस्था बनाये रखने में मेरी मदद करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मैंने सिंचाई बजट को देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे अलीगढ़ जिले के लिये तथा आगरा रीजन के लिये कोई योजना नहीं रखी गई है। मुझे इस बात के कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आपने बजट में भी आगरा रीजन को काफी भुला दिया है। यह सही है कि प्रदेश का उत्थान करना है, उन्नति करनी है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान]

रीजन के सम्बन्ध में समझ लिया जाय कि वह सर्वसुखी समृद्धिशाली है। मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिंचाई के साधन बहुत कम हैं। उनको बढ़ाया जाय। अलीगढ़ जिले के बरौली क्षेत्र में २०-२५ नये नलकूप लगाने की कृपा की जाय।

इसके अतिरिक्त आप मजबूर हैं क्योंकि आपको अन्य पिछड़े क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाना है। लेकिन फिर भी हमारे यहां पहले के अनुपात से मेन्टीनेन्स पर अधिक पैसा दिया जाय। पहले सस्ता जमाना था और चीज कम दाम में मिलती थी नहरों तथा बम्बों और गूलों की सफाई के लिये जो पैसा दिया जाता था, अब चूंकि मजदूरी और चीजों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं इसलिये इनके मेन्टीनेन्स के लिये बजट में अधिक पैसा रखा जाय।

मैं आगरा नहर के बारे में भी कहना चाहता हूं। इसमें यमुना नदी से पानी आता है और जब कमी पड़ती है तो गंगा नदी से भी पानी दिया जाता है। हिंडन नदी पर एक बांध बना हुआ है। उसके द्वारा आगरा नहर का पानी डाइवर्ट किया जाता है। यह १०० साल पुराना बांध है। इसमें पानी का लीकेज हो जाता है और पूरा पानी आगरा नहर को नहीं मिल पाता है। इसको बनाने के लिये सिंचाई विभाग की योजना थी। लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसको रोक दिया गया है। मेरी प्रार्थना है कि इस बांध को फिर से बनाया जाय जिससे आगरा नहर को पानी ठीक से मिल सके।

मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को बधाई दूंगा कि पिछले डेढ़ साल से सिंचाई मंत्री ने काफी परिश्रम से भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ा है। ३३ करोड़ के घोटाले के मामले पकड़े हैं और उन पर कार्यवाही हो रही है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले के एक ही डिवीजन में एक करोड़ ५८ लाख रुपये का घोटाला है जिसमें उच्चाधिकारी मुख्य अभियन्ता भी शामिल हैं और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि जब तक इस एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की रिट हाईकोर्ट में दायर न हो जाय तब तक कागजात को दबाया गया। जब इस तरह से एक एक डिवीजन में घोटाला हो सकता है तो मैं समझता हूं कि बहुत सी जगह की बात नोटिस में नहीं आई है, प्रदेश में अरबों का घोटाला हो सकता है।

मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक तरफ तो प्रदेश की गरीबी को देखा जाये और दूसरी तरफ इन इंजीनियरों को जिन्होंने घोटाले किये हैं, इनको अच्छी तरह से समझा जाय। यह किसानों का सूबा है। इन्होंने अपने बंगलों में ऐशबाग बना रखे हैं। करोड़ों रुपयों का पेट्रोल इनके निजी कामों और ऐश में फूंक दिया जाता है। हमें देखना चाहिये कि हम कितने गरीब हैं। हमारा देश और प्रदेश कितना गरीब है। अगर इस प्रदेश के रुपये को इन्जीनियर लोग अपने ऐश में इस तरह से फूंकेंगे तो किस तरह से हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ सकेगा। आज हमारे यहां अगर भ्रष्टाचार में कमी हो जाय और नौकर-शाही भ्रष्टाचार पर हम काबू पा जायें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो नीचे से नोट भेज दिया जाता है, मैं कहना चाहता हूं कि अपने सेक्रेटरी के गलत नोट पर हमारे

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मंत्रिगण आदेश कर देते हैं। हम लोग कहते रह जाते हैं। हमारे दिये हुए सुझावों को ठुकरा दिया जाता है। मैं मंत्रिगण से प्रार्थना करूंगा कि मंत्रिगण स्वयं जनता में आयें और

खास तौर से देखें कि जो सामान होते हैं, जो बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी स्कीमें चल रही हैं, उनको जा कर स्वयं प्रेक्टिकली देखें। अधिक समय फील्ड में दें, दफ्तर में अधिक समय न दें। तब गड़बड़ के मामले पकड़े जा सकते हैं। अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ जिले में मेन्टिनेन्स के लिये बजट में अधिक प्राविधान किया जाय ताकि मेरे क्षेत्र में और ट्यूबवेल लगाये जायं।

*श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मोतीलाल देहलवी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य, बलिया ने बनारस के बारे में कुछ कहा। शायद उन्हें ज्ञान नहीं है। वाराणसी जनपद में तहसील ज्ञानपुर बनारस के नाम से थी वह मिला दी गयी है, बहुत बड़ी तहसील है। उसकी उपेक्षा पहले के सिंचाई मंत्री ने किया और वर्तमान सिंचाई मंत्री भी करते रहे। वहां १९६९ में एक पम्प नहर निकलने की योजना का सर्वे कराने में सैकड़ों एकड़ भूमि काट दी गयी, कि सरकार का हाथी निकलेगा गांव से आगे, किसानों ने बरदाश्त कर लिया। सिंचाई मंत्री के सामने गत वर्ष भी प्रस्तुत किया था और इस वर्ष भी प्रस्तुत कर रहा हूं। वह नहीं लायी गयी। तहसील ज्ञानपुर के समूचे क्षेत्र के किसानों का काशी सहकारी चीनी मिल में करोड़ों रुपया लगा हुआ है लेकिन वहां १/८ भी गन्ने का उत्पादन नहीं हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि मैंने सिंचाई मंत्री को ४० पत्र लिखे। यहां वहां करके जवाब देते रहे। वहां के भ्रष्टाचार के बारे में चार पत्र मैंने माननीय मुख्य मंत्री को लिखे। माननीय मुख्य मंत्री ने जवाब दिया कि रामबली ओवरसियर का भदोही से ट्रांस्फर कर दिया गया है। लेकिन हस्तान्तरण करने के बाद सात बार उसको रोक रखा। १३-१४ इंजीनियर ऐसे हैं जो ८, ९, १० साल से वहीं लगे हुए हैं। सिंचाई मंत्री को लिखते हैं तो लिखते हैं कि गहराई से छानबीन हो रही है। असल में इंजीनियर और अवीक्षण अभियन्ता का दोष नहीं है। सारा दोष सिंचाई मंत्री का है जिन्होंने जगतमोहन, मुख्य अभियन्ता, भदोही से कालीन, बनारस की साड़ी और मुर्गे की वसूली किया है। मैंने पत्र में यह भी लिखा है सिंचाई मंत्री को कि वहां के लोग कहते हैं कि आप क्या करेंगे, विरोधी दल के हैं, जब कि मैंने पूज लिया है। सारी बात पत्र में लिख दिया। जितने सफेद वह ऊपर से हैं उतना ही सफेद झूठ बोलते हैं, उनका दिल काले दिल से बना हुआ है। भदोही तहसील को चौपट कर रहे हैं, माननीय सिंचाई मंत्री। वहां के अधिकारियों से साड़ियां और कालीन लिये जा रहे हैं। किसी इंजीनियर से दस हजार ले लिया।

अगर मुझको एक घंटे का समय दिया जाये तो मैं बनारस का पूरा चित्रण रख दूं। उसमें सिंचाई मंत्री जी का ही दोष निकलेगा। सन् १९७३ में मार्च के महीने में चन्द्रिका प्रसाद श्रीवास्तव अभियन्ता ने एक ही सप्ताह में ३ लाख का वर्क आर्डर दिया और एक ही सप्ताह में काम पूरा होकर पेमेन्ट भी हो गया। उसमें के० पी० मिश्र और वि० पी० सिंह मुख्य थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरजा शंकर पाठक]

लेकिन इनको वहां पर ८–१० वर्ष बीत गये हैं और मंत्री जी का ध्यान उस ओर नहीं जाता है। जब जाते हैं तो मुस्कराकर चले जाते हैं। गोपाल नेपाली ने लिखा है कि हंस-हंस प्यार करें दुलहनियां। जब हम लोग शिकायत करने जाते हैं तो मंत्री जी हंस कर टाल देते हैं। सिंचाई मंत्री जी बड़े नरम दिल के हैं इसलिये अधिकारियों के खिलाफ कदम नहीं उठा पाते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जितने अभियन्ता हैं उनके दोष नहीं हैं, दोष है सिंचाई मंत्री जी का, इनसे उनको सह मिलती है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानपुर तहसील में जहां जिला सलाहकार समिति की अनुमति के बिना ४–४ और ५–५ नलकूप लगा दिए गये और ऐसी जगह पर लगाये गये जो नीची है। पचौरा घाट पम्प नहर योजना १९७०–७१ से चल रही है लेकिन यह खटाई में पड़ी हुई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह योजना औराई सहकारी चीनी मिल को जिन्दा रखने के लिये बनायी गयी थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तहसील जानपुर में सिंचाई की मद में एक भी पैसा नहीं दिया गया है। तो मैं क्या कहूं जो कहना था वह कह दिया। शायद मंत्री जी इन मेरी बातों का स्पष्टीकरण दें। इन शब्दों के साथ मोतीलाल देहलवी द्वारा प्रस्तुत बजट कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस सिंचाई अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। समय दरअसल में बहुत कम है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। इसमें दो राय नहीं है कि आजादी के बाद मुल्क में सिंचाई के साधन बढ़े हैं लेकिन मेरा निश्चित मत है कि जितना रुपया सरकार खर्च करती है उन रुपयों का अगर सही इस्तेमाल हो जाये तो मैं समझता हूं कि जो टैक्स और जो नये कर लगाये जा रहे हैं उनको हम कम कर सकते हैं। हमारे सामने एक पुस्तक है—"कार्य प्रगति का संक्षिप्त विवरण"। १९७३–७४ में कुल बोया हुआ क्षेत्रफल २३२ लाख हेक्टर है और इसमें से अब तक केवल २८ प्रतिशत भूमि को ही राजकीय कार्यों से सिंचाई सुविधा दी जा सकी है। १९७४–७५ की पुस्तक में लिखा हुआ है कि २२९ लाख हेक्टेयर है और इसमें से सन् १९७४–७५ के अन्त तक केवल ३० प्रतिशत भूमि को ही राजकीय कार्यों से सिंचाई सुविधा दी जा सकेगी। जो बहुत कम है। लेकिन अन्त में सारा जोड़ घटा जो परसेन्टेज बढ़ा यह पुराने ७३–७४ को निकाल कर ७५ में कर दिया। और अन्त में लिखा हुआ है कि पंचवर्षीय योजना के सिंचाई एवं कृषि के अन्य कार्यक्रमों की पूर्ति के फलस्वरूप प्रदेश का वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन २०० लाख टन से बढ़ के २६२ लाख टन प्रतिवर्ष हो जायगा यह १९७३–७४ की रिपोर्ट में दिया हुआ है। इसमें यह भी दिया हुआ है कि इस योजना की पूर्ति के लिये लगभग ५५० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यह इनका हिसाब है।

दूसरी ओर मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने तो अपनी रिपोर्ट में विभाग को बिल्कुल नंगा ही कर दिया है। उसने बताया है कि इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से वसूल होने वाला कर जनता की भलाई में नहीं लगाया जा रहा है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जब तक हमारे मंत्री जी कड़े तरीकों से सख्ती के साथ अपने अधिकारियों के ऊपर नहीं बैठ सकेंगे और रुपये का सही इस्तेमाल नहीं करा

सकेंगे तब तक आप चाहे करोड़ों रुपया लगा दें, उससे काम नहीं चलने वाला है। रिपोर्ट के पृष्ठ ५५ पर कहा गया है कि बांधों में करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है। करोड़ों रुपयों का स्टाक पड़ा हुआ है। उसमें बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जिनका प्रयोग भी नहीं हुआ है। इसी रिपोर्ट में औजार एवं संयंत्र के बारे में बताया गया है कि १९६४-६५ से १९७१-७२ के मध्य १४.५४ लाख रुपये की लागत से क्रय किए गये लगभग ३ हजार अदद औजार एवं संयंत्र २ से लेकर ७ वर्षों तक भंडार के गोदामों में पड़े रहे क्योंकि उनकी कोई मांग नहीं थी।

इनके अतिरिक्त १९६४—६५ से १९७०—७१ तक की अवधि में प्राप्त ७ औजार एवं सन्यन्त्र (०.३६ लाख रुपये की लागत) भी त्रुटिपूर्ण पाए गये और अप्रयुक्त पड़े हुए हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि इनके साथ-साथ, १९६४ में अन्य प्रखंडों से प्राप्त ४ वायु सम्पीडक (एयर कम्प्रेशर) जिनकी कीमत ४ लाख रुपये थी, प्राप्त होने की तिथि से अप्रयुक्त पड़े रहे क्योंकि उनकी कोई जरूरत नहीं है।

तो आप विभाग वालों को ५ सौ करोड़ के बजाय चाहे १० सौ करोड़ रुपया भी दे दें, अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा तो उससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी रुपये का सही इस्तेमाल करने में पूरा योगदान देंगे और देश और प्रदेश के जो जैसे अधिकारी हैं, जो रुपये का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको निकाल फेंकेंगे और उनके साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुदान पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, मैं दुद्धी के इलाके से आता हूं, जिसको शायद माननीय मंत्री जी ने भी न देखा होगा। माननीय मंत्री जी को यह भी खयाल होगा कि लघु सिंचाई योजना में हमारे यहां पर ट्यूबवेल और पम्पिंग सेट्स तो लग ही नहीं सकते हैं, बंधे भी जो बनते हैं, उनका इन्तजाम भी ठीक नहीं है। कनौरा आदि बांधों पर मैंने सुना है कि एक इन्जीनियर द्वारा लाखों रुपयों का घपला किया गया है लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई है। सीमेन्ट की चोरी हो रही है, मैंने उसके बारे में माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखे लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कनहर परियोजना से भी हमारे क्षेत्र के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई है। बिहार और मध्य प्रदेश को फायदा होगा। दुद्धी से चोपन तक हमारा क्षेत्र पड़ता है। चोपन के पश्चिम इन्होंने सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं किया। सरकार कहती है पैसा नहीं है। हमारे यहां जो छोटे-छोटे सिंचाई के साधन चलते थे उनको भी नहीं लगाया। वाराणसी में २८ लाख, शारदा में ८० लाख, कालागढ़ में करोड़ों, लखनऊ में अल्प सिंचाई योजना में १६ लाख, शारदा पम्प नहर में १ करोड़ के करीब घोटाला हुआ है। इन्हीं रुपयों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव सम्पत्ति राम]

में से अगर २–४ करोड़ हमारे यहां लगा देते तो हमारे यहां जो लोग पीने के लिये पानी नहीं पाते उनको पीने के लिये पानी भी मिलता और सिंचाई भी होती। मंत्री जी ने उस क्षेत्र को देखा ही नहीं। वहां न ट्यूबवेल हैं, न नहर हैं, न पम्पिंग कैनाल है जबकि हमारे यहां से ही बिजली पैदा होती है। दुद्धी, राबर्ट्सगंज के किसी भी भाग में सिंचाई का प्रबन्ध सरकार ने नहीं किया। मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। इसी के साथ-साथ मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री मूल चन्द्र राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, २७ साल कांग्रेस की हुकूमत को हो गये हैं और आज आबपाशी की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि इस कांग्रेस हुकूमत की पालिसी किसान के मुखालिफ रही है और यह किसान को बरबाद करना चाहती है। किसी देश और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी किसान होता है। यदि रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है तो शरीर में कुछ नहीं रहता है। इसी तरह यदि किसान को मिटाया जायगा तो देश और प्रदेश की हालत बहुत खराब हो जायगी। हम यह देखेंगे आज हमारे और अंग्रेजों के जमाने में आबपाशी में कितना अन्तर आया है। अंग्रेजों के जमाने में ३२ करोड़ एकड़ खेती की भूमि थी जिसमें से साढ़े १७ करोड़ एकड़ भूमि सिंचित होती थी। आज यहां ३४ करोड़ एकड़ भूमि है जिसमें से केवल साढ़े २२ करोड़ एकड़ भूमि सिंचित होती है। इससे हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी बढ़ोत्तरी हुई। आज नौकरशाही का बोलबाला है। चाहे नहर को ले लीजिये, चाहे बिजली को ले लीजिये, यदि वहां के अधिकारियों से बात की जाती है तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। आज भी मैंने चीफ इंजीनियर हाईडिल के आफिस में देखा तो वहां पर उसके खिलाफ नारे लग रहे थे। आज शासन इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसका कोई भी ठिकाना नहीं है। जो लोग घूस देते हैं उन्हीं का कार्य होता है और बिना रिश्वत कोई कार्य नहीं होता है। प्रदेश के अन्दर आज ६ घंटे बिजली देने की बात है लेकिन इसमें भी नौकरशाही कार्य करती है। उन्हें जिसका फीडर चलाना होता है चला देते हैं जिसका नहीं चलाना चाहते हैं नहीं चलाते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में छोटे-छोटे कई पावर हाउस ऐसे हैं जो छोटी-छोटी कमियों के कारण बन्द पड़े हैं। बुढ़ाना तहसील में एक पावर हाउस छोटी सी खराबी ठीक न होने के कारण बन्द पड़ा है। जिला मेरठ में एक गम टोकरी का पावर हाउस एक छोटी सी खराबी ठीक न होने के कारण बन्द पड़ा है। ऐसे कई पावर हाउस हैं जो थोड़ी सी खराबी के कारण बन्द पड़े हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें जल्दी ठीक कराया जाय ताकि किसान को बिजली मिल सके और उसका नुकसान न हो। उन पावर हाउसों के न चलने से किसान का बड़ा नुकसान हो रहा है।

सरकार यह सोचती है कि कन्ज्यूमर्स की तरफ से पावर की चोरी होती है मगर यह चोरी कर्मचारी करते हैं। इसने किसान की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी है। आपके कर्मचारी किसानों से पैसा लेकर यूनिट घटा देते हैं। इस तरह से बिजली की चोरी होती है। यदि किसी कर्मचारी को ३०० रुपये दे दिये जायें तो १००० रुपये वाला बिल ३०० रुपये का ही बना दिया जाता है। जब एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर आदि से शिकायत की जाती है तो वे जवाब दे देते हैं। हैं कि हम क्या करें यह शासन की कमी है। और इनका कहीं भी इन्तजाम ठीक नहीं है मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

जो आपकी नहरें हैं यदि उनकी दोनों पटरियों को पक्का करा दिया जाय तो उससे यातायात की सुविधा भी हो सकती है दूसरे पटरी के बीच-बीच में टूट जाने के कारण जो उसकी मरम्मत आदि का व्यय करना पड़ता है वह व्यय भी बच जाय। इसलिये नहरों की दोनों पटरियों को पक्का करा दिया जाय। इससे बड़ा लाभ होगा। इस ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये ।

जो भी हमारा बजट बनाया जाता है और इसमें जो भी रुपया रखा जाता है, चाहे किसी भी कार्य के लिये हो उसका आधा रुपया अधिकारियों की जेबों में चला जाता है। जो भी पुलिया, नहरों या नलकूपों आदि पर बनती हैं वे ठीक नहीं बनती हैं। क्योंकि पुलियों में सीमेन्ट रेत का रेशियो १/१२ का होता है। कमजोर पुलिया बनी वह शीघ्र टूट गयी उसका फिर दूसरा बजट बना देता है इस प्रकार रुपये की बरबादी होती है। काम पूरा नहीं होता और किसान को पानी भी नहीं मिल पाता।

(लाल बत्ती होने पर)

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध करता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)––

मान्यवर, मुझे बोलने की इच्छा तो नहीं थी लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं इस डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में कहना चाहता था। अगर माननीय मंत्री जी बोल लें तब मुझे मौका दिया जाय वरना मैं बोल लूं तब माननीय मंत्री जी बोलें।

श्री अध्यक्ष––

अब तो समय नहीं है। प्रश्न यह है कि २० मिनट का समय तो माननीय मंत्री जी लेंगे ।

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)––

५ मिनट का समय इनको दे दीजिये, मान्यवर।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों ने इस आइटम पर सुझाव भी दिये होंगे अपने विचार भी व्यक्त किये होंगे उसकी नीतियों और कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। एक विषय आ गया था कालागढ़ के बारे में। हमारे माननीय काशीनाथ जी ने जैसा कि हमने समझा एक शब्द कह दिया। इसके लिये हमारे माननीय मंत्री जी को बड़ी चिन्ता है कि इस वक्त जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको कैसे दूर करें। हम आशा करते थे कि पूरी छानबीन करेंगे कालागढ़ के बारे में और वैसे ही शारदा सहायक योजना के सम्बन्ध में जो शिकायतें आयी हैं उनको इस सदन के सामने लावेंगे कि असलियत क्या है। यह प्रश्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

हमने उनके सामने उठाया था और अभी जो नये मुख्य अभियन्ता आये हैं सुना है कि वे ईमानदारी करने वालों की कद्र करते हैं, अच्छा है वे भी अपना खेल दिखलावें कि उन्होंने किसको कितना कसा और अपने डिपार्टमेन्ट में अनुशासन का कितना पालन कराया। इस डिपार्टमेन्ट में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता था माननीय मंत्री जी से कि जहां इस बजट में सिंचाई की मद का हाल है डिपार्टमेन्ट की तरफ से भी इसमें पैसा कम रखा गया है और काम भी कम है लेकिन स्टाफ बहुत है यानी इस्टेब्लिशमेन्ट उतना ही है। शारदा सहायक परियोजना में ३६ डिवीजन हैं और मुझे बतलाया गया है कि लगभग २२ आफिसर्स हैं एक-एक डिवीजन में। उनके पास काम बहुत कम है। वे क्या काम करेंगे जब कि काम ही नहीं है। इस पर आप सोचें कि इस तरह से उनका परिश्रम और उनकी योग्यता व्यर्थ जायेगी जो न जानी चाहिये।

एक बात मैं कह कर समाप्त कर दूंगा। उस दिन मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि बस्ती जिला दिवालिया है। कदाचित उन्होंने सही नहीं कहा। बस्ती जिला उन २६ जिलों में है जो प्रान्त के सबसे पिछड़े हुए जिले हैं। वहां सदैव ही सूखा पड़ता है। चाहे नौगढ़ हो, चाहे हरैया हो, चाहे बांसी का क्षेत्र हो, वह हमेशा जलमग्न रहता है या सूख जाता है। लेकिन उस पर किसी को भी चिन्ता नहीं है। वह ऐसा जिला है जहां ५८ प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे रहते हैं। पिछली बार बड़े जोर की बाढ़ आयी थी। बस्ती में बाढ़ या सूखा बराबर बना रहता है लेकिन हमारी सरकार उसके लिये कुछ नहीं करती। मुझे खेद है कि हमारी सरकार को बस्ती जिले की चिन्ता नहीं है। इस बजट में भी बस्ती जिले की इस समस्या को हल करने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी मेरे क्षेत्र की ओर ध्यान दें।

मेरा क्षेत्र दो नदियों के जबड़े में है। एक तरफ बूढ़ी राप्ती और दूसरी तरफ राप्ती पुरानी राप्ती। हमारा क्षेत्र बराबर पानी में डूबा रहता है। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें तो अच्छा रहेगा। कौआताल, पथराताल और चंवरताल की योजना में वे सोचें। वहां एक-एक क्षेत्र के अन्दर दो-दो, तीन-तीन और चार-चार हजार एकड़ जमीन बराबर जलमग्न रही है लेकिन सरकार ने उसके लिये कोई उपाय नहीं किया है। बांध जो बंधाये गये हैं उनकी मरम्मत न होने के कारण वह गिर जाते हैं। अभी जैसा पिछली बार हुआ २० करोड़ का नुकसान हो गया।

कुछ बांध सरकार ने अपने अधीन ले लिए हैं और उनकी व्यवस्था वह खुद करती है। लेकिन कुछ बांध ऐसे हैं जिनको अभी आपने नहीं लिया है। जमींदारी कहकर उनको टाल देते हैं। टालने का नतीजा यह होता है कि बांध टूट जाते हैं, सारा क्षेत्र डूब जाता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि नगवा चेटिया और सोनखा टेंड़ियां बांधों पर सरकार ध्यान दे, उनको ठीक किया जाय और सरकार इनको भी अपने अधीन ले ले। इसके अलावा जहां-जहां ठोकरें बनी हैं उनको ठीक कराने की व्यवस्था की जाये।

मान्यवर, पुरानी नदियों को गहरा करके उन पर बांध बनाकर पानी निकालने का प्रयास किया गया था। अब बांध टूट गए हैं, नदियां छिछली हो गयी हैं। पानी रुकने लगा है। इस पानी को निकालने की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे मन्त्री महोदय और मुख्य अभियन्ता एक मर्तबा मेरे यहां तशरीफ ले चलें मैं उनके साथ चलूंगा। आप देखेंगे कि हमारे यहां घाघरा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती नदी ने किस कदर काटा है। किसान बुरी तरह से बरबाद हो गया है। आधे-आधे गांव गिर गये हैं। मैं चाहूंगा कि मैंने जो कहा है मन्त्री महोदय उस पर ध्यान देंगे; इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने केवल ५ मिनट के लिए कहा था।

*श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, सिंचाई के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव पर जितने माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये मैं उनका आभारी हूं। मैं विशेष रूप से कांग्रेस के माननीय सदस्यों का आभारी इसलिए हूं कि मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव में जितनी बातें कहीं कांग्रेस के भिन्न-भिन्न सदस्यों ने लगभग उन्हीं सभी बातों का समर्थन किया है।

मान्यवर, कांग्रेस के जितने भी सदस्य इस पर बोलें उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि इस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है। लगभग सभी लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया है है कि इस विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी कांग्रेस के ही सदस्यों ने कुछ उपयोगी सुझाव दिए हैं। जनता के लाभ के लिए अगर उन्हीं को मान ले, उन्हीं को कार्यान्वित करें तो इस वर्ष किसान पर बहुत बड़ी मेहरबानी हो जायगी। मैं नहीं कह सकता कि वह कहां तक इस पर अमल करेंगे कहां तक नहीं। लेकिन कुछ छोटी-छोटी महत्व की बात जो हैं अगर उन्हीं को स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे और अमल में लाये तो बहुत लाभ होगा। जैसा कांग्रेस के प्रतापगढ़ के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि नहर बम्बों का जो बेकार पानी गड्ढों या तालाबों में डाल दिया जाता है वह बेकार रहता है। सरकार का इस पर कोई खर्च नहीं आता। किसान उस पानी को, बेकार पानी को जिसके लिये किसान तरस रहा है अगर उस पानी को किसान ले लेता है अपनी खेती के लिए तो मान्यवर, उससे पैसा चार्ज कर लिया जाता है। यह एक उचित बात नहीं है। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि इस बेकार पानी का पैसा चार्ज न किया जाय।

मान्यवर, प्रतापगढ़ के एक कांग्रेसी माननीय सदस्य ने एक उपयोगी सुझाव दिया है जिसको हमने भी कहा था कि सरकारी नलकूप नहीं चल रहा है, नाली में उनकी पानी नहीं है और यदि कोई निजी नलकूप वाला अपने खेत में अपना पानी ले जाता है तो उससे भी पैसा ले लिया जाता है। तो मान्यवर, उससे पैसा चार्ज नहीं होना चाहिए। हां, यदि वह सरकारी पानी इस्तेमाल करता है तब तो पैसा चार्ज करने का औचित्य है, वरना नहीं। मान्यवर, प्रतापगढ़ के उन्हीं सदस्य ने एक अच्छी बात कही कि सिंचाई के लिए डा० लोहिया भी कहते थे कि यह सिंचाई खेती के लिए, जनता का पेट पालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज इसी पर निर्भर है। प्रदेश और देश की आर्थिक व्यवस्था भी इसी पर निर्भर है। इसलिए डा० लोहिया कहा करते थे कि सिंचाई के लिए एक सीमाबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय और सिंचाई का इन्तजाम पहले हो। माननीय सदस्य ने भी इसको स्वीकारा है।

(लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, यह क्या ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

५ मिनट तो सब को देते हैं वह आपको भी दिया और नई बातों को कहने का मौका नहीं है। आप जवाब दें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, सिंचाई पुस्तिका जो दी गयी है उसमें लिखा है कि नहरों में लगातार पानी मिलता रहा। मान्यवर, यह कितनी गलत बात है कि असलियत को छिपाया गया है। असलियत तो यह है कि फसलें सूखती रहीं और लगातार पानी नहीं मिला। न नलकूपों को लगातार बिजली मिली और न नहरों और नलकूपों में लगातार पानी आया। कांग्रेस के सदस्य ने भी इसको स्वीकार किया है। पुस्तिका में यह भी बताया गया है कि १९४७ में ६८ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी और इन २७ सालों में इन्होंने १७१.२ लाख एकड़ जमीन की सींच अब तक कर पाए हैं। इस प्रकार २७ सालों में १०३.२ लाख एकड़ की सींच कर पाए हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह सब कहने का अवसर नहीं है। अब जो जवाब देना है वह दें।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, हमारे कांग्रेस के सदस्य ने यह भी कहा कि हमारे माननीय मन्त्री जी बहुत भोले-भाले और सीधे-सादे हैं। और वह सीधे हैं और खराब लोगों से बचे । मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं। अगर विभाग का मन्त्री का आचरण अच्छा है, उनके पास भ्रष्टाचारी लोग नहीं हैं और वह भ्रष्टाचारी लोगों से दूर रहते हैं तो सरकारी अधिकारी भी भ्रष्टाचार से दूर रहता है, लेकिन मान्यवर, यह देखने में आया है, मैं माननीय मन्त्री जी पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं बल्कि उनके सार्वजनिक जीवन की भलाई के लिए, उनके विभाग को शुद्ध करने के लिए सलाह के तौर पर कह रहा हूं कि माननीय मन्त्री जी के एक दमाद जो अलीगढ़ में एक दरबार लगाते हैं और उन दमाद के एक बहनोई भी हैं जो एक ही कोठी में रहते हैं और ..

श्री अध्यक्ष--

इन सारी नई बातों को कहने के लिए अब समय नहीं है। अब तो जो बातें आई हैं उन बातों का जवाब दें।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष जी, एक गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष--

अगर गम्भीर बात थी तो आपको पहले कहना चाहिए था जब आपको काफी समय मिला था बोलने के लिए। नए-नए आरोप लगाने का यह अवसर नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, एक सरकारी जीप शिकार को जाते हुए पकड़ी गई। अलीगढ़ के एक विधायक हैं श्री इन्द्रपाल सिंह जी, उनके पास जनता गई और मान्यवर, यह फोटो है जो जीप को पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद मुख्य सचिव को लिखा गया लेकिन आज दिन तक कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मान्यवर, रिपोर्ट लिखाई गई धारा ४०९/१२०-बी में, डी० आई० जी० ने आई० जी० को सी० आई० डी० इन्क्वायरी के लिये लिखा, लेकिन सारा मामला

दबा दिया गया। उन्होंने एक अल्पसूचित प्रश्न किया और आपने उस प्रश्न को महत्व दिया। आपने उसे स्वीकार किया और कहा कि यह प्रश्न आ जाना चाहिए, लेकिन वह आज दिन तक नहीं आया। न तो सी० आई० डी० की जांच बैठी और न मुख्य सचिव का कोई जवाब आया और मालूम हुआ है कि उस प्रश्न को बराबर टालने की कोशिश की जा रही है। बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष––

अब आप समाप्त करें, समय नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी––

मान्यवर, यह बहुत जनोपयोगी प्रश्न है, आपकी कृपा होगी तो समय मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष––

कृपा का प्रश्न नहीं है सवाल यह है कि समय नहीं है। जो बात आपको पहले कहनी चाहिए थी, अब आप उठा रहे हैं। आप अप्रासंगिक बात कह रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि एक नई प्रथा निकली है कि मेरे नाम से कोई व्यक्ति हैं जो शिकायत भेज देते हैं माधव प्रसाद त्रिपाठी लिखकर। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर कोई शिकायत होगी तो मैं स्वयं कह सकता हूं किसी से डरता नहीं। लेकिन पता नहीं कौन व्यक्ति है जो खराब काम कर रहा है। शिकायत को मेरे पास भेजा जाना चाहिए कि वह मेरी शिकायत है कि नहीं। मेरे पास एक व्यक्ति लेकर आए कि मेरे दस्तखत हैं कि नहीं सिंचाई मन्त्री आपका किसी के सम्बन्ध में मेरा कहना है है कि मेरे दस्तखत नहीं हैं। इस तरह से यह गलत प्रथा पड़ रही है कि मेरे दस्तखत से शिकायत भेज दी जाती है जब कि मेरे दस्तखत उस पर नहीं होते हैं।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां––

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि कुछ समय बढ़ा दिया जाय। १५ मिनट का समय इन अनुदानों के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट के लिए बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद महमूद अली खां––

मैं मेम्बर साहबान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक पर तकरीर करते हुये बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। हमारे माननीय मोती लाल जी ने जहां बाज अच्छे सुझाव दिए हैं वहां अगर उन्हीं की पार्टी के मेम्बरान से पूछा जाय तो वह भी उनका मजाक उड़ायेंगे उनके कुछ सुझावों के लिए जो उन्होंने दिए। उन्होंने फरमाया कि कटाव रोकने के लिए बन्धों की जरूरत नहीं है, बल्कि दरख्त लगाये जायं। मैं उन्हीं की पार्टी के मेम्बरान पर यह छोड़ता हूं। (व्यवधान) आप शान्ति से सुनिये। उन्होंने यह भी

[श्री मोहम्मद महमूद अली खां]

फरमाया कि हमारे महकमे की सिंचाई की कोई योजना नहीं है। मैं उनको बिल्कुल साफ अल्फाज में बतलाना चाहता हूं कि उनका ऐसा कहना उनकी अदम जानकारी का सबूत है। हमारे महकमें की पूरी तौर से योजना है जिसके मुताबिक काम चल रहा है और पूरे प्रोग्राम के साथ यह महकमा अपनी योजनाओं को बनाता है और उन पर अमल करता है। जहां तक इसका सवाल है एक एकड़ जमीन में पानी की सहूलियत देने के लिए, दो हजार रुपये फी एकड़ का खर्चा आता है, इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जितना हमारे पास रुपये का प्रबन्ध होता है उससे ज्यादा हम सिंचाई के लिए रकबा लेते हैं और उसे बढ़ाते चले जाते हैं। देहलवी साहब ने यह भी कहा कि निजी नलकूप से सिंचाई होती है उनसे भी आबपाशी वसूल की जाती है। यह बात सही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वह गलत है और अगर आप बतलायेंगे तो हम ऐक्शन लेंगे क्योंकि ऐसा करना किसी भी उसूल से गलत है। जहां तक नहरों को चलाने का सवाल है, हम उनको एक योजना के मातहत चलायें तो पारसाल हमने चूंकि पानी की कमी थी नहरों को हमने बराबर चलाया। यह कहा गया कि सफाई का कोई इन्तजाम नहीं किया गया तो यह बात ठीक है। लेकिन जो रजवहे थे उनको रोस्टरिंग करके चलाया गया और मौका मिला तो उनकी सफाई कहीं की गयी और कहीं नहीं की गयी और ऐसा इसलिए किया गया चूंकि पानी की आवश्यकता थी। हम ज्यादा जरूरी समझते थे कि पानी का इन्तजाम किया जाय।

देहलवी साहब ने यह भी कहा कि महकमे में जो तरक्कियां होती हैं उनमें कोई फायदे नहीं हैं। यह बात भी बिल्कुल सही नहीं है। जहां तक ऊंचे दर्जे के अफसरान का ताल्लुक है उनके लिए एक हाई पावर कमेटी विभाग में बनी हुई है। चीफ इन्जीनियर अथवा एडीशनल चीफ इन्जीनियर का चुनाव यह कमेटी ही करती है। उसमें चीफ सेक्रेटरी होते हैं, और दूसरे होते हैं। यह कमेटी पदोन्नति के लिए सिफारिश करती है और तय करती है। एस० ई० और ई० ई० के सेलेक्शन में चीफ सेक्रेटरी के नुमाइन्दे होते हैं, महकमे के चीफ इन्जीनियर होते हैं, पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इन्जीनियर होते हैं, ये सेलेक्शन करते हैं। यह कहना कि हमने कोई नियम नहीं बनाए हैं, यह गलत है।

आपने बताया कि जो स्टोर्स हैं उनके सिलसिले में कन्ट्रोलर होना चाहिए। उस पर हम विचार कर रहे हैं कि कन्ट्रोलर होना चाहिए और पूरे सूबे में जितने स्टोर्स हैं उनका इन्तजाम कन्ट्रोलर करें। इसको हम जल्दी करने वाले हैं। जो सामान खरीदा जाता है उसके लिए भी कमेटी है। उसमें इन्डस्ट्री सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारी होते हैं जो कि डिपार्टमेन्ट के लिए हैवी मशीनरी आदि की जरूरत होती है उनको खरीदती है। जमालिया लिफ्ट नहर के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं कि उसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा कैपिसिटी हम बढ़ा दें, उतना ही अच्छा है। माट ब्रांच के बारे में कहा गया। मैं वहां गया था और मैंने अफसरान से कहा कि उसके लिए कोई योजना बनायी जाय। वह योजना भी आ गई है और उसे हम देख रहे हैं। यह भी सही नहीं है जैसा कि फरमाया कि कैबिनेट का यह फैसला है कि २५ साल से कम की योजना न बनायी जाय। यह गलत है। कैबिनेट का ऐसा कोई फैसला नहीं है और न ही उसने ऐसा फैसला लिया और न इस तरह का फैसला कैबिनट ले ही सकती है जो कि नामुनासिब हो।

इसके अलावा प्रदेश में सिंचाई और बिजली की नई योजनाएं भी हमारे विचाराधीन हैं। आपका यह अन्दाजा भी गलत है कि हमने इस साल या आइन्दा सालों में

सिंचाई और बिजली की योजना न बनाई है और न बनायेंगे। हमने सर्वे डिवीजन बना दिए हैं और उनके सर्किल गोरखपुर, मिर्जापुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़ और देहरादून में खोले हैं। वे सर्वे का काम कर रहे हैं। वे डिवीजन्स यह भी देखेंगे कि किस तरह से वहां सिंचाई के प्रबन्ध हो सकते हैं।

देवरिया जिले में गन्डक के बारे में हमारे रामसिंह जी यादव ने बताया कि वहां के लिए कोई योजना नहीं बनायी गई है। यह गलत है, उसके लिए स्कीम है। हम भारत सरकार से रुपया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रुपया हमें मिले। खंतियों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे सूबे में इस साल पानी की बड़ी मुश्किल रही है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने इन खंतियों के बारे में विचार किया और बताया कि इनको किस तरह से रोका जा सके। उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)––

नारायणी की बाढ़ रोकने के लिए आपने क्या-क्या व्यवस्था की है, यह भी बता दें।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां––

उस स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की थी जिनको कि स्वीकार कर लिया गया है..... (व्यवधान)।

श्री बांके लाल––

सारा पैसा बरबाद हो गया।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां––

आम तौर से यह होता है कि अगर किसी ने खंडी गिरा दी या किसी वजह से वह टूट गई तो तमाम लोगों पर सिंचाई पड़ जाती है और उन्हीं से वसूल की जाती है, तो इस सिलसिले में तय किया है कि जिले के लेविल पर कमेटियां होंगी उसमें तमाम एम० एल० ए० और जिला परिषद् के चेयरमैन होंगे।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)––

जहां झीलें भर जाती हैं वहां क्या कर रहे हैं?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां––

इस पर पहले बोल लेने दें। तो इसमें पुलिस के अफसर भी होंगे। कमेटी जिला लेविल पर होगी (व्यवधान) और उसके बाद दूसरी ब्लाक लेविल पर है जहां पर नहरी इलाके हैं उसमें ब्लाक प्रमुख भी सदस्य होंगे और उस हलके के एम० एल० ए० भी होंगे। तो उस कमेटी में देखेंगे कि कौन दोषी है (व्यवधान)।

छटनी का हमारा कोई इरादा नहीं है। जो वर्क चार्ज वगैरह हैं उनके बारे में सोच रहे हैं कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा किस तरह से काम पर लगा सकते हैं।

ट्यूबवैलों के बारे में अर्ज कर दूं कि आइन्दा साल में इसमें जो रुपया रखा है वह बहुत कम है। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप साहबान जो कहते हैं कि हमारे यहां

[श्री मोहम्मद महमूद अली खां]

१०० ट्यूबवेल लगने चाहिये और कोई कहते हैं कि इतने लगने चाहिये। तो इस बारे में कहना है कि ट्यूबवेल कम हैं इसलिये हम सोच रहे हैं कि जिन इलाकों में हम देखते हैं कि आप भी अन्दाजा लगायें कि जिन इलाकों में ट्यूबवेलों के अलावा ५, ७ साल तक और कोई इन्तजाम नहीं हो सकता है उन्हीं इलाकों में इन्हें लगायें और जहां पर सिंचाई के दूसरे साधन हैं उनमें ट्यूबवेल न लगाए जायं यह मेरी राय है और मैं समझता हूं कि आप भी इसे पसन्द करेंगे।

माननीय त्रिपाठी जी ने बस्ती जिले के कव्वा ताल के बारे में फरमाया है कि इसमें पहले पानी निकलता था लेकिन अब इसमें राप्ती नदी से रेत आ गई है और वह बन्द हो गया है तो इसके बारे में सर्वे करा रहे हैं। इसका इन्तजाम कर रहे हैं कि उसमें पानी रहे। पथरा ताल के बारे में (व्यवधान) पानी निकालने का इन्तजाम हो रहा है उसका सर्वे कराया गया है।

नलकूपों के बारे में शिकायत आई और मैं समझता हूं कि वह काफी वजनी है। (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मैं एक बात का स्पष्टीकरण मंत्री जी से चाहता हूं (व्यवधान) मैं आपके कहने से बैठने वाला नहीं हूं। जनवरी और फरवरी में गन्डक प्रोजेक्ट के इन्जीनियर देवरिया गये थे। वहां के लोगों ने उनसे शिकायत की, उसमें ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान और तमाम अन्य किसान मौजूद थे। वह पडरौना भी गये थे और उन्होंने स्वीकार किया कि कई हजार एकड़ जमीन पडरौना तहसील में किसानों की नष्ट हो गई है इसलिए मैं उनको मुआवजा दिलाऊंगा। किन्तु मन्त्री जी ने उस सम्बन्ध में यहां वक्तव्य यह दिया कि कुल डेढ़ सौ एकड़ जमीन नष्ट हुई है। यह उनकी स्वीकृति के विपरीत है जो उन्होंने मौके पर जाकर, देखकर स्वीकार किया था। मैंने स्वयं देखा है कि कई हजार एकड़ भूमि नष्ट हो गई और तमाम फसल नष्ट हो गई।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सीमेन्ट की नालियों का जहां तक ताल्लुक है। इसमें आमतौर पर गड़बड़ी होती रहती है और उसके वास्ते हमने सोचा है कि बजाए नालियों के वहां बनाने के सीमेन्ट के पाईप बनाकर वहां लगवा दिये जाय। यह यहीं से बनवाकर भेज दिये जायेंगे, जिससे इस तरह की लोगों को दिक्कत नहीं होगी और पैसे की बरबादी भी नहीं होगी। हम उसका इन्तजाम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री आगा जैदी (जिला जौनपुर)--

आप इसे देखें जो तरीका बरता जा रहा है, बीच-बीच में सवाल हो रहे हैं, यह कहां तक ठीक है। आप इसे रोकें।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

जब तक कार्य समाप्त न हो सदन चले, समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, जब तक कार्य समाप्त न हो तब तक के लिये समय बढ़ाया जाए।

(कोई अपत्ति नहीं की गयी)

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

एक सदस्य ने फरमाया था, उन्होंने एक अवीक्षण अभियन्ता के बारे में यह फरमाया था कि वह रात्रि में काम करते रहते हैं। उन्होंने उनका नाम तो नहीं लिया था, लेकिन मैं समझता हूं कि यह शायद वही होंगे, जिन एक एस० ई० के बारे में मुझे इस तरह की शिकायत मिली थी कि वह अपने नीचे के लोगों के प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं है। उसी बिना पर उनको रिटायर कर दिया गया है।

श्री मोती लाल देहलवी—

यह अवीक्षण अभियन्ता वही हैं जिनके द्वारा आपने अपने एक रिश्तेदार को टिहरी गढ़वाल में अनियमित रूप से नियुक्त कराया है।

श्री आगा जैदी—

आप इस पर व्यवस्था दीजिए और इसे रोकने की कोशिश कीजिए।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जहां तक चौधरी साहब के किसी आदेश का ताल्लुक है जो उन्होंने नहरों के समय के बारे में दिया था जो कि सिंचाई के जमाने में नहरें बन्द रहें। ऐसा कोई आदेश हमें मिल नहीं पाया है। लेकिन मैंने अपने यहां कह दिया है कि जब सिंचाई का जमाना हो, तब नहरों को बन्द न रखा जाय। पिछले दोस्तों ने जो बातें की हैं उस पर हमें कहने का सवाल पैदा नहीं होता है। जो अपने समय में हमने गलती की होगी, उसके बारे में अवश्य जवाब देने की कोशिश करूंगा।

मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि इस मोहकमे में गैर मामूली भ्रष्टाचार रहा है। इससे मैं इन्कार नहीं करता। लेकिन उसमें अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि वह लोग भी, जो यहां एतराज करते हैं, उनकी सिफारिश में आते हैं और कोशिश करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाए।

श्री राम अवार (जिला आजमगढ़)—

आप उनके नाम बताइये।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

आप नहीं हैं। मैं इस बारे में पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने पिछली असेम्बली में यह अर्ज किया था कि मैं इसके खिलाफ पूरी तौर पर कोशिश करूंगा और मुझे इस सिलसिले में यह कहने का फख्र है कि मैंने मुख्य मन्त्री जी की रहनुमाई में वह कामयाबी हासिल की है जो चौधरी साहब की मिनिस्ट्री में भी नहीं हुआ था। मैंने बहुत बड़ी तादाद में एक बड़ी धनराशि का गबन पकड़ा है। हमने ६ करोड़ ८८ लाख रुपये का अपने यहां गबन पकड़ा है। और हम समझते हैं और जहां तक इसका सवाल है मेरे ऊपर इल्जामात लगाये गये हैं। (व्यवधान) चौधरी साहब इन्क्वायरी कर लें। अगर एक इंच भी किसी ने मुझे कालीन दिया हो तो मैं मिनिस्ट्री से और हाउस से रिजाइन कर दूंगा। अगर मेरे खिलाफ साबित नहीं होता है तो आप रिजाइन कर दें।

[श्री मोहम्मद महमूद अली खां]

मुझे यह लिख कर दिया। मैंने कहा कि इन्क्वयारी करवा रहा हूं। इन्क्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आई वह मैंने बता दी है और मैं ने उनसे कहा कि आपके लगाये हुए इल्जामात साबित नहीं हो रहे हैं।

श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

आपको अपने दामाद के बारे में क्या कहना है? (व्यवधान)

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

उसको भी सुन लीजिए। (व्यवधान) (शोर)।

श्री इन्द्रपाल सिंह—

मैंने मुख्य सचिव को लिख कर दिया है। होम सेक्रेटरी को लिख कर दिया है। लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। अगर सी० आई० डी० की इन्क्वायरी करा ली जाए तो सही बात निकल आयेगी। अल्प सूचित तारांकित प्रश्न तक नहीं आने दिया जाता। अलीगढ़ में बैठकर इनके दामाद और बहनोई लाखों रुपया बना रहे हैं। आप इन्क्वायरी करा लेंगे तो तुरन्त बरखास्त कर देंगे।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह सब गलत है। (व्यवधान) (शोर)।

श्री इन्द्रपाल सिंह—

आप इसकी इन्क्वायरी करा लें। अगर यह बात सही न हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर आपने इन्क्वायरी नहीं कराई तो आपका कोई भी मन्त्री अगर अलीगढ़ जायेगा तो हम उसका घिराव करेंगे। अल्पसूचित प्रश्न तक मंजूर नहीं होता है। अगर यह भ्रष्टाचार न करें तो इनके नीचे के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। आप चीफ सेक्रेटरी से मंगा लीजिये। मैंने उनको लिखकर दिया है। होम सेक्रेटरी को लिख कर दिया है। लेकिन कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मेरे पास इसके प्रमाण हैं, फोटो हैं। (व्यवधान) डी-वाई० एस० पी० मौजूद थे। उसके बाद कुछ भी नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह बातें इस तरह की हैं, कुछ लोग आज इस कोशिश में हैं कि हमारी गवर्नमेंट को गलत ढंग से बदनाम करें। किसी मुकाम पर अगर जीप खड़ी हो गयी उसकी बिना पर कहना कि गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही बात नहीं है। न मेरे दामाद के पास कोई कोठी है। इसका इलाज नहीं है। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने जो बजट पेश किया है उसे मंजूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अनुदान संख्या ५७—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५७––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५३,२०,१३,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

अनुदान संख्या ५८––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५८––सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १९,०८,६४,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

अनुदान संख्या ८१––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८१––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७८,४६,५५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

अनुदान संख्या ८२––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८२––बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों

[श्री अध्यक्ष]

को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,७४,५२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५६ तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुलायम सिंह यादव की सूचना है, सहकारी स्पिनिंग मिल, इटावा में तथाकथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, बनारस के बारे में आपने कहा था।

श्री अध्यक्ष--

बनारस का पहले स्वीकार किया गया। कल वक्तव्य आएगा।

एक सदस्य--

बोर्ड आफ हाई स्कूल की परीक्षा के बारे में क्या निर्णय लिया।

(कई सदस्यों के खड़े होने और बोलने के कारण व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय जंगबहादुर वर्मा का माध्यमिक शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों द्वारा हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं का बहिष्कार करने और सत्याग्रह करने की घोषणा के बारे में है। इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और जिसके-जिसके नाम हैं उनको भी जोड़ दिया जायगा।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

यह वक्तव्य कब होगा? कल दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

कल के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। अभी तो श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का कालागढ़ का ही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

१५/१६ मार्च की रात में बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। ड्राइवर शराब पीकर चल रहा था। उस पर क्या निर्णय लिया? इतना महत्वपूर्ण सवाल है और वह टाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप इस प्रकार से कहेंगे तो कुछ नहीं लिखा जायगा। आप आसन ग्रहण करें। एक-एक करके ले रहे हैं। एक मुलायम सिंह यादव और दूसरे लोगों ने दिया है सहकारी स्पिनिंग मिल इटावा में भ्रष्टाचार के बारे में। जिला वाराणसी के ग्राम गरीत्वा के एक ही परिवार के आठ व्यक्तियों की गोली से हत्या किये जाने की दुर्घटना। श्री ओम प्रकाश सिंह और श्री आशाराम यादव ने यह दिया है। इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जा चुका है। इसके ऊपर कल वक्तव्य आएगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

नियम ५६ में हमने एक दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

अभी तो उस पर आए नहीं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

उस पर आश्वासन दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

अभी उस पर आने दें। श्री हरीशचन्द्र खन्डेलवाल और श्री सत्य प्रकाश ने हरदोई स्थित लक्ष्मी शुगर एन्ड आयल मिल्स के मालिकों द्वारा तथाकथित कर्मचारियों द्वारा शोषण के बारे में हैं। इस पर अल्प-सूचित प्रश्न करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

लोग अनशन कर रहे हैं। आप आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष—

दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर न होने के कारण यह अनियमित था और अस्वीकृत हो गया। सर्वश्री ओम प्रकाश, काशी नाथ मिश्र, रफी उल्लाह, हुकुम सिंह, रघुनाथ राम, निसार अहमद अन्सारी, बनवारी राम यादव, महावीर प्रसाद, कैलाश सिंह द्वारा बलिया जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की सांठ-गांठ से हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने से हरिजनों में रोष से सम्बन्धित दिया है। इसको भी वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है। इसके बाद एक पावर लूम पर एक्साइज ड्यूटी और बुनकरों के बारे में है....

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

पहले आप नियम ५६ वाले ले लेते। इससे जो जरूरी थे वह मालूम हो जाते।

श्री अध्यक्ष—

जो दोनों जगह हैं वही तो हम कह रहे हैं। जैसे विद्यालयों के प्रधानाचार्य इनका ५६ में है और उनका ५१ में है। ५१ का स्वीकार किया है। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और सत्याग्रह के आन्दोलन सम्बन्धी जिन्होंने दिया है वह समझ लें कि उनका स्वीकार किया है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मैंने और सत्य प्रकाश मालवीय जी ने एक दिया था ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के बारे में। उस पर क्या निर्णय लिया ?

श्री अध्यक्ष—

पावर लूम पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देने से बुनकरों में व्याप्त संकट के संबन्ध में धीरेन्द्र सहाय का है। तो एक्साइज ड्यूटी पर चर्चा आएगी बजट में।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। आज बुनकर लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री बांके लाल (जिल देवरिया)--

आप एक मिनट हमारी भी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि इस पर तो बजट में भी बोलने का मौका है।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

आप छोटी-छोटी बातो के लिए वक्तव्य दिलवा देते हैं और यह जो इतना महत्वपूर्ण और गम्भीर मसला है इस पर नहीं दिलवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं हो सकता है।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

सरकार घोषणा करे।

श्री अध्यक्ष--

कोई कैसे इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार करे ? आप इस पर प्रश्न करें।

श्री राम अधार का एक हाईडिल के सम्बन्ध मे है। इस पर अल्प-सूचित प्रश्न करें।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) --

आजमगढ़ जिले में पूरी विद्युत् सप्लाई ठप हो गयी है। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। वहां पर लोग बड़ी परेशानी मे हैं।

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य के लिए कर देते हैं।

बनारस के बारे में स्वीकार किया है तो अब उसी में आ जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

वहां सिटी एस० पी० ने धमकी दी है कि अगर अनशन नहीं तोड़ेगें .....

श्री अध्यक्ष--

आप अल्प सूचित प्रश्न करें।

(भारतीय लोक दल के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

भालोद के सदस्यों के सब में माननीय असरार अहमद को भेज देता हूं वह जिस किसी को दो को कहें हम दिलवा दें। राजी हैं ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

सरकार इस बात को देखे कि कोई घटना न हो जाए।

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है।

अब एक श्री पुरुषोत्तम कौशिक का है। फैजाबाद के निकट परिवहन विभाग में दो बसों के परस्पर टकराव के फलस्वरूप उत्पन्न संकट के विषय में है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, प्राण घातक हमला हुआ है.....

श्री अध्यक्ष—

यह प्रदेश का विषय नहीं है। जो केन्द्र से सम्बन्धित मामला है उस पर ये क्या बयान देंगे लेकिन यदि कोई चर्चा चाहते हैं तो सभी दलों के लोग चिन्ता व्यक्त करने के लिये कोई संकल्प रख सकते हैं, यह तो दूसरी बात है।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की सरकार का विषय नहीं है। यह तो ला एंड आर्डर का क्वेस्चन है जिसका हमारे प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यदि माननीय सदस्य इस विषय पर कोई चिन्ता व्यक्त करना चाहते हैं तो दूसरा सवाल है। इस लिये दलों के नेता जो हैं वे तय कर लें। इसमें दो राय नहीं हैं, यह चिन्ता व्यक्त करने का विषय है। यदि सभी दलों के नेता मिल कर कहेंगे तो देखा जायगा।

एक माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी का है, उरई नगर के बारे में दिया है भूत पूर्व मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा के पुत्र, एडवोकेट, के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा अमानुषिक व्यवहार करने के सम्बन्ध में है। इस समय मालवीय जी सदन में नहीं हैं।

श्री मधुकर दिघे—

श्रीमन्, मैंने भी एक सूचना दी थी, उसके बारे में आपने क्या निर्णय किया ? ..... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

अब एक दुर्घटना के बारे में है।

श्री बांके लाल—

श्रीमन्, ५ आदमी घायल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह निगम से सम्बन्धित मामला है। इसके लिये यह हो सकता है कि मैं इसे अविलम्ब कार्यवाही के लिये शासन को भेज रहा हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, बड़ा गम्भीर मामला है। इस पर आप वक्तव्य दिला दें ?

श्री अध्यक्ष—

यह निगम से सम्बन्धित मामला है। मैं इसे सरकार को कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, वहां पर बहुत से आदमी म ` है।

श्री अध्यक्ष—

कह तो दिया है कि मैं इसे उचित कार्यवाही केलिये सरकार के पास भेज रहा हूं। जो उचित होगा, वे वैसा करेंगे। ..... (व्यवधान)।

जब आपका प्रश्न आयेतो आप कहिए। मुझे २–२ सूचियां भी देखनी पड़ रही हैं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, लाल गेहूं के खाने से हैजा हो गया है, उसके बारे में मैंने भी एक सूचना दी है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, लाल गेहूं के खाने से बहुत लोग बीमार हुये हैं, ३५ लोगों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा है। आप इस पर वक्तव्य ही करा दें ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है। शासन की ओर से स्वयं मंत्री जी इस पर वक्तव्य देंगे। ..... (व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, लड़कों को मारा जा रहा है, उसके ऊपर आपने क्या निर्णय लिया है ?

श्री अध्यक्ष—

वह अस्वीकृत है। आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें.....

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

उसके लिये शिक्षा मंत्री से कहलवा दें, २७ तारीख को इम्तहान नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल पहले आया था। मैंने उसी दिन, शनिवार को, कार्यवाही केलिये भेज दिया था।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो कर बोलने लगे।)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

आपने कहा था इनसे कहलवाने को। कहलवा दीजिये तो झगड़ा खत्म हो जाय।

(व्यवधान)

सिटी इन्टर कलेज बाराबंकी के छात्रों पर लाठी चार्ज व अश्रुगैस का प्रयोग करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

दिनांक २५–२–७५ को बाराबंकी में रवीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री भी आमंत्रित थीं। जिला अधिकारियों को इस बात का आभास मिला कि कुछ व्यक्ति समारोह में गड़बड़ी उत्पन्न करेंगे व मंत्री जी

को काले झंडे दिखायेंगे। कुछ व्यक्ति समारोह के स्थल के आसपास घूमते हुए भी पाए गये। अतएव परगनाधीश, नवाबगंज व क्षेत्राधिकारी ने इन व्यक्तियों को बुलाकर समझाया। समझाने के पश्चात् ये व्यक्ति समारोह के स्थल से चले गये। सायंकाल जब मंत्री जी की कार सभा स्थल को आ रही थी तो सभास्थल से लगभग २०० गज पूर्व ही पैसार चुंगी के पास कुछ व्यक्ति एकाएक कार के सामने आ गये व काली पट्टी दिखाने लगे। उन्होंने मंत्री जी के विरोध में नारे भी लगाये। मंत्री जी की कार बिना रुके सभास्थल पहुंच गई। इसी बीच कुछ अन्य व्यक्ति भी दूसरी ओर से वहां (पैसार चुंगी के पास) आ गये और प्रधान मंत्री के समर्थन में नारे लगाने लगे। क्षेत्राधिकारी एवं परगना मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया वहां दोनो पक्षों के लोग तितर बितर हो गये और समारोह निर्विघ्न पूर्वक समाप्त हो गया।

२—दिनांक २६-२-७५ को सिटी इन्टर कालेज के कुछ छात्रों ने दिनांक २५-२-७५ को कुछ व्यक्तियों को रविदास जयन्ती समारोह में न जाने दिये जाने के विरोध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत लगाये गये आदेशों का उल्लंघन कर जुलूस निकालने का निश्चय किया। तदनुसार करीब ४०० छात्रों का जुलूस नारे लगाता हुआ शहर की ओर आने लगा। क्षेत्राधिकारी व परगना मजिस्ट्रेट ने जुलूस को रोककर समझाया कि शहर में दफा १४४ के अन्तर्गत निरोधात्मक आदेश लागू हैं तथा बिना अनुमति प्राप्त किये जुलूस निकालना व प्रदर्शन करना वर्जित है। लेकिन जुलूस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन लोगो से यह भी कहा गया कि यदि वे ज्ञापन देना चाहते हैं तो दे दें। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। भीड़ में कुछ लोगों ने उत्तेजित होकर पथराव करना आरम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप तीन पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई। अतएव जुलूस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा उससे तितर बितर हो जाने को कहा गया। लेकिन वह तितर बितर नहीं हुआ। अतएव परगना मजिस्ट्रेट ने अश्रुगैस का प्रयोग कर जुलूस को तितर बितर करने के आदेश दिये। अश्रुगैस के प्रयोग से भीड़ तितर बितर हो गई। पुलिस ने न तो कोई लाठी चार्ज किया न ही कोई छात्र घायल हुआ।

३—उक्त घटना के बाद स्थानीय सिटी इन्टर कालेज में एक सभा हुई। एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। ज्ञापन में उल्लिखित उन बातों पर जिनका सम्बन्ध जिला प्रशासन से है, अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन) जांच कर रहे हैं।

४—उपरोक्त घटना के कुछ दिन बाद दिनांक ५-३-७५ को यूनियन इन्टर कालेज, रामनगर के करीब ८०० छात्र व अन्य लोग लेबर आफिसर बुढ़वल शुगर मिल का पुतला लेकर मिल के गेट पर पहुंचे तथा उन्होंने मिल के अन्दर जाकर पुतला जलाने की मांग की। थाना-ध्यक्ष ने जो वहां मौजूद थे, इन लोगों को समझा था कि बिना पूर्व अनुमति के उन्हें मिल के अन्दर नहीं जाने दिया जायगा व उनसे अनुमति प्राप्त करने को कहा। लेबर आफिसर का पुतला गेट के बाहर ही जलाया। कतिपय छात्रों ने मिल के अन्य द्वारों से भीतर घुस कर तोड़ फोड़ भी की। पुलिस के आने पर ये लोग भाग गये। भागते हुए ये लोग बदौसराय में स्थित बुढ़वल शुगर मिल का गन्ना उठा ले गये। यह सही नहीं है कि पुलिस द्वारा इन लोगों के साथ कोई बरर्बतापूर्ण कार्य किया गया अथवा पुलिस तरह तरह से छात्रों को उत्पीड़ित कर रही है।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

चूंकि इस समय कोरम नहीं है इसलिये अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२४ मार्च १९७५।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये नियम २९(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३२ पर)

पेंशनर्स द्वारा प्रस्तुत मांगों का संक्षिप्त विवरण

(१) पेंशनर्स को राहत देना ।

(२) सेवारत कर्मचारियों की भांति पेंशनर्स को भी चिकित्सा सुविधा देना।

(३) पेंशन तथा ग्रेच्युटी से काटी गयी धनराशि को राशिकरण तथा ग्रेच्युटी की धनराशि के आगणन की अवधि के बाद पुनः स्थापित करना।

(४) पेंशन निर्धारण के लिये उपयुक्त आधार का निर्धारण किया जाना।

(५) अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन स्वीकार करने में विशेषतया महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में विलम्ब लगने के सम्बन्ध में।

(६) निगमों तथा अन्य संस्थानों में स्वस्थ तथा उपयुक्त पेंशनर्स की सेवाओं का उपयोग किया जाना ।

(७) पेंशनर्स तथा उनके आश्रितों के लिये कल्याण कोष की स्थापना करना।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४७ पर।)

गन्ना विकास समिति लि०, लक्ष्मीगंज के खाद गोदाम से ६३८१०.०० के उर्वरक का माह जून, १९७४ के अन्तर्गत वितरण हुआ है।

क्रम-सं०	नाम कृषक मय वल्दीयत	ग्राम	उर्वरक वितरण की संख्या (बोरों में) यूरिया	डा० अ० फी०	वितरण की तिथि
१	२	३	४	५	६
	सर्वश्री—				
१	कामेश्वर दूबे पुत्र राजमंगल दुबे	लाला छपरा	१४	—	४–६–७४
२	महन्थ दूबे पुत्र कामला	,,	१०	—	४–६–७४
३	जगदेव पुत्र लालू	,,	१	—	४–६–७४
४	भोला दूबे पुत्र हरवंश	,,	—	६	४–६–७४
५	राजेन्द्र गो० राव पुत्र भगवन्त गो० राव।	फुलवरिया	२५	—	४–६–७४
६	विनोद कुमार पुत्र भगवन्त गो० राव ..	,,	२५	—	४–६–७४
७	श्रीमती नन्हें देवी पत्नी भगवन्त गो० राव ..	,,	२५	—	४–६–७४
८	भगवन्त गो० राव पुत्र इन्द्र जीत गो० राव ..	,,	२५	—	४–६–७४
८अ	,, ,, ...	,,	२५	—	२८–६–७४
९	राजेन्द्र राव पुत्र सूर्यमन राव ..	खोटही	२०	—	४–६–७४
१०	सरस्वती राव पुत्र सुमेश्वर राव	,,	२०	—	४–६–७४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

११	ऋषिराज राव पुत्र ब्रह्मदेव	..	,,	१५	–	४–६–७४
१२	कृष्ण कुमार बका पुत्र महावीरप्रसाद..		लक्ष्मीगंज	१०	–	४–६–७४
१३	रामभगत प्र० पुत्र हरी प्रसाद	..	कुसम्हा	२०	–	४–६–७४
१४	महावीर पु० हर प्रसाद ..	..	,,	२०	–	४–६–७४
१५	यमुना पुत्र गोखला ..	..	,,	२०	–	४–६–७४
१६	गोविन्द प्रसाद पुत्र हरी ..	..	,,	२०	–	४–६–७४
१७	केशव प्रसाद पु लक्खू प्रसाद ..	..	,,	५०	–	४–६–७४
१८	लक्खू प्रसाद पुत्र हरी प्रसाद	..	,,	३४	–	४–६–७४
१९	मैघई पुत्र सीकन ..	..	,,	२०	–	४–६–७४
२०	ज्वाला प्रसाद पुत्र यमुना ..	..	,,	३०	–	४–६–७४
२१	गंगा प्रसाद पुत्र महादेव ..	..	,,	२२	–	४–६–७४
२२	राम सेवक पुत्र विन्ध्याचल ..	..	,,	२०	–	४–६–७४
२३	शंकर प्रसाद पुत्र ठकुरी ..	..	लालाछपरा	१५	–	४–६–७४
२४	राजेश्वर प्रसाद पुत्र लक्ष्मीपुर ..	..	लालाछपरा	–	५	४–६–७४
२५	जगदीश प्रसाद पुत्र सीताराम ..	..	खोटही	५	–	४–६–७४
२६	अशोक कुमार पुत्र पूरन चन्द्र ..	..	,,	५	–	४–६–७४
२७	नरेन्द्र कुमार पुत्र पूरन चन्द्र ..	..	,,	५	–	४–६–७४
२८	जैनरायन पुत्र सीताराम ..	..	,,	२	–	४–६–७४
२९	सर्वजीत पुत्र रामलगन	..	,,	–	१०	४–६–७४
३०	योगेन्द्र पुत्र रामगोपाल ..	..	कुसम्हा	१५	–	४–६–७४
३१	शंकर प्रसाद पुत्र द्वारिका प्रसाद ..	..	,,	११	५	४–६–७४
३२	रामगोपाल पुत्र द्वारिका प्रसाद ..	..	,,	१५	–	४–६–७४
३३	कैलाशनाथ पुत्र रामकुमार ..	..	चन्दरपुर	१०	–	४–६–७४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	नाम कृषक मय वल्दीयत	ग्राम	उर्वरक वितरण की संख्या (बोरों में) यूरिया	डा० अ० फी०	वितरण की तिथि
१	२	३	४	५	६
	सर्वश्री—				
३४	प्रकाश चन्द्र पुत्र हुकुम चन्द्र ..	.. लालाछपरा	—	१५	४–६–७४
३५	श्रीमती निर्मला पत्नी रामगोपाल	.. लक्ष्मीपुर	१४	—	४–६–७४
३६	श्री राम पुत्र हरनरायन प्रसाद ..	.. ,,	३	२	४–६–७४
३७	श्यामा सुन्दर पुत्र बृद्धि चन्द्र ..	.. कुसम्हा	५०	—	४–६–७४
३८	सतोष कुमार पुत्र गिरधारी ..	.. लक्ष्मीगंज	३०	—	४–६–७४
३९	सागर मल पुत्र मंगल ..	.. रामकोला	४	—	४–६–७४
४०	सतोष कुमार पुत्र मुन्नी लाल ..	.. कुसम्हा	३५	—	४–६–७४
४१	महेश प्रसाद पुत्र गिरधारी ..	.. लक्ष्मीगंज	१५	—	४–६–७४
४२	सुरेश कुमार पुत्र श्यामसुन्दर ..	.. कुसम्हा	—	४०	४–६–७४
४३	लक्खू प्रसाद पुत्र हरी प्रसाद ..	.. ,,	२४	६०	४–६–७४
४४	राम नरेश सिंह पुत्र चन्द्रवली	.. देवरिया बाबू	—	१०	४–६–७४
४५	जवाहर पुत्र पहाड़ी ..	.. मिश्रौली	२४	—	४–६–७४
४६	रामपरीखन पुत्र सुकई ..	.. देवरिया बाबू	—	५	४–६–७४
४७	मदन सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह ..	.. ,,	—	५	४–६–७४
४८	भानु प्रताप सिंह पुत्र रामनरेश ..	.. ,,	—	१०	४–६–७४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४९	रामगोपाल बंका पुत्र द्वारिका	..	.. बड्हरा	—	११	४–६–७४
५०	दरोगा राव पुत्र सरस्वती राव	..	.. खोटही	—	११	४–६–७४
५१	सुदामा सिंह पुत्र विन्ध्याचल सिंह		.. देवरिया बाबू	—	४	२२–६–७४
५२	विन्द्र सिंह पुत्र विश्वनाथ	..	.. ,,	—	४	२२–६–७४
५३	चौकट पुत्र बशी	..	.. रामपुरवगहा	—	९	२२–६–७४
५४	सच्चन पुत्र विदार	..	.. देवरिया बाबू	—	१०	२२–६–७४
५५	गरीब पुत्र परमेश्वर	..	.. लालाछपरा	—	८	२४–६–७४
५६	सिबू पुत्र मक्कर	..	.. खोटही	—	२	२४–६–७४
५७	विन्देश्वरी पुत्र मक्कर	..	.. ,,	—	२	२४–६–७४
५८	बाबू राम पुत्र महगू	..	.. ,,	—	१०	२५–६–७४
५९	सत्यदेव पुत्र रामसेवक	..	.. पगारखास	—	३	२५–६–७४
६०	भोला पुत्र शीतल ..	..	.. पगराछपरा	—	६	२६–६–७४
६१	रामदेव पुत्र रामलाल	..	.. दियूलिहा	—	३	२६–६–७४
६२	सत्यनरायन पुत्र रामलखन	..	.. खोटही	—	३	२६–६–७४
६३	विन्देश्वरी लाल पुत्र देवनरायन लाल		.. दि० मनी० छापर	—	१०	२६–६–७४
६४	राजेन्द्र गो० राव पुत्र भगवन्त गो० राव		.. फुलवरया	—	२५	२८–६–७४
६५	लक्खू प्रसाद पुत्र हरी प्रसाद	..	.. कुसम्हा दरहरा	—	३७	२८–६–७४
		योग	.. सम्पूर्ण	—	७०८	३७०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४९ पर)

परिशिष्ट 'क'

१ मार्च, १९७४ से दिसम्बर, १९७४ तक तहसील डेरापुर को आवन्टित चीनी की मात्रा तथा तहसीलदार द्वारा शकर रिटेलरों को आवन्टित की गयी मात्रा का विवरण।

क्रम सं०	माह का नाम १९७४	शकर रिटेलरों को कुल आवंटित चीनी की मात्रा (कुन्तल में)	शकर रिटेलरों को आवंटित चीनी की मात्रा (कुन्तल में)	टिप्पणी
१	२	३	४	५
१	मार्च ..	४६७	३४९	इसमें नोटिफाइड एरिया को किया गया आवन्टन सम्मिलित नहीं है क्योंकि मार्च, १९७४ तक नोटीफाइड एरिया के डीलरों को आवन्टन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा किया जाता था।
२	अप्रैल ..	५००	४२८	..
३	मई	०३३*	०३३*	*यह आवन्टन केवल डेरापुर तहसील के शहरी क्षेत्र (नोटीफाइड एरिया) के लिये है। मई तथा जून, १९७४ में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रतिमाह ४६७ कुन्तल चीनी आवन्टित की गयी थी। इसका ६० प्रतिशत गेहूं खरीदारी योजना में सरकार को गेहूं बेचने वाले कृषकों को दियागया तथा ४० प्रतिशत खंड
४	जून . ..	०३३*	०३३*	

					विकास अधिकारी को शादी विवाह हेतु स्पेशल परमिट काटने के लिए दी गयी ।
५	जुलाई	..	५००	३६७	..
६	अगस्त	..	५००	४०४	..
७	सितम्बर	..	५१७	३८३	..
८	अक्तूबर	..	५३२	४७४	..
९	नवम्बर	..	५३२	५०१	..
१०	दिसम्बर	..	४५८	४१९	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

विवरण उन रिटेलरों का जिन्हें दूसरी गांव सभाओं का कोटा दिया गया है। १ मार्च से दिसम्बर, १९७४ तक तहसील डेरापुर, कानपुर

क्रम-सं०	गांव सभा का नाम	गांव सभा से संबंधित रिटेलर का नाम	उस रिटेलर का नाम जिसे चीनी दी गयी	गांव सभा का नाम जहां का डीलर है।	माह जिसकी शकर दी गयी
१	२	३	४	५	६
१	गेदामऊ	.. श्री राम स्वरूप	श्री राजाराम	महराजपुर	मार्च, १९७४
२	सतौरा	.. श्री राधेश्याम	श्री बहादुर सिंह	नवौता	जुलाई, १९७४ से दिसम्बर, १९७४ तक
३	जसापुर	.. श्री राजाराम	श्री रवीन्द्र नारायण	धर्मपुर	.. अगस्त, १९७४
४	गेंदामऊ	.. श्री राम स्वरूप	श्री गंगा प्रसाद	सिठमरा	,,
५	सरगांव खुर्द	.. श्री लल्लू सिंह	श्री रमा शंकर	डेरापुर	,,
६	महराजपुर	.. श्री राजा राम	श्री गंगाराम	अम्बियापुर	सितम्बर, १९७४
७	फत्तेपुर	.. श्री जमील अहमद	श्री देवी प्रसाद	खंजुरी ..	,,
८	गजेन खास	.. श्री राम औतार	श्री हरवंश सिंह	सुन्दरपुर गर्जन	,,
९	हथूमा	.. श्री नरेश चन्द्र	श्री शिवकुमार	रगलां गांव	अक्तूबर, १९७४
१०	सतौस	.. श्री राधेश्याम	श्री बहादुर सिंह	नवौग	,,
११	इन्द्रख	.. श्री गंगा नारायण	श्री शिवदास	चिलौली	,,
१२	मुंगीसापुर	.. श्री मु० हनीफ	श्री रामबाबू	बलाई बुजुर्ग	,,
१३	नैपलापुर	.. श्री मथुरा प्रसाद	श्री सुखदेव प्रसाद	संदना	,,
१४	अटियारामपुर	श्री रामपाल सिंह	श्री मल्लू सिंह	कहिजरी खुर्द	अक्तूबर से दिसम्बर, १९७४ तक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१५	सिठऊ पुरवा	..	श्री श्याम बाबू	श्री कल्लू सिंह	,,	नवम्बर, ७४, दिसम्बर, ७४
१६	भीखदेव	..	श्री रामगोपाल	श्री कौशल किशोर	कपरहट	,,
१७	भीमसेन पुर कहि०	..	श्री भीखा लाल	श्री कल्लू सिंह	कहिजरी खुर्द	,,
१८	सिमरामऊ निगुहिया		श्री हृदय नारायण			,,
	तिगईपुर		श्री लाला राम	श्री राम रतन	भौरा	,,
			श्री राम			
१९	पोवा	..	श्री राधे श्याम	श्री स० स० स० समायू	समायू	,,
२०	दया	..	श्री उमा शंकर	,,	,,	,,
२१	रामपुर भव्वैरीशाल	..	श्री लाल मन	श्री रूप लाल	अलीपुर रावहार	,,
						,,
२२	जगदीश पुर	..	श्री मनोहर लाल	श्री मंगल सिंह	रामपुर रधेवान	,,
२३	सरगांव बुजुर्ग	..	श्री ओम प्रकाश	श्री शिवदास	चिलौली	,,
२४	इन्द्र रुख	..	श्री गंगा नारायण	,,	चिलौली	,,
२५	नैपालपुर	..	श्री मथुरा प्रसाद	श्री सुखदेव प्रसाद	संदना	,,
२६	गठिया सिकन्द्रा	..	श्री इन्द्रजीत सिंह	श्री मेवालाल	रामपुर	,,
२७	फत्तेपुर	..	श्री जमील अहमद	श्री देवी प्रसाद	खजुरी	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५२ पर)

ईटावा शहर में आवंटित की गई आवश्यक वस्तुओं की मात्रा

क्रम सं०	वस्तु का नाम	फरवरी, १९७४ में आवंटन	जनवरी, १९७५ में आवंटन	अन्तर	अन्तर का कारण
१	२	३	४	५	६
१	शक्कर	३८४ मी० टन	२१३ मी० टन	(–) १७१ मी० टन।	भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश का शकर का कोटा जो फरवरी, १९७४में ३२०७२मी० टनथा जुलाई, १९७४ से २३,३८४ मी० टन कर दिया गया है।
२	सीमेन्ट ..	७५०० मी० टन (जनवरी से मार्च, १९७४ के त्रैमास के लिए)।	४६०० मी० टन (जनवरी से मार्च, १९७५ त्रैमास के लिए)।	(–) २९००मी० टन।	भारत सरकार द्वारा जनवरी से मार्च, १९७४ के त्रैमास के लिये उत्तर प्रदेश को ४०५ लाख टन सीमेन्ट फ्री सेल कोटे के अन्तर्गत आवंटित की गयी थी जबकि जनवरी से मार्च, १९७५ के त्रैमास के लिये यह आवन्टन केवल २.४१ लाख मी० टन है।
३	मिट्टी का तेल	४०० किलो लीटर	५५४ किलो लीटर	(+) १५४ कि० लीटर।	भारत सरकार ने प्रदेश को फरवरी, १९७४ में २०८१२ मी० टन मिट्टी का तेल आवन्टित किया था जबकि जनवरी, १९७५ में २७,२५० मी० टन का आवन्टन किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४	वनस्पति ..	१३० मी० टन ..	..	..	भारत सरकार द्वारा ५ जनवरी, १९७५ से वनस्पति के मूल्य पर से नियन्त्रण हटा लेने के फलस्वरूप ७ जनवरी, १९७५ से वनस्पति के वितरण पर नियन्त्रण हटा लिया गया है। अतः जनवरी, १९७५ से शासन द्वारा कोई आवंटन नहीं किया जा रहा है।
५	गेहूं ..	५०० मी० टन	२०८ मी० टन	(–) २९२ मी० टन।	फरवरी, १९७४ में इटावा शहर को जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा बताई गई यूनिटों पर ३ किलो प्रति यूनिट की दर से आवन्टन किया गया था। माह जनवरी, १९७५ में १९७१ की जनगणना पर १० प्रतिशत वृद्धि मानकर २ किलो प्रति यूनिट की दर से आवन्टन किया गया। फरवरी, १९७४ तथा जनवरी, १९७५ के आवन्टनों में अन्तर का कारण प्रति यूनिट १ किलो का अन्तर तथा आवन्टन के आधार में परिवर्तन है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५२ पर।)

राजधानी लखनऊ के उन फर्मों की सूची जिन पर माह अक्टूबर, १९७४ में ७ से १५ तारीख के बीच बिक्रीकर विभाग को विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा छापे मारे गए।

क्रम-संख्या	व्यापारी का नाम व पता
दिनांक ७-१०-७४	
१	सर्वश्री भगवान इन्डस्ट्रीज, ऐशबाग, लखनऊ (सर्वश्री हनुमान इन्जीनियरिंग वर्क्स, ऐशबाग, लखनऊ तथा सर्वश्री वेद स्टील, ऐशबाग, लखनऊ, सर्वश्री भगवान इन्डस्ट्रीज की सब्सीडियरी यूनिट्स हैं किन्तु फर्म का टाइटिल भगवान इन्डस्ट्रीज के नाम से ही है। इन दोनों ब्रांचों का ही सर्वेक्षण किया गया।)
२	सर्वश्री केशव वनस्पति लि०, इन्डस्ट्रियल एरिया, लखनऊ (सर्वश्री प्रदीप रोलिंग मिल्स प्रा०लि०, सर्वश्री केशव वनस्पति लि० की सब्सीडियरी यूनिट है तथा प्रदीप रोलिंग मिल्स के नाम से अभिलेखों का अभिग्रहण किया गया।)
३	सर्वश्री प्रदीप रोलिंग मिल्स, प्रा० लि०, लखनऊ
४	सर्वश्री वेंकटेश्वर फ्लावर मिल, ऐशबाग, लखनऊ
५	सर्वश्री मधुसदन पर्चेजिंग वर्क्स, ऐशबाग, लखनऊ
६	सर्वश्री मधुसदन ट्रेडिंग कम्पनी, ऐशबाग, लखनऊ
७	सर्वश्री केशव मेटल वर्क्स, ऐशबाग, लखनऊ
८	सर्वश्री श्रीलाल अग्रवाल इन्डस्ट्रीज, लखनऊ
९	सर्वश्री गोपाल आइस फैक्ट्री, इन्डस्ट्रियल एरिया, लखनऊ
१०	सर्वश्री अवध आक्सीजन, अमौसी रेलवे स्टेशन, लखनऊ
दिनांक ८-१०-७४	
११	सर्वश्री कामर्शियल मोटर, हजरतगंज, लखनऊ
१२	सर्वश्री कामर्शियल गैस सर्विस, हजरतगंज, लखनऊ
१३	सर्वश्री लखनऊ जनरल स्टोर्स, चारबाग, लखनऊ
१४	सर्वश्री मोटर सेल्स लि०, महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ (सर्वश्री मोटर सेल्स की एक शाखा चारबाग में भी है इस शाखा का भी सर्वेक्षण करके अभिलेखों का अभिग्रहण किया गया)
१५	सर्वश्री नेशनल आटोमोबाइल, हजरतगंज, लखनऊ (ब्रांच एलाइट मोटर्स, हजरतगंज, लखनऊ)।
१६	सर्वश्री एलाइट मोटर्स, प्रा० लि०, हजरतगंज, लखनऊ

क्रम-संख्या	व्यापारी का नाम व पता
दिनांक ९–१०–७४	
१७	सर्वश्री राम नरायन एण्ड ब्रदर्स, ४० लाटूश रोड, लखनऊ
१८	सर्वश्री चन्द्रा मेटल कं०, लाटूश रोड, लखनऊ
१९	सर्वश्री चन्द्रा इन्डस्ट्रीज (ब्रांच आफ मेटल कं०) इन्डस्ट्रियल एरिया, तालकटोरा रोड, लखनऊ ।
२०	सर्वश्री नार्दन इण्डिया आयरन प्रेस वर्क्स, ऐशबाग, लखनऊ
दिनांक १०–१०–७४	
२१	सर्वश्री गर्ग फार्मा, प्र० लि०, तालकटोरा रोड, लखनऊ
२२	सर्वश्री गर्ग सर्जिकल (प्रा0) लि0, तालकटोरा रोड, लखनऊ

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५५ पर)

ईंट भट्टा लाइसेंसीज की सूची नाम एवं पता सहित (जनपद गोरखपुर)

क्रम० सं०	तहसील का नाम	लाइसेंसी का नाम	कार्य का स्थान
१	२	३	४
१	सदर	जी० एल० दास प्रताप सिंह	डिभिया कूड़ाघाट
२	,,	जी० एल० दास प्रताप सिंह	छतरैया–कूड़ाघाट
३	,,	सुन्दर लाल	रतनपुर गुल्हरिया
४	,,	प्रकाश सिंह	मुइकटिया पाली
५	,,	ऊंची राम	लक्ष्मी पुर–झंगहा
६	,,	हुकूमत मल्ल हिरवानी	बदगदवा–मोहरीपुर
७	,,	विरेन्द्र कुमार बाघवानी	गड़वा–पिपराइच
८	,,	हरीशचन्द्र	बशारतपुर
९	,,	माना मल्ल	जंगल बहादुर–महली
१०	,,	योगेन्द्र पाल सिंह	कालेसर
११	,,	गोविन्द राम	सरैया
१२	,,	परमेश्वर प्र०	डुमरीसस
१३	,,	शियलचन्द्र हिरवानी	मोहरीपुर
१४	,,	कृष्णा ब्रिक्स क०	पीपीगंज
१५	,,	गोविन्द राम बागवानी	गहरा झंगहा
१६	,,	गोविन्द राम	मोहरीपुर
१७	,,	लालजी प्रसाद	रसूलपुर
१८	,,	गोपाल दास	डोमिनगढ़
१९	,,	खेमचन्द्र	भाऊपार
२०	,,	लीला राम	मोहरीपुर
२१	,,	लालचन्द्र	रामपुर–गुल्हरिया
२२	,,	रामदेव दूबे	रजही खोराबार
२३	,,	चिरंजी लाल	पीपीगंज
२४	,,	राम स्वारथ सिंह	सहजनवां
२५	,,	हरी दास	जंगल धूसड
२६	,,	बली राम	सरैया
२७	,,	आनन्द प्र० गुप्ता	रूलदा पुर–कुस्महों
२८	,,	,,	डिभिया कूड़ाघाट
२९	,,	कृष्ण प्रताप सिंह	सहजनवां

क्रम सं०	तहसील का नाम	लाइसेंसी का नाम	कार्य का स्थान
१	२	३	४
३०	सदर	लाल चन्द	गुल्हरिया
३१	,,	कृष्णा ब्रिक्स क०	तिथरा–पीपीगंज
३२	,,	,,	रायपुर–पीपीगंज
३३	,,	जेठा मल	जैदपुर
३४	,,	,,	नन्दापार
३५	,,	,,	वशारतपुर
३६	,,	विजय वहादुर सिंह	ऊंचीखोर–सहजनवां
३७	,,	द्वारिका दास	अमवा–भटहट
३८	,,	हसमत मल्ल	मोहरीपुर
३९	,,	धर्मदास हुकूमत मल्ल	पिपराइच
४०	,,	कृपाल दास	रघवापार
४१	,,	अग्रवाल ब्रिक्स सप्लाई	कुसम्हो बाजार
४२	,,	गोविन्द राम	सोनवरसा
४३	,,	दीवानचन्द	बरगदवा–मोहरीपुर
४४	,,	प्रीतमदास	कौड़िया
४५	,,	खेमचन्द	राघवपुर
४६	,,	नारायन दास	रमवापुर पिपराइच
४७	,,	माधव दास आहूजा	सोनबरसा
४८	,,	आहूजा ब्रिक्स फील्ड	जंगल बहादुरी बरगावां
४९	,,	प्रीतम चन्द्र	मोहरीपुर
५०	,,	द्वारिका प्र० सिंह	रघुनाथपुर
५१	,,	भीमसेन	सरैया –गुल्हरिया
५२	,,	कृष्ण सिंह	कुस्मौल–सेंथई
५३	,,	बल्ली राम	रसूलपुर
५४	,,	मधुकरन सिंह	देईपार
५५	,,	राजनरायन शाही	जंगल रानी सोहांस
५६	,,	चन्डी प्र० एण्ड ब्रदर्स	डुमरी
५७	,,	ओम प्रकाश	भटहट
५८	,,	सुरेश प्रसाद	ताज–पिपरा
५९	,,	बलराम दास	रूदलापुर
६०	,,	सुन्दर लाल	पिपरा भुगलहा
६१	,,	राधा कृष्ण	सोन वरसा
६२	,,	अग्रवाल कान्सट्रक्शन क०	बसडीला
६३	,,	डाइसेस आफ वाराणसी	जमुनैया–डुमरी खास

अवधान गंगा

क्रम-सं०	तहसील का नाम	लाइसेंसी का नाम	कार्य का स्थान
१	२	३	४
६४	सदर	रघुवंश दूबे गोविन्द प्र० पाण्डे	ब्रह्मपुर
६५		रामचन्द्र सिंह	फाजिलपुर
६६	,,	प्रेम नारायण सिंह	बनगांवा– सहजनवां
६७	,,	राम बदन	नोवा–जसवाल
६८	,,	अ० रशीद	मुडिला–पिपराइच
६९	,,	तारा सिंह	अतरवलिया
७०	,,	वासदेव	ब्रह्मपुर
७१	,,	फादर लारेन्स मेन्डोन्स	बेतोहा उर्फ चनऊ
७२	फरेन्दा	गनेशा मल	मुडिला–नौतनवां
७३	,,	होरवानी ब्रिक्स कं०	लक्ष्मीपुर
७४	,,	जय प्रकाश	सुकरौली
७५	,,	कृष्ण ब्रिक्स क०	पुरन्दरपुर
७६	,,	,,	आनन्दनगर
७७	,,	लक्ष्मी चन्द्र	विसखोप
७८	,,	किसान ब्रिक्स क०	नौतनवां
७९	,,	भारत ब्रिक्स क०	चन्नी धान
८०	,,	पीपीगंज ब्रिक्स क०	भगवानपुर
८१	,,	लक्ष्मी चन्द	पंडितपुर
८२	,,	कृष्णा क०	बन गढ़िया
८३	,,	गोपी चन्द्र अग्रवाल	कौड़ीराम
८४	,,	हरी दास	खानोपुर
८५	,,	सोमामल	खटभार–खजनी
८६	,,	हरी लाल आहूजा	खजनी
८७	,,	चेतन दास आहूजा	बलुवा सिकरीगंज
८८	,,	मुक्तिनाथ सिंह	कटवर
८९	,,	रामासरे सत्यनारायन	तिवारीपुर–बड़हलगंज
९०	,,	समरजीत सिंह	कुसमौर
९१	,,	सुरेन्द्र सिंह	कटधर
९२	महराजगंज	आवत राम	धनेवां धनई
९३	,,	चन्डी लाल	जगदौर
९४	,,	धन्ना भल्ला	मठधुघली
९५	,,	द्वारिका दास	परतावल
९६	,,	मोहन लाल	योगिया–धुघली
९७	,,	राधा राम	निचलौल
९८	,,	सन्तोष कुमार	सिसवा खुर्द

क्रम-सं०	तहसील का नाम	लाइसेंसी का नाम	कार्य का स्थान
१	२	३	४
९९	महराजगंज	नन्दकिशोर सिंह	अम्दोहा
१००	,,	मनोहर लाल	सिरसिया
१०१	,,	रोशन लाल	पतरेंगवा
१०२	,,	दुर्गा दास	पकड़ी नोनियां
१०३	,,	मोती लाल	सिकारपुर
१०४	,,	मनोहर लाल	बसहिया
१०५	,,	बनराज	बड़हरिया
१०६	,,	प्रभुदास	बरमपुर
१०७	,,	श्यामसुन्दर	बिन्दवलिया
१०८	,,	लक्ष्मी चन्द	पचरूखिया
१०९	,,	श्याम सुन्दर	सबिया
११०	,,	यमुना सिंह	परतावल
१११	,,	आवत राम	बैजन्थापुर
११२	,,	ऊंचो राम	राजावारी
११३	,,	रमेश चन्द्र	पिपरा देवरवा
११४	,,	बनश्याम दास	पिपरा बाबू
११५	,,	दुर्गा दास	घुटहा बाजार

(ह०) अस्पष्ट
जिला पूर्ति अधिकारी,
गोरखपुर।

विधान सभा सचिवालय

वर्ष, १९७४ में ईंट भट्ठे के नये लाइसेन्सियों की सूची

क्रम-सं०	तहसील	नाम लाइसेन्सी	स्थान
१	२	३	४
१	सदर	श्री गोविन्द राम	सोनबरसा बालापार
२	,,	श्री दीवानचन्द	बरगदवा मोहरीपुरा
३	,,	श्री प्रीतमदास	कौड़िया
४	,,	श्री सोमचन्द	सत्रोपुर सतद्वारा नगर
५	,,	श्री नारायण दास	रमवापुर पिपराइच
६	,,	श्री माधौदास आहूजा	सोनबरसा बालापार
७	,,	आहूजा ब्रिक फील्ड	जंगल बहादुरी चागांवा
९	,,	श्री प्रीतमचन्द	मोहरीपुर
९	,,	श्री द्वारिका प्रसाद सिंह	रघुनाथ पुर चोगवा
१०	,,	श्री भीमसेन	सरैया गैलहशिया
११	,,	मेसर्स चण्डी प्रसाद एण्ड ब्रदर्स ।	डुमरी चौरी चौरा
१२	,,	श्री ओम प्रकाश	भटहाट
१३	,,	श्री सुआ प्रसाद	ताजपिपरी
१४	,,	श्री बलम्मदास	बदलापुर
१५	,,	श्री सुन्दरलाल	पिपरामुगहला
१६	,,	श्री संधाविशुन	सोनबांसा
१७	,,	मे० अग्रवाल कान्स्ट्रक्शन कं०	बसडीला
१८	,,	मे० डाइसीस आफ वाराणसी, वाराणसी	जमुनैया
१९	,,	मे० रघुबन्श दूबे गोविन्द प्रसाद पाण्डेय	ब्रह्मपुरा
२०	,,	श्री रामचन्द्र सिंह	फाजिलपुर
२१	करेन्दा	श्री लक्ष्मीचन्द	पंडितपुर जाह
२२	बांस गांव	श्री सुरेन्द्र सिंह	कटघर
२३	महराजगंज	श्री रोशनलाल	पतौगवां

१	२	३	४
२४	,,	श्री दुर्गादास	पकड़िनूनीया
२५	,,	श्री मोती लाल	शिकारपुरा
२६	महाराजगंज	श्री मनोहरलाल	बसहिया
२७	,,	श्री धनराज	बसहिया
२८	,,	श्री प्रभुदास	धामपुर
२९	,,	श्री श्यामसुन्दर	सविया
३०	,,	श्री जमुना सिंह	परतावल
३१	,,	श्री अवधराम	बैजनाथ पुरा
३२	,,	श्री उंबी राम	रजावाही ठूठी बारी

(ह०) अस्पष्ट
जिला पूर्ति अधिकारी,
गोरखपुर।

विधान सभा पुस्तकालय

पी० एस० यू० पी०--एल० १११ वि० सभा--(५२६)-१९७६-८४०।